VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जून - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity & Constitution) 4

1.1. नीति आयोग 4

1.2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तियुक्तकरण 7

1.3. न्यायाधीशों को पद से हटाना 9

1.4. मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन 10

1.5. वन नेशन, वन राशन कार्ड 12

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 14

2.1. शंघाई सहयोग संगठन 14

2.2. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी 17

2.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट: भारत की उम्मीदवारी 18

2.4. आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक 19

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 21

3.1. भारत में GDP आकलन 21

3.2. वस्तु और सेवा कर के 2 वर्ष 24

3.3. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी 27

3.4. लीवरेज अनुपात 30

3.5. आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण 31

3.6. रेटिंग एजेंसियाँ 32

3.7. भारत में खाद्यान्न प्रबंधन 34

3.8. भारत में सौर उपकरणों का विनिर्माण 37

3.9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 38

3.10. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र 40

3.11. चक्रीय अर्थव्यवस्था 41

3.12. स्मार्ट सिटी मिशन 43

4. सुरक्षा (Security) 46

4.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद का सीमा पारीय लिंकेज 46

4.2. सामरिक भागीदारी नीति 47

4.3. काले धन पर रिपोर्ट 48

5. पर्यावरण (Environment) 50

5.1. आनुवंशिक रुप से संशोधित कपास 50

5.2. वन भूमि पुनर्स्थापन 52

5.3. ओजोन प्रदूषण 54

5.4. टिकाऊ आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन 55

5.5. कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता/अर्थव्यवस्था विनियमन 55

5.6. मानसून के आगमन में विलंब 56

5.7. कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना 58

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 60

6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 60

6.2. स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत 64

6.3. खाद्य और पोषण सुरक्षा 65

6.4. फीमेल वर्क एंड लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया 67

6.5. SDG जेंडर इंडेक्स 69

6.6. UN वुमन की नई रिपोर्ट 70

6.7. जनसंख्या शोध केंद्र 71

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 73

7.1. डेटा का स्थानीयकरण 73

7.2. क्षयरोग का उन्मूलन 75

7.3. खाद्य सुदृढ़ीकरण 78

7.4. प्रोटॉन थेरेपी 79

7.5. प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी 80

7.6. लघु तरंग रेडियो प्रसारण 81

8. संस्कृति (Culture) 83

8.1. वर्साय की संधि 83

8.2. चौखंडी स्तूप 84

VISION IAS

8.3. अमरावती कला शैली 85
8.4. महाराजा रणजीत सिंह 86
8.5. सुर्ख़ियों में रहे सांस्कृतिक उत्सव 86
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 88
9.1. समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करना 88
10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Short) 90
10.1. विपक्ष की भूमिका 90
10.2. जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 90
10.3. राष्ट्रीय दल का दर्जा 91
10.4. एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (CICA) पर शिखर सम्मेलन 91
10.5. काउंसिल ऑफ़ यूरोप 91
10.6. सऊदी अरब ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की सदस्यता प्राप्त की 92
10.7. कर सूचना विनिमय समझौता 92
10.8. शिकायत प्रबंधन प्रणाली 92
10.9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा कमोडिटी सूचकांकों पर वायदा अनुबंध की अनुमति 92
10.10. वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों के लिए दिशा-निर्देश 93
10.11. अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस 93
10.12. मधुमक्खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट 93
10.13. वरुणास्त्र 94
10.14. स्ट्रम अटाका एंटी-टैंक मिसाइल 94
10.15. ऑपरेशन संकल्प 94
10.16. अभ्यास गरुड़ 95
10.17. महासागरीय प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु G20 का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क 95
10.18. प्रथम 'रिज़िलिएंट केरल' कार्यक्रम 95
10.19. माउंट एटना और माउंट सिनाबंग 95
10.20. सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली 96
10.21. कण प्रदूषण हेतु उत्सर्जन व्यापार प्रणाली 96
10.22. एंड ऑफ़ चाइल्डहुड इंडेक्स 96
10.23. गो ट्राइबल कैंपेन 96
10.24. अवेयर 97
10.25. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 97
10.26. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 98
10.27. मंगल ग्रह की सतह पर मीथेन 98
10.28. विशेष नैतिक अधिकार 98
10.29. लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय 99
10.30. ज्ञानपीठ पुरस्कार 99
10.31. कोल्हापुरी चप्पल को भौगोलिक संकेतक टैग 99
10.32. प्यूर्टो विलियम्स, चिली 99
10.33. इंफाल शांति संग्रहालय 99
10.34. आरोग्यपाचा पौधा 100
10.35. शीथ ब्लाइट रोग 100
10.36. अनिषेकजनन 100
10.37. ड्रैगन फ्लाई मिशन 100
10.38. रावण-1 101
10.39. C-ATFM प्रणाली 101
10.40. लिब्रा-क्रिप्टोकरेंसी 101
10.41. सूचकांक और रिपोर्ट 101
10.41.1. राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक 101
10.41.2. वैश्विक शांति सूचकांक- 2019 102
10.41.3. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 102
10.41.4. विश्व निवेश रिपोर्ट- 2019 102
10.41.5. वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस- 2019 102
10.41.6. सामाजिक विकास रिपोर्ट-2018 102
10.41.7. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 103
11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं (Government Schemes In News) 104
11.1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - शहरी 104
11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 105

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity & Constitution)

1.1. नीति आयोग

(NITI Aayog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **नीति आयोग (NITI Aayog) का पुनर्गठन** किया गया। राजीव कुमार को इसके उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्नामित कर, गृह मंत्री अमित शाह को इसका पदेन सदस्य (ex-officio member) नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1950 में **योजना आयोग (Planning Commission)** की स्थापना आरम्भ में **देश में निवेश गतिविधियों के निर्देशन हेतु एक अभिकरण के रूप में** की गई थी।
- पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा **मुख्यतया निम्नलिखित दो कर्तव्यों का निष्पादन किया जाता था:**
  - **पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन; तथा**
  - **राज्यों को वित्त प्रदान करना।**
- **योजना आयोग को समाप्त करने के दो प्रमुख कारण थे:**
  - प्रथम, यह धारणा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र (macro-economic) के प्रबंधन की नवीन वास्तविकताओं का अनुकरण करने में सक्षम नहीं था।
  - द्वितीय, यह संघ और राज्यों के मध्य राजकोषीय संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक नहीं था।
- योजना आयोग **देश में आर्थिक विकास के एक समावेशी और न्यायोचित मार्ग की आवश्यकता के अनुरुप नहीं था।**
- इस संदर्भ में, वर्ष 2015 में **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (National Institution for Transforming India: NITI Aayog)** का गठन **सरकार के एक थिंक टैंक (विचार मंच) और परामर्शी निकाय** के रुप में किया गया।

नीति आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं (आयोग की संरचना)

- अध्यक्ष (प्रधानमंत्री);
- उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO);
- पूर्णकालिक सदस्य (संख्या अनिर्दिष्ट);
- अग्रणी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों से अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य;
- पदेन सदस्य के रुप में चार केंद्रीय मंत्री;
- शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल), जिसमें सभी राज्यों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होंगें;
- क्षेत्रीय परिषदें, जिनका गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों तथा आकस्मिकताओं के समाधान हेतु किया जाएगा; तथा
- विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में संबंधित क्षेत्र की प्रासंगिक जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों से संबंधित एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।

आयोग के कार्य

- शासन प्रकिया में एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना;
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण तथा इनका सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर समेकन करने हेतु तंत्रों का विकास करना;
- आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि उसे सौंपे गए विशिष्ट क्षेत्रों संबंधी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को समाहित किया गया है।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना जिन्हें आर्थिक प्रगति के पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं।

VISION IAS

सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से

- नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन;
- अवसरों तक समतावादी पहुंच;
- सहभागितापूर्ण एवं स्वीकार्य शासन; तथा
- प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

नीति आयोग की प्रासंगिकता

- **प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद:** नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्ट्स (जैसे- स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत) प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु विविध कार्यक्षेत्रों में राज्यों को प्रदर्शन आधारित रैंकिंग प्रदान करती हैं। इससे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है तथा इन पद्धतियों को अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है।
- **सहकारी संघवाद:** नीति आयोग की संरचना के कारण, इस निकाय में राज्यों को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत लघु अवधि में मुद्दों के समाधान में भी सहायता प्राप्त होती है।
- **अधिक जवाबदेही:** नीति आयोग द्वारा **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (Development Monitoring and Evaluation Office: DMEO)** की स्थापना की गई है, जो रियल टाइम के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शनों से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करता है। इन संग्रहित आंकड़ों का उपयोग तत्पश्चात जवाबदेही को सुनिश्चित करने तथा प्रदर्शन में सुधार करने हेतु नीति-निर्माण के उच्चतम स्तरों पर किया जाता है।
    - उल्लेखनीय है कि योजना आयोग द्वारा भारत में **12 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की गई।** सामान्यतया **इन योजनाओं का मूल्यांकन इनकी समयावधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता था।** इस प्रकार यहाँ वास्तविक जवाबदेही के निर्धारण का अभाव था।
- **नवाचारी विचारों का थिंक टैंक:** नीति आयोग की कल्पना एक महत्वपूर्ण संस्था के रुप में की गई जिसके माध्यम से सभी संभावित स्रोतों, यथा- उद्योगों, शैक्षणिक समुदाय, नागरिक समाज या विदेशी विशेषज्ञों से नवीन एवं नवाचारी विचारों को प्राप्त किया जाता है तथा सरकारी तंत्र के माध्यम से इन विचारों का कार्यान्वयन किया जाता है।
    - आयोग नवीन विचारों के संग्रहण तथा **केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ इनके साझाकरण के द्वारा** राज्यों को इन नवीन विचारों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।
    - इस प्रकार यह लोक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति हेतु **शासन में सुधार तथा नवाचारी विचारों के कार्यान्वयन** में सहायता करता है।
- **समस्या समाधान हेतु एक साझा मंच:** विभिन्न क्षेत्रकों, राज्यों इत्यादि द्वारा सामना किए जाने वाले समान मुद्दों हेतु एक साझा मंच होने के कारण यह इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अभिसरण केंद्र और उपयुक्त केंद्रबिंदु के रुप में कार्य करता है।

नीति आयोग से संबंधित चिंताएं

- **सरकार और निजी क्षेत्र के प्रति पक्षपात:** नवीन विचारों के सृजन के साथ ही, नीति आयोग को सत्तारुढ़ सरकार से यथोचित बौद्धिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। हालांकि, सरकारी परियोजनाओं के संदर्भ में नीति आयोग की गैर-आलोचनात्मक स्थिति के कारण चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
    - भारतीय अर्थव्यवस्था के रक्षक के रुप में लगभग प्रत्येक स्तर पर निजी क्षेत्र की सहभागिता का समर्थन करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति नीति आयोग के उदासीन व्यवहार के संदर्भ में भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
- **वित्तीय बाधाएं:** नीति आयोग के पास अपने विवेकानुसार राज्यों को निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह स्थिति आयोग को "परिवर्तनकारी" हस्तक्षेप करने की क्षमता से वंचित करती है।
    - इसके विपरीत पूर्ववर्ती योजना आयोग को विवेकानुसार कार्य करने की सुविधा प्राप्त थी, क्योंकि इसे वित्त के साथ-साथ एजेंडे पर भी नियंत्रण प्राप्त था।
- **केवल अनुशंसात्मक निकाय:** यह एक परामर्शी निकाय के रुप में कार्य करता है जो अपने विचारों की प्रवर्तनीयता को सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मुद्दों पर सरकार को केवल परामर्श प्रदान करता है।
- **शक्ति के विकेंद्रीकरण का अभाव:** ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण तथा इनका सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर समेकन करने हेतु तंत्रों का विकास करना नीति आयोग के परिकल्पित लक्ष्यों में से एक है। इस परिकल्पित लक्ष्य की न के बराबर प्राप्ति की जा सकी है।

VISION IAS

- **रुपांतरणकारी परिवर्तनों हेतु प्राप्त अवसरों से लाभान्वित होने में विफलता:** यह निकाय गुणात्मक परिवर्तनों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अवसरों से लाभान्वित होने में विफल रहा है:
  - उदाहरणार्थ, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) को पुनर्संरचित किया गया। योजना आयोग की समाप्ति के समय विभिन्न योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में सुधार करने का संकल्प किया गया, लेकिन इस निकाय द्वारा केवल वित्तपोषण के संदर्भ में राज्यों पर अधिक उत्तरदायित्व का अधिरोपण करने जैसे परिवर्तन किए गए।
  - इस संदर्भ में एक अन्य अवसर तब उत्पन्न हुआ जब योजनागत तथा गैर-योजनागत व्ययों के मध्य विभेद को समाप्त कर दिया गया था। उस समय, आयोग के पास पूँजीगत और राजस्व व्यय संबंधी व्यापक दृष्टिकोण (क्षेत्रवार) अपनाने हेतु अवसर विद्यमान था। किंतु आयोग द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया।
- **राज्यों को अपर्याप्त समर्थन:** योजना आयोग (वर्तमान नीति आयोग) की कार्य-प्रणाली के संदर्भ में राज्यों की प्रमुख शिकायतों का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। शिकायतें मुख्यतया इस अवधारणा पर आधारित हैं कि केंद्र द्वारा राज्यों के उत्तरदायित्वों का अतिक्रमण किया जा रहा है तथा वह प्रशासन में ***वन साइज़ फिट फॉर ऑल*** दृष्टिकोण का निरंतर समर्थन कर रहा है।
  - यह प्रमाणित करना कठिन है कि विगत वर्षों में आरम्भ की गई नीतियां और कार्यक्रम, केंद्र और राज्यों के मध्य परामर्श के पश्चात् विकसित किए गए। जबकि, नीति आयोग की परिकल्पना विकास एजेंडा तैयार करते समय भागीदारों के रुप में राज्यों के साथ सहयोग स्थापित करने हेतु की गई।

नीति आयोग को अधिक सुदृढ़ बनाने के उपाय

- **वित्त आयोग के साथ संतुलन:** नीति आयोग को वित्त-पोषणकर्ता की भूमिका प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह राज्यों के मध्य विकास संबंधी चिंताओं का समाधान करने में सहायक हो सके।
  - इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे यह प्रत्येक पांच वर्षों में केवल एक कर साझाकरण सूत्र प्रदान करने के बजाय राजकोषीय अंतरण प्रणालियों का पर्यवेक्षण करने में सक्षम होगा।
  - संघीय संतुलन के लिए एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता होती है जिसके लिए या तो एक **अधिक प्रभावी नीति आयोग अथवा एक स्थायी वित्त आयोग की स्थापना** अपरिहार्य है।
- **जवाबदेही में वृद्धि:** नौकरशाही को सामान्यज्ञ से विशेषज्ञ में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। पुनः इसकी जवाबदेही आगतों और व्यय की गई निधियों के बजाय प्राप्त परिणामों पर आधारित होनी चाहिए। नीति आयोग को इस संबंध में विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है कि इन सुधारों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा।
- **अधिक निधि की व्यवस्था:** सहकारी संघवाद के प्रवर्तन के संदर्भ में, नीति आयोग 2.0 को पिछड़े राज्यों में तीव्र संवृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा ऐतिहासिक रुप से अवसंरचना संबंधी अभाव की पूर्ति करने हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों (GDP के लगभग 1% से 2% तक) को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार विकासात्मक असंतुलन को कम करने के प्रयास करने चाहिए।
- **अधिक हितधारकों को शामिल करना:** इसे अपने विशेषज्ञ सदस्यों के माध्यम से निर्धारित क्षेत्रों पर अनुसंधान आगतों को प्राप्त करना चाहिए तथा अनुसंधान के अनुभवजन्य महत्व पर आधारित अनुशंसाओं का संकलन करना चाहिए। इससे समय, लागत और प्रयासों में कमी आएगी तथा सरकार हेतु समयबद्ध नीतिगत इनपुट्स में वृद्धि होगी।

नीति आयोग का प्रदर्शन

- **विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का शुभारंभ**
  - महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणामों से संबंधित प्रदर्शन का मापन करना तथा राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना।
  - सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल (SATH/साथ)।
  - एक भारत श्रेष्ठ भारत।
  - अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों के लिए विकास समर्थित सेवाएं (Development Support Services to States: DSSS)।
  - स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
  - केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के लंबित विवादों का समाधान।
  - 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)': 'सबका साथ, सबका विकास' विज़न को क्रियान्वित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि भारत की विकास प्रक्रिया समावेशी बनी रहे।
- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ प्रमाण आधारित नीति-निर्माण को सक्षम बनाना तथा उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना**
  - तीन वर्षीय राष्ट्रीय कार्य एजेंडा तथा 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' (Strategy for New India @75) जो भारत की परिवर्तित वास्तविकताओं के साथ विकासात्मक रणनीति के बेहतर संरेखण को प्रोत्साहित करेंगे।
  - केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) में सुधार।
  - संतुलित क्षेत्रीय विकास।
    - पूर्वोत्तर को विकास सहायता।

VISION IAS

    - पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम।
  - स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी क्षेत्रों में सुधार।
    - पोषण (POSHAN) अभियान का शुभारंभ।
    - राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विकास।
    - औषध (फार्मास्यूटिकल्स) क्षेत्र में सुधार।
  - ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।
  - नीति आयोग द्वारा 'इंडियाज रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रोडमैप 2030' संबंधी एक रिपोर्ट को तैयार और प्रकाशित किया गया है।
  - राष्ट्रीय खनिज नीति, 2018 में संशोधन हेतु रोडमैप।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी तथा निर्णय-निर्माण में हितधारकों के परामर्शों को प्रोत्साहित करना।**
- **उद्यमशीलता और नवाचारी पारितंत्र को बढ़ावा देना।**
  - **अटल इनोवेशन मिशन** ने भारत में नवाचारी पारितंत्र में सुधार करने हेतु पहले से ही सराहनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भारत में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है।
  - वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन, 2017: वुमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल'
  - महिला उद्यमिता मंच (WEP)
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मेथनॉल इकॉनमी जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।**

1.2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तियुक्तकरण

(Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष **एन. के. सिंह** ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) को अधिक युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पृष्ठभूमि

- **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSSs),** केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित योजनाएं होती हैं। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये योजनाएँ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों से संबंधित होती हैं।
- **CSS वस्तुतः राज्य की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता का सबसे बड़ा घटक** हैं। ज्ञातव्य है कि इनके अंतर्गत राज्यों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त नहीं होती है।
- भारत में योजना काल के आरंभिक वर्षों में CSS की संख्या सर्वाधिक थी; उदाहरणार्थ- 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनकी संख्या 190 थी, जो **9वीं योजना के अंत तक बढ़ कर 360 हो गई।**
- CSSs राज्यों एवं केंद्र के मध्य **विवाद का एक प्रमुख विषय** बनी हुई हैं। इसके परिणामस्वरुप विभिन्न समितियों द्वारा इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई हैं।
- इस संबंध में सरकार ने **मुख्यमंत्रियों के उप-समूह** द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को स्वीकार किया है तथा CSSs को युक्तिसंगत बनाने हेतु विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं।
- इन्हीं कारणों से CSSs को और अधिक युक्तिसंगत बनाए जाने की मांग की जाती रही है। हाल ही में, **15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह द्वारा इस मांग का समर्थन किया गया है।** एन. के. सिंह के अनुसार व्ययों में सुधार हेतु CSSs की संख्या में कमी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत राजस्व उत्प्लावकता (revenue buoyancy) अभी भी कम बना हुआ है।

CSS से संबंधित समितियां

- राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति (1967)।
- के. राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह।
- पी. वी. नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में गठित समिति।
- जे. एस. बैजल की अध्यक्षता में गठित समिति।
- अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह।
- बी. के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित समिति।
- शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों का उप-समूह।

VISION IAS

CSS की आवश्यकता

- **विकास के राष्ट्रीय ढांचे का सृजन:** महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जैसे निर्धनता उन्मूलन या शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम मानकों की स्थापना।
- **राज्यों के वित्तीय संसाधनों हेतु पूरक व्यवस्था:** क्योंकि राज्यों के पास उत्तरदायित्वों की तुलना में बहुत कम संसाधन विद्यमान हैं।
- **समावेशी विकास:** विशेष श्रेणी के राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है ताकि देश में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- **योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता:** इससे बेहतर विशेषताओं को प्रदर्शित करने, विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने तथा सुधारों का अनुसरण करने हेतु अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

CSS के प्रकार	मानदंड	वित्तपोषण प्रतिमान (केंद्र : राज्य)	योजनाएं
अति महत्वपूर्ण योजनाएँ (Core of the Core) (6)	राज्यों की अनिवार्य भागीदारी	• सामान्य श्रेणी के राज्य: मौजूदा प्रतिमान • विशेष श्रेणी के राज्य: मौजूदा प्रतिमान	• मनरेगा (MGNREGA) • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं आदि के लिए) • अनुसूचित जाति (SC) हेतु अम्ब्रेला योजना (SC हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं) • अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु अम्ब्रेला योजना (ST हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं) • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु अम्ब्रेला योजना (OBC हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं) • अल्पसंख्यकों हेतु अम्ब्रेला योजना (अल्पसंख्यकों हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं)
महत्वपूर्ण योजनाएँ (Core) (20)	राज्यों की अनिवार्य भागीदारी	• सामान्य श्रेणी के राज्य: 60: 40 • विशेष श्रेणी के राज्य: 90: 10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, वानिकी और वन्य जीवन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि।
वैकल्पिक (Optional) (2)	राज्य या तो सभी अथवा किसी एक का चयन कर सकते हैं।	• सामान्य श्रेणी के राज्य: 50: 50 • विशेष श्रेणी के राज्य: 80: 20	• सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) • राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

CSS को युक्तिसंगत बनाने हेतु किए गए उपाय

- **विचार-विमर्श में राज्यों की भागीदारी:** वर्ष 2014-15 में, राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष **अंतरण** को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में **CSS** हेतु राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- **CSS की संख्या में कमी:** वर्तमान में CSSs की संख्या को **66 से घटाकर 28** कर दिया गया है तथा इन्हें तीन श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है।
- **राज्यों को प्रदत्त विकल्पों में वृद्धि:** राज्यों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वैकल्पिक योजनाओं के चयन का विकल्प प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, CSS के डिजाइन करने के क्रम में, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों को घटकों के चयन करने की छूट प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ इस प्रकार की सुविधा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत उपलब्ध है।
- **निधियों के उपयोग से संबंधित कठोरता में कमी:** प्रत्येक CSS के लिए किये जाने वाले समग्र वार्षिक आबंटन में फ्लेक्सी-फंड्स (लोचशील निधि) की राशि में वृद्धि की गई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों हेतु इसे 10% से बढ़ाकर क्रमशः 25% और 30% कर दिया गया है।

- **CSS का मूल्यांकन:** CSS के अनुमोदन को वित्त आयोग की समयावधि के साथ संबद्ध (को-टर्मिनस) किया जा रहा है। नीति आयोग सभी CSSs के मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है।

CSS के प्रति राज्यों की शिकायतें

- **राज्यों के कार्यों का अतिक्रमण:** क्योंकि, CSS का निर्माण सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों के आधार पर किया जाता है।
- **योजनाओं का प्रसार:** योजनाओं की अत्यधिक संख्या के कारण पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण इन योजनाओं के परिणाम (आउटकम) भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित होते हैं।
- **"वन साइज़ फिट फॉर ऑल" की समस्या:** विकास संकेतकों तथा संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में राज्यों के मध्य विद्यमान भिन्नताओं के कारण अनेक योजनाएं कई राज्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
- हाल ही में समाविष्ट लोचशील निधि (फ्लेक्सी-फंड) के प्रावधान के बावजूद, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों को **सीमित स्वायत्तता** प्राप्त है।
- **राज्यों के साथ अपर्याप्त विचार-विमर्श:** नवीन योजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व राज्यों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया जाता हैं। प्राय: राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

CSS को अधिक युक्तिसंगत बनाने की संभावनाएं

- **निधियों के अंतरण की प्रक्रिया में सुधार करना:** क्योंकि निधियों के अबाध प्रवाह के संदर्भ में राज्य सरकारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **प्रदर्शन आधारित वित्तीयन मॉडल को अपनाने में सहायता प्राप्त हो सकती है:** सार्वजनिक योजनाओं के प्रदर्शन को तात्कालिक परिणामों (आउटपुट) तथा दीर्घकालिक परिवर्तनों (आउटकम) के एक संयोजन के रुप में परिभाषित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त निधियों के निवेश हेतु अनुकूल घटकों के चयन में अत्यधिक लचीलापन (flexibility) प्रदान करते हुए, एक प्रदर्शन आधारित वित्तीयन मॉडल को डिजाइन किया जा सकता है।
- **क्षेत्र के व्यापक विकास को समक्ष बनाना:** जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय निधि उपलब्ध होती है उनमें राज्यों द्वारा विकास हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते है, जैसे- कृषि क्षेत्र में बीज उत्पादन। ऐसे में केन्द्रीय निधियों का प्रयोग संतुलित विकास हेतु किया जा सकता है, जो राज्यों के संसाधनों के लिए अनुपूरक हो सकता है।

आगे की राह

केंद्र प्रायोजित योजनाएं सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिनकी सहायता से देश के विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है।

1.3. न्यायाधीशों को पद से हटाना

(Removal of Judges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर **इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पद से हटाने से संबंधित एक प्रस्ताव** आरंभ करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

- **अनुच्छेद 217** के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि "किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए **अनुच्छेद 124 के खंड (4)** में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।"
- संविधान के **अनुच्छेद 124(4)** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उसकी पदमुक्ति के संदर्भ में प्रस्ताव पारित करने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा केवल **'साबित कदाचार' या 'असमर्थता'** के आधार पर हटाया जा सकता है।
- संविधान द्वारा यह अपेक्षित है कि 'साबित कदाचार' या 'असमर्थता' का निर्धारण किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे न्यायाधिकरण की संरचना **न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 (इन्फोग्राफिक देखें)** के तहत निर्धारित की गई है।

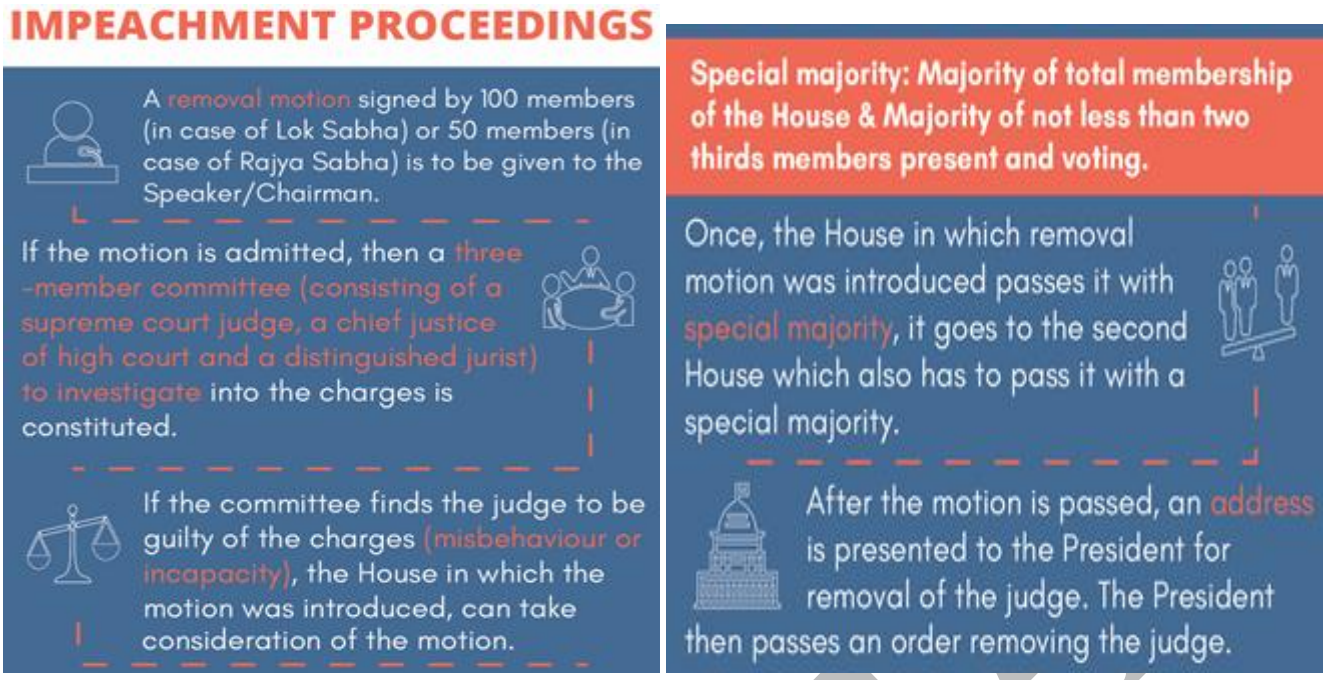

न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबद्ध मुद्दे

- **प्रवर्तन का अभाव:** 1950 के पश्चात् इस अधिनियम का केवल तीन बार प्रयोग किया गया है। हालाँकि, महाभियोग के सफल संचालन के माध्यम से अब तक किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं जा सका है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** इससे संबंधित कार्यवाहियों को गोपनीय तरीके से संचालित किया जाता है। दूसरी ओर आरोप सिद्ध होने तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं।
    - संविधान और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, दोनों के अंतर्गत इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है; अर्थात् जिस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, उसके संबंध में यहाँ यह प्रावधान नहीं है कि जब तक उस पर लगाए गए सभी आरोपों से उसे दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक उसे न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपे जाएंगे।
- **जटिल प्रक्रिया:** महाभियोग एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है तथा वास्तविक रुप में इसके प्रति न्यायाधीशों की कोई जवाबदेही नहीं होती है।

आगे की राह

- उच्चतर न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने हेतु कानूनी रुप से प्रवर्तनीय मानकों का एक समुच्चय स्थापित करने तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली जन शिकायतों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक नई संरचना स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 (जो व्यपगत हो चुका है) के समरुप एक **नए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक** को पुर:स्थापित किया जाना चाहिए।
    - न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 के अंतर्गत **नेशनल जुडिशल ओवरसाइट कमेटी, कम्प्लेंट्स स्क्रुटनी पैनल एंड इन्वेस्टिगेशन कमिटी** की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।
    - **न्यायाधीश जांच विधेयक, 2006** के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित असमर्थता या कदाचार के आरोपों की जांच करने हेतु एक **राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (NJC)** की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया था।
- **नियुक्ति:** कॉलेजियम द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए ताकि उच्च न्यायालयों में केवल उच्च सक्षमता और उच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सके। इसकी प्राप्ति हेतु न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **व्यापक आंतरिक विनियमन:** उल्लेखनीय है कि, अब तक न्यायाधीशों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के ऐसे अनेक उदाहरण सामने आ चुके हैं, जहाँ इस प्रकार के कदाचार के मामलों के आरंभ में ही अति शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसके लिए, संसद द्वारा एक **नेशनल जुडिशल ओवरसाइट कमेटी** का गठन किया जाना चाहिए। पुनः इनसे संबंधित शिकायतों और जांचों की संवीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं का निर्माण कमेटी द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार की समितियों के गठन से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित न हो।

1.4. मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन

(Cabinet Committees Reconstituted)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **दो नई समितियों** (निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति) के गठन सहित आठ प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees)

- ये **संविधानेत्तर** निकाय हैं, जिनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान **भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961** में उपबंधित किए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री द्वारा** इन्हें समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं।
- **वर्गीकरण:** ये दो प्रकार की होती हैं: **स्थायी** और **तदर्थ।** स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की जबकि तदर्थ समिति अस्थायी प्रकृति की होती हैं।
- **प्रकार्य:** ये मंत्रिमंडल के **अत्यधिक कार्यभार को कम करने हेतु एक प्रकार के संगठनात्मक उपकरण** हैं। ये समितियां **नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा** और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं।
- मंत्रिमंडल इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की **समीक्षा** कर सकता है।
- **संरचना:** सामान्यतः इनमें **केवल कैबिनेट मंत्री** शामिल होते हैं। हालांकि, **कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को भी इनका सदस्य बनाया जा सकता है**। इनमें न केवल संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। इनके सदस्यों की संख्या **तीन से लेकर आठ** तक हो सकती है।
- **समितियों के प्रमुख:** अधिकांश समितियों का अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होता है। कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री भी अध्यक्ष के रुप में कार्य करते हैं। किन्तु, यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य होता है, तो उसके द्वारा ही उस समिति की अध्यक्षता की जाती है।

अन्य संबंधित जानकारी

- पुनर्गठित समितियां निम्नलिखित हैं:
  - **नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (ACC):** इसके द्वारा केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम, बैंक, तीनों सेवाओं के प्रमुखों आदि से संबंधित सभी उच्च-स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्रति-नियुक्त (Central deputation) होने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में भी निर्णय किया जाता है।
  - **आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA):** इसके द्वारा एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति विकसित करने हेतु आर्थिक प्रवृतियों, समस्याओं तथा संभावनाओं की समीक्षा की जाती है।
    - यह कृषि उपज की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का भी निर्धारण करती है।
    - यह औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों तथा ग्रामीण विकास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करती है।
    - यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर भी विचार करती है।
- **संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति:** यह संसदीय सत्रों के लिए समय-सारणी (schedule) तैयार करती है और संसद में सरकारी कार्यों की प्रगति की निगरानी भी करती है।
  - यह **गैर-सरकारी कार्यों की संवीक्षा** करती है तथा यह भी निर्धारित करती है कि किन सरकारी विधेयकों और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना है।
- **राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति:** इसके द्वारा घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।
- **सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति:** इसके द्वारा **कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा निहितार्थों** से संबंधित विदेशी मामलों पर नीतिगत कार्यवाहियों की निगरानी की जाती है।
  - यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी निगरानी रखती है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में किए गए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है।
  - यह **रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)** तथा **रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग**, **सर्विस कैपिटल एक्विजिशन प्लान (SCAP)** और सुरक्षा-संबंधी उपकरणों की खरीद योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
- **आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति:** यह सरकारी आवासों के आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश अथवा नियम निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए आवंटित किए जाने वाले आवास भी शामिल हैं।
- **नई समितियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं:**
  - **निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति:**
    - इसके द्वारा एक **निश्चित समयसीमा के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली** 1,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश की अवसंरचना और विनिर्माण संबंधित परियोजनाओं अथवा इसके द्वारा निर्दिष्ट किसी **अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की जाएगी।**
    - इसके द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही, इसके द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी।

VISION IAS

- **रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति:**
  - इसके द्वारा कौशल विकास के लिए सभी **नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा प्रदान** की जाएगी, जिसका उद्देश्य वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने और **जनसांख्यिकीय लाभांश** के लाभों को प्राप्त करने हेतु **कार्यबल की रोजगार क्षमता** को बढ़ाना है।
  - उल्लेखनीय है कि **कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना**, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देना और संबंधित कारणों की पहचान करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता और उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना आवश्यक है।
  - मंत्रालयों द्वारा संचालित सभी कौशल विकास पहलों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इन समितियों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में इसकी प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।
- आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर, **प्रधानमंत्री** उपर्युक्त **छह समितियों का अध्यक्ष** होता है।

1.5. वन नेशन, वन राशन कार्ड

(One Nation, One Ration Card)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए **'वन नेशन, वन राशन कार्ड'** प्रणाली को लागू करने हेतु 30 जून 2020 की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2017 में **प्रवासन के संबंध में पार्थ मुखोपाध्याय कार्यकारी समूह** द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुशंसा की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IMPDS) के तहत PDS तक अंत:राज्यीय पहुंच की सुविधा को पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)" योजना

- IM-PDS एक नई **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है, जिसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत कार्यान्वित किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - खाद्यान्न वितरण में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को कार्यान्वित करना।
  - लाभार्थियों से संबंधित डेटा (आधार आधारित) के दोहराव से बचाव (de-duplication) के लिए राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण करना।
  - निरंतर सुधार लाने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स तकनीकों का उपयोग करना।

योजना के बारे में

- योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा देश के किसी भी भाग में राशन की दुकान से **सब्सिडी युक्त अनाज खरीदा जा सकता है।**
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु **राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।**
- एक व्यक्ति केवल **केंद्र द्वारा समर्थित सब्सिडी के लिए ही पात्र होगा** जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शामिल लाभार्थी।
  - यदि कोई लाभार्थी ऐसे राज्य में जाता है जहां मुफ्त में अनाज प्रदान किया जा रहा हो, तो वह उन लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- एक प्रवासी व्यक्ति को परिवार के लिए **निर्धारित कोटे का अधिकतम 50% खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है।** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने के पश्चात् एक ही बार में परिवार के लिए निर्धारित संपूर्ण कोटे की खरीद न कर सके।
- **योजना का लक्ष्य:**
  - प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाना।
  - एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नकली राशन कार्ड धारकों की पहचान करना और उनके नकली राशन कार्डों को समाप्त करना।
  - अनधिकृत रुप से लाभ प्राप्त करने वाले संयुक्त लाभार्थियों का प्रणाली से निष्कासन, रिसाव को रोकने आदि के माध्यम से बढ़ते खाद्य सब्सिडी व्यय को नियंत्रित करना।

राशन कार्ड के बारे में

- राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से **आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार,** राज्य सरकार के एक आदेश या प्राधिकरण के तहत जारी किया गया एक दस्तावेज होता है।
- राज्य सरकारों द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों, निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए **विशिष्ट राशन कार्ड जारी** किए जाते हैं तथा राशन कार्डों की समय-समय पर समीक्षा एवं जांच भी की जाती है।
    - निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को **ब्लू कार्ड** जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वे विशिष्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- यह रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद में सहायता करता है और इस प्रकार धन की बचत करने में सहायक है।
- **पहचान का प्रमाण:** यह अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे मूल निवास संबंधी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने, किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने आदि के लिए पहचान स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

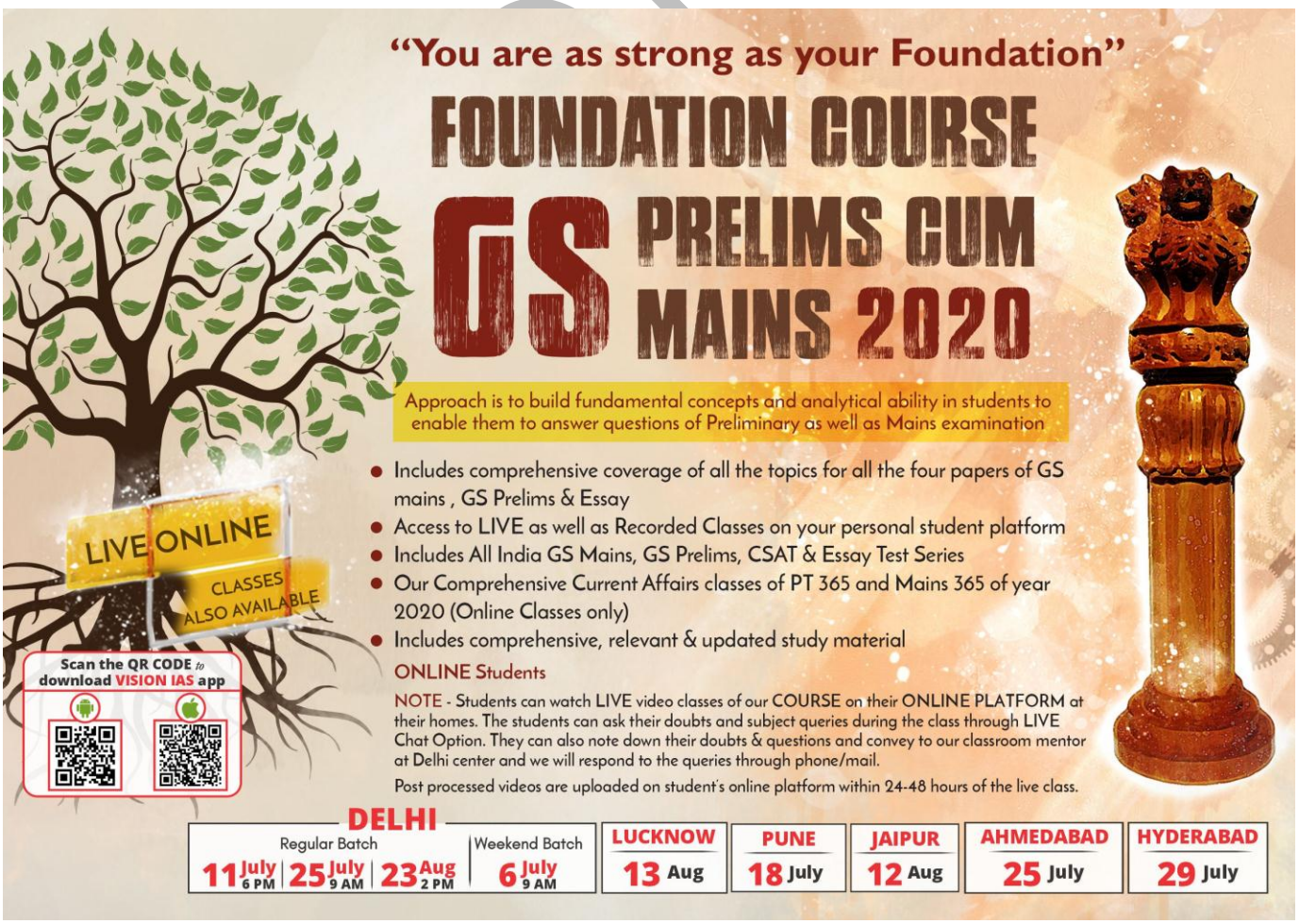

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. शंघाई सहयोग संगठन

(Shanghai Cooperation Organization: SCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 19वें शिखर सम्मेलन में SCO के सदस्य देशों द्वारा **बिश्केक घोषणा-पत्र** को अंगीकृत किया गया।

बिश्केक घोषणा-पत्र की प्रमुख विशेषताएं

- आतंकवाद के सभी रुपों और अभिव्यक्तियों की निंदा;
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन;
- ईरान के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना के **'सुसंगत कार्यान्वयन'** की मांग;
- संवाद प्रक्रिया के माध्यम से **सीरिया के लिए एक राजनीतिक समझौते का समर्थन** और विभिन्न राज्यों द्वारा सीरिया में 'संघर्ष की समाप्ति के पश्चात् पुनर्बहाली कार्य';
- **'SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह की भविष्य की कार्यवाही के लिए रोडमैप'** पर हस्ताक्षर, जो 'स्वयं अफगानों द्वारा संचालित और उनके नेतृत्व वाली समावेशी शांति प्रक्रिया' का समर्थन करता है।

SCO के बारे में

- SCO, यूरेशियाई क्षेत्र का एक **राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन** है। ब्रिक्स (BRICS) के साथ-साथ, SCO को चीन और रुस द्वारा **पश्चिमी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) को चुनौती देने** तथा **मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो (NATO) की गतिविधियों के प्रति-संतुलक** के रुप में देखा जाता है।
- वर्तमान में, SCO के **सदस्य देशों की संख्या 8** है। ये देश हैं - चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त, इसमें **4 पर्यवेक्षक देश (Observer States)** - अफगानिस्तान, बेलारुस, ईरान और मंगोलिया तथा **6 वार्ता भागीदार (Dialogue Partners)** - अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका शामिल हैं।
- SCO के कार्य-संचालन की आधिकारिक भाषाएँ **चीनी (Chinese)** और **रुसी (Russian)** हैं।
- इसके **दो स्थायी निकाय** हैं, यथा- बीजिंग स्थित **SCO सचिवालय** और ताशकंद स्थित **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर: RATS) की कार्यकारी समिति।**
- SCO सचिवालय शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य स्थायी कार्यकारी निकाय है, जबकि **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद** SCO की शीर्ष निर्णय निर्माणकारी संस्था है।
- इसके प्रेरक दर्शन को **"शंघाई स्पिरिट"** के रुप में जाना जाता है। यह सद्भाव, सर्वसम्मति, अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और गुटनिरपेक्षता पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि **समावेशी यूरेशियाई पहचान** पर बल देने हेतु **SCO ने संस्कृति संबंधी पक्ष** को अपने एक महत्वपूर्ण तत्व के रुप में स्थापित किया है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने बिश्केक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान SCO के लिए **HEALTH** (हेल्थकेयर सहयोग, आर्थिक सहयोग, वैकल्पिक ऊर्जा, साहित्य एवं संस्कृति, आतंकवाद-मुक्त समाज और मानवीय सहयोग) के रुप में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण, SCO के घोषणा-पत्र के अनुरुप है।

अन्य संबंधित तथ्य - "शंघाई फाइव"

- शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात्, चीन ने मध्य एशिया और शिनजियांग प्रांत के उइगरों को नियंत्रित करने हेतु **मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ सुरक्षा सहयोग** स्थापित करने की मांग की।
- इसलिए, विश्वास बहाली उपायों को अपनाने और सीमा संबंधी बाधाओं की समाप्ति हेतु वर्ष 1996 में **शंघाई-5 (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस एवं ताजिकिस्तान)** नामक एक समूह की स्थापना की गई थी।
- **वर्ष 2001** में, उज्बेकिस्तान इस समूह में शामिल हो गया और इसका नाम परिवर्तित कर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) कर दिया गया।

VISION IAS

भारत की SCO में सदस्यता का महत्व

- **सुरक्षा:** उल्लेखनीय है कि SCO का मुख्य उद्देश्य "तीन बुराइयों" (three evils) (आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद) के विरुद्ध सहयोगात्मक रुप से कार्य करना है। यह भारत के हितों के अनुरुप भी है।

  - **क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS)** और संयुक्त सैन्य अभ्यास (भारत ने वर्ष 2018 में भाग लिया) में नियमित भागीदारी **युद्धक क्षमताओं और आसूचना साझाकरण में वृद्धि** करने में सहायता करेगी।
  - यह द्विपक्षीय विवादों को शामिल किए बिना आपसी हितों से संबंधित मुद्दों पर **पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु एक मंच** के रुप में कार्य कर सकता है। इसके साथ ही यह इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) जैसे अन्य बहु-राष्ट्रीय मंचों पर **पाकिस्तान द्वारा (भारत के विरुद्ध) किए जाने वाले दुष्प्रचार का विरोध करने में भारत को सहायता** कर सकता है।
  - मध्य एशियाई क्षेत्र के देश और भारत अफीम उत्पादन (ईरान-पाकिस्तान-अफगानिस्तान) से संबंधित **'गोल्डन क्रीसेंट'** से होने वाले अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार के गंभीर खतरे का सामना कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त ये अवैध हथियार व्यापार की समस्या से भी प्रभावित हैं। ऐसे में SCO बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **कनेक्टिविटी:** SCO **भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति** को व्यापार, लोगों के मध्य परस्पर संपर्क और सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से आगे बढ़ाने का एक संभावित मंच है।
  - यह स्पष्ट रुप से कनेक्टिविटी संबंधी भारत के प्रयासों को उचित दिशा प्रदान करने के अनुरुप है। इसे हम **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और अश्गाबात समझौता, चाबहार बंदरगाह के निर्माण एवं काबुल, कंधार तथा नई दिल्ली के मध्य एक हवाई माल-भाड़े गलियारे की स्थापना** के संदर्भ में समझ सकते हैं।
- **आर्थिक हित:**
  - SCO के देश **विश्व की आबादी में लगभग 42% और GDP में 20%** योगदान करते हैं। ऐसे में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) **भारत** को अपने सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त और फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए एक **व्यापक बाजार आधार प्रदान** कर सकता है।
  - सांस्कृतिक संपर्क और साझा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इसमें देश के **पर्यटन क्षेत्र** (वर्तमान में भारत के कुल पर्यटकों में SCO देशों का योगदान केवल 6%) **को बढ़ावा देने की क्षमता** विद्यमान है।
- **ऊर्जा और खनिज:** चूँकि मध्य एशिया भौगोलिक रुप से भारत के निकट अवस्थित है। अतः मध्य एशिया के साथ खनिज व्यापार से लागत में कमी आ सकती है। बढ़ती मांगों के साथ-साथ एक ऊर्जा न्यून देश होने के कारण, भारत मध्य एशियाई देशों और रुस के लिए एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करता है।
  - ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के साथ-साथ SCO देशों में विश्व के **कुछ सबसे बड़े तेल** (~ 25%) और **प्राकृतिक गैस भंडार** (~ 50%) अवस्थित हैं। कजाकिस्तान **यूरेनियम** का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान स्वर्ण के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक हैं।
  - **SCO एनर्जी क्लब** वस्तुतः उत्पादकों (रुस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान) तथा उपभोक्ताओं (चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और मंगोलिया) के मध्य व्यापक वार्ता की सुविधा प्रदान कर सकता है।
  - SCO की सदस्यता **TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन) और IPI (ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन) जैसी अवरुद्ध परियोजनाओं के निर्माण पर अग्रिम वार्ता में सहायक** हो सकती है।
- **राजनीतिक महत्व:** SCO भारत को इसकी विदेश नीति के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है।
  - यह भारत को अपने **विस्तारित पड़ोस में सक्रिय भूमिका का निर्वहन** करने में सहायता करेगा।

VISION IAS

- पर्यवेक्षकों के रुप में **ईरान और अफगानिस्तान की उपस्थिति** भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संगठन के रुप में स्थापित करती है। चीन, रुस एवं पाकिस्तान के साथ यूरेशियाई शक्तियां, अफगानिस्तान के सुरक्षा मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाने हेतु बाध्य हैं। SCO की सदस्यता भारत को निरंतर शांति प्रक्रिया में शामिल रहने में सहायता कर सकती है।

भारत के समावेश से SCO और यूरेशियन क्षेत्र किस प्रकार सहायक होगा?

- भारत का समावेश SCO को यूरेशियाई क्षेत्र की वैश्विक शक्तियों- चीन, भारत और रुस की सदस्यता के साथ **सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक के रुप में स्थापित** करता है।
- लोकतांत्रिक **भारत का समावेश SCO** (जिसे प्रारंभ में चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राजनीतिक रुप से प्रेरित धुरी के रुप में देखा गया) **को अधिक वैश्विक स्वीकृति प्रदान करेगा।**
- **बहु-सांस्कृतिक समूहों और तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता** की दिशा में कार्य करने का भारत का अनुभव SCO की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा।

SCO में भारत के लिए चुनौतियां

- भारत और पाकिस्तान तथा भारत एवं चीन जैसे सदस्यों के मध्य **विश्वास की कमी** SCO की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रुप से प्रभावित कर सकती है।
- **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** BRI पर भारत की स्थिति अन्य सदस्यों के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि SCO के अन्य सभी देशों ने इस पहल का समर्थन किया है। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) द्वारा BRI परियोजनाओं के लिए धन आबंटित किया जा रहा है। भारत इन बैंकों का एक सक्रिय सदस्य है। यह एक संभावित गतिरोध का विषय हो सकता है।
- **वैश्विक भू-राजनीति:** रुस और चीन के मध्य आपसी निकटता तथा अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना हेतु भारत के प्रयास वस्तुतः SCO को प्रतिस्पर्धी भू-राजनीति के प्रति सुभेद्य बनाती हैं। उदाहरण के लिए,
  - SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त और भारत का एक प्रमुख व्यापार भागीदार राष्ट्र **ईरान**, अमेरिका के साथ संघर्ष की स्थिति में है। इस कारण अमेरिकी प्रतिबंधों ने **भारत को ईरान से तेल नहीं खरीदने के लिए बाध्य** कर दिया है।
  - सीरिया के मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण अमेरिका और इसके क्षेत्रीय सहयोगियों (जैसे- सऊदी अरब एवं इज़राइल) से भिन्न है। इसने वर्तमान संघर्ष के दौरान **मौजूदा शासन का समर्थन** किया है तथा **पुनर्निर्माण प्रक्रिया में और अधिक भागीदारी** हेतु सहमति व्यक्त की है।
- **आतंकवाद की परिभाषा:** भारत की आतंकवाद की परिभाषा RATS के तहत SCO की परिभाषा से भिन्न है। SCO के अनुसार, आतंकवाद शासन को अस्थिर करने के साथ संबद्ध है; जबकि भारत के लिए आतंकवाद राज्य द्वारा प्रायोजित सीमापारीय आतंकवाद से संबंधित है।
  - SCO द्वारा जिन आतंकी समूहों को लक्षित किया गया है उनमें ईस्ट-तुर्केस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) और अल-कायदा शामिल हैं, जबकि भारत में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद तथा हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूह SCO की आतंकवाद विरोधी संरचना के दायरे में शामिल नहीं हैं।
- **मौजूदा आर्थिक फुटप्रिंट का सीमित होना:** वर्ष 2017 में भारत का द्विपक्षीय व्यापार मध्य एशिया के साथ 2 बिलियन डॉलर और रुस के साथ 10 बिलियन डॉलर का था। इसके विपरीत, वर्ष 2018 में चीन का द्विपक्षीय व्यापार रुस के साथ 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक और मध्य एशिया के साथ 50 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है।
- **अन्य क्षेत्रीय संगठन:** अन्य क्षेत्रीय संगठनों, जैसे- यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU), बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (CSTO), कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (CICA) आदि का प्रसार भी SCO के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है।

आगे की राह

एक सफल क्षेत्रीय फोरम के रुप में SCO की सफलता इसकी अपने सदस्यों के मध्य और उनके संबंधित भू-राजनीतिक परिवेश में द्विपक्षीय मतभेदों का समाधान करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

- इस स्थिति में, भारत को अपनी स्वयं की स्थिति में सुधार करने और यूरेशियाई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है। INSTC के संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ चाबहार बंदरगाह को खोलने तथा अश्गाबात समझौते में सम्मिलित होने का उपयोग यूरेशिया में अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- SCO के सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपसी विश्वास में वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, भारत की 'संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता' के उल्लंघन से संबंधित चिंताओं का चीन द्वारा संतोषप्रद रुप से समाधान किया जाना चाहिए।
- आतंकवाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों पर सर्वसम्मति निर्मित की जानी चाहिए। SCO क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख आतंकवादी समूहों की उपस्थिति के मूल्यांकन एवं उनकी पहचान करने का कार्य RATS-SCO को सौंपा जाना चाहिए।

2.2. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी

(G-20)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **G-20 के 14वें शिखर सम्मेलन** का आयोजन **जापान** के **ओसाका** शहर में हुआ।

पृष्ठभूमि

- G-20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक तौर पर *"समिट ऑन फाइनेंसियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकॉनमी"* (वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर सम्मेलन) भी कहा जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है।
- ओसाका में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन (2019) में वैश्विक सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण **आठ विषयों** पर चर्चा की गई। ये आठ विषय अग्रलिखित हैं: **वैश्विक अर्थव्यवस्था; व्यापार और निवेश; नवाचार; पर्यावरण और ऊर्जा; रोजगार; महिला सशक्तीकरण; विकास एवं स्वास्थ्य।**

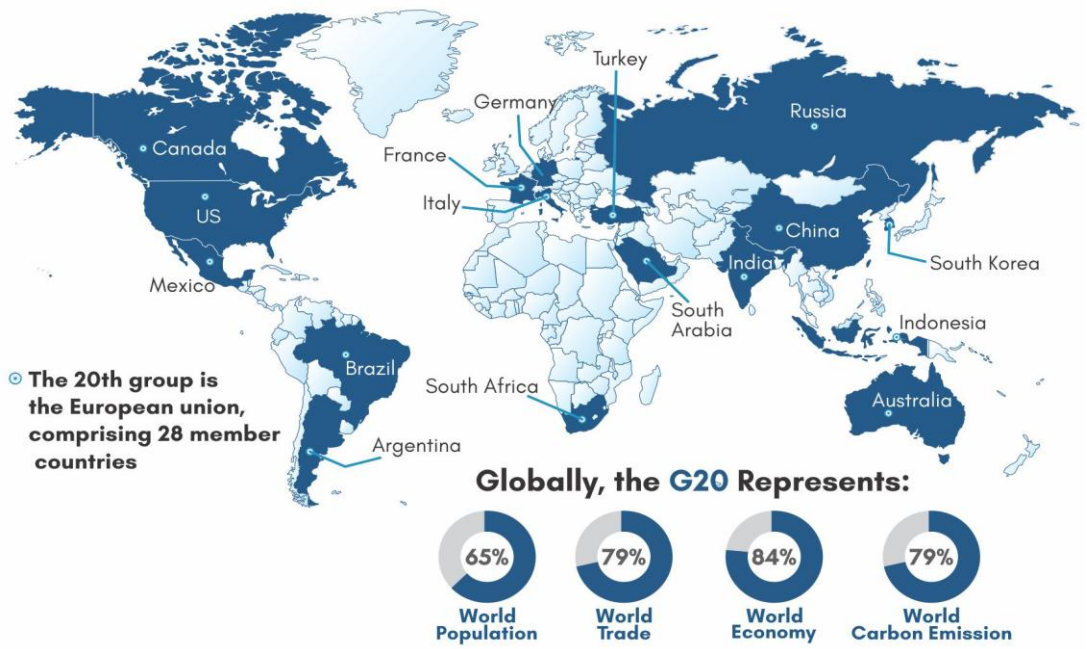

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20)

- यह 19 राष्ट्रों एवं यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक **अंतर्राष्ट्रीय मंच** है।
- **प्रथम G-20 शिखर सम्मेलन** दिसंबर 1999 में बर्लिन में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी और कनाडा के वित्त मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- **1997-1998 के एशियाई वित्तीय संकट के पश्चात्** वित्तीय स्थिरता से संबंधित नीतियों पर वार्ता करने के लिए **वर्ष 1999** में इसका गठन किया गया था।
- वर्ष 2008 के उपरांत इसके एजेंडे को विस्तारित कर, सरकार प्रमुखों/राष्ट्र प्रमुखों के साथ-साथ वित्त और विदेश मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- इस प्रकार, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख औद्योगिक और विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है।
- **भारत द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार G-20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी।**

14वाँ G-20 शिखर सम्मेलन और भारत

- **वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** भारत ने वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर कर आरोपित करने के लिए **"महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" (significant economic presence)** की अवधारणा को अपनाने के पक्ष में सुदृढ़ तर्क प्रस्तुत किए हैं।
  - भारत में उपस्थित **गैर-निवासियों या वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने हेतु** भारत ने इस अवधारणा को आयकर अधिनियम में शामिल किया है।
- **ओसाका ट्रैक का बहिष्कार:** भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने **"डिजिटल अर्थव्यवस्था"** से संबद्ध **"ओसाका ट्रैक"** का बहिष्कार किया है। ज्ञातव्य है कि **ओसाका ट्रैक** वैश्विक व्यापार वार्ता के संबंध में सर्वसम्मति-आधारित निर्णयन के "बहुपक्षीय" सिद्धांतों के महत्व को क्षीण करता है। साथ ही यह विकासशील देशों में डिजिटल-औद्योगिकीकरण के लिए "पॉलिसी स्पेस" (अर्थात् राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरुप मिश्रित नीति निर्माण) की उपेक्षा भी करता है।
  - इस पहल की शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई है। इसमें **डेटा स्थानीयकरण पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया गया है।** साथ ही, इसमें राष्ट्रों से डेटा प्रवाह, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि से संबंधित नियमों पर वार्ता आरंभ करने का भी आग्रह किया गया है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने इसका समर्थन किया है।
- भारत ने **भगोड़े आर्थिक अपराधियों** से निपटने, **विश्व व्यापार संगठन** में सुधार की आवश्यकता और **वैश्विक चालू खाता असंतुलन** पर निगरानी रखने का समर्थन किया है।

G-20 की प्रासंगिकता

- **विभिन्न देशों की नीतियों पर प्रभाव:** यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को पारस्परिक रुप से सहायक तरीकों के माध्यम से संवृद्धि को तीव्र करने की स्वीकृति प्रदान करता है। साथ ही, यह घरेलू नीतियों को G-20 की मंत्रीस्तरीय बैठकों और शिखर सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों के साथ संरेखित करने की अनुमति भी प्रदान करता है।
  - **उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर मंच:** विकासशील राष्ट्रों को उनकी संरचनात्मक घरेलू समस्याओं (यथा- मंद होती औद्योगिक उत्पादकता, रोजगार सृजन और निर्यात की कीमतों का कम होना) के समाधान के लिए अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपीय देशों के साथ अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह **भारत, चीन, ब्राजील या तुर्की जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर मंच** प्रदान करता है।
- **वैश्विक वित्तीय अभिशासन को सुदृढ़ करने में सहायक:** "टू बिग टू फेल" समस्या के संदर्भ में कठोर नियमों के निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि और शैडो बैंकिंग सिस्टम पर व्यापक सूचनाएं एकत्रित कर यह मंच वैश्विक वित्तीय अभिशासन को सुदृढ़ करने में सहायता करता है।
- **राष्ट्रों के मध्य रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में सहायक:** यह JAI (जापान-अमेरिका-भारत), RIC (रुस-भारत-चीन) जैसी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के माध्यम से रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। इससे एक ही मंच पर विभिन्न समूहों के परस्पर विरोधी हितों के निवारण में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष

प्रमुख आर्थिक शक्तियों के मध्य व्यापार तनाव में वृद्धि और वैश्विक संवृद्धि दर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, G-20 राष्ट्रों द्वारा **वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा फ्रेमवर्क** की स्थापना की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

2.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट: भारत की उम्मीदवारी

(UNSC Non-Permanent Seat: India's Candidature)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021-22 के 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु **55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह** के सभी देशों द्वारा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक अस्थायी सीट** के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया है।

UNSC की सदस्यता

- पांच स्थायी सदस्यों के साथ UNSC में दस अस्थायी सदस्य भी होते हैं। आवर्ती एवं क्षेत्रीय आधार पर इन अस्थायी सीटों की सदस्यता हेतु चयन किया जाता है।
- **पांच स्थायी सदस्य:** चीन, फ्रांस, रुस, ब्रिटेन और अमेरिका।
- **10 अस्थायी सीटों** को **क्षेत्रीय आधार** पर निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है:
  - अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए **पांच** सीट;
  - पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए **एक** सीट;

- लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों के लिए **दो** सीट; तथा
- पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए **दो** सीट।

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 193 सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु UNSC के पाँच अस्थायी सदस्यों** का चयन किया जाता है। पहले से चयनित सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 5 नए सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है।
- चयनित होने के लिए, एक उम्मीदवार को **उस सीट के लिए डाले गए सभी मतों का कम से कम दो-तिहाई मत प्राप्त** करना होता है। हालाँकि, दो उम्मीदवारों को लगभग समान मत प्राप्त होने की स्थिति में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
- **उसी वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने वाले सदस्य देश पुन:निर्वाचन के लिए पात्र नहीं** होते हैं।
- वर्ष 2020 के चुनावों में **एशिया-प्रशांत समूह से एक सदस्य** को UNSC में अस्थायी सीट पर **नामित** किया जाना है।
- वर्तमान 10 अस्थायी सदस्य देशों में **बेल्जियम, कोट डी आइवरी, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरु, पोलैंड** और **दक्षिण अफ्रीका** शामिल हैं।

भारत का UN रोडमैप

- भारत पहले से ही UNSC में **सात बार** अस्थायी सदस्य के रुप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुका है।
- वर्ष 2013 के अंत में ही भारत ने वर्ष 2021-22 के कार्यकाल (सीट) हेतु अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। UNSC की इस सीट हेतु **अफगानिस्तान** एक प्रबल दावेदार था। परन्तु **"दीर्घकाल से दोनों देशों के मध्य स्थायी व घनिष्ठ संबंधों"** के आधार पर एवं भारत की उम्मीदवारी पक्ष को मजबूती प्रदान करने हेतु अफगानिस्तान द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया गया।

2.4. आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक

(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान)** द्वारा **'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक'** नामक एक विजन दस्तावेज जारी किया गया।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत और जापान जैसे देशों ने इंडो पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग हेतु अपने रणनीतिक एवं विजन दस्तावेज जारी किए हैं।
- **'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक'** को अपनाने हेतु उत्तरदायी प्रमुख तत्व अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध रहा है। इसके परिणामस्वरुप विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं नकारात्मक रुप से प्रभावित हुई हैं।

आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक (AOIP) के बारे में

- यह आसियान केंद्रित क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एक पहल है। AOIP का उद्देश्य नए तंत्रों का सृजन एवं पहले से कार्यरत व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य **आसियान की कम्युनिटी बिल्डिंग प्रॉसेस** (सामुदायिक विकास प्रक्रिया) को बढ़ावा देना एवं इसे मजबूत बनाना है। साथ ही, यह आसियान के नेतृत्व वाले मौजूदा तंत्रों को नवीन उर्जा प्रदान करने पर भी केंद्रित है।
- इसके लक्ष्यों में **आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों,** यथा - पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) आदि को और अधिक सुदृढ़ एवं इष्टतम बनाने का कार्य भी शामिल है।
- AOIP के तहत **चार कार्यात्मक क्षेत्रों** को सूचीबद्ध किया गया है। आसियान का मानना है कि इनके माध्यम से सहयोग एवं समन्वय को निश्चित रुप से और बेहतर बनाया जा सकता है। **AOIP के चार कार्यात्मक क्षेत्र** निम्नलिखित हैं:
  - समुद्री सहयोग;
  - कनेक्टिविटी (संयोजकता);
  - सतत विकास तथा
  - आर्थिक व सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी

- भारत, **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को भौगोलिक एवं रणनीतिक विस्तार** के तौर पर देखता है, जहाँ 10 आसियान राष्ट्र दो विशाल महासागरों को संयोजित करते हैं।

VISION IAS

- **इंडो-पैसिफिक संबंधी भारतीय धारणा** के केंद्र में समावेशिता, खुलापन और आसियान सेंट्रलिटी (केंद्रीयता) एवं एकता जैसे विचार निहित हैं।
- भारत **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (ADMM)-प्लस, आसियान क्षेत्रीय मंच, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), मेकांग-गंगा आर्थिक गलियारा** आदि पहलों में एक सक्रिय भागीदार रहा है।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी,** जिसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की नौसेनाएं भाग लेती हैं।
- **फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC)** के माध्यम से भारत, प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ अपनी वार्ताओं को गति प्रदान कर रहा है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत में GDP आकलन

(GDP Estimation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत की नई GDP श्रृंखला और इसकी आकलन पद्धति को लेकर विवाद चर्चा में रहा।
- हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने यह उल्लेख किया था कि 2011-12 और 2016-17 के मध्य देश की संवृद्धि को लगभग 2.5% तक अधिमूल्यांकित (वास्तविकता से अधिक) किया गया।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बनाम सकल मूल्य वर्धित (GVA)

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश में उत्पादित **सभी अंतिम आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य** होता है।
  - घरेलू राज्यक्षेत्र से तात्पर्य **देश के राजनीतिक सीमा-प्रदेश** से है, जिसमें उसका प्रादेशिक समुद्र, देश के निवासियों द्वारा संचालित वाणिज्यिक पोत आदि सम्मिलित होते हैं। साथ ही इसमें विदेश में स्थित **देश के दूतावास और वाणिज्य दूतावास** भी सम्मिलित होते हैं।
- GVA वस्तुतः अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संवर्धन की माप है; अर्थात् **GVA = आर्थिक उत्पादन (Economic output) - आगत (Input)**।
- **GVA क्षेत्रक विशिष्ट होता है जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के GVA के योग से GDP की गणना की जाती है**, जिसमें करों को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है।
- GDP सहित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन के लिए **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** का **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** उत्तरदायी है।

भारतीय GDP श्रृंखला में किए गए परिवर्तन

वर्ष 2015 में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश की **GDP** की **गणना** हेतु एक संशोधित पद्धति प्रस्तुत की।

- **NSSO** के **2011-12** के रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (EUS) से ही असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों के अभिग्रहण हेतु आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था।
- **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (सिस्टम ऑफ़ नेशनल एकाउंट्स: SNA), 2008 की अनुशंसाओं का समावेश:**
  - **आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (GVA)** और निवल मूल्य वर्धित (NVA) का मूल्यांकन;
  - नई गणना को अधिक उपभोक्ता-केंद्रित बनाने के लिए, कारक लागत पर GDP के बजाय **बाजार कीमतों पर GDP** को **हेडलाइन GDP मानना;** तथा
  - लेखाओं का रख-रखाव करने वाले **गैर-निगमित उद्यमों** (unincorporated enterprises) को अर्ध-निगम (quasi-corporations) मानना।
- **MCA21 डेटाबेस का समावेशन:** खनन, विनिर्माण और सेवा संबंधी कॉर्पोरेट क्षेत्र का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए।
  - पहले **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण** का उपयोग करके उद्यमों के योगदान का मूल्यांकन किया जाता था।
- **वित्तीय क्षेत्रक का व्यापक समावेश:** शेयर दलालों, शेयर बाजारों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स व पेंशन फंड्स के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) जैसे नियामक निकायों का समावेश।
  - पहले अनुमानों में मुख्य रुप से वाणिज्यिक बैंकों और **NBFCs** को सम्मिलित किया जाता था।
- **इफेक्टिव लेबर इनपुट (ELI) पद्धति का अंगीकरण:** पूर्व में यह माना जाता था कि सभी श्रेणियों के श्रमिक समान योगदान देते हैं। नई पद्धति विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के आधार पर भारांश प्रदान **करके विभेदक श्रम उत्पादकता के मुद्दे का समाधान करती है।**
- **हालिया सर्वेक्षणों और जनगणनाओं के परिणामों का उपयोग:** नवीनतम सर्वेक्षणों के वर्तमान आंकड़ों को GDP की गणना में सम्मिलित किया गया है, जैसे- कृषि संगणना 2010-11; अखिल भारतीय पशुधन गणना, 2012; अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 2013 आदि।

VISION IAS

नई श्रृंखला अपनाने के लाभ

- भारत **अपना GDP अनुमान (प्राक्कलन) संख्यात्मक रुप से सुधारने** में सफल रहा है।
- इससे भारत की **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार आएगा और विदेशों से प्राप्त होने वाले निवेश में वृद्धि होगी।**
- इससे भारत को **IMF में बड़े कोटे** का दावा करने में भी सहायता मिलेगी।
    - कोटा वस्तुतः IMF में देश के अंशदान, फंड तक पहुंच तथा ऋण संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने हेतु मताधिकार को निर्धारित करता है।
    - वर्तमान कोटा सूत्र GDP (50%), खुलापन (30%), आर्थिक परिवर्तनशीलता (15%) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार (5%) का भारित औसत है।

भारत में GDP के आकलन में समस्याएं

भारत की नई GDP श्रृंखला की सटीकता को लेकर चिंता देश में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के साथ विरासत में मिली ऐसी समस्याओं से उपजी है जिनका या तो समाधान नहीं किया गया था या जो **2014-15** में आधार वर्ष में परिवर्तन के दौरान और जटिल हो गई थीं।

- **अस्थिर संशोधन:** GDP के समग्र आंकड़ों में किए गए संशोधन (अग्रिम अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच) अधिकांशतः वास्तविक से अधिक दर्शाए जाते हैं। यह GDP आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, अस्थिर संशोधन प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर निर्णय लेने वाले नीति निर्माताओं के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का अधिमूल्यांकन:** नई GDP श्रृंखला में माना गया है कि अनौपचारिक विनिर्माण (अर्ध-निगम) क्षेत्रक औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र की समान दर से बढ़ा है। इसने संभवत: नई श्रृंखला में अनौपचारिक क्षेत्रक की संवृद्धि को बढ़ा हुआ प्रदर्शित किया है।
- **अपस्फीति कारकों (Deflators) का उपयोग:**
    - अपस्फीतिकारक के रुप में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रकों (विशेषकर सेवाओं) के लिए अनुपयुक्त है।
    - वर्तमान में, सकल मूल्य वर्धित (GVA) की गणना के लिए आउटपुट (उत्पादन) और इनपुट (आगत) का उनकी संबंधित कीमतों के साथ अपस्फीतिक के आधार पर गणना करने के बजाय, सामान्य उत्पाद अपस्फीतिक (common output deflator) का उपयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पूर्व की विधि में यह माना जाता था कि इनपुट और आउटपुट कीमतें एक ही दिशा में अग्रसर रहती हैं और इस प्रकार यह विचलन की स्थिति उत्पन्न करती थी। उदाहरणार्थ- जब तेल की कीमतें कम होती हैं और इनपुट मुद्रास्फीति में गिरावट हो रही हो तथा आउटपुट मुद्रास्फीति में वृद्धि जारी रहे, तो उस स्थिति में संवृद्धि के अधिमूल्यांकन की प्रवृत्ति पाई जाती थी।

GDP अपस्फीतिकारक

- **GDP मूल्य अपस्फीतिकारक** दो अलग-अलग वर्षों में मूल्य स्तरों का अनुपात होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों (कीमतों) में मुद्रास्फीति को दर्शाता है।
- GDP अपस्फीतिकारक = (चालू कीमतों पर सांकेतिक GDP/स्थिर कीमतों पर वास्तविक GDP) × 100
- मात्रात्मक रुप से, उत्पादन में संभवतः सुधार नहीं भी हो सकता है, जबकि कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण संवृद्धि दर उच्चतर प्रतीत हो सकती है।
- GDP अपस्फीतिकारक एक वर्ष से दूसरे वर्ष में वास्तविक GDP की तुलना करना संभव बनाता है।

- **MCA21 डेटाबेस का उपयोग:** अपरीक्षित कॉर्पोरेट डेटाबेस **MCA-21** का उपयोग और नई **GDP** श्रृंखला के अंतर्गत गणना के लिए राष्ट्रीय लेखाओं में इसके उपयोग का तरीका विवादास्पद है।
    - MCA-21 डेटाबेस में **राज्य-वार विवरणों का भी अभाव** है। इसने **राज्य-स्तरीय GDP को विकृत कर दिया है।** इन परिवर्तनों का **राज्यों की उधार लेने की सीमा** (FRBM अधिनियम, 2003 द्वारा प्रदत्त अधिदेश के अनुरुप GSDP का 3%) और **वित्त आयोग द्वारा राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण** पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
        - दिल्ली, केरल और कर्नाटक जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों के GSDP में और अधिक वृद्धि देखी गई, परिणामतः उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक उधार लेना संभव हुआ।
        - बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उन्हें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा करने के लिए व्यय कम करने हेतु विवश होना पड़ा।
        - इससे वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाला निधि हस्तांतरण प्रभावित होगा, क्योंकि राजकोषीय निष्पादन और आय अंतराल दोनों इस सूत्र में सम्मिलित हैं।

आय अंतराल किसी राज्य की प्रति व्यक्ति **GSDP** और प्रति व्यक्ति उच्चतम आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति **GSDP** के बीच अंतर का मापन करता है।

VISION IAS

- **प्रतिष्ठान आधारित दृष्टिकोण से उद्यम आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरण:** नई GVA पद्धति ने आंकड़ों का संग्रह प्रतिष्ठानों (या कारखानों) से उद्यमों (या फर्मों) की ओर स्थानांतरित कर दिया है। "विनिर्माण फर्मों" के रुप में वर्गीकृत उद्यमों में हुए समग्र मूल्य संवर्धन को विनिर्माण GVA की गणना में सम्मिलित किया गया है। लेकिन, फर्मों की गतिविधियाँ कारखानों की तुलना में बहुत अधिक विविधतापूर्ण हैं (उदाहरण के लिए, संभव है कि कुछ सहायक फर्में केवल परिवहन जैसी सेवाओं पर ध्यान देती हों) और इसलिए वे विनिर्माण की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती हैं।
- **प्रशासनिक मुद्दे:** पारदर्शिता और GDP डेटाबेस के प्रभावी अंकेक्षण की कमी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) की अपर्याप्त निगरानी की ओर संकेत करती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी है। हाल ही में **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के 2 सदस्यों का त्यागपत्र और सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र सदस्यों की नई नियुक्तियां न होना,** पुन: भारत में सांख्यिकीय प्रणाली में स्वायत्तता की कमी को दर्शाता है।

आगे की राह

- **MCA21** डेटाबेस सहित **मौजूदा डेटा स्रोतों** को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में जोड़ने से पहले भली-भांति **प्रमाणित** किया जाना चाहिए।
- **नए डेटा स्रोतों और कार्यपद्धतियों** का पता लगाया जा सकता है, जैसे GDP के व्यय-आधारित अनुमानों के आकलन के लिए लेनदेन-स्तरीय GST डेटा का उपयोग करना।
- **प्रतिष्ठान दृष्टिकोण से उद्यम दृष्टिकोण** की ओर स्थानांतरण तभी सफल होगा जब MCA21 डेटाबेस में किसी फर्म की गतिविधियों की समस्त जानकारी उचित ढंग से उपयुक्त क्षेत्रकों में अलग-अलग वर्गीकृत होगी।
- कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक **पारदर्शिता और बेहतर डेटा प्रसार मानकों** से आधिकारिक GDP आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) का हालिया विलय CSO द्वारा NSSO की पारदर्शी डेटा पद्धतियों के अंगीकरण में सहायता कर सकता है।

आंतरिक नीति निर्माण के लिए संवृद्धि दर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे, यदि हम संवृद्धि दर का अधिमूल्यांकन करते हैं तो संभव है कि हम एक चक्रीय दृष्टिकोण से ब्याज दरों को बहुत अधिक रखें। इससे अवरुद्ध या स्थिर संवृद्धि की अवधि में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, व्यक्त की गई चिंताओं के पीछे निहित व्यापक संदेश को समझना एवं तदनुसार GDP आकलन की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाना महत्वपूर्ण है।

GDP आकलन से सम्बद्ध हालिया विवाद पर चर्चा

पूर्व CEA अरविंद सुब्रमण्यन का भारत की GDP के गलत आकलन पर पत्र	**प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इस विश्लेषण की आलोचना**
• लेखक ने 2001-02 से 2017-18 की अवधि के लिए 17 प्रमुख संकेतकों को संकलित किया है, जो विशिष्ट रुप से GDP संवृद्धि से संबंधित हैं, जैसे- क्रेडिट, विद्युत उपभोग, वायुयान यात्री यातायात, रेलवे माल परिवहन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), निर्यात और आयात आदि। • 71 उच्च और मध्यम आय वाले देशों के प्रतिदर्श पर अंतरदेशीय प्रतिगमन (cross-country regression) कर, इन संकेतकों और GDP संवृद्धि के बीच संबंध स्थापित किया गया था। • यह पाया गया कि भारत ने 2011 के बाद की अवधि में संबंध के व्यापक पैटर्न का पालन नहीं किया है। • जहां 2002-11 के दौरान इन संकेतकों और भारत की GDP को दृढ़ता से सहसंबद्ध पाया गया था, वहीं 2011-12 के बाद संकेतक GDP संवृद्धि के साथ नकारात्मक सहसंबंध दिखाते हैं और उच्च संवृद्धि स्तर नहीं प्रकट करते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि 2011-12 के बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद का अधिमूल्यांकन किया गया है।	• प्रेक्षण गलत तरीके से चुने गए कुछ उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों पर आधारित हैं जो दृढ़ता से केवल उद्योग (सकल घरेलू उत्पाद के 22%) के साथ सहसंबंधित हैं, जबकि कृषि (सकल घरेलू उत्पाद का 18%) और सेवाओं (GDP का 60%) का अत्यंत निम्न प्रतिनिधित्व करते हैं। • दोनों अवधियों में संवृद्धि स्तर सुसंगत हैं। GDP के साथ संकेतकों का सहसंबंध भिन्न-भिन्न अवधियों में भिन्न-भिन्न हो सकता है और इसे मापन त्रुटि का सूचक नहीं माना जा सकता है। • चुनिन्दा संकेतकों और GDP संवृद्धि के बीच कमजोर सहसंबंध आवश्यक रुप से आर्थिक मंदी का संकेत नहीं देता है; बल्कि केवल इस बात का संकेत देता है कि संवृद्धि में योगदान करने वाले कारकों में वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) के बाद महत्वपूर्ण रुप से परिवर्तन आया है। • उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों और GDP संवृद्धि के बीच विरोध अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न वैकल्पिक कारणों से हो सकता है: • 2011 से पहले की अवधि में बैंकों द्वारा अत्यधिक ऋण दिया

- सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि के अधिमूल्यांकन का परिमाण लगभग 2.5% था, अतः वास्तविक संवृद्धि दर 7% के बजाय 4.5% थी।
- यहां तक कि 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी निर्देशात्मक रुप से इस विचलन पर प्रकाश डाला है। 2015-2017 की अवधि में, भारत ने 7.5% की औसत वास्तविक GDP संवृद्धि दर्ज की थी, किंतु निवेश संवृद्धि औसतन 4.5%, तथा निर्यात मात्रा संवृद्धि 2% थी, साथ ही ऋण-GDP अनुपात में 2% बिंदुओं की कमी आयी थी। इन संकेतकों पर इस प्रकार का प्रदर्शन करने वाला कोई भी अन्य देश 7% की GDP संवृद्धि दर प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है।
- "रोजगार विहीन संवृद्धि" की लोकप्रिय धारणा अर्थव्यवस्था की स्थिति और प्रमुख परिणामों के बीच एक असम्बद्धता को इंगित करती है। वास्तविकता में कमजोर रोजगार संवृद्धि और वित्तीय क्षेत्र पर अत्यधिक तनाव, GDP की अपेक्षाकृत कम संवृद्धि से ही उत्पन्न हुआ होगा।

गया था, जिससे ऋण संकेतक मजबूत प्रतीत होते थे। लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था में उतनी वृद्धि नहीं हुई और अनियंत्रित ऋण वृद्धि ने NPAs के वर्तमान स्तर का मार्ग प्रशस्त किया।

- GFC के बाद वैश्विक व्यापार की गति कमजोर हो गई और भारत के संवृद्धि चालक घरेलू उपभोग और सार्वजनिक व्यय की ओर स्थानांतरित हो गए (जबकि निर्यात और निजी निवेश ने कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है)
- अंतरदेशीय प्रतिगमन समस्याग्रस्त हैं क्योंकि इनमें देश-विशिष्ट विषमताओं और उत्पादकता स्तरों में अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
- यह विश्लेषण विशुद्ध रुप से उत्पादन चर पर आधारित है और उत्पादकता लाभ पर ध्यान नहीं देता है।
- कर आंकड़ों की अनदेखी की गई है। लगभग 4.5% की GDP संवृद्धि दर के लिए कर-GDP अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता।

3.2. वस्तु और सेवा कर के 2 वर्ष

(2 Years of Goods & Services Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सबसे बड़े कर सुधार के रुप में, **वस्तु और सेवा कर (GST)** द्वारा अपने परिचालन के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को संसद के एक विशेष सत्र में की गई थी।

GST और इसकी वर्तमान संरचना के बारे में

- GST **एक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है और इसे अंतिम उपभोग बिंदु पर आरोपित किया जाता है।**
- GST एक व्यापक कर है जिसके अंतर्गत **उत्पाद शुल्क, VAT, सेवा कर और विलासिता कर जैसे 17 अप्रत्यक्ष करों** को समाविष्ट किया गया है।
  - **GST में समाविष्ट नहीं किए गए कर:** मूल सीमा शुल्क, डंपिंग रोधी शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग के अल्कोहल पर VAT, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाने वाला), वृत्ति कर आदि।
- वर्तमान में GST प्रत्येक उत्पाद (पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर) पर **5, 12, 18** और **28 प्रतिशत** के चार स्लैबों के आधार पर आरोपित किया जाता है।
  - पिछले वर्ष कर दरों में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुओं पर GST की दर शून्य है।
  - इसके अतिरिक्त, ऑटोमोबाइल, विलासिता और सिन या डीमेरिट गुड्स पर उपकर (cess) आरोपित किया गया है।
- सरकार का मानना है कि इसको संग्रहित करना अपेक्षाकृत आसान है और यह कर अपवंचन में कमी लाता है। दूसरी तरफ, ग्राहकों द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है और यह उनके कर के भार को कम करता है। साथ ही, उद्योगों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि करों का कोई प्रपाती प्रभाव (cascading effect) न हो तथा कर कानूनों, प्रक्रियाओं और कर दरों में एकरुपता स्थापित हो।

GST की सफलता

GST **भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत पुनर्संरचना** को चिन्हित करता है। यह व्यापार करने के तरीकों (व्यापार के औपचारीकरण में वृद्धि) को पुनर्परिभाषित करता है, वस्तुओं और सेवाओं (कई छोटे व विखंडित बाजारों को प्रतिस्थापित करके एक एकल बाजार का निर्माण करता है) हेतु बाजार का विस्तार करता है तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था (एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था) में व्यापक सुधार करता है।

- **कर अनुपालन:**
  - GST से पूर्व की कर व्यवस्था में व्यापारियों को विभिन्न कर विभागों के नियमों, विनियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता था। वर्तमान में मानदंडों की एकल व्यवस्था के साथ व्यापारियों के लिए **कर अनुपालन आसान हो गया है।**

- **कंपोजिशन स्कीम** के द्वारा GST ने छोटे व्यापारियों के कर अनुपालन में सफलतापूर्वक वृद्धि की है। वर्तमान में, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे डीलर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें कम अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है।

- अब कर फाइल से लेकर रिटर्न तक एकल ऑनलाइन प्रणाली विद्यमान है जिसने लेन-देन को अधिक पारदर्शी बना दिया है।
- GST का **सेल्फ-पुलिसिंग मैकेनिज्म** कर अपवंचन रोकने और कर के दायरे का विस्तार करने में सहायता करता है।
  - **इनपुट टैक्स क्रेडिट** का निर्बाध प्रवाह केवल तभी संभव है जब किसी व्यवसाय के सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा GST का भुगतान किया जाए। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय यह सुनिश्चित करता है कि उसके आपूर्तिकर्ताओं ने GST का भुगतान किया हो, ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकें।
  - ऐसे मामलों में जिनमें आपूर्तिकर्ता द्वारा GST का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां कर भुगतान का भार खरीददार (जिसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है) पर आरोपित कर सरकार सभी व्यवसायों को GST में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म

- GST का भुगतान सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में कर के भुगतान के भार को खरीददार पर आरोपित किया जाता है। इसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है।
- यह केवल कुछ प्रकरणों में लागू होता है, उदाहरणार्थ- जब किसी व्यवसाय द्वारा उस आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय किया जाता है जो GST का भुगतान करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं या आयात की स्थिति में।

- **राजस्व आधार:** विगत दो वर्षों के दौरान GST ने सरकार के राजस्व आधार में लगभग 85% विस्तार करने में सहायता की है।
- **राजस्व संग्रहण और उत्प्लावकता (Buoyancy):** GST से पूर्व की व्यवस्था की तुलना में GST राजस्व में सापेक्षिक उत्प्लावकता निम्नलिखित दो कारकों का परिणाम है: 1) GST की रुपरेखा जिसने अप्रत्यक्ष कराधान के उद्देश्य से कच्चे माल से लेकर खुदरा बिक्री तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एकीकृत किया। 2) सेवाओं पर करापात (tax incidence) GST से पूर्व की व्यवस्था के 14% के स्तर से बढ़कर GST के पश्चात् की व्यवस्था में 18% हो गया।
  - सरकार का **मासिक औसत राजस्व संग्रहण लगभग 10% बढ़कर** 2017-18 के 89,700 करोड़ रुपये से 2018-19 में 97,100 करोड़ रुपये हो गया।
  - **1 से अधिक का कर उत्प्लावकता अनुपात** राजस्व वृद्धि में प्रगति दर्शाता है और भविष्य में **कर-GDP अनुपात** में वृद्धि की संभावना का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **करों को युक्तिसंगत बनाना**
  - वर्तमान में, लगभग 97.5% वस्तुएं 18% या निम्न GST स्लैब में सम्मिलित हैं। यह VAT व्यवस्था के अंतर्गत कर दरों की तुलना में अत्यधिक कम है जहां मानक VAT दर 14.5% और उत्पाद शुल्क 12.5% (कई मामलों में अतिरिक्त बिक्री कर और उपकर भी आरोपित होते थे) था।
  - बेहतर राजकोषीय प्रणाली में मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन पर कर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। यह GST जैसे सभी मूल्य वर्धित करों से संबंधित अंतर्निहित तर्क है जिनका उद्देश्य उत्पादन और वितरण पर करों को समाप्त करना है। GST गंतव्य आधारित कर है जिसे अंतिम उपभोग बिंदु पर संग्रहित किया जाता है।

ई-वे बिल

- ई-वे बिल एक दस्तावेज है, जिसे GST व्यवस्था में 10 कि.मी. से अधिक दूरी पर बिक्री के लिए और 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की किसी भी खेप (consignment) को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति को अपने पास रखना आवश्यक है।
- इसे खेप की वस्तुओं की आवाजाही आरंभ करने से पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा **GST कॉमन पोर्टल** से प्राप्त किया जाता है।

- **आपूर्ति श्रृंखला की पुनर्संरचना:** GST ने भौतिक आपूर्ति श्रृंखला की लागत (परिवहन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री आदि के कारण लागत) कम करने का अवसर प्रदान किया है।
  - एकीकृत कर और ऋण की आसान उपलब्धता ने कच्चे माल की खरीद लागत को कम कर दिया है।
- **ई-वे बिल का प्रचलन:** ई-वे बिल का प्रचलन वस्तुओं की आवाजाही के लिए **'डेवलपमेंटल पुलिसिंग मॉडल'** से **'सेल्फ-डेक्लरेशन मॉडल'** में परिवर्तन का प्रतीक है।

- यह प्रत्येक राज्य के लिए **पृथक 'पारगमन पास (transit pass)' की आवश्यकता को समाप्त करके** वस्तुओं के अबाध आवागमन को संभव बनाता है।
- सरकार ने इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु ई-वे बिल प्रणाली में कई परिवर्तन किए हैं, उदाहरणार्थ- **पिन कोड के आधार पर दूरी की स्वचालित गणना और एक चालान के आधार पर कई बिलों के सृजन को रोकना।**

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सभी करदाताओं की पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान से संबंधित फ्रंट-एन्ड सेवाओं से लेकर राज्यों के लिए बैकएंड IT मॉड्यूल (जिसमें रिटर्न का संसाधन, अंकेक्षण, मूल्यांकन, अपील आदि सम्मिलित हैं) का डिजिटलीकरण किया गया है।
  - कर संग्राहक और करदाता के मध्य के अंतराल (इंटरफ़ेस) को कम करता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
  - औपचारिक-अनौपचारिक, राज्य विशिष्ट उत्पादन, निर्यात के राज्य-वार वितरण एवं वस्तुओं/सेवाओं की उत्पत्ति के बिंदु तथा अन्य आर्थिक आकड़ों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले मात्रात्मक आंकड़े बेहतर नीति निर्माण और अभिशासन को संभव बनाते हैं।
  - प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निर्यात के साथ उच्च सहसंबंध होता है। GST आंकड़ों के उपयोग से GDP अनुमान में काफी सुधार हो सकता है।
- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाता है:** GST परिषद, सहकारी संघवाद के एक सफल उदाहरण के रुप में उभरी है और इसकी कार्यप्रणाली राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रही है।

विद्यमान चुनौतियाँ

- **अनेक वस्तुएं अभी भी GST से बाहर हैं:** पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस), डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), पीने योग्य अल्कोहल और रियल एस्टेट जिनका अप्रत्यक्ष कर राजस्व में **35-40%** योगदान है, अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं।
- **विभिन्न कर स्लैबों से युक्त जटिल GST संरचना:**
  - **4 भिन्न-भिन्न कर दरें,** कर अनुपालन को सरल बनाने के अंतिम लक्ष्य को कमजोर करती हैं और दक्षता संबंधी लाभों में भी कमी करती हैं। यह वैश्विक रुप से स्वीकार्य एकल **GST** की पद्धति के साथ असंगत है।
  - **कई दरों को प्रशासित करना** चुनौतीपूर्ण कार्य है, जैसे- उत्पादन, वितरण और उपभोग के प्रत्येक चरण में उत्पादों को छूट प्राप्त, उच्च और निम्न कर स्लैब में वर्गीकृत करने संबंधी लेखा परीक्षा की उच्च लागत तथा विवादों की स्थिति में लंबे समय तक चलने वाली मुक़दमेबाज़ी।
- **डिजिटल अवसंरचना और आंकड़ों की गोपनीयता:**
  - **GST** के कार्यान्वयन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिटिंग और **केंद्रीय रुप से प्रबंधित किए जाने वाले पंजीकृत व्यापारियों का सामान्य डेटाबेस बनाने** के लिए **वृहत स्तर पर पंजीकरण** की आवश्यकता होती है। यह **GST** से संबंधित **IT** परिदृश्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अभी तक राज्य पृथक-पृथक डेटाबेस रखते थे।
  - **तकनीकी खामियां,** उदाहरणार्थ- बार-बार वेबसाइट के बाधित (क्रैश) होने के कारण ई-वे बिल को लागू करने में देरी हुई थी।
- **मुनाफाखोरी रोधी मानक:**
  - **केंद्रीय GST** कानून के प्रावधानों के अनुसार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने हेतु उद्योगों द्वारा कीमतों में कमी करना और **GST** के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले निवल लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को प्रदान करना आवश्यक बनाता है। किन्तु इन विनियमों के क्रियान्वयन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - नकली खरीद (mock purchases) और परिसर की जांच, तलाशी लेने तथा चालानों की जाँच करने के संबंध में कर अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग संभव है।

आगे की राह

- GST के कर आधार के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रुप से ATF एवं प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट और विद्युत को सम्मिलित किया जाना चाहिए। रियल एस्टेट को सम्मिलित करने से भूमि बाजार को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे प्रत्यक्ष कर के रुप में राजस्व लाभ में वृद्धि होगी और साथ ही अपेक्षाकृत अधिक लेन-देनों से संबंधित सूचना की रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
- हालांकि अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति प्रतिगामी होती है। अत: सरकार को एक आदर्श GST संरचना की स्थापना की दिशा में प्रयास करना चाहिए जिसके अंतर्गत बहुत कम वस्तुओं को छूट प्रदान करते हुए निम्न दरों या मोडल दरों को निर्धारित किया गया हो।
- **विश्व बैंक** के अध्ययन के अनुसार **राष्ट्रीय मूल्य वर्धित कर** वाले **115** देशों में भारतीय **GST** की दर दूसरी सर्वाधिक दर है। साथ ही यह सर्वाधिक जटिल भी है जिसके अंतर्गत चार मुख्य कर दरों, कई प्रकार की छूटें, उपकर और स्वर्ण के लिए एक विशेष दर शामिल हैं।

VISION IAS

- छोटे व्यापारियों द्वारा इसका बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करके **कम्पोजिशन योजना से प्राप्त होने वाले राजस्व** में सुधार लाया जाना चाहिए। कम्पोजिशन योजना के तहत शामिल डीलरों द्वारा भुगतान किए जाने वाले **रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण,** कर अपवंचन रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है।
- निर्यातकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु **GST रिफंड को स्वीकृति प्रदान करने और संसाधित करने के लिए एक एकल प्राधिकरण** की स्थापना की जानी चाहिए। प्रस्तावित सुधार के अंतर्गत, यह प्रावधान किया गया है कि एक एकल कर कार्यालय द्वारा केंद्र और राज्य दोनों के **GST** हिस्सों के रिफंड का मूल्यांकन, जांच एवं अनुमोदन किया जायेगा।

निष्कर्ष

- सुधारों को प्रोत्साहित करने वाली सरकारों को मध्यम अवधि में ही लाभ प्राप्ति सहित राजनीतिक लागतों को अग्रिम रुप से और शीघ्रता से कम करना होगा।
- हालांकि, यह अभी भी अपनी आरंभिक अवस्था में है, फिर भी GST ने सकारात्मक दिशा में प्रगति करते हुए सभी हितधारकों को स्पष्ट रुप से लाभ प्रदान किया है। वर्तमान में, सरकार द्वारा इस व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने, अनिश्चितता को दूर करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन को सुविधाजनक बनाने और GST को वास्तविक रुप में सफल बनाने के लिए कर आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है।

3.3. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी

(Decline in NPAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की मात्रा में कमी आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, **वर्ष 2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र** (घरेलू स्तर पर संचालन), विशेष रुप से सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों, **के प्रदर्शन में सुधार** दृष्टिगत हुआ है।
- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs)** का सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (GNPA) अनुपात मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के मध्य 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत हो गया था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) में **यह 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत** हो गया।
- **SCBs का पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR)** मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के मध्य 13.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत हो गया। यह सुधार मुख्यतः PSBs के CRAR में वृद्धि के कारण हुआ था।
- हालांकि, दिसंबर 2018 में **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का GNPA अनुपात** विकृत होकर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2018 में 6.1 प्रतिशत था।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (Stressed Assets)

यह एक व्यापक पद है जिसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs), पुनर्गठित ऋण तथा अपलिखित परिसंपत्तियाँ (written off assets) सम्मिलित होती हैं।

- **पुनर्गठित ऋण (Restructured Loans):** ये ऐसी परिसंपत्तियां/ऋण होते हैं जिन्हें पुनर्भुगतान की अवधि में वृद्धि करके, ब्याज कम करके अथवा इक्विटी में परिवर्तन करके पुनर्गठित किया जाता है।
- **अपलिखित परिसंपत्तियाँ:** ऐसी परिसंपत्तियां/ऋण जिनकी गणना बकाया राशि के रुप में नहीं की जाती है, लेकिन शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं। यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस बुक में सुधार करने हेतु किया जाता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया (अतिदेय) हो, NPAs कहलाते हैं। कृषि/संबंधित गतिविधियों हेतु लिए गए ऋणों के मामले में NPA अल्प अवधि की फसल (ब्याज का भुगतान 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो) और लंबी अवधि की फसलों (ब्याज का भुगतान 1 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो) के लिए अलग-अलग होता है।

- बैंकों द्वारा NPAs को **अवमानक (Substandard)**, **संदिग्ध (Doubtful)** और **हानि (Loss) परिसंपत्तियों** के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।
    - **अवमानक परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी रहती हैं।
    - **संदिग्ध परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं।

VISION IAS

- **हानि परिसंपत्तियां:** इसे वसूल न किया जाने वाला (uncollectible) और इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक-ग्राह्य परिसंपत्ति के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसका कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है।

उच्च NPA के कारण

ऋण प्राप्तकर्ता (उधारकर्ता) संबंधी कारण

- घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी - उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की मांग में कमी।
- जानबूझकर लिए गए ऋण का भुगतान न करना (Wilful default)।
- उधारकर्ताओं द्वारा ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित प्रयोजनों के इतर अन्य प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग करना।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति।
- अस्थिर कच्चे माल की कीमतें और विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता न होना जैसे कारक कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

बैंकों से सम्बंधित कारण

- उधार देने संबंधी निम्नस्तरीय कार्यविधियां। कभी-कभी बैंकों द्वारा खराब क्रेडिट रिकॉर्ड वाले उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया जाता है। इन मामलों में ऋण न लौटाने (डिफ़ॉल्ट) की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है।
- बैंकों के पास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की अपर्याप्त क्षमता अर्थात निम्नस्तरीय क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली का होना।
- नियमित रुप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का अभाव।

अन्य बाह्य कारक:

- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक स्थिति।
- रिकवरी न्यायाधिकरणों का अप्रभावी होना।
- सरकारी नीतियों में परिवर्तन - उदाहरणार्थ, किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मानव शक्ति का उपयोग करना बैंकों की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित करता है।
- प्रशासनिक बाधाएं – अनुमतियाँ और अन्य अनापत्तियाँ प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से परियोजनाओं की लागत प्रतिकूल रुप से प्रभावित होती हैं।

NPA में कमी के निहितार्थ

- **बैंकों के लिए**
  - यह बैंकों की **लाभप्रदता** और उनके पास उपलब्ध **निधियों की तरलता** को बढ़ाता है, क्योंकि परिसंपत्तियों पर प्राप्त होने वाले वार्षिक प्रतिफल (रिटर्न) में वृद्धि होती है तथा साथ ही ऋण के रुप में प्रदान की गई राशि की प्राप्ति से इनका पुनः उपयोग कुछ रिटर्न अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के लिए भी किया जा सकता है। उपलब्ध साख में वृद्धि से बैंक तेजी से विकास कर सकते हैं।
  - RBI द्वारा प्रस्तावित दरों में कटौती को ग्राहकों तक पहुँचाने हेतु बैंकों के लिए **मौद्रिक नीति के संचरण** में तीव्रता आती है।
  - बैंक लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं। एक उद्यमी मध्यम वर्ग की समृद्धि के लिए भारत की प्रमुख संभाव्यता SMEs में निहित है।
- **उधारकर्ताओं के लिए**
  - NPA में कमी होने पर बैंक कुछ उत्पादों पर ब्याज दरों को कम कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरुप **पूंजी की लागत** में कमी आएगी, जिससे विभिन्न व्यवसायों को आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाया जा सकेगा।
- **समग्र अर्थव्यवस्था के लिए**
  - प्रतिभूति बाजार से ऋण की अधिक उपलब्धता होने के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी जो देश में रोजगार सृजन और विकास में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।

NPA में कमी के कारण

- सरकार ने अपनी **4R रणनीति** के अंतर्गत व्यापक कदम उठाए हैं। इस **4R रणनीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
  - **पारदर्शी रुप से NPAs की पहचान करना (Recognising)**-
    - **एसेट क्वालिटी रिव्यू** और **संयुक्त ऋणदाता फोरम** के माध्यम से।
    - बैंकों को अब उधारकर्ता से **कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI)** संख्या प्राप्त करने और सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRICL) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
  - दबावग्रस्त खातों का **समाधान और उनसे मूल्य की पुनर्प्राप्ति (Resolving and recovering)**-

VISION IAS

- नए **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)** को अधिनियमित किया गया है। इसके तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर कॉर्पोरेट देनदार के कामकाज के प्रबंधन का अभिग्रहण करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त बनाने हेतु **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** में संशोधन।
- **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002** को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसमें संशोधन किया गया है।
- **प्रोजेक्ट साक्षात: बाजार-आधारित** दृष्टिकोण के माध्यम से NPA की समस्या का समाधान करने हेतु।

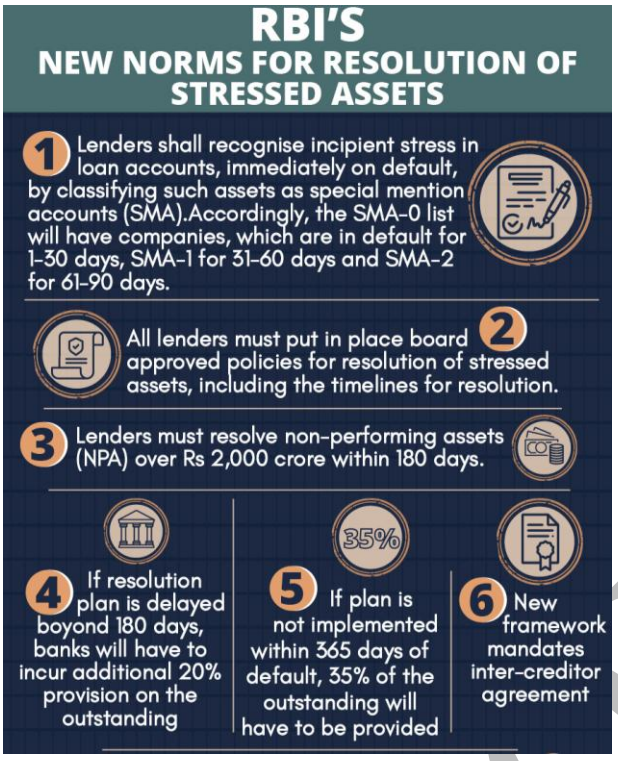

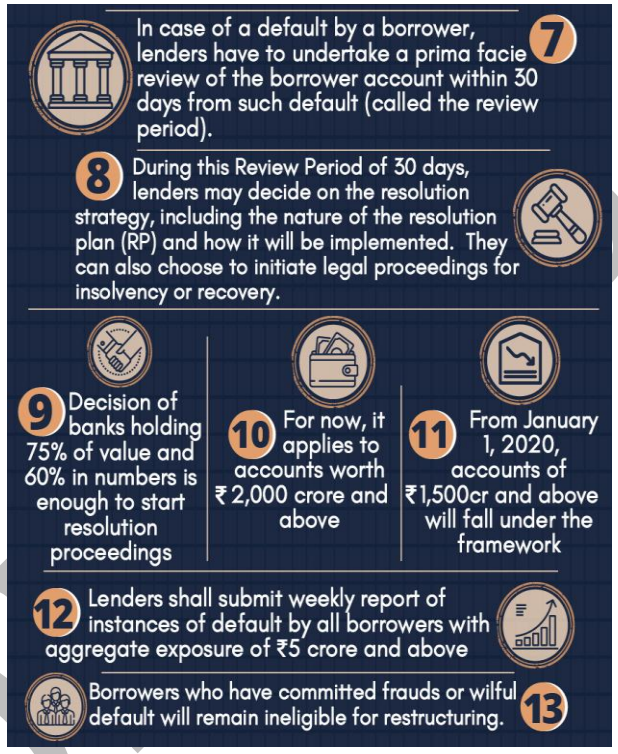

- **पुनर्पूंजीकरण (Recapitalising)**-
  - भारत सरकार ने सरकार द्वारा पूंजी के निवेश और बैंकों द्वारा बाजारों से पूंजी जुटाने के माध्यम से अक्टूबर 2017 में **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये** के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की।
  - **बैंकिंग प्रणाली में मांग और सावधि जमाओं, दोनों में हुई वृद्धि** के कारण 2018-19 में कुल जमाओं में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी।
- उत्तरदायी और पारदर्शी प्रणाली के निर्माण हेतु **बैंकों और वित्तीय परिवेश तंत्र में सुधार**।
  - **मिशन इन्द्रधनुष, 2015** के अंतर्गत **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** (PSBs) का कायाकल्प करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) सुधार एजेंडे** के अंतर्गत **PSBs** ने वसूली पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्षेत्रों का निर्माण किया है एवं 250 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण खातों की निगरानी का कार्य विशेष निगरानी एजेंसियों को सौंपा है।
  - **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:** इसे **आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के** अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है।
  - बैंकों और गैर-बैंकों के मध्य **रेगुलेटरी आर्बिट्रेज (regulatory arbitrage)** को दूर करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक द्वारा NBFCs के लिए SCBs के अनुरुप विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है।
  - बढ़ते NPAs के कारण सरकारी बैंकों के वित्त में तेजी से कमी के परिणामस्वरुप, विगत वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)** के अंतर्गत रखा गया था।
  - "सुदृढ़" बैंकों द्वारा कमजोर बैंकों के खातों पर भारित दबाव को अवशोषित करने के कारण **बैंकों के विलय** को भी NPA की समस्या का समाधान करने के एक तरीके के रुप में देखा जाता है।

इसमें और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है?

- **जोखिमों को प्रबंधित करके: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में** जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में अभी भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। अभी भी अधिनियमित सुधारों का प्रभावी रुप से अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, साइबर जोखिमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार** और परियोजना से NPA संबंधी जोखिम को कम करने के लिए परियोजना की निगरानी। परियोजना मूल्यांकन के लिए उल्लेखनीय रुप से अधिक मात्रा में घरेलू विशेषज्ञता को सृजित किया जा सकता है।
- **पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाना**: न्यायालय से बाहर सम्पन्न पुनर्गठन प्रक्रिया और दिवालियापन प्रक्रिया दोनों को त्वरित और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
- **पूंजी निवेश: सरकार द्वारा बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी का एकमुश्त निवेश किया जाना चाहिए अर्थात इस प्रकार की पूंजी को कई किश्तों में उपलब्ध कराना** उपयोगी सिद्ध नहीं होता है।

3.4. लीवरेज अनुपात

(Leverage Ratio)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बैंकों को उनकी ऋण गतिविधियों का विस्तार करने में सहायता करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उन्हें लीवरेज अनुपात (Leverage Ratio: LR) में छूट प्रदान की गई है।

लीवरेज अनुपात के बारे में

- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ने बैंकों के ऋण स्तर को दर्शाने हेतु **2010 के बेसल III पैकेज** के अंतर्गत LR की अवधारणा आरम्भ की थी। 1 अप्रैल 2015 से बैंकों को समेकित आधार पर अपने बेसल-III LR का सार्वजनिक रुप से प्रकटीकरण करना अनिवार्य है।
- इसे वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह संकट बैंकिंग प्रणाली में तुलन पत्र पर विद्यमान और उससे इतर अत्यधिक मात्रा में लीवरेज (ऑन और ऑफ-बैलेंस शीट लीवरेज) के कारण उत्पन्न हुआ था।
- बेसल-III मानदंडों के अंतर्गत परिभाषित **LR**, बैंक के जोखिम (**एक्सपोजर**) **के प्रतिशत के रुप में टियर-I पूंजी होता है।**
- बैंक के कुल जोखिम को निम्नलिखित जोखिमों के योग के रुप में परिभाषित किया गया है: तुलन पत्र पर भारित (ऑन-बैलेंस शीट) जोखिम; डेरिवेटिव जोखिम; प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेन-देन से संबंधित जोखिम और तुलन पत्र से इतर मदें (ऑफ- बैलेंस शीट आइटम)।
- **LR** भारतीय रिजर्व बैंक की **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे** के अंतर्गत चार संकेतकों में से एक है।
- **हाल ही में, बेसल III मानकों** के साथ समन्वय हेतु **LR** को 'घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (DSIB)' के लिए घटाकर **4%** और अन्य बैंकों के लिए 3.5% कर दिया गया है।
- LR में कटौती का अर्थ है कि **बैंक उसी पूंजी आधार पर अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं।**

बैंक पूंजी की श्रेणियाँ (टियर)

- **टियर-I पूँजी (स्थाई पूंजी):** इसमें वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के रुप में रखा गया धन, नकदी और शेयर पूंजी तथा जमानती ऋण (secured loans) शामिल होता है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) के अंतर्गत लगभग 6% टियर-I पूँजी शामिल होनी चाहिए। यह पूंजी बैंक द्वारा अपने व्यवसायिक परिचालनों को बंद किए बिना घाटे को समाप्त कर सकती है।
- **टियर-II पूंजी (अनुपूरक पूंजी):** इसमें कर आय, बैंकों के रिटेल अर्निंग्स (खुदरा आय), बॉण्ड/हाइब्रिड इंस्ट्रुमेंट्स और ग़ैर-जमानती ऋणों (जिनका भुगतान किया जा रहा हो) के रुप में पूंजी सम्मिलित होती है।
- **टियर-III पूंजी:** इसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs), गौण ऋण (जिनका भुगतान न किया जा रहा हो) और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के अघोषित रिज़र्व सम्मिलित होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlement: BIS)

- यह केन्द्रीय बैंकों के स्वामित्वाधीन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ 'केन्द्रीय बैंकों के बैंक' के रुप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित है।

VISION IAS

- यह मानक निर्धारण तथा वित्तीय स्थिरता हेतु प्रयासरत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मेज़बानी करता है और उनको समर्थन प्रदान करता है। उनमें से एक BCBS है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision: BCBS)

- यह 1974 में बैंकिंग विनियमों से संबंधित मानकों के विकास करने हेतु गठित एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है।
- इसमें 27 देशों तथा यूरोपीय संघ के केन्द्रीय बैंक सम्मिलित हैं।
- इसका मुख्यालय बेसल (स्विट्ज़रलैंड) स्थित BIS के कार्यालय में अवस्थित है।
- इसके द्वारा **बेसल समझौते (Basel Accords)** के रुप में ज्ञात नीतिगत अनुशंसाओं की एक श्रृंखला विकसित की गई है। इस समझौते में आर्थिक संकट के समय बैंक को ऋण चुकाने में सक्षम बनाए रखने हेतु न्यूनतम पूँजी को बनाए रखने की अनुशंसा की गई है।
    - RBI द्वारा भारत में कार्यरत बैंकों के लिए **बेसल III सुधारों** के आधार पर दिशा-निर्देश ज़ारी किए जाते हैं।
    - भारत में 1 अप्रैल, 2013 से **बेसल III पूँजी विनियमन** को कई चरणों में लागू किया गया है। इसे पूर्ण रुप से 31 मार्च 2019 को लागू किया जाना था।
    - अन्य महत्वपूर्ण बेसल मानकों के अंतर्गत न्यूनतम सामान्य इक्विटी पूँजी अनुपात, काउंटरसाइकल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क, न्यूनतम टियर-I पूँजी, न्यूनतम कुल पूँजी, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (D-sib) की आवश्यकताएं आदि शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- BCBS द्वारा प्रस्तुत हालिया रिपोर्ट के अनुसार, RBI द्वारा बेसल III नियमों को पूर्ण रुप से लागू नहीं किया गया है।
    - इसके द्वारा **कुल हानि-अवशोषण क्षमता (TLAC)** संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क और नियमों को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है।
    - RBI द्वारा अभी भी 2016 के अंत से लागू संशोधित **पिलर 3 प्रकटीकरण** आवश्यकताओं से संबंधित मसौदा नियमों को तैयार करना शेष है।

कुल हानि-अवशोषण क्षमता (TLAC)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) द्वारा अंतिम रुप दिया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (Global systemically important banks: G-Sibs)** के पास पर्याप्त हानि-अवशोषण तथा पुनर्पूंजीकरण क्षमता होनी चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किए बिना या बिना करदाताओं के धन को व्यय किए महत्वपूर्ण प्रकार्यों को सुचारु रुप से जारी रखा जा सके।
- G-Sib एक ऐसा बैंक होता है जिसके प्रणालीगत जोखिम प्रोफ़ाइल को इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है कि इस बैंक के विफल होने पर बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है साथ ही इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष भी ख़तरा उत्पन्न हो सकता है।
- वर्तमान में भारत में कोई G-sibs नहीं है।

पिलर 3 प्रकटीकरण (Pillar 3 disclosure)

- बेसल III मानदंडों के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता ढांचा तीन घटकों या तीन स्तम्भों पर निर्भर होती है।
- **पिलर 3 प्रकटीकरण** का उद्देश्य निर्धारित प्रारुपों के तहत प्रकटीकरण के द्वारा **बाज़ार के अनुशासन को सुनिश्चित करना** है। ज्ञातव्य है कि **पिलर 1 पूंजी पर्याप्तता पर केन्द्रित है तथा पिलर 2 पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित हैं।**

3.5. आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण

(Base Erosion And Profit Shifting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर अपवंचन (tax evasion) को रोकने हेतु **OECD की परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु एक बहु-पक्षीय अभिसमय के अनुसमर्थन** को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अभिसमय के बारे में

- **आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) को रोकने के लिए संधि संबंधी उपायों के क्रियान्वयन हेतु बहुपक्षीय अभिसमय** पर 2017 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसे 1 जुलाई 2018 से कार्यान्वित किया गया।

- यह **बहुपक्षीय अभिसमय** BEPS से निपटने हेतु **OECD/G20 परियोजना** का एक परिणाम है।
- यह अभिसमय संधियों के दुष्प्रयोग तथा BEPS रणनीतियों के माध्यम से होने वाली राजस्व हानि को रोकने हेतु भारत द्वारा की गयी संधियों को परिवर्तित करने में सक्षम बनाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जहाँ लाभ उत्पन्न करने वाली सारभूत आर्थिक गतिवधियों का संचालन हो और मूल्य का सृजन हो रहा हो, वहां मुनाफे पर कर आरोपित किए जा सकें।
- यह अभिसमय संधियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को संधि से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाता है तथा BEPS पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत दोहरे कराधान को समाप्त करता है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)

- यह कर परिहार (Tax Avoidance) की ऐसी रणनीतियों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से लाभ को निम्न कर या शून्य कर वाले स्थानों पर कृत्रिम रुप से स्थानांतरित करने हेतु कर नियमों की खामियों और त्रुटियों से लाभ उठाया जाता है। इसके परिणामस्वरुप न्यूनतम या लगभग शून्य (जीरो) कॉर्पोरेट कर का भुगतान किया जाता है।
- 20 देशों के प्राधिकार के अधीन OECD द्वारा कर संधियों को संशोधित करने, नियमों को कठोर बनाने तथा **BEPS परियोजना** के तहत सरकारी कर संबंधी सूचनाओं के अधिक-से-अधिक साझाकरण पर विचार किया गया तथा 2015 में एक कार्य-योजना जारी की गई।
- BEPS परियोजना निम्नलिखित हेतु सहायक होगा:
  - यह कर राजस्वों में वृद्धि करेगा। BEPS के कारण पूर्व में ऐसे राजस्वों की क्षति होती थी। विशेष रुप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों से प्राप्त होने वाले कॉर्पोरेट आय कर पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विकासशील देशों के लिए BEPS का विशिष्ट महत्व है।
  - यह समान परिस्थितियों में व्यवसाय के अवसर उपलब्ध करा कर घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों को **एकसमान अवसर** उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि BEPS से होने वाली कर बचत के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू कंपनियों पर बढ़त प्राप्त हो जाती है क्योंकि घरेलू कंपनियों के पास ऐसी किसी रणनीति को लागू करने के उपायों की कमी हो सकती है।
  - यह **दोहरे कराधान की समस्या को समाप्त** करेगा।

3.6. रेटिंग एजेंसियाँ

(Rating Agencies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, SEBI द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के लिए **व्यापक प्रकटीकरण मानदंडों** को प्रस्तुत किया गया है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व:

- इनके द्वारा खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जिससे उन्हें यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि देनदार (debtor) अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं।
- इनके द्वारा निवेशकों, ग्राहकों इत्यादि को किसी संगठन की **सुदृढ़ता तथा स्थिरता से संबंधित समग्र जानकारी** प्रदान की जाती है जो उन्हें सुविचारित निर्णय लेने में सहायता करती है।
- ये एजेंसियाँ किसी देश विशेष में निवेश के जोखिमों को उजागर कर सरकारों तथा निवेशकों में **विश्वास स्थापित** करने में भी सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, इनके द्वारा अपने देश के आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेश का प्रकटीकरण करने वाली राष्ट्रीय सरकारों को **'सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग'** प्रदान की जाती है।
- ये उधारकर्ताओं के समूह में वृद्धि कर **द्वितीयक बाज़ारों को सुदृढ़** बनाने में सहायता करती हैं।
- ये बेहतर छवि स्थापित करने के इच्छुक कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के बीच **अनुशासन सुनिश्चित करती हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके द्वारा **"डिफॉल्ट की संभावना"** के संदर्भ में एक तंत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत दिसंबर 2019 तक रेटिंग एजेंसियों को उनके द्वारा मूल्यांकित (रेटिंग प्रदत्त) किए गए 'जारीकर्ताओं (issuers)' के संबंध में डिफॉल्ट की संभाव्यता का प्रकटीकरण करना होगा।
- इसके द्वारा ट्रैकिंग और डिफॉल्ट की समयबद्ध पहचान के लिए **यूनिफ़ॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर** का भी प्रावधान किया गया है।

भारत में स्थित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियम, 1999** भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने हेतु SEBI को प्राधिकृत करता है।
- विनियमों के अनुसार, **CRAs** को "ऐसे कॉर्पोरेट निकाय के रुप में परिभाषित किया जाता है, जो **पब्लिक इश्यू या राइट्स इश्यू के माध्यम से प्रस्तावित प्रतिभूतियों की रेटिंग से संबंधित व्यवसाय में संलग्न हैं** या **संलग्न होने की प्रक्रिया में शामिल हैं**।"

VISION IAS

- SEBI (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियम, 1999 के तहत प्रकटीकरण-आधारित नियामकीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत एजेंसियों को अपने रेटिंग मानदंडों, कार्यप्रणाली, डिफ़ॉल्ट रेकग्निशन पॉलिसी तथा हितों के टकराव से निपटने संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रकटीकरण करना होता है।
- भारत में कार्य करने हेतु सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को **SEBI के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य** है।
- SEBI के तहत **सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ** पंजीकृत हैं, यथा, CRISIL, ICRA, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, SMERA, इन्फोमेरिक्स तथा ब्रिकवर्क।

भारत में क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दे

- **हितों का टकराव:** CRAs "इशूअर पे मॉडल (issuer pays model)" का अनुपालन करती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय लिखत जारी करने वाली इकाई अन्तर्निहित प्रतिभूतियों (underlying securities) की रेटिंग के लिए एजेंसी को अग्रिम भुगतान करती है। यद्यपि ऐसी भुगतान व्यवस्था के कारण **'हितों का टकराव' उत्पन्न हो सकता है** तथा इससे **विश्लेषण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।**
  - हितों के टकराव का एक और उदाहरण जारीकर्ताओं (जिन्हें रेटिंग प्रदान की जानी है) को प्रदान की जाने वाली नॉन-रेटिंग सर्विसेज, जैसे जोखिम परामर्श, निधि संबंधी शोध तथा परामर्शी सेवाएं हैं।
- **रेटिंग शॉपिंग (Rating shopping):** यह जारीकर्ता को ऐसी रेटिंग एजेंसियों के चयन की ओर उन्मुख करता है जो या तो उच्चतम रेटिंग प्रदान करती हैं या जिनके पास वांछित रेटिंग प्रदान करने से संबंधित सर्वाधिक सरल मानदंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण से यह पद्धति बिना जारीकर्ता की सहमति के किसी रेटिंग को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान नहीं करती है।
- **अपेक्षाकृत निम्न प्रतिस्पर्द्धा:** भारत के क्रेडिट रेटिंग बाज़ार में अल्पाधिकार प्रतिस्पर्द्धा (oligopolistic Competition) विद्यमान है। इसमें किसी भी नई एजेंसी को प्रवेश करने हेतु अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा की कमी के कारण CRAs का जारीकर्ताओं से अपेक्षाकृत दीर्घकालिक, सुस्थापित संबंध बना रहता है जिससे उनकी स्वतंत्रता बाधित हो सकती है।
- **निम्न स्तरीय रेटिंग गुणवत्ता:** प्रायः रेटिंग सीमित सूचनाओं के आधार पर प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि जारीकर्ता कुछ निर्धारक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता है तो रेटिंग मुख्य रुप से सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर की जा सकती है। कई रेटिंग एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यबल उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरुप निम्न स्तरीय रेटिंग गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है।
- **अनेक नियामकों की विद्यमानता:** SEBI के अतिरिक्त कुछ अन्य विनियामक एजेंसियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)। इनके द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कुछ पहलुओं का विनियमन किया जाता है।

क्रेडिट रेटिंग ढाँचे का सुदृढ़ीकरण

- **नियामकों की भूमिका**: उन्हें अपने **विनियमों का मूल्यांकन** करना चाहिए और संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग ढाँचे में अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए उनमें पर्याप्त रुप से **संशोधन करना** चाहिए।
  - **वित्त मंत्रालय को** नियमों के प्रवर्तन के संबंध में संबंधित नियामकों से **एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए** तथा CRA's के विरुद्ध नियामकों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करना चाहिए।
- **समग्र प्रकटीकरण मानदंड:** इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्धारक भी शामिल होने चाहिए जैसे: (i) प्रवर्तकों (प्रमोटर) के सहयोग की सीमा, (ii) अनुषंगी कंपनियों के साथ जुड़ाव तथा (iii) निकट अवधि के भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु तरलता की स्थिति।
- हितों के टकराव को रोकने हेतु रेटिंग एजेंसियों के लिए 'इन्वेस्टर पेज़ मॉडल (investor pays model)' या 'रेगुलेटर पे मॉडल (regulator pays model)' जैसे **वैकल्पिक नवाचारी मॉडलों** का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- जारीकर्ता तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मध्य स्थापित दीर्घकालिक संबंधों के नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए रेटिंग एजेंसियों का आवर्तन (रोटेशन) अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  - इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) संकट जैसे बड़े डिफ़ॉल्ट मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।
- विशेष रुप से आवश्यक क्षमता एवं विशेषज्ञता वाले स्टार्ट-अप्स सहित और अधिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु CRA की पंजीकरण संबंधी सीमा को कम करके **रेटिंग एजेंसियों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
  - इससे निवेशकों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रदर्शन को मापने में सहायता मिलेगी।
- **CRA के लिए क़ानूनी संरक्षण:** ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जिनमें रेटिंग को कम करके दिखाने (rating downgrade) पर रेटिंग प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा भारतीय CRAs पर मुकदमा किया गया हो। सम्बंधित नियामक को उन कानूनों को तैयार करने पर विचार करना चाहिए जिनके तहत CRAs बिना किसी मुकदमे के भय के अपने रेटिंग संबंधी मत को व्यक्त कर सकें।

VISION IAS

3.7. भारत में खाद्यान्न प्रबंधन

(Food Grain Management in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा केंद्रीय पूल में रखा जाने वाला खाद्यान्न भंडार विगत 6 वर्षों के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गया है। इसके मद्देनजर सरकार, गरीबी-रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को आवंटित किए जाने वाले खाद्यानों में वृद्धि करने की योजना बना रही है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने 2022 तक 100 लाख टन भंडारण क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में भंडारगृहों (silo) के निर्माण में तेजी लाने हेतु एक नया रोडमैप लागू किया है।

FCI के बारे में

1965 में तीन मूल उद्देश्यों के साथ **FCI** की स्थापना (खाद्य निगम अधिनियम, **1964** के अंतर्गत) की गई थी:

- कृषि उपज विपणन समिति (APMC) द्वारा अधिकृत मंडियों में किसानों द्वारा खाद्यान्न विक्रय न कर पाने की स्थिति में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल की खरीद करके किसानों को प्रभावी मूल्य सहायता प्रदान करना।
- PDS की सहायता से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी पर खाद्यान्न वितरित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- आधारभूत खाद्यान्नों से सम्बन्धित बाजारों को स्थिर रखने के लिए रणनीतिक आरक्षित भंडार बनाए रखना।

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में

- **उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य निगम** (FCI) एक नोडल एजेंसी है जो खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन एवं भंडारण, सार्वजनिक वितरण और बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।
- FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से **असीमित आधार (ओपन एंडेड बेसिस) पर खाद्यान्नों की खरीद** (अर्थात्, किसानों द्वारा इसे विक्रय किए जाने वाले समस्त खाद्यान्न की खरीददारी) **करता है**, बशर्ते कि खाद्यान्नों की खरीददारी भारत सरकार के एकसमान गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करती हो। FCI की ओर से राज्य सरकार की एजेंसियों (SGA) और निजी राइस मिल मालिकों द्वारा भी खरीद की जाती है।
- खरीदे गए समस्त खाद्यान्न से केंद्रीय पूल का निर्माण होता है। खाद्यान्नों को अधिशेष वाले राज्यों से **वितरण हेतु उपभोग/अत्यधिक मांग वाले राज्यों** में तथा **बफर स्टॉक के निर्माण** एवं **FCI** के गोदामों में भण्डारित करने हेतु ले जाया जाता है।
- खाद्यान्नों का विक्रय **FCI** और राज्य सरकारों द्वारा **खुली बाजार बिक्री योजना** (**OMSS**) के तहत किया जाता है अर्थात् विशेष रूप से कम आपूर्ति/उपज वाले मौसम के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने तथा खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में खुले बाजार की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से, पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाती है।
- **FCI की आर्थिक लागत के अंतर्गत MSP पर किये जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय की लागत, खरीद से सम्बन्धित व्यय** (जैसे श्रम और परिवहन शुल्क, गोदाम किराया) और **वितरण लागत** (माल ढुलाई, हैंडलिंग, भंडारण और ब्याज प्रभार, भंडारण के दौरान हानि आदि) सम्मिलित हैं।
    - विभिन्न योजनाओं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, **2013** सहित) के अंतर्गत **खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के मध्य का अंतर FCI** की परिचालनात्मक हानि को दर्शाता है और इसकी **भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।**

अतिरिक्त बफर स्टॉक की समस्या क्यों है?

- त्रुटिपूर्ण फसल प्रतिरूप के कारण **खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक होने**, MSP अधिक होने और राज्यों द्वारा खाद्य फसलों पर प्रदत्त अतिरिक्त लाभांश के कारण खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन तथा व्यवहार्य निर्यात निर्गम का अभाव।
- FCI और बफर संबंधी मानदंडों को निर्धारित करने वाले उपभोक्ता मंत्रालय के मध्य **समन्वय की कमी**।
- **ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट** अर्थात् किसानों, राज्य अभिकरणों आदि द्वारा आपूर्ति किए गए समस्त खाद्यान्न की खरीद करना।
- **स्वचालित परिसमापन नियमों का अभाव:** सामान्यतः FCI को बफर स्टॉक से अधिक समस्त खाद्यान्न का खुले बाजार में विक्रय किया जाना चाहिए। किन्तु, ऐसा कोई नियम नहीं है और यह मंत्रालय के निर्देश पर ही निर्भर है।

VISION IAS

भारत की खाद्य प्रबंधन प्रणाली से संबंधित समस्याएँ

- **बफर स्टॉक की अधिकता:** ओपन एंडेड खरीद के कारण अनाज भंडार में खाद्य सुरक्षा की निर्धारित आवश्यकता से भी अधिक वृद्धि हो गयी है। जून 2019 तक FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा 76.1 मिलियन टन मुख्य खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का भण्डारण कर लिया गया था, जबकि इसकी निर्धारित आवश्यक मात्रा 61.1 मिलियन टन थी।
- **भंडारण क्षमता का अभाव:** भंडारण के लिए गोदामों की अपर्याप्त संख्या के कारण, खरीदे गए खाद्यान्न का एक भाग खुले में भंडारित ('कवर-एंड-प्लिंथ' प्रणाली) कर दिया जाता है। इन खाद्यानों की वर्षा से होने वाली क्षति और चोरी जैसे उच्च जोखिम बने रहते हैं।
- **खाद्य मुद्रास्फीति:** सरकार द्वारा 75% से अधिक विपणन योग्य अधिशेष की खरीद कर ली जाती है। इस प्रकार ऐसे खाद्यान्न को भण्डारित किया जाना जो खुले बाजारों में बेचा जा सकता था, खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाता है।
- **खाद्यान्नों की निम्न गुणवत्ता और उच्च अपव्यय:** कीटों के प्रकोप, सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण (microbiological contamination), उगने और पकने के कारण फसलों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन आदि के कारण, खाद्यान्नों/फसलों की शेल्फ लाइफ नकारात्मक रुप से प्रभावित होती है। इरेडिएशन सुविधाओं का अभाव भी दीर्घकालिक भंडारण में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सरकार के लिए उच्च लागत:** अतिरिक्त स्टॉक खरीददारी, परिवहन और संरक्षण का राजकोषीय भार 1 ट्रिलियन रुपये से भी अधिक है तथा यह खाद्य सब्सिडी बिल में भी वृद्धि करता है।
- **प्रतिचक्रीय खरीद नीति (Countercyclical procurement policy):** सूखे के दौरान जब उत्पादन कम होता है, तो सरकार द्वारा किसानों से की जाने वाली खाद्यानों की खरीद और MSP में वृद्धि की जाती है। इससे खुले बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतों में वृद्धि हो जाती है।
- **निजी व्यापार का सीमित होना:** भारत में खाद्यान्न प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था पर सरकार का एकाधिकार है; अर्थात् उत्पादन (क्योंकि शस्यन प्रतिरूप MSP से प्रभावित होता है) से लेकर भण्डारण (FCI) और विपणन (APMC) तक के कार्यों के संचालन में सरकार का प्रभुत्व है।
    - पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक रूप से उच्च उत्पादक राज्यों में भी, FCI द्वारा **ओपन एंडेड खरीद** के कारण निजी व्यापार हाशिए पर चला गया है।
    - इसके अतिरिक्त, निजी भंडारण पर निर्धारित सीमाएं और राज्य द्वारा आरोपित अतिरिक्त लेवी (levies) ने भी निजी भागीदारी को सीमित किया है।
- **अप्रतिस्पर्धी निर्यात:** राज्य द्वारा आरोपित अतिरिक्त लेवी ने वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात को अप्रतिस्पर्धी बना दिया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) में वृद्धि और **खाद्य मुद्रास्फीति की रोकथाम करने के लिए निर्यात पर अधिकतम सीमा** आरोपित करने जैसी प्रतिक्रियात्मक नीतियों ने भारत के खाद्यान्न निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- **भ्रष्टाचार: शांता कुमार समिति** के अनुसार FCI के गोदामों से PDS खाद्यान्नों के लगभग 40-60% हिस्से की कालाबाजारी की जाती है। उदाहरणार्थ- 2016 के पंजाब गेहूं खरीद संकट जैसे कई घोटाले हाल ही में सामने आए हैं।
- **FCI पर आर्थिक भार:** FCI गेहूं का क्रय लगभग 23 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत पर करता है, जिसे बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा खाद्य सब्सिडी लागतों को नियंत्रण में रखने हेतु FCI को निरंतर आवश्यकता से कम प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इसे वाणिज्यिक रूप से धन उधार लेना पड़ता है। इससे FCI पर ब्याज का अतिरिक्त भार (2011-16 के बीच, 35,700 करोड़ रुपये) पड़ता है ।

आगे की राह

- फसल उत्पादन को उच्च मूल्य वाले एवं निर्यात योग्य उत्पादों की ओर उन्मुख किए जाने की आवश्यकता है। चावल का उपभोग न करने वाले भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में धान की फसल को कपास, मक्का, सोयाबीन आदि से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिनकी घरेलू और विदेशों में अत्यधिक मांग है। हरियाणा द्वारा किसानों को वैकल्पिक फसलों की बुवाई के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
- मूल्य समर्थन के साधन के रूप में खरीद प्रक्रिया को मूल्य न्यूनता भुगतान (प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट) और किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जैसाकि PM-AASHA और PM-KISAN योजनाओं में परिकल्पित किया गया है।
- अतिरिक्त बफर स्टॉक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत निर्धनों को उनके निर्धारित मासिक कोटे (5 किलोग्राम) से अधिक भी आवंटित किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, खरीद प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिवहन लागत और रिसाव कम करने के लिए आरंभ की गई **विकेंद्रीकृत खरीद योजना (DCP)** को बहुत कम राज्यों द्वारा अपनाया गया है।

- इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारें स्वयं FCI की ओर से किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करेंगी और उन्हें गरीब लाभार्थियों में वितरित करेंगी।

- अंत में, FCI को कार्यात्मक रूप से अधिक कुशल बनाने के लिए नए सिरे से संगठनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 'मोरल हैजर्ड' (अर्थात् आसन्न जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहनों का अभाव) को रोकने हेतु दक्षता और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिचालनात्मक हानि के बावजूद यह अपने परिचालन को जारी रखने हेतु बाध्य है।

FCI का पुनर्गठन

भारत में खाद्य प्रबंधन में उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने और भारतीय खाद्य निगम की भूमिका का पुनर्गठन करने के लिए **2014** में **शांता कुमार** की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसकी महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में निम्नलिखित शामिल हैं -

- **खरीद: FCI** के कई कार्यों को राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रक के निकायों तथा निजी कंपनियों को सौंपकर **FCI** के भार को कम करना।
  - विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP जैसे उत्पादन अधिशेष वाले राज्यों में खाद्यान्नों की खरीद संबंधी कार्य को राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिए।
  - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि पूर्वी राज्यों (जहां लघु और सीमांत कृषकों की संख्या अधिक हैं) में, FCI को अपने मूल्य सहायता से सम्बन्धित कार्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
  - FCI को अतिरिक्त बोनस प्रदान करने वाले राज्यों से खाद्यान्नों (PDS हेतु आवश्यक मात्रा से अधिक) की आवश्यकता से अधिक खरीद नहीं करनी चाहिए।
  - FCI की खरीद पर, राज्य सरकार 2% से 15% के बीच कमीशन प्राप्त करती है। अतः केंद्र और राज्य स्तर पर एकसमान दर (~3-4%) निर्धारित की जानी चाहिए।
- **खरीद भुगतान प्रणाली:**
  - **परक्राम्य गोदाम रसीद (Negotiable Warehouse Receipts: NWR)** प्रणाली को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इस प्रणाली के अंतर्गत, किसान अपनी उपज का भंडारण, FCI के अधिकृत गोदामों में कर सकते हैं और MSP के तहत मूल्यांकित की गयी अपनी उपज पर बैंकों से अग्रिम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह निजी क्षेत्र को पुनः इस प्रक्रिया में शामिल करने में सहायता प्रदान करेगा, सरकार के भंडारण संबंधी लागत के भार में अत्यधिक कमी करेगा और यह बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अधिक सुसंगत होगा।
  - यदि बाजार की कीमतें MSP से कम हैं तो खाद्यान्नों भौतिक खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों को दोनों के बीच अंतर का DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाना चाहिए।
- **बफर स्टॉक:** केवल **10** मिलियन टन तक स्ट्रिप-डाउन बफर स्टॉक (आवश्यक मात्रा) को बनाए रखा जाना चाहिए और अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में खाद्यान्नों का आयात किया जाना चाहिए। सरकार भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए जिंस बाजारों में फ्यूचर/आप्शन के माध्यम से भी खरीद कर सकती है।
- **भंडारण सुधार:**
  - केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राज्य भंडारण निगम (SWC) और निजी क्षेत्र को भी खाद्यान्न भंडारण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
    - **PPP** पद्धति के अंतर्गत गोदामों के निर्माण हेतु **निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना**।
    - ग्रामीण भंडारगृहों के निर्माण और नवीनीकरण के उद्देश्य से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने हेतु **ग्रामीण भंडारण योजना**।
  - भंडारगृहों **की "कवर एंड प्लिंथ" प्रणाली को** यंत्रीकृत/रोबोटिक्स संरचना द्वारा किये जाने वाले रखरखाव से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- **परिवहन सुधार:**
  - हानियों को कम करने और रेलमार्गों एवं जलमार्गों द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन या लोडिंग/अनलोडिंग में **बोरों के बजाय कंटेनरों** का प्रयोग करना।
  - **मंडियों में कोष्ठागारों/भंडारगृहों** का निर्माण करना और उन्हें **रेल कनेक्टिविटी** प्रदान करना
  - **ख़राब होने वाली वस्तुओं** के रेफ्रिजेरेटेड परिवहन हेतु **प्रशीतक वाहनों का उपयोग** किया जाना चाहिए।
  - खरीद से लेकर खुदरा वितरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करना और ऑनलाइन निगरानी करना।
- **MSP नीति:** गेहूं और चावल के पक्ष में अधिक झुकी हुई प्रोत्साहन संरचना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए तथा दालों और तिलहन के लिए बेहतर मूल्य सहायता प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **अधिशेष बफर स्टॉक हेतु "प्रो एक्टिव लिक्विडेशन पॉलिसी":** जब भी FCI की मालसूची (inventories) के अंदर बफर मानदंडों से अधिक खाद्यान उपलब्ध हो, तो स्वतः उस अधिशेष स्टॉक का खुले बाजार (घरेलू या निर्यात) में विक्रय कर दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

3.8. भारत में सौर उपकरणों का विनिर्माण

(Solar Manufacturing in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि यदि भारत अपने महत्वाकांक्षी सौर कार्यक्रम को साकार करना चाहता है तो उसे **सौर उपकरण विनिर्माण रणनीति** की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि

- भारत ने विगत कुछ वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग **आठ गुना** की वृद्धि की है। यह 2014 के **2,650 मेगावाट** से बढ़कर 31 मार्च 2019 तक **28.18 गीगावाट** हो गई है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 20 GW सौर क्षमता का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया था, जिसे निर्धारित समयसीमा से चार वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि 2015 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2022 तक 100 GW सौर क्षमता कर दिया गया था।
- सौर संयंत्रों की स्थापना से संबंधित नई नीति के बावजूद, भारत **अभी भी सौर उपकरणों का विशुद्ध विनिर्माता नहीं है।**

भारत में सौर उपकरण विनिर्माण की संभावना

- **रोजगार सृजन:** इस क्षेत्र में आगामी **5** वर्षों में **50,000** प्रत्यक्ष और लगभग **1,25,000** अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता है।
- **आयात में कमी:** घरेलू स्तर पर सौर उपकरणों के विनिर्माण से **2030** तक उपकरणों के आयात से संबंधित **42 बिलियन अमरीकी डॉलर** की बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा उपकरणों की सुरक्षित आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।
- **घरेलू मांग:** आगामी वर्षों में भारत में मांग में होने वाली अत्यधिक वृद्धि (योजनाबद्ध सौर ऊर्जा वृद्धि) की संभावना को देखते हुए, सौर उपकरणों (पैनल और सेल) हेतु घरेलू विनिर्माण आधार निर्मित करने और उन्हें चीन की तरह विकसित करने का यह उपयुक्त अवसर है।
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (2018) के अनुसार, भारत की वार्षिक सौर सेल विनिर्माण क्षमता लगभग **3 GW** है, जबकि **औसत वार्षिक मांग 20 GW** है।
- **विदेशी बाजार का विस्तार:** भारत **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। इससे सदस्यों के मध्य सौर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सहायता मिलेगी।
  - भारत इसे घरेलू सौर उपकरण उद्योग के लिए अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका जैसे कुछ छोटे और अदोहित बाजारों में भी प्रवेश पाने के अवसर के रुप में देखता है।

भारत में सौर उपकरण विनिर्माण से संबंधित समस्याएं

- **कम मूल्य वाले आयातों पर अतिनिर्भरता:** भारत द्वारा 2017-18 में सौर उपकरणों से संबंधित अपनी आवश्यकता के 92.11 प्रतिशत अंश को आयात के माध्यम से पूरा किया गया था।
  - चीन विश्व में सौर उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। 2017-18 में भारत के सौर सेल के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 89 प्रतिशत थी
- देश में पॉली-सिलिकॉन, इनगोट/वेफर एवं सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण श्रृंखला के अपस्ट्रीम चरण के लिए **विनिर्माण आधार का अभाव है,** जो कि एक अत्यधिक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। अधिकांश भारतीय कंपनियां केवल मॉड्यूल असेंबली या वेफर विनिर्माण में कार्यरत हैं।
- एकीकृत ढांचे, इकॉनमी ऑफ़ स्केल और आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी के कारण **उत्पादन की उच्च लागत।**
  - साथ ही, विदेशी विनिर्माताओं की तुलना में घरेलू विनिर्माताओं को अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है, जिससे उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है।
  - इसी प्रकार, विदेशी विनिर्माताओं की तुलना में देश में उत्पादित सौर उपकरणों की कीमत प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।
- **सरकार के प्रयासों के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ**
  - घरेलू सामग्री की आवश्यकताएँ (Domestic Content Requirement: DCRs) वाले प्रावधान के माध्यम से स्थानीय विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने का भारत का प्रयास तब विफल हो गया, जब विश्व व्यापार संगठन ने सरकार द्वारा आयातों पर निर्धारित स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकताओं को नकार दिया।
  - 2018 में, भारत ने आयातित सौर पैनलों पर एक **रक्षोपाय शुल्क (सेफ़गार्ड ड्यूटी)** आरोपित की थी।
    - इस शुल्क के आरोपण का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना था, लेकिन इसके कारण **प्रशुल्कों में वृद्धि हुई**, जिसके परिणामस्वरुप कई सौर नीलामियों को रद्द कर दिया गया।
    - लेकिन, भारतीय विनिर्माताओं के लिए, रक्षोपाय शुल्क के माध्यम से प्रदान की गयी सुरक्षा का प्रभाव शीघ्र ही निष्प्रभावी हो गया क्योंकि चीनी पैनल विनिर्माताओं द्वारा भी इन उपकरणों की कीमतों में कमी की गई।

VISION IAS

- **अन्य नियामकीय मुद्दे:** जैसे कि भूमि/विद्युत की उच्च लागत, क्षमता का कम उपयोग और कुशल श्रमबल की कमी। उपर्युक्त समस्याओं के साथ-साथ उद्योगों से भी उचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

सौर PV विनिर्माण योजना पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का संकल्पना पत्र (कांसेप्ट नोट)

- सौर PV उपकरणों, सेल, वेफर/इनगोट और पॉली-सिलिकॉन के विनिर्माण क्षमता के सृजन के माध्यम से भारत में एंड-टू-एंड सौर PV विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना।
- विदेशी विनिर्माताओं पर निर्भरता कम करने हेतु **मेक इन इंडिया अभियान** को सुदृढ़ करना।
- घरेलू विनिर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाना।
- देश में गुणवत्ता युक्त सौर PV उपकरणों का विनिर्माण सुनिश्चित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विचलन से घरेलू सौर ऊर्जा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना।
- कौशलयुक्त नौकरियों के सृजन करने और घरेलू प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए इस नीति का उपयोग करना।
- भारत को शुद्ध आयातक देश से शुद्ध निर्यातक देश में परिवर्तित करना और सौर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत की विनिर्माण नीति सौर विनिर्माण को **'रणनीतिक महत्व'** वाले उद्योग के रुप में मान्यता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन** का एक उद्देश्य "विशेष रुप से सौर तापीय ऊर्जा हेतु स्वदेशी उत्पादन और बाजार नेतृत्व के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना" है।
- भारत सरकार द्वारा **सौर पैनल विनिर्माण क्षेत्र** में **100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई** है। इस निवेश को स्वचालित मार्ग से अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को **'निर्माण-स्वामित्व-संचालन (Build-Own-Operate: BOT)'** आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **'संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना'** (M-SIPS) के अंतर्गत सौर उपकरण विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा 8,580 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए महंगे मेक-इन-इंडिया मॉड्यूल का उपयोग करके आगामी चार वर्षों के दौरान 12 GW के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना संभव हो सकेगा।

किए जा सकने वाले उपाए

- **सौर विनिर्माण रणनीति:** भारत को ऑटोमोटिव मिशन योजना (2006-2016) के अनुरुप एक सौर विनिर्माण रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि ऑटोमोटिव मिशन योजना के तहत भारत को विश्व में ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े विनिर्माताओं में से एक बनाने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। सुस्पष्ट उद्देश्यों सहित बेहतर नीतिगत ढांचे के माध्यम से भारत को सुदृढ़ PV विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- **बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खरीद पर ध्यान केंद्रित करना:** सरकार द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए निविदाएँ (bids) प्रस्तावित की जा सकती हैं। इनके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इनका विनिर्माण पूर्णतया भारत में ही किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि इससे विश्व व्यापार संगठन की किसी भी प्रतिबद्धता का उल्लंघन भी नहीं होगा।
- **समूह आधारित दृष्टिकोण:** वैश्विक स्तर पर, विनिर्माण समूहों को सुदृढ़ सरकारी सहायता के माध्यम से एकीकृत सौर औद्योगिक समूहों के रुप में योजनाबद्ध किया जा रहा है। एक अनुकूल परिवेश का सृजन करने हेतु एक एकीकृत मॉड्यूल विनिर्माण पर केंद्रित **SEZ** की योजना बनाई जा सकती है।
- **चीन से सीखी जा सकने वाली युक्तियाँ**
    - बड़े पैमाने पर सब्सिडी, निम्न ब्याज पर ऋण, अनुदानों तथा भूमि और उपादेयताओं तक आसान पहुँच के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से **'सोलर चैंपियंस'** का विकास करना।
    - **टेक्नोलॉजी टॉप रनर प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य **1.5 GW** की अगली पीढ़ी की **PV प्रौद्योगिकी** के लिए उच्च दक्षता वाले सौर उत्पादों को प्राप्त करना है। इस प्रकार के लक्ष्यों के माध्यम से चीन सोलर सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम बन पाया है।

3.9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(Micro, Small and Medium Enterprises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित **'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर विशेषज्ञ समिति'** की रिपोर्ट को जारी किया गया।

पृष्ठभूमि

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)** भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं। सरकार तथा RBI द्वारा समय-समय पर इस क्षेत्रक को सहयोग प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं।
- हालांकि, MSMEs क्षेत्रक को निरंतर विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथापि अभी भी इसकी पूर्ण क्षमताओं का दोहन करना शेष है। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा और नवाचार युक्त तेजी से वैश्वीकृत होते विश्व ने MSMEs के समक्ष और भी अधिक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं।
- इस पृष्ठभूमि में, RBI द्वारा इस क्षेत्रक की व्यापक समीक्षा करने, इसके पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करने तथा इसकी आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता के संबंध में दीर्घकालिक समाधानों का सुझाव देने हेतु इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

MSMEs का महत्व

- यह क्षेत्रक **विनिर्माण निर्गत** (आउटपुट) में 45%, **निर्यात** के क्षेत्र में 40% से अधिक तथा **GDP** में 28% से अधिक का योगदान देता है।
- MSMEs व्यवसाय को आरम्भ करने हेतु अल्प पूँजी की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्रक लगभग 111 मिलियन लोगों के लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराता है। यह कृषि क्षेत्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।

MSMEs की परिभाषा

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम (संयंत्र तथा मशीनों में निवेश)	सेवा उद्यम (उपकरणों में निवेश)
सूक्ष्म	25 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक
लघु	25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक	10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक
मध्यम	5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक	2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक

समिति की मुख्य अनुशंसाएं

- **विधायी ढाँचे की समीक्षा:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 को एक व्यापक और समग्र MSME कोड के रुप में पुनर्परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें विधायी ढांचे के अंतर्गत विद्यमान विविध जटिल कानूनों को समाप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **MSME की परिभाषा को परिवर्तित करना:** MSME की परिभाषा को वर्तमान की निवेश-आधारित परिभाषा से परिवर्तित कर टर्नओवर-आधारित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक पारदर्शी व प्रगतिशील है तथा इसे सरलता से क्रियान्वित किया जा सकता है। यह मौजूदा परिभाषा में विनिर्माण उद्यमों के प्रति विद्यमान पूर्वाग्रह को भी समाप्त करेगी।
- **खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना:** गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GEM) पोर्टल को बढ़ावा देकर इसकी भुगतान प्रणाली में सुधार करना।
- **विभिन्न एजेंसियों की भूमिका:**
  - लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित **राज्य वित्तीय निगम (SFC)** को राज्य विधानों द्वारा अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है।
  - प्रचार कार्य (promotional work) पर ध्यान केन्द्रित करने सहित **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** को निगमित किया जाना चाहिए।
- **MSME के लिए एग्जिट पॉलिसी:** इस क्षेत्रक में विशेषज्ञता का अभाव एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसे में MSME को दिवालियापन संहिता / प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से न्यायालयों से इतर (आउट-ऑफ-कोर्ट) सहायता प्रदान की जानी चाहिए (जैसे- मध्यस्थता, वित्तीय शिक्षा या न्यासियों के चयन जैसे मुद्दों के संबंध में)।
- **संकुलों (क्लस्टरों) का प्रदर्शन:** इनके प्रदर्शन में निम्नलिखित के माध्यम से सुधार किया जा सकता है:
  - कई सहायता योजनाओं के अंतर्गत सहक्रिया और समन्वय स्थापित कर।
  - प्रशिक्षण, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे अन्य हितधारकों के साथ संबंध विकसित करने में बिज़नस मेम्बरशिप ऑर्गेनाइजेशन (BMOs) जैसे स्थानीय मध्यस्थों को शामिल करके।
- **बाज़ार सहायता:** विकास सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को विकसित कर MSMEs के लिए बाज़ार सहायता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता और संसाधनों की कमी का सामना कर रहे MSMEs को आवश्यकता के अनुसार समाधान प्रदान कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित प्रयासों को समेकित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से MSMEs की प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और अधिक उद्योग विशिष्ट प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा सकती हैं।
- **MSMEs हेतु राष्ट्रीय परिषद:** सुसंगत नीतिगत दृष्टिकोण तथा निगरानी के संबंध में एकरुपता स्थापित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में MSME के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना।

VISION IAS

MSMEs द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दे

- विभिन्न कारकों के कारण MSMEs को **विलंबित भुगतान** की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उनके व्यवसाय संचालन के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है। अपने संभावित ग्राहकों की क्षति के भय से MSMEs इससे निपटने में स्वयं को असहाय पाते हैं।
- उत्पादन क्षमता के कम होने तथा आंतरिक क्षमताओं के अभाव के कारण, MSMEs को अपने उत्पादों की विक्रय करने हेतु **उचित बाजारों तक पहुंच स्थापित करने में कठिनाई** होती है। यह स्थिति उनके विकास और स्थिरता को प्रभावित करती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र** में MSMEs की व्यापक स्तर पर विद्यमानता, उन्हें अपने लिए उपलब्ध विभिन्न सहायता योजनाओं का उपयोग करने से वंचित करती है।
- जल, विद्युत आपूर्ति, सड़क एवं रेल और टेलीफोन कनेक्टिविटी जैसी **आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी।**
- संकुलों (क्लस्टर्स) की संख्या अत्यधिक है, परन्तु संकुलों की विकास गतिविधियों के संचालन हेतु **संसाधनों की उपलब्धता** सीमित है।
- **अनुसंधान संस्थानों** (प्रौद्योगिकी के आपूर्तिकर्ता) तथा **MSMEs की व्यवसाय आवश्यकताओं** (प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता) के मध्य विशाल अंतराल विद्यमान है।
- वर्तमान में, MSMEs को उद्योग आधार पोर्टल, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) जैसी विभिन्न इकाइयों में **बहुविध पंजीकरण** कराने की आवश्यकता होती है। यह पंजीकरण प्रक्रिया को कठिन बना देता है तथा प्रयासों का दोहराव भी होता है।

MSMEs को वित्तपोषण के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने हेतु अनुशंसाएँ

- MSMEs के मूल्यांकन हेतु बैंको को अपने पारंपरिक तरीकों का त्याग करना चाहिए। बैंकों को MSMEs के अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए ऋण प्रदान करना चाहिए।
- विलंबित भुगतानों की समस्या के समाधान हेतु एक द्वितीय **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)** विंडों की स्थापना की जा सकती है।
- विभिन्न एजेंसियों द्वारा निवेश की क्राउड सोर्सिंग को प्रोत्साहित करने हेतु एक गैर-लाभकारी **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)** की स्थापना की जानी चाहिए।
- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** को अवसंरचना तथा क्लस्टर विकास के लिए राज्य सरकारों को सॉफ्ट लोन प्रदान करने हेतु **प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल (PSS) निधि** का उपयोग करना चाहिए। **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** तथा **सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (MFIs)** जैसी निजी ऋणदाताओं के साथ मिल कर असेवित जिलों और क्षेत्रों में भी MSMEs के लिए क्रेडिट बाज़ारों की पहुँच को बढ़ावा देना चाहिए।

आगे की राह

MSMEs क्षेत्रक का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए कई प्रकार से अहम है। उपर्युक्त अनुशंसाओं के उचित कार्यान्वयन के अतिरिक्त, इटली की **सहयोग आधारित प्रतिस्पर्धा** अवधारणा, मेक्सिको की **कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंसिंग** तथा चीन में एक प्रौद्योगिकी हब के रुप में **शेनज़ेन** की सफलता जैसी सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से भी सीख प्राप्त की जा सकती है।

3.10. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र

(National Investment And Manufacturing Zones: NIMZ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा तीन **राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (NIMZs)** यथा प्रकाशम (आंध्र प्रदेश), संगारेड्डी (तेलंगाना) तथा कलिंगनगर (ओडिशा) की स्थापना करने हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने वर्ष 2011 में **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP)** की अधिसूचना ज़ारी की थी। इसका उद्देश्य GDP में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना तथा वर्ष 2022 तक **100 मिलियन रोज़गारों** का सृजन करना है। NIMZs इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधनों में से एक है।

VISION IAS

- अब तक, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक रुप से **16 NIMZs** (DMIC क्षेत्र के बाहर) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) परियोजना से संलग्न आठ निवेश क्षेत्रों (Investment Regions) को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (NIMZ) से संबंधित अन्य तथ्य

- NIMZ को एक ऐसे **समेकित औद्योगिक टाउनशिप** के रुप में परिकल्पित किया गया है, जहाँ विश्व-स्तरीय विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना, क्षेत्र आधारित भूमि उपयोग, स्वच्छ तथा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, आवश्यक सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास संबंधी सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध हों।
- NIMZ के लिए प्रस्तावित कुल भू-क्षेत्र के कम से कम **30%** हिस्से को विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
- इन क्षेत्रों के लिए भूमि ऐसी होगी जो **बंजर** हो तथा जिसका कृषि के लिए कोई उपयोग न हो, किसी पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्र के आस-पास अवस्थित न हो तथा यहाँ आधारभूत संसाधनों तक सहज पहुँच सुलभ हो।
- अंतिम अनुमति प्राप्त हो जाने पर, राज्य सरकार द्वारा NIMZ को संविधान के **अनुच्छेद 243Q(1)(C)** के तहत औद्योगिक टाउनशिप घोषित कर दिया जाएगा।
- **केंद्र सरकार द्वारा NIMZ को बाहरी भौतिक अवसंरचना,** यथा- रेल, सड़क, पत्तन, विमानपत्तन तथा दूरसंचार से संपर्क उपलब्ध करवाया जायेगा। ऐसा एक निश्चित समयावधि के भीतर किया जाएगा तथा जहाँ आवश्यक हो व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वायबिलिटी गैप फंडिंग: VGF) भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस नीति में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए **राज्य सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल पर्पज व्हीकल: SPV) का निर्माण किया जायेगा।**
- SPV, इस क्षेत्र के विकास हेतु एक रणनीति तैयार करेगी तथा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्व-नियमन हेतु एक कार्य-योजना का भी निर्माण करेगी।
- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (पूर्ववर्ती DIPP) NIMZ के लिए एक नोडल एजेंसी है।**

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के बारे में

- यह नीति राज्यों की साझेदारी में औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है।
    - केंद्र सरकार एक समर्थकारी नीति ढाँचे का निर्माण करेगी, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर उपयुक्त वित्त पोषण साधनों के माध्यम से अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा राज्य सरकारों को नीति के अंतर्गत प्रदत्त साधनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- यह देश के भीतर अधिक विनिर्माण क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों के निर्माण को प्रेरित करने हेतु निर्मित वस्तुओं के लिए देश के विस्तार बाजार का लाभ उठाते हुए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
- यह देश के भीतर नीतियों तथा कार्यक्रमों की डिज़ाइन तथा उनके कार्यान्वयन हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रुप में उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सम्मिलित करती है।
- यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रक्रियात्मक तथा विनियामक औपचारिकताओं के कारण उद्योग जगत पर आने वाले अनुपालन संबंधी भार को व्यवसाय के विनियमों को युक्तिसंगत बनाकर न्यूनतम किया जा सके।
- यह उत्पादकता, गुणवत्ता तथा उद्यमों के विकास में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।

NIMZ एवं SEZ के मध्य अंतर

NIMZ	SEZ	
स्थापना	**राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के तहत**	**SEZ अधिनियम, 2005 के तहत**
न्यूनतम क्षेत्र	5000 हेक्टेयर	10-1000 हेक्टेयर (क्षेत्र पर निर्भर करता है)
अधिकतम क्षेत्र	निश्चित नहीं	5000 हेक्टेयर
आयकर छूट	लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु	प्रथम पांच वर्षों हेतु 100% तथा अगले पांच वर्षों हेतु 50%
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन	राज्य सरकार द्वारा	परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा

3.11. चक्रीय अर्थव्यवस्था

(Circular Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019** में, NITI आयोग के CEO ने कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में अगले 5-7 वर्षों में 1.4 करोड़ नौकरियां सृजित करने की क्षमता है।

चक्रीय (वर्तुल) अर्थव्यवस्था क्या है?

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था** उत्पादन और उपभोग का वह मॉडल है जिसमें यथासंभव समय तक वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना, पट्टे पर देना, पुन: उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना सम्मिलित होता है। इस प्रकार, उत्पादों के जीवन चक्र को बढ़ाया जाता है।
- इसके अंतर्गत पारंपरिक, **रैखिक आर्थिक मॉडल** का त्याग किया जाता है, जो एक **टेक-मेक-कंज्यूम-थ्रो अवे (take-make-consume-throw away) पैटर्न** पर आधारित है। यह अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से सस्ती, आसानी से सुलभ सामग्रियों एवं ऊर्जा पर निर्भर होती है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत

- निम्नलिखित **'5R' सिद्धांतों का उद्देश्य** किसी भी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में **चक्रीयता (circularity) प्राप्त करना है:**
  - **कम करना (Reduce):** पुनर्योजी और पुनर्स्थापनात्मक संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देकर संसाधन दक्षता प्राप्त करने पर बल देना।
  - **पुन:उपयोग (Reuse):** इसमें दो पहलू सम्मिलित हैं - पहला, जहाँ भी संभव हो उत्पाद के उपयोगी भागों/घटकों का पुन: उपयोग करना और दूसरा, साझाकरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद के सेवा के रूप में (product-as-a-service) उपयोग को अत्यधिक बढ़ावा देना है।
  - **पुनर्चक्रण (Recycle):** गहन पुनर्चक्रण के माध्यम से द्वितीयक संसाधन के स्रोत के रूप में परित्यक्त सामग्री का उपयोग करने के लिए क्लोज्ड लूप सिस्टम का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **पुनर्विनिर्माण (Re-manufacture):** बहु-क्षेत्रकीय उद्योग के कर्ताओं के बीच सहयोग और सहभागिता के माध्यम से अपशिष्टों का उपयोग करके नए उत्पादों का निर्माण करना।
  - **मरम्मत/नवीनीकरण (Repair/refurbish):** इसका उद्देश्य एक ऐसे उत्पाद की अवधि को संरक्षित और विस्तारित करना है जो पहले से ही भविष्य के लिए डिजाइन करके बनाया गया है।

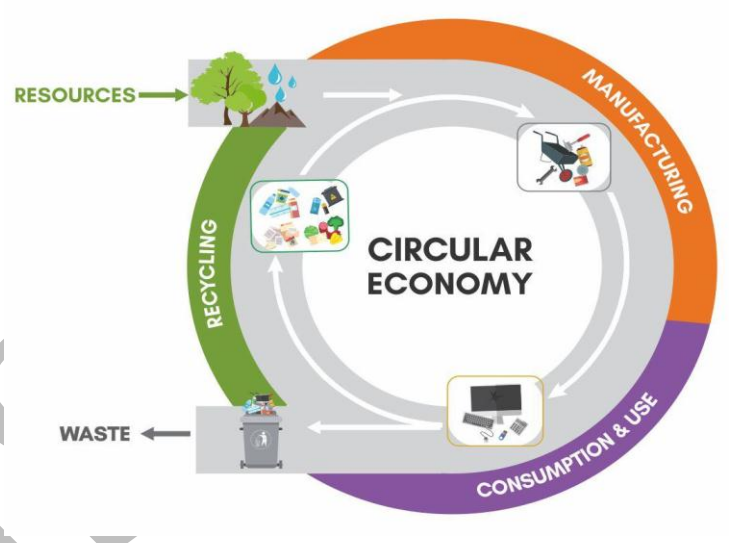

चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता

- **उपभोक्तावाद में वृद्धि: बढ़ती घरेलू आय के साथ युग्मित मजबूत आर्थिक वृद्धि** के परिणामस्वरूप उपभोक्ता व्यय में बढ़ोतरी हुई है। 2025 तक इसके 4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। उपभोक्तावाद में वृद्धि ने बढ़ती हुई व्यय शक्ति और बड़े पैमाने पर किफायती उत्पादन (economies of scale) के कारण परिसंपत्तियों के निरंतर प्रतिस्थापन को उत्पन्न किया है।
- **संसाधनों की भारी मांग:** शहरीकरण के कारण घरेलू संसाधनों के निष्कर्षण में वृद्धि से भूमि, वन, वायु और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। **अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की वर्तमान दर पर भारत की संसाधन आवश्यकता 2030 तक लगभग 15 बिलियन टन होने का अनुमान है।** इसलिए, **आर्थिक वृद्धि को संसाधनों से पृथक करने** की तत्काल आवश्यकता है। इसे चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया जा सकता है।
- **आयात निर्भरता:** दुर्लभ मृदा खनिजों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के **संकुचित होते भंडार, तकनीकी बाधाओं आदि** के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत की निर्भरता।
- **अपशिष्ट का सृजन:** पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप संसाधन निष्कर्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक, उक्त उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमाने पर अपशिष्टों का सृजन होता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ

- **ग्रीनहाउस गैस का अपेक्षाकृत निम्न उत्सर्जन:** ग्रीनहाउस गैसें के उत्सर्जन में कमी करने के संदर्भ में चक्रीय अर्थव्यवस्था सहायक हो सकती है क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है, जो जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम प्रदूषणकारी होती है।
    - चक्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर अग्रसर होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वर्तमान स्तर के सापेक्ष 2030 तक आधा हो सकता है।
- **अपेक्षाकृत कम नकारात्मक बाह्यताएं -** चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का पालन करने से भूमि उपयोग, मृदा, जल और वायु प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाह्यताओं और साथ ही विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है।
- **आर्थिक संवृद्धि की संभाव्यता में वृद्धि:** उत्पादों और सामग्रियों को अधिक कार्यात्मक बनाकर और आसानी से वियोजित और पुन: उपयोग करके सस्ते उत्पादन के साथ नई चक्रीय गतिविधियों से हुई राजस्व वृद्धि GDP में भी वृद्धि करने में सक्षम है।
- **रोजगार वृद्धि -** विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल का विकास प्रवेश-स्तर (entry-level) पर अपेक्षाकृत अधिक स्थानीय रोजगारों और अर्ध-कुशल नौकरियों का सृजन कर सकता है। निम्नलिखित के माध्यम से नई नौकरियों का सृजन होगा:
    - पुनर्चक्रण और मरम्मत के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि,
    - नवाचार प्रक्रियाओं और नवीन व्यापार मॉडल के कारण नए व्यवसायों में वृद्धि,
- **अस्थिरता में कमी और सुरक्षित आपूर्ति:** अधिक पुनर्चक्रित आगतों का उपयोग किया जायेगा, जिससे कंपनियों को कच्चे माल की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिल सकेगी।

आगे की राह

- देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक **कानून की आवश्यकता** है। कई देशों ने **संधारणीय विकास** के लिए नए प्रतिमान के रूप में चक्रीयता की केंद्रीयता को मान्यता प्रदान की है।
- **विनिर्माण चरण में "शून्य दोष, शून्य प्रभाव" (Zero Effect, Zero Defect: ZED)** जैसी नीतियों, उपभोग चरण में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना और निपटान चरण में विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को यदि उचित रूप से प्रयुक्त किया जाए, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ताने-बाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने हेतु आदर्श नीति हो सकते हैं।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में रूपान्तरण सुनिश्चित करना नियामकों, नीति निर्माताओं, कंपनियों सहित **मुख्य हितधारकों के बीच व्यापक सहकार्यता** प्रयासों की मांग करता है। साथ ही वित्तीय संस्थानों को भी चक्रीय व्यापार मॉडल अपनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- **ग्रीन बॉण्ड, म्युनिसिपल बॉण्ड, SDG-अलाइन्ड बॉण्ड जैसे** अभिनव वित्तपोषण साधनों के माध्यम से इन नए अवसरों को साकार करने के लिए **पर्याप्त वित्तपोषण** की आवश्यकता होगी।

चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के कार्यान्वयन में बाधाएं

- **आर्थिक बाधाएं:**
    - **सामाजिक और पर्यावरणीय बाह्यताओं** का कीमत निर्धारण के समय ध्यान नहीं रखा जाता है;
    - कच्चे माल की कीमतें अस्थिर होती हैं और कम कीमतों पर वैकल्पिक, बेहतर गुणवत्तायुक्त द्वितीयक संसाधन प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं;
    - इन मॉडलों को **विकसित करना कठिन** होता है, क्योंकि अधिकांश निवेशक अभी भी अर्थव्यवस्था के रैखिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं।
    - तकनीकी या ICT ज्ञान रखने वाले **योग्य पेशेवरों** की कमी।
- **संस्थागत बाधाएं:**
    - अनेक कंपनियों के लक्ष्य अभी भी **अल्पकालिक मूल्य सृजन पर केंद्रित** हैं, जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल दीर्घकालिक मूल्य सृजन का मॉडल है।
    - **GDP सूचकांक में सामाजिक और पर्यावरणीय बाह्यताओं पर विचार नहीं किया जाता है**, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में मूल्य सृजन हतोत्साहित होता है।

3.12. स्मार्ट सिटी मिशन

(Smart Cities Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या में पिछले एक वर्ष में **182% की वृद्धि देखी गयी** है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने नागरिकों के रहन-सहन को सुगम बनाने तथा शहरों को निर्णय लेने और समस्या सुलझाने में सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए वर्ष 2015 में **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)** का शुभारंभ किया था।

- हालांकि **स्मार्ट सिटी** की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से इसे समग्र अवसंरचना, संधारणीय अचल संपत्ति, संचार और बाजार व्यवहार्यता की दृष्टि से अत्यधिक उन्नत शहरी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- इसका फोकस संधारणीय एवं समावेशी विकास और ऐसे उदाहरण स्थापित करने पर है जिन्हें स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर कार्यान्वित किया जा सकता हो। इस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों और भागों में एक जैसे स्मार्ट शहरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन की रणनीति

- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्षेत्र-आधारित विकास के रणनीतिक घटक निम्नलिखित हैं: नगर सुधार (पुन:संयोजन), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (ग्रीनफ़ील्ड विकास)। इसमें सम्पूर्ण नगर में विस्तारित पहल भी शामिल होता है जिसमें शहर के एक बड़े भाग को सम्मिलित करते हुए स्मार्ट समाधानों को कार्यान्वित किया जाता है।
- शहरी स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए सृजित **विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल पर्पज व्हीकल: SPV)** द्वारा किया जाएगा।
- इसे **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** के रूप में परिचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार ने मिशन हेतु पांच वर्षों के दौरान 48,000 करोड़ रुपये अर्थात् प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मैचिंग के आधार पर, राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा भी इतनी ही राशि का योगदान दिया जाएगा।
- प्रत्येक स्मार्ट सिटी में एक **स्मार्ट सिटी सेंटर (SCC)** (अर्थात् एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र) होगा। SCC, शहर के तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीकृत निगरानी और निर्णयन को संभव बनाने के लिए शहर के सामाजिक, भौतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के साथ डिजिटल तकनीकों को एकीकृत किया जाता है।
- **SCC संरचना** में, प्रारंभिक सिरे (कूड़ेदानों, वाहनों, सड़कों, खंभों आदि) पर अवस्थित सेंसर, GPS उपकरण और कैमरे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरण, संचार नेटवर्क के माध्यम से डेटा संग्रहित करते हैं तथा उसे एक केंद्रीय सुविधा (central facility) केंद्र तक पहुंचाते हैं। तत्पश्चात एप्लिकेशनों द्वारा प्राप्त डेटा और सूचनाओं की प्रॉसेसिंग करके उन्हें इनसाइट्स में परिवर्तित किया जाता है, जो आगे एक निर्णय सहायता प्रणाली को सुगम बनाती है।

मिशन की उपलब्धियां

- **परियोजनाओं का पूर्ण होना-** विगत एक वर्ष में पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में 182% की वृद्धि देखी गयी है। पूर्ण हुई परियोजनाएं जून 2018 में 318 से बढ़कर जून 2019 में 897 हो गई हैं।
- **स्मार्ट सिटी केंद्रों (SCC) की स्थापना-** अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर जैसे 10 शहरों में पहले ही इन्हें स्थापित किया जा चुका है। इसकी सफलता के विभिन्न उदाहरण सामने आए हैं (बॉक्स देखें)।
- **शहरी परिदृश्य में सुधार-** SCC के प्रभाव को विशेष रूप से सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि, सुरक्षा और लचीलापन (रिज़ीलिअन्स), शहर के परिचालन में समावेशिता, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन और पर्यावरणीय संधारणीयता जैसे **पांच क्षेत्रों** में अनुभव किया जा रहा है।
- **स्टार्ट अप उद्योग को बढ़ावा -** इसने शहरी निवासियों की उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित किया है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है।

मिशन में चुनौतियां

- **अपर्याप्त निजी भागीदारी-** प्रारंभ में स्मार्ट सिटी मिशन में निजी भागीदारी के माध्यम से कुल मिशन लागत का **21%** वित्तपोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक, क्रियान्वयन के अधीन कुल योजनाओं में केवल **15%** परियोजनाएं ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (**PPP**) पद्धति के अंतर्गत हैं।
- **वित्त पोषण के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं-** हालांकि शीर्ष **60** शहरों ने अपनी सभी परियोजनाओं की सूचना दी है और अधिकांश परियोजनाओं (**94%**) की लागत परियोजना प्रस्तावों में ही प्रस्तुत की गई है, परन्तु केवल **17** शहर ही प्रत्येक परियोजना के स्तर पर वित्त के स्रोतों की पहचान कर पाए हैं।
- **बढ़ती असमानता-** यह मिशन **क्षेत्र आधारित विकास** (**ABD**) मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें यह अप्रत्यक्ष रूप से शहरों को **उनका अधिकांश वित्तपोषण शहर के एक छोटे भाग पर केंद्रित करने** के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह पाया गया है कि **99** शहरों की **ABD** परियोजनाओं के तहत कुल क्षेत्रफल का केवल **7%** और कुल बजट का **80%** ही कवर किया गया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण शहर के भीतर और शहरों के मध्य असमानता उत्पन्न करता है।
- **स्मार्ट सिटी के सीमित क्षेत्रों पर बढ़ता ध्यान:** जैसे 5 विकास श्रेणियों- परिवहन, ऊर्जा और पारिस्थितिकी, जल और स्वच्छता, आवास तथा अर्थव्यवस्था की SCM बजट में लगभग 80% हिस्सेदारी है। IT, शासन, संस्कृति एवं धरोहर तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी अन्य श्रेणियों की वित्तपोषण में केवल 15% हिस्सेदारी है।

VISION IAS

- **सत्ता का पुनर्केंद्रीकरण -** शहरों में **विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs)** की भूमिका में वृद्धि हुई है, जिसने शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का अतिक्रमण किया है। साथ ही, **SPV** और नगरपालिका के मध्य संबंधों और पदानुक्रम के संबंध में भी स्पष्टता का अभाव है।

आगे की राह

- **SCC** के प्रभाव से अधिक से अधिक सेवाओं के एकीकरण से सुधार आएगा। मिशन का उद्देश्य शहर की अन्य परियोजनाओं के साथ अभिसरण और विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य सूचनाओं का बेहतर साझाकरण होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए शासनात्मक ढांचे, नीतिगत प्रोटोकॉल, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं और नागरिक-सरकार संलग्नता की प्रकृति के विकास सहित सक्षमकारी परिवेश को विकसित किया जाना चाहिए।

स्मार्ट सिटी मिशन में सफलता के उदाहरण

- **राजकोट-** विगत दो तिमाहियों के दौरान अपराध दर में **18%** की कमी आई है और यातायात चालान निर्गमन में सुधार हुआ है। यह व्यवहार संबंधी परिवर्तन दर्शाता है। **CCTV** कैमरे के माध्यम से साफ-सफाई के कार्यों की निगरानी के कारण गंदगी फैलाने, सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रविसर्जन करने और रात्रि के समय कचरा जलाने की घटनाओं में कमी हुई है।
- **पुणे-** शहर के चारों ओर प्रमुख बिंदुओं पर **SCC** को डेटा उपलब्ध कराने वाले बाढ़ संवेदक लगाए गए हैं, जो समय पर चेतावनी और अनुक्रिया तंत्र को सक्षम बनाते हैं। निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए **120** स्थानों पर इमर्जेंसी कॉलबॉक्स स्थापित किए गए हैं जिनका केवल बटन दबाना होता है।
- **अहमदाबाद-** BRTS गलियारों पर निःशुल्क वाई-फाई लगाने से फरवरी **2018** की तुलना में मार्च **2018** में यात्रियों की संख्या में **20,000** तक की वृद्धि हुई है ।
- **भोपाल** में संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि देखी गई है। साथ ही यह अपनी परिवहन सेवाओं पर ऑनलाइन निगरानी रखने में भी सक्षम है।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद का सीमा पारीय लिंकेज

(Cross-Border Linkages in Northeast Insurgency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत और म्यांमार** की सेनाओं द्वारा अपने संबंधित सीमा क्षेत्रों में **ऑपरेशन सनराइज 2** नामक एक समन्वित ऑपरेशन का संचालन किया गया। इसमें **मणिपुर, नागालैंड और असम** में सक्रिय कई उग्रवादी समूहों को लक्षित किया गया।

ऑपरेशन सनराइज 2 के बारे में

- उग्रवादी संगठनों के शिविरों को नष्ट करने हेतु दोनों राष्ट्रों की सेनाओं ने समन्वयित प्रयास किए। इन संगठनों में **कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (I), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड** आदि शामिल थे।
- फरवरी 2019 में भारत-म्यांमार सीमा पर "ऑपरेशन सनराइज" के प्रथम चरण को संचालित किया गया था। इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित उग्रवादी समूहों के कई शिविरों को नष्ट किया गया था।

पृष्ठभूमि

- पूर्वोत्तर भारत का लगभग 90% भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न है, जिसने आतंकी संगठनों को भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और यहां तक कि चीन एवं नेपाल में भी अपने शिविर स्थापित करने हेतु सुगमता प्रदान की है।
- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात् से ही उग्रवादी समूहों ने अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज विकसित करना प्रारंभ कर दिया था।
- भारत की म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगभग 5,800 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा **असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** राज्यों में विस्तृत है। इन सभी राज्यों ने सीमा पारीय आतंकवाद एवं अलगाववाद की चुनौतियों का सामना किया है। ये राज्य अभी भी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं।

सीमा पारीय उग्रवाद के कारण

- **सुरक्षित आश्रय स्थल:** भारतीय उग्रवादी समूहों को सीमा पार से मिलने वाला आश्रय और सहायता सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जो उग्रवादियों को उनकी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने में सहायता करता है।
- **आर्थिक सहायता:** गोल्डन ट्राएंगल (इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं) ने उग्रवादी समूहों को स्वयं को बनाए रखने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की है।
- **हथियारों की उपलब्धता:** बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में छोटे हथियारों की सुगम उपलब्धता इस क्षेत्र में उग्रवाद के निरंतर बने रहने के पीछे एक और कारक रहा है।
- **नृजातीय संबंध:** इस क्षेत्र के कई नृजातीय समूह, विशेष रूप से वे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संलग्न क्षेत्रों में निवासित हैं, अपने देश के नागरिकों की तुलना में सीमा पार रहने वाली जनसंख्या के साथ अधिक जुड़े हुए हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा संबंधी मुद्दे**
  - **सीमावर्ती क्षेत्र का भू-भाग:** उत्तर पूर्व में विभिन्न देशों के सीमावर्ती भाग दुर्गम क्षेत्र वाले हैं, जो परिवहन और संचार साधनों के विकास को कठिन बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्र निम्न आर्थिक विकास के साथ अत्यंत विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बना हुआ है।
    - **ऊंचे पर्वत, गहरी नदी धाराएँ** व हरे-भरे वन, म्यांमार के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेषताएं हैं।
    - **असम-भूटान सीमा के साथ दुर्गम वन क्षेत्र** उग्रवादी समूहों के लिए अस्थायी अड्डों और सुरक्षित स्थलों के रूप में कार्य करते हैं।
    - **बांग्लादेश में नदी सीमाएं,** नदी के प्रवाह मार्ग में होने वाले परिवर्तन के साथ-साथ आवधिक रूप से परिवर्तित होती रहती हैं। इससे नव सृजित क्षेत्रों के स्वामित्व को लेकर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से सम्बंधित अनेक विवादों को बढ़ावा मिलता है।
  - **सीमा संबंधी मुद्दा:** हालांकि सीमा समझौते का अनुसरण करते हुए मार्च 1967 में भारत और म्यांमार जैसे देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का औपचारिक रूप से निर्धारण एवं सीमांकन किया गया था, किन्तु ज़मीनी स्तर पर दो संप्रभु देशों को अलग करने वाली एक निश्चित सीमा को स्थापित नहीं किया जा सका है।

VISION IAS

- **फ्री मूवमेंट रिजीम:** भारत-म्यांमार सीमा पर एक विशिष्ट व्यवस्था विद्यमान है, जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) कहा जाता है। FMR के तहत यहाँ सीमा से संलग्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों को वीज़ा प्रतिबंधों के बिना सीमा के दोनों तरफ 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

आगे की राह

- **लोगों को संवेदनशील बनाना:** सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले समुदायों को निरंतर चलने वाले सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
  - दक्षिण एशियाई देशों के लिए जॉब परमिट और वर्क वीजा के प्रावधान सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन एवं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट (परस्पर लोगों के मध्य संपर्क) में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का बेहतर प्रबंधन तब होता है जब पड़ोसी देश एक दूसरे की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक पहलों को क्रियान्वयित करने हेतु इस तरह की सहयोगात्मक पहलों को सावधानीपूर्वक विकसित करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय संगठनों का सुदृढ़ीकरण:** साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ़ रिजनल कोऑपरेशन (SAARC), बे ऑफ़ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC), बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार (BCIM) जैसे क्षेत्रीय समूह, इन देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इससे पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने में सहयोग मिलेगी तथा सामान्य जन लाभान्वित होंगे।
- **स्मार्ट बॉर्डर के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन:** यह चेकपॉइंट्स पर अवसंरचना और अन्य सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया के माध्यम से नियमित गतिशीलता बनाए रखते हुए लोगों एवं वस्तुओं के त्वरित, सुगम तथा वैध प्रवाह को सुनिश्चित करता है।
- **संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास:** चीन के साथ **"हैंड इन हैंड",** भारत और बांग्लादेश के मध्य **"ऑपरेशन सम्प्रीति"** जैसे सैन्य अभ्यास आतंकवाद से निपटने में सहायता कर सकते हैं।
  - भूटान का **ऑपरेशन ऑल क्लियर,** भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों में असम के अलगाववादी उग्रवादी समूहों के विरुद्ध संचालित किया गया एक ऐतिहासिक ऑपरेशन था। इस प्रकार के संयुक्त अभियान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता कर सकते हैं।

4.2. सामरिक भागीदारी नीति

(Strategic Partnership Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा अंगीकृत नवीन **"सामरिक भागीदारी नीति"** के तहत रक्षा अवसंरचना का अधिग्रहण आरंभ किया गया है।

इस मॉडल के तहत प्रस्तावित परियोजनाएं

- 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकाप्टर (NUH); और
- 6 P-75 (I) पनडुब्बियां।

सामरिक भागीदारी मॉडल का महत्व

- यह आयात पर निर्भरता में कमी लाने हेतु स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान कर तथा रक्षा क्षेत्रक को मेक इन इंडिया पहल के साथ संबद्ध कर **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।**
- प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता बढ़ाने के साथ ही तकनीक के तीव्र और बेहतर समावेशन की सुविधा में सहायता प्रदान करेगा।
- **एक स्तरीय औद्योगिक परिवेश के सृजन,** व्यापक कौशल आधार का विकास सुनिश्चित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को सक्षम बनाएगा।
- यह भारतीय निजी क्षेत्रक और रक्षा मंत्रालय के मध्य **लंबे समय से विद्यमान विश्वास अंतराल** को समाप्त कर सकता है।
- यह **खरीद प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाएगा** क्योंकि विदेशी प्रतिभागियों पर निर्भरता के कारण खरीद में विलम्ब होता है और कई बार उनके द्वारा घटिया गुणवत्ता प्रदान की जाती है। साथ ही स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने के संबंध में भी समस्याएं आती हैं।

सामरिक भागीदारी नीति के बारे में

- इसका लक्ष्य रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- 2017 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसे **'रिवाइटलाइजिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप'** शीर्षक से रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) - 2016 में सम्मिलित किया गया था।
- इस मॉडल की अवधारणा का सुझाव सर्वप्रथम **धीरेंद्र सिंह समिति** द्वारा दिया गया था।
- भागीदारी मॉडल व्यापक रूप में भारतीय निजी कंपनियों और विदेशी **ओरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स (OEMs)** के दो अलग-अलग समूहों का निर्माण करने से संबद्ध है।
- इस नीति का उद्देश्य स्वदेशी निजी क्षेत्र की कंपनियों और रक्षा क्षेत्र की प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मध्य संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देना है।

- कुछ भारतीय निजी कंपनियों को **सामरिक भागीदारों (SPs)** के रूप में नामित किया जाएगा। इनके द्वारा प्रणाली को एकीकृत करने वाले की भूमिका का निर्वहन करने के साथ-साथ एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा इन्हें 'बॉय एंड मेक' और गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए सहयोजित (को-ऑप्ट) किया जाएगा।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित **SPs,** विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) के साथ भारत में आयुध प्लेटफॉर्म के निर्माण हेतु चार क्षेत्रों, यथा- **लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और हथियारों से सुसज्जित लड़ाकू वाहन या मुख्य युद्धक टैंक** के लिए टाई-अप (समझौता) करेंगे।
- सरकार का लक्ष्य 2025 तक सैन्य वस्तुओं एवं सेवाओं में 1,70,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त करना है।

4.3. काले धन पर रिपोर्ट

(Report on Black Money)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्तीय मामलों संबंधी स्थायी समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसका शीर्षक **'स्टेटस ऑफ अनएकाउंटेड इनकम/वेल्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री - ए क्रिटिकल एनालिसिस'** था।

पृष्ठभूमि

- हालांकि, बेहिसाबी (अनएकाउंटेड) आय या काले धन की कोई एक समान परिभाषा नहीं है, किन्तु सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह उन आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय होती है जो सरकारी विनियमनों और कराधान से छलपूर्वक या किसी अन्य प्रकार से बचकर अर्जित की गई होती है।
- सभी अवैध आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ इसमें उन वैध आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है जिनमें कर अपवंचन किया गया हो।
- बेहिसाबी आय के अस्तित्व, आकलन, कारणों एवं इससे निपटने हेतु आवश्यक प्रयासों के संबंध में व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श होता रहा है।
- स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक काले धन का संचरण हो रहा है उनमें रियल एस्टेट, खनन क्षेत्र, फार्मास्युटिकल्स उद्योग, पान मसाला, गुटखा एवं तंबाकू उद्योग, सर्राफा एवं जिंस बाज़ार, फिल्म उद्योग, शैक्षणिक संस्थान तथा पेशेवर संस्थान शामिल हैं।
- समिति द्वारा इस प्रारंभिक रिपोर्ट को इसलिए प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि काले धन से संबंधित सभी पहलुओं और हितधारकों की जांच किया जाना अभी शेष है।

काले धन का आकलन करना क्यों कठिन है?

- जैसा कि रिपोर्ट में यह उल्लिखित है, कि काले धन की उत्पत्ति या संचय के बारे में न तो कोई विश्वसनीय आकलन किया गया है और न ही इस प्रकार के आकलन हेतु कोई सटीक एवं पूर्णतया स्वीकृत पद्धति उपलब्ध है।
- स्थायी समिति के आकलन के अनुसार, संपूर्ण प्रणाली के अंदर **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 7% से 120%** के मध्य काला धन विद्यमान है। यह काले धन के आकलन की विधियों में विद्यमान व्यापक भिन्नता को रेखांकित करता है।

बेहिसाबी/काले धन के आकलन की आवश्यकता

- अर्थव्यवस्था में बेहिसाब धन या काले धन की बढ़ती प्रवृतियां, देश के संभावित राजस्व आकार में कमी कर देती हैं। इसका परिणाम बजट घाटे या कर दरों में वृद्धि के दुष्चक्र एवं आभासी अर्थव्यवस्था (शैडो इकोनॉमी) में वृद्धि के रुप में हो सकता है। यह सामान्य रुप से **सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित** कर सकता है।
- प्रभावी मौद्रिक नीति, श्रम नीति और राजकोषीय नीति को तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख आँकड़ों, जैसे - उत्पादन, कीमत-स्तर एवं बेरोजगारी के स्तर का सटीक आकलन करना महत्वपूर्ण होता है। अतः, बेहिसाबी आर्थिक गतिविधियों के आकलन के माध्यम से आधिकारिक राष्ट्रीय लेखाओं के आंकड़ों को पूरकता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- कुछ बेहिसाबी आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे - स्वापक द्रव्यों एवं हथियारों का अवैध व्यापार, न केवल अर्थव्यवस्था के लिए ही हानिकर हैं बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक होता हैं।

बेहिसाबी/काले धन की समस्या से निपटने हेतु उठाए गए कदम

विधायी तंत्र

- विभिन्न केंद्रीय और राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम को लागू करना;
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 का अधिनियमन;
- "बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988" में व्यापक संशोधन;
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018;

- कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी बेहिसाबी आय को नकली लेन-देनों का सहारा लेकर छूट प्राप्त दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के रुप में घोषित कर दिया जाता है। छूट के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 10 (38) में संशोधन किया गया है; तथा
- शेल कंपनियों (जो भारत से बाहर निगमित एवं भारत से नियंत्रित होती हैं) के निर्माण को रोकने के क्रम में किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र के तहत निगमित कंपनी की स्थापना के वास्तविक स्थान के निर्धारण हेतु वित्त अधिनियम, 2016 में **'प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट' (POEM)** की अवधारणा को शामिल किया गया है।

प्रशासनिक तंत्र और प्रणाली में सुधार

- अधिक-से-अधिक लेन-देनों की निगरानी हेतु TDS (स्रोत पर कर की कटौती) प्रावधानों के दायरे का विस्तार करना।
- आक्रामक कर नियोजन (जिसमें जटिल संरचनाओं का उपयोग किया जाता है) से निपटने हेतु सामान्य कर अपवंचन-रोधी नियम (GAAR) को लागू किया गया है।
    - नकद लेन-देन को कम करने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी तंत्र

- कर संधियों के तहत सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भारत विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है। भारत सरकार ने 146 राष्ट्रों के साथ कर संधि ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे - अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA)।
- भारत सरकार साझा रिपोर्टिंग मानकों (CRS) के अनुरुप सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते (MCAA) में भी शामिल हो गई है।
- भारत ने कर अपवंचन (tax evasion) और कर परिहार (tax avoidance) से संबंधित उपायों को सक्षम बनाने हेतु मॉरीशस एवं सिंगापुर के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौतों (Double Taxation Avoidance Agreements: DTAA) में संशोधन किया है।

न्यायिक प्रयास

उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश पर, सरकार द्वारा मई 2014 में काले धन के संबंध में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। उक्त SIT द्वारा अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय को सात रिपोर्टें सौंपी जा चुकी हैं।

आगे की राह

इन सभी उपायों के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र में **नैतिकता के मानकों** में वृद्धि की जानी चाहिए। इस संदर्भ में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के अन्य प्रमुख अभिकर्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक एवं नौकरशाही के नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

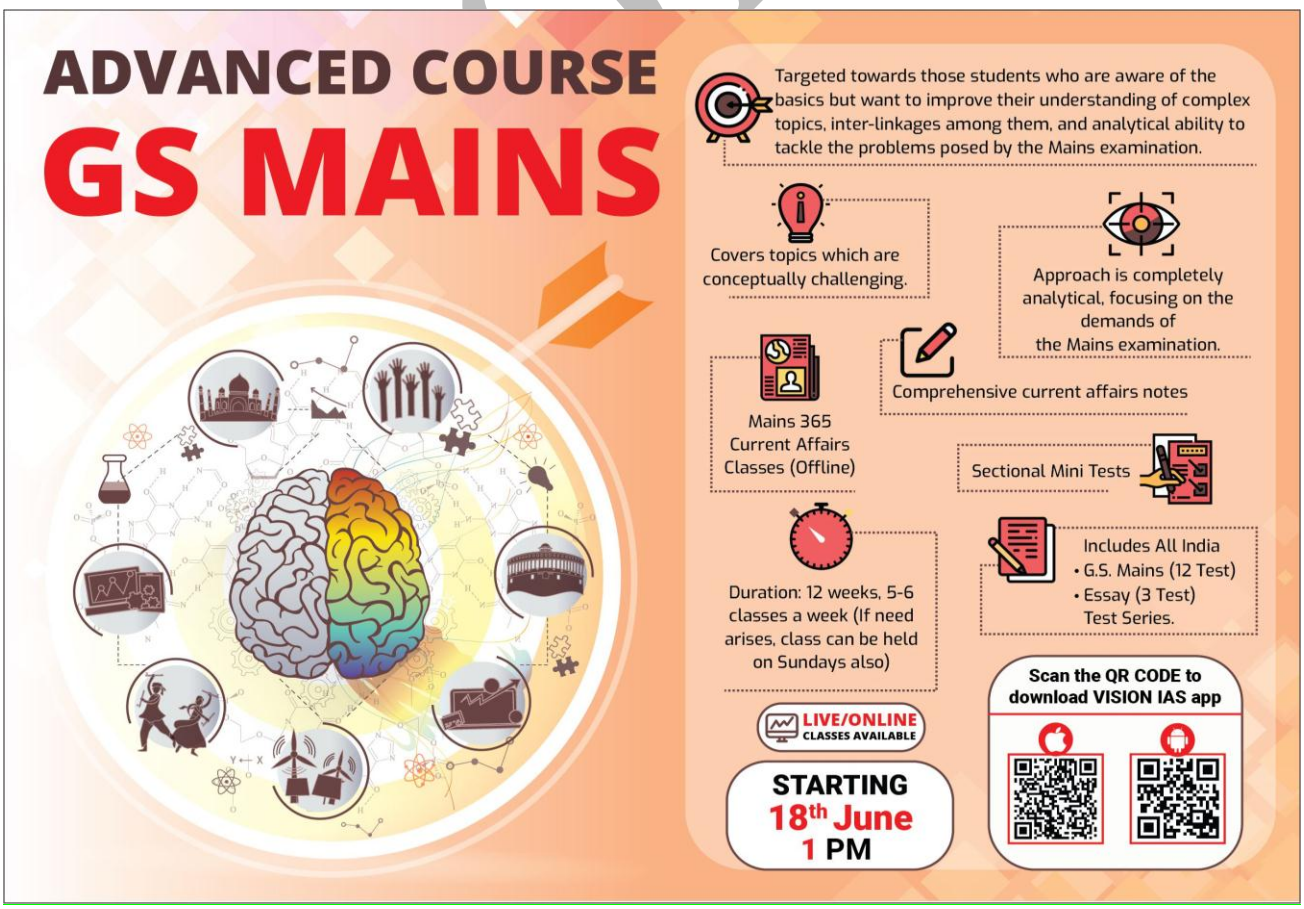

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. आनुवंशिक रुप से संशोधित कपास

(GM Cotton)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (GEAC) ने महाराष्ट्र सरकार से **"हर्बिसाइड-टोलरेंट वैरायटी ऑफ़ बीटी कॉटन (Ht-bt cotton)"** की अवैध कृषि पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई आरंभ करने के लिए कहा है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (GEAC) के बारे में

- GEAC वस्तुतः **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** के अधीन स्थापित एक निकाय है। यह अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में हानिकारक सूक्ष्मजीवों तथा पुनर्योगजों (recombinants) के व्यापक पैमाने पर उपयोग संबंधी गतिविधियों को अनुमोदन (पर्यावरणीय दृष्टि से) प्रदान करने वाला एक शीर्ष निकाय है।
- GEAC, प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में अनुवांशिक अभियंत्रित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु भी उत्तरदायी है।

हर्बिसाइड-टोलरेंट वैरायटी ऑफ़ बीटी कॉटन (Ht-bt cotton)

- वर्तमान में, भारत में केवल **'cry1Ac' और 'cry2Ab'** जीन युक्त GM कपास की किस्मों की ही कृषि करने की अनुमति प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि 'cry1Ac' और 'cry2Ab' जीनों को **बेसिलस थुरिंजिनिसिस (Bt)** नामक सॉइल बैक्टीरियम (मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु) से प्राप्त किया जाता है। ये संकर/नस्लें कोडिंग द्वारा **बोलवर्म कीटों की रोकथाम हेतु विषाक्त प्रोटीन** का निर्माण करती हैं।
- **Ht-Bt कॉटन/BG कॉटन- III** में दूसरे सॉइल बैक्टीरियम **एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेशियन्स** से प्राप्त एक अन्य जीन 'Cp4-Epsps' का समावेशन किया जाता है।
- Ht-Bt कॉटन, ग्लाइफोसेट (एक शाकनाशी) के प्रति सहनशील होते हैं। ग्लाइफोसेट फसल को हानि नहीं पहुंचाता, अपितु यह केवल खरपतवार (पिंक बोलवर्म) को नष्ट करता है।
- भारत में, ग्लाइफोसेट चाय बागानों और गैर-फसल क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए पंजीकृत है।

पृष्ठभूमि

- भारत में लगभग 700 मिलियन लोग आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि, निरंतर सूखे, अत्यधिक फसल उत्पादन तथा अलाभकारी फसल कीमतों के परिणामस्वरुप अनेक राज्यों में किसानों द्वारा **फसल उत्पादकता को बढ़ाने** हेतु बीटी बैंगन से लेकर हर्बिसाइड-टोलरेंट कॉटन (HT) जैसी आनुवंशिक रुप से संशोधित (genetically modified: GM) फसलों की कृषि अवैध रुप से की जा रही है।
- **दक्षिण-एशिया जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र (SABC)** के अनुसार, खरीफ के मौसम में HT हाइब्रिड की अवैध कृषि का बाजार बढ़कर 472 करोड़ रुपये हो गया था। उल्लेखनीय है कि इस दौरान लगभग 35 लाख HT हाइब्रिड बीजों की बिक्री हुई तथा लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की गई।
- अगली पीढ़ी के GM कपास को अनुमोदन प्रदान करने में केंद्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने हेतु महाराष्ट्र के कई किसानों द्वारा Ht-Bt कपास के बीजों की अवैध बुआई करके **'सविनय अवज्ञा आंदोलन'** आरंभ किया गया था।
- कानूनी तौर पर गैर-अनुमोदित GM बीजों की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1989 के तहत एक **दंडनीय अपराध** है। इसके अतिरिक्त, जिन बीजों को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, उनकी बिक्री करने पर **बीज अधिनियम, 1966** और कपास अधिनियम, 1957 के **तहत कार्रवाई की जा सकती है।**

VISION IAS

GM फसलों के पक्ष में किसानों के तर्क तथा उनकी प्रतिक्रिया

- **कीटों में विकसित होती प्रतिरोधकता:** Bt-कपास द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के प्रति **पिंक बॉलवर्म कीट** में प्रतिरोधकता विकसित हो गयी है। इसके परिणामस्वरुप, इन्हें नियंत्रित करने हेतु किसानों को अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। Bt बीजों की उच्च लागत के साथ-साथ यह स्थिति किसानों को निर्धनता की ओर ले जा रही है।
- **आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु:** अधिकांश किसान **HT-बीटी कपास प्रौद्योगिकी से अत्यधिक संतुष्ट हैं** क्योंकि **इसमें श्रम की अल्प आवश्यकता** होने के कारण यह लागत को कम करने में सहायक है।
- **बेहतर उत्पादन:** किसानों का दावा है कि HtBt किस्म ग्लाइफोसेट के छिड़काव को सहन कर सकती है। ज्ञातव्य है कि ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है जिसका उपयोग खरपतवार को विनष्ट करने हेतु किया जाता है तथा जिससे **उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है।**
- **वैश्विक स्तर पर स्वीकृति:** कनाडा और अमेरिका द्वारा वर्ष 1996 में GM फसलों को व्यावसायिक रुप से उत्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात विश्व के कई अन्य देशों ने भी इसकी कृषि हेतु अनुमति प्रदान की है।
- **GM तेल का आयात:** भारत प्रतिवर्ष हजारों टन GM खाद्य तेल (अन्य GM खाद्य पदार्थों का भी) का आयात करता है। उल्लेखनीय है कि इन पदार्थों में आनुवंशिक परिवर्तन करने के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों अथवा इनसे होने वाली मृत्यु के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

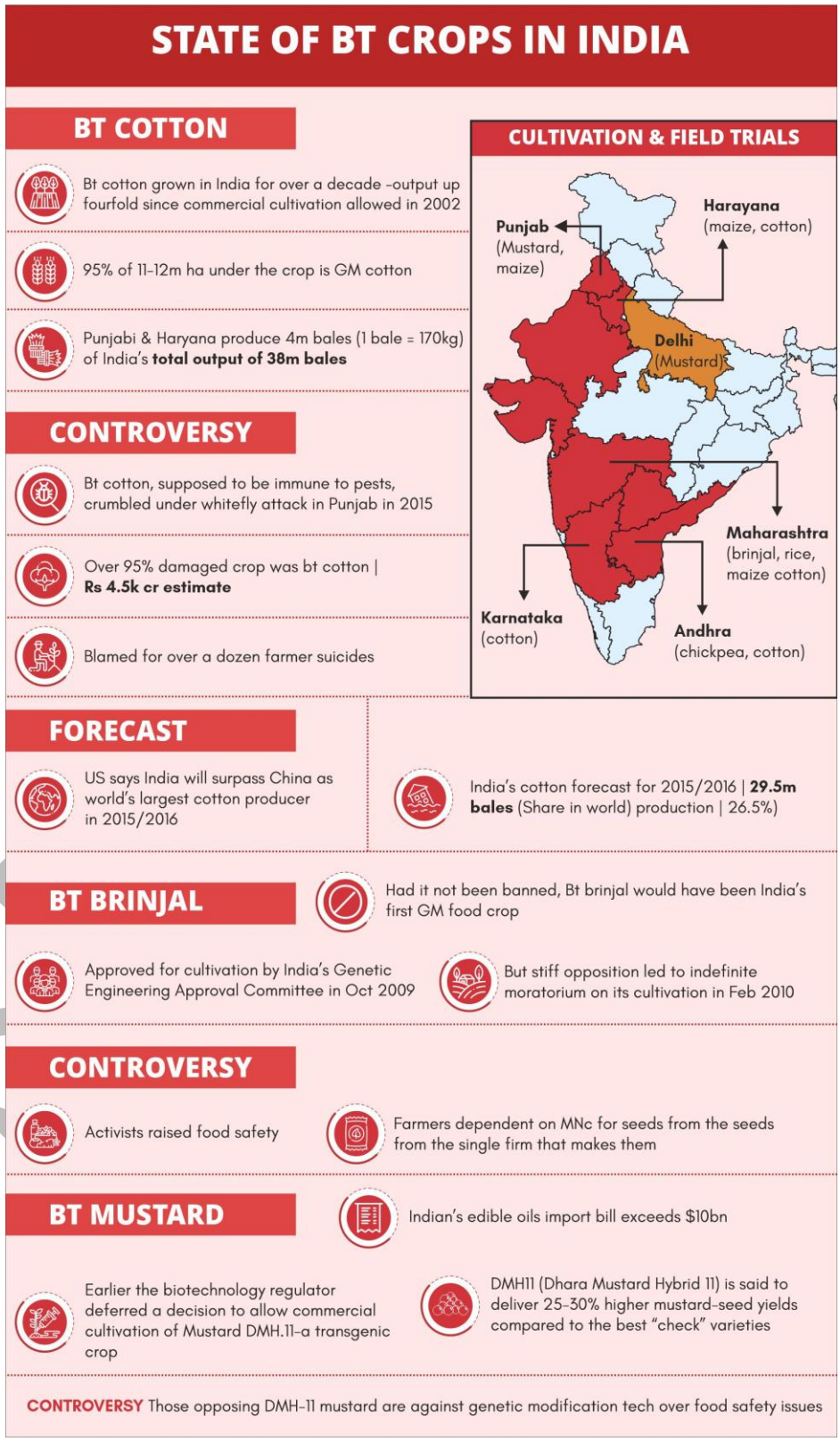

GM किस्मों से संबंधित चिंताएं

- **उपभोग हेतु असुरक्षित:** आनुवंशिक रुप से परिवर्तित किए गए पादप का उपभोग स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित हो सकता है। इसके मानव अथवा पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं तथा साथ ही मृदा या इन फसलों के निकट उपजाई जाने वाली फसलें भी नकारात्मक रुप से प्रभावित हो सकती हैं।

- **कीटनाशक विषाक्तता:** महाराष्ट्र में, कीटनाशकों के अन्तःश्वसन के कारण लगभग 60 श्रमिकों और किसानों की मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण HT बीजों को माना गया है।
    - **ग्लाइफोसेट का अविवेकी उपयोग** कपास के उत्पादन को प्रभावित करने के साथ-साथ मनुष्यों और मवेशियों के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न कर सकता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव:** GM का विरोध करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार, जीन के कुछ लक्षणों का प्रकटीकरण कई पीढ़ियों के पश्चात् भी हो सकता है और यही कारण है कि सुरक्षा संबंधी खतरा सदैव बना रहता है।
- **बाजार पर एकाधिकार स्थापित होना:** बीज की HT किस्म का प्रसार, एक प्रचार पद्धति है जिसके माध्यम से प्रमुख बीज उत्पादक कंपनियां बाजारों पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करती हैं। GM बीजों में 'टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी' का उपयोग किया जाता है। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण इन बीजों को आनुवंशिक रुप से इस प्रकार संशोधित किया जाता है, जिससे इन बीजों से उत्पन्न होने वाली फसलों से अंकुरणक्षम बीजों (viable seeds) का उत्पादन संभव नहीं है।

आगे की राह

- **GM तकनीक पर ध्यान केन्द्रित करना:** GM फसलों पर राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत देश में ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित किया जाना चाहिए जहां पर GM फसलों की आवश्यकता है तथा जहां सरकार द्वारा GM प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- मंत्रालय द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले GM फसलों के प्रभावों की पूर्ण रुप से गहन जांच की जानी चाहिए तथा जब तक जैव-सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक वांछनीयता का "पारदर्शी" प्रक्रिया एवं जवाबदेही व्यवस्था के साथ मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तब तक भारत में किसी भी GM फसल की कृषि को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
- **सभी हितधारकों की शिकायतों का निवारण:** सभी सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रकटीकरण और सभी प्राप्त टिप्पणियों से संबंधित चिंताओं का समाधान करते हुए GM सरसों को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व किसानों तथा जनता की सभी शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए।
- **विधिक उपाय:** एक दायित्व प्रावधान (liability clause) होना चाहिए, अर्थात् अनुचित होने की स्थिति में वैधानिक रुप से दायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ अमेरिकी कानून में GM तकनीक के कारण फसलों की सामान्य किस्मों के प्रभावित होने की स्थिति में दायित्व का निर्धारण किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीटी कपास पर पिंक बॉलवर्म कीट के आक्रमण के मामले में उत्पन्न हुई गैर-जवाबदेह स्थिति को अन्य GM फसलों के मामले में दोहराया न जाए।

5.2. वन भूमि पुनर्स्थापन

(Forest Landscape Restoration: FLR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, भारत ने **वन भूमि पुनर्स्थापन (FLR)** संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए पांच राज्यों में निम्नीकृत वन भूमि के पुनर्स्थापन हेतु एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह घोषणा सितम्बर 2019 में भारत में आयोजित होने वाली **UNCCD की कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP 14) के 14वें सत्र** के परिप्रेक्ष्य में की गई। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन के उपरान्त वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले आगामी COP सम्मेलन तक भारत द्वारा COP की अध्यक्षता (दो वर्षों के लिए) की जाएगी। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की जा रही है।
- इस परियोजना को **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** की साझेदारी के साथ **राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB)** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- प्रथम चरण में इसे **हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक** राज्यों में संचालित किया जाएगा।

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD)

- वर्ष 1994 में स्थापित, यह अभिसमय पर्यावरण एवं विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने और मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने हेतु एकमात्र **विधिक रुप से बाध्यकारी** अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए तीन रियो कन्वेंशनों (1992) में से एक है। अन्य दो कन्वेंशन निम्नलिखित हैं: **यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC)** तथा **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (UNCBD)**।
- मरुस्थलीकरण/भूमि निम्नीकरण को रोकने और प्रभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करने के क्रम में एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने हेतु वर्ष 2007 में **UNCCD द्वारा 10-वर्षीय रणनीति (2008-2018)** को अपनाया गया था।
- **प्रकाशन: ग्लोबल लैंड आउटलुक**

वन भूमि पुनर्स्थापन (FLR) के बारे में

- यह **पारिस्थितिक कार्यक्षमता को पुनःप्राप्त करने** और वनोन्मूलित या निम्नीकृत वन भूमि पर मानव जीवन को बेहतर बनाए रखने की एक सतत प्रक्रिया है। इसमें संपूर्ण परिदृश्य का पुनर्स्थापन शामिल होता है।
- FLR विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदर्शित होता है, जैसे- वृक्षारोपण, प्रबंधित प्राकृतिक पुनरुत्पादन, कृषि वानिकी या मिश्रित भू-उपयोगों (यथा- कृषि, संरक्षित वन्यजीव रिज़र्व, प्रबंधित वृक्षारोपण, नदी तटों पर वृक्षारोपण इत्यादि) के समायोजन हेतु बेहतर भूमि प्रबंधन।
- **मार्गदर्शक सिद्धांत**
    - **भू-परिदृश्य पर ध्यान केन्द्रित करना :** FLR के अंतर्गत केवल वनीकरण ही शामिल नहीं है। इसके क्रियान्वयन में एकल भू-भाग के बजाए संपूर्ण परिदृश्य शामिल होता है। इस प्रकार यहाँ मिश्रित भू-उपयोगों और प्रबंधन प्रथाओं के मध्य अंत:क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है।
    - **भू-परिदृश्य के भीतर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का संवर्धन और परिरक्षण:** FLR, वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, पुनरुद्धार और संधारणीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है।
    - **विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए स्थानीय संदर्भ के अनुकूल बनाना:** FLR के अंतर्गत नवीनतम विज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यास तथा पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। तदनुपरांत इसे स्थानीय क्षमताओं व विद्यमान अथवा नई शासन संरचनाओं के साथ लागू किया जाता है।
    - **बहुविध लाभों के लिए बहुविध कार्यों को पुनर्स्थापित करना:** FLR के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का उद्देश्य भूमि पर बहुविध पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पुनर्स्थापित करना तथा पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं एवं सेवाओं की एक श्रृंखला का सृजन करना है।
    - **दीर्घकालिक सुनम्यता हेतु अनुकूलनीय रुप से प्रबंधन करना:** FLR के अंतर्गत मध्यम और दीर्घकालिक रुप से भूमि और इसके हितधारकों की सुनम्यता में वृद्धि की जाती है जो प्रजातिगत और आनुवंशिक विविधता को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
    - **हितधारकों की संलग्नता और सहभागी शासन का सहयोग करना:** FLR द्वारा नियोजन और निर्णय-निर्माण में सुभेद्य समूहों सहित हितधारकों की विभिन्न स्तरों पर सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित की जाती है।

FLR पायलट प्रोजेक्ट का महत्व:

- UNFCCC के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के अनुसार **भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने हेतु** भारत द्वारा वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO_2 के समकक्ष अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण का संकल्प किया गया है।
- **बॉन चैलेंज संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता:** वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC की CoP-21 के तहत भारत सरकार द्वारा **बॉन चैलेंज संकल्प** को अपनाया गया। (यह वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वनोन्मूलित और निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करने हेतु वैश्विक प्रयास है)।
- **इसके तहत, भारत** वर्ष 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और वनोन्मूलित भूमि का पुनरुद्धार करेगा और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि **(यह सभी एशियाई देशों द्वारा निर्धारित उच्चतम लक्ष्यों में से एक है)** को शामिल किया जाएगा।

भूमि निम्नीकरण: एक संक्षिप्त अवलोकन

- **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन** के अनुसार, "भूमि निम्नीकरण, मानव गतिविधियों सहित एक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणामस्वरुप व्युत्पन्न जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि है।"

VISION IAS

- **द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (TERI)** के अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 में भूमि निम्नीकरण और भू-उपयोग में परिवर्तन के परिणामस्वरुप आर्थिक हानि, भारत की GDP के लगभग 2.54% के बराबर थी।
- **भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, 2019 (State of India's Environment 2019)** के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% भाग भू-निम्नीकरण से प्रभावित है। उल्लेखनीय है कि 82% निम्नीकृत भूमि नौ राज्यों, यथा- राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना में स्थित है।
    - यह दर्शाता है कि वर्ष 2003-13 के मध्य देश में 1.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त थी।
    - देश में कुल मरुस्थलीकरण के लगभग 11% भाग हेतु केवल जल अपरदन तथा इसके पश्चात् वनस्पति निम्नीकरण (लगभग 9%) उत्तरदायी था।

5.3. ओजोन प्रदूषण

(Ozone Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली में ओजोन प्रदूषण की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि आठ घंटे के लिए औसतन ओजोन एक्सपोज़र 100 माइक्रोग्राम/घनमीटर (µg/m3) होना चाहिए, परन्तु यह उससे 1.22 गुना अधिक है।

ओजोन प्रदूषण के बारे में

ओजोन प्रत्यक्ष रुप से किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होती है। यह एक **द्वितीयक प्रदूषक** है जिसका निर्माण वाहनों, उद्योगों या विद्युत् संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन से (नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश एवं तापमान की उपस्थिति में अभिक्रियास्वरुप) होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के पश्चात् तीसरी सर्वाधिक प्रभावकारी ग्रीनहाउस गैस है।

सामान्यतः ओजोन को निम्नलिखित दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- **गुड ओजोन:** यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है।
- **बैड ओजोन:** क्षोभमंडल में पाई जाती है (जिसे धरातलीय ओजोन के रुप में भी जाना जाता है)। यह मानव निर्मित ओजोन है। उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC), (NOx, CO, और VOCs को ओजोन के प्रेरक कारकों के रुप में जाना जाता है) सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रुप से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ओजोन का निर्माण करते हैं।
    - वसंत ऋतु के उतरार्द्ध, ग्रीष्म ऋतु तथा पतझड़ के आगमन के समय उच्च तापमान परिस्थितियों के दौरान, सामान्यतः अपराह्न और सांयकाल की समयावधि में (अत्यधिक ताप की स्थिति) ओजोन निर्माण का स्तर उच्च होता है तथा रात्रिकालीन निम्न तापमान की स्थिति में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
    - धरातलीय ओजोन और PM 2.5 दोनों स्मॉग के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर:** त्वचा और श्वसन तंत्र में जलन, फुफ्फुसीय रोग की उच्च दर आदि।
- **पर्यावरण पर:** संवेदनशील पौधों की पत्तियों में अत्यधिक ओजोन का प्रवेश, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम और पौधे की वृद्धि को धीमा कर सकता है।
    - धरातलीय ओजोन पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचा सकती है तथा वनों और उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के क्षरण में योगदान कर सकती है। इन सेवाओं के अंतर्गत स्वच्छ वायु और भूजल, इमारती लकड़ी और काष्ठ ईंधन, प्राकृतिक खतरों/विपदाओं से सुरक्षा और जैव-विविधता संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- **गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल:** इसका उद्देश्य **अम्लीकरण, सुपोषण और धरातलीय ओजोन** का उपशमन करना है और यह **कन्वेंशन ऑन लॉन्ग-रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन** का हिस्सा है।
- **सरकारी प्रयास**
    - ओजोन को **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक** के अंतर्गत शामिल आठ प्रदूषकों में से एक के रुप में वर्गीकृत किया गया है तथा समय-समय पर इसकी निगरानी की जाती है।
    - **वायु गुणवत्ता् पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR):** एक प्रदूषक के रुप में ओज़ोन की निगरानी की जाती है।
    - पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए **ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)** को क्रियान्वित करता है, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियों के अनुरुप निर्मित प्रत्येक स्रोत के लिए श्रेणीबद्ध उपायों को शामिल किया गया है।

VISION IAS

5.4. टिकाऊ आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन

(Sustainable Livelihoods and Adaptation to Climate Change)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम - टिकाऊ आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन (सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज: SLACC) हेतु एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया है।

SLACC के बारे में

- SLACC, **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष** (SCCF) द्वारा वित्त पोषित है। इस कोष को अनुकूलन एवं क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए **UNFCC के तहत** स्थापित किया गया था।
- इसे **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना**, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) तथा अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ समन्वय में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- SLACC का उद्देश्य प्रगतिशील किसानों सहित 200 से अधिक प्रमाणित क्लाइमेट-स्मार्ट सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) तथा गांवों में 100 से अधिक युवा पेशेवरों के एक कैडर का निर्माण करना है ताकि क्लाइमेट प्रूफ प्लानिंग और अनुकूलन के माध्यम से उनकी आजीविका सुरक्षित की जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह भारत में ग्रामीण विकास क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कार्रवाई अनुसंधान एवं परामर्श कार्य करने हेतु सर्वोच्च निकाय है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना

- यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक उप-घटक है।
- यह कृषि के क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें सशक्त बनाने हेतु उपलब्ध अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करता है।

5.5. कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता/अर्थव्यवस्था विनियमन

(Corporate Average Fuel Efficiency/Economy Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता / अर्थव्यवस्था (CAFE) विनियमन ऑटोमोबाइल उद्योग में एक चिंता का विषय बन गया है।

CAFE विनियमन क्या है?

- इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करके वाहनों की ईंधन खपत दर को कम करना अथवा ईंधन दक्षता में सुधार लाना है।
- कॉर्पोरेट औसत (Corporate Average) प्रत्येक ऑटो विनिर्माता के लिए बिक्री-मात्रा भारित औसत (sales-volume weighted average) को संदर्भित करता है। ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG यात्री वाहनों पर लागू होते हैं।
- भारत में, CAFE विनियमन को वर्ष 2017 में लागू किया गया था, इनके तहत वाहन से औसत कॉर्पोरेट CO2 उत्सर्जन को वर्ष 2022 तक 130 ग्राम प्रति कि.मी से कम और उसके पश्चात् 113 ग्राम प्रति किमी से कम किया जाना है।
- CAFE मानदंडों के अनुसार कारों को वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के मध्य 10% या उससे अधिक तथा वर्ष 2022 से 30% या अधिक ईंधन कुशल बनाया जाना आवश्यक है।
- 100 किमी दूरी तय करने हेतु वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन (लीटर में) के आधार पर माइलेज का निर्धारण किया जाएगा। इस पहल को ऑटोमोबाइल उद्योग के कार्बन फूटप्रिंट (carbon footprint) को कम करने हेतु लक्षित किया गया है।

महत्व

- **वायु प्रदूषण पर नियंत्रण:** सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरुप कई शहरों में वायु गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। कठोर ईंधन मानकों का अनुपालन भी वायु प्रदूषण से निपटने का एक तरीका हो सकता है।

VISION IAS

- **ईंधन की बचत:** CAFE का प्राथमिक उद्देश्य वाहन की दक्षता को बढ़ाना है, जो किसी वाहन द्वारा ईंधन की एक निर्धारित मात्रा में तय की जाने वाली दूरी को दर्शाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ईंधन की बचत पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- **संरचनात्मक परिवर्तन:** मानदंडों का अनुपालन करने हेतु कठोर CAFE लक्ष्य विनिर्माताओं को मध्यम से दीर्घ अवधि में निर्माताओं को इलेक्ट्रिक एवं मजबूत हाइब्रिड वाहनों के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे।

5.6. मानसून के आगमन में विलंब

(Delay in Monsoon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ज्ञातव्य है कि इस वर्ष का मानसून 8 जून को केरल तट पर (1 सप्ताह के विलंब से) पंहुचा है तथा मुख्य भूमि पर मंद गति से आगे बढ़ रहा है।

मानसून को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण

- **एल नीनो / ला नीना:**
  - एल नीनो दक्षिण अमेरिका में पेरु के तट से दूर प्रशांत महासागर के **सागरीय सतह के तापमान (SST) में असामान्य तापन** है, जबकि इसके विपरीत ला नीना, SST का असामान्य शीतलन है।
  - **एल नीनो के प्रभाव से वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जबकि ला नीना की स्थिति में औसत मानसून से अधिक वर्षा होती है।**
- **मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (Madden-Julian Oscillation: MJO)**
  - **मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) तरंग की अवस्थिति और प्रबलता** भारतीय मानसून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - यह **मानसून की समयावधि और प्रबलता को न्यूनाधिक कर सकता है अर्थात् कम या अधिक कर सकता है**, लगभग सभी महासागरीय बेसिन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या एवं तीव्रता को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरुप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन हो सकता है, जो कभी कभी उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत वायु का प्रकोप, चरम उष्णीष घटनाएं तथा बाढ़ की स्थितियां भी उत्पन्न करता हैं।

मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO)

- MJO तरंग **पश्चिम से पूर्व की ओर आवधिक रुप से गतिशील निम्न दाब युक्त क्षेत्र** का एक वैश्विक बैंड या मेखला है। यह निम्न दाब युक्त क्षेत्रों/अवदाबों/चक्रवातों की उत्पति और तीव्रता को निर्धारित करता है तथा इस प्रक्रिया के तहत मानसून का आगमन भी निर्धारित होता है।
- यह मेघ, वर्षण, पवन, और दाब में होने वाला परिवर्तन है जो **पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में (30° N और 30°S के मध्य)** परलक्षित होता है तथा **औसतन 30 से 60 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है।**
- एक ऋतू में कई MJO घटनाएं घटित हो सकती हैं और इसलिए MJO को **अंत:मौसमी उष्णकटिबंधीय जलवायु परिवर्तनशीलता (इंट्रा-सीज़नल ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेरिएबलिटी)** के रुप में वर्णित किया जाता है (अर्थात् सप्ताह-दर-सप्ताह इसमें परिवर्तन होता रहता है)।
- MJO, **एल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) चक्र को प्रभावित** करता है। हालाँकि यह एल नीनो अथवा ला नीना हेतु उत्तरदायी नहीं है, परन्तु **एल नीनो और ला नीना की घटना के विकास और तीव्रता** में योगदान कर सकता है।
- MJO के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं अथवा चरण शामिल हैं:
  - प्रथम **अधिक वर्षण (अथवा संवहन) तथा** दूसरा **अवमंदित वर्षण प्रक्रिया** है।
  - **सशक्त संवहन प्रकिया में** पवनों का सतह पर अभिसरण होता है जिससे वायुमंडल में वायु का उर्ध्वाधर (ऊपर की ओर) संचलन होता है तथा वायुमंडल की उपरी सीमा पर पवनें उत्क्रमित (अर्थात्, अपसरित) होने लगती हैं। वायुमंडल में इस तरह उर्ध्वाधर पवनों की गति संघनन और **वर्षण में वृद्धि** करती हैं।
  - **अवमंदित संवहनीय चरण में** वायुमंडल की उपरी सीमा पर वायु का अभिसरण होना प्रारम्भ हो जाता है, अर्थात् संकुचित होकर वायु उर्ध्वाधर दिशा में (नीचे की ओर) संचलित होती है और तत्पश्चात सतह पर अपसरित होती है। जैसे ही वायु का अधिक ऊंचाई से उर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर संचलन होता है, तब यह गर्म और शुष्क हो जाती है, जिससे **वर्षण की मात्रा में कमी** आती है।
- मानसून के दौरान जब **MJO की उपस्थिति हिंद महासागर के ऊपर होती है,** तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक वर्षा होती है। दूसरी ओर, जब इसका **चक्र लंबा** होता है तथा इसकी **उपस्थिति प्रशांत महासागर के ऊपर होती** है, तो MJO भारतीय मानसून को **बुरी तरह प्रभावित करता है।**

VISION IAS

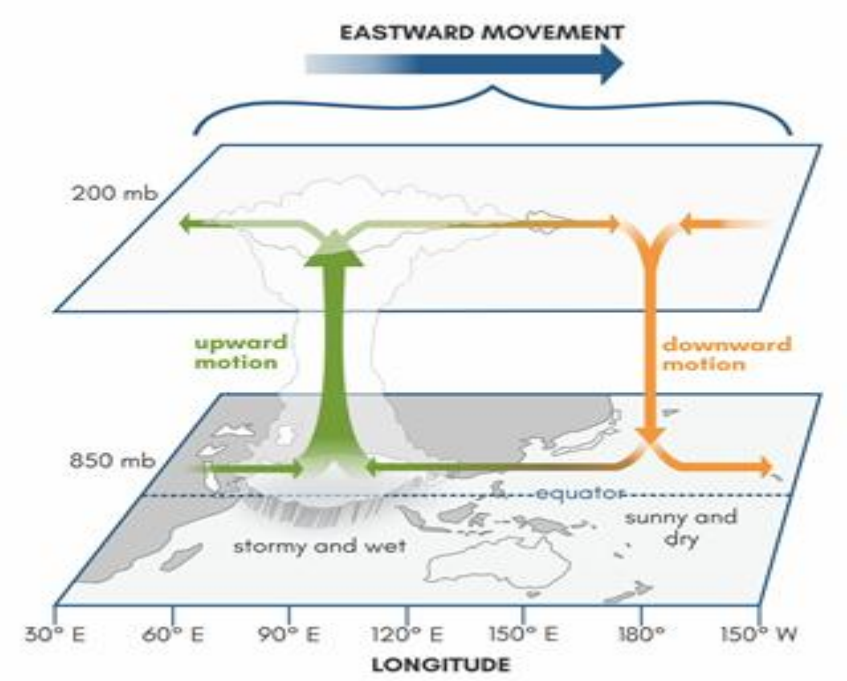

- **हिन्द महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole: IOD)**
  - इसे इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है, **यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के SST का पूर्वी क्षेत्र की तुलना में क्रमिक रुप से असामान्य शीतलन और तापन होता है।**
  - इंडियन नीनो **अल नीनो / ला नीना के प्रभाव को निष्प्रभावी अथवा नकारात्मक रुप से प्रभावित** कर सकता है, यह प्रक्रिया के चरण पर निर्भर करता है।
  - **'सकारात्मक' IOD चरण**, जिसका अर्थ है पश्चिमी हिंद महासागर में सामान्य से अधिक तापमान, भारत में 'सामान्य' या 'नकारात्मक' (शीतलन) चरण की तुलना में **अधिक वर्षा की स्थिति** उत्पन्न करता है।
- **चक्रवात का निर्माण (Cyclonic formations)**
  - चक्रवात के **केंद्र में निर्मित अत्यधिक निम्न दाब युक्त क्षेत्र, चक्रवात को बनाए रखने में मदद करते** हैं। पवनें निकटवर्ती क्षेत्रों से निम्न दाब युक्त क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं।
  - **इसके साथ ही ये निम्न दाब युक्त क्षेत्र**, जब भूमि के निकट अथवा ऊपर विकसित होते हैं, तो ये **देश में मानसूनी पवनों को आकर्षित करने में सहायक होते हैं।**
  - चक्रवात के केंद्र में निर्मित निम्न दाब का क्षेत्र **किसी भी स्थानीय प्रणाली की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है जो उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही मानसूनी पवनों को आकर्षित कर सकता है।**
  - बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाले चक्रवातों की तुलना में **अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवात, मानसून को** अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि मानसूनी पवनें पश्चिम में अरब सागर तट के सहारे भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती हैं।
- **जेट धाराएं (Jet streams)**
  - यह पृथ्वी की सतह से लगभग पाँच से सात मील की ऊंचाई पर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली पवन धाराएं होती हैं। **जेट धाराओं के कारण वायुमंडल में पवन और दाब में परिवर्तन होता है,** साथ ही यह वायु राशियों के प्रवाह को प्रभावित करके वैश्विक मौसम में भी परिवर्तन लाती हैं।
  - यह माना जाता है कि **उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं और भारतीय मानसून के साथ** इसका **प्रत्यक्ष संबंध होता है।**

इन सभी कारकों के कारण मानसून का सही पूर्वानुमान लगाना एक चुनौती बना हुआ है और इसे अभी भी अपर्याप्त समझा जा रहा है।

हालिया मानसून में विलंब को प्रभावित करने वाले कारक

MJO का प्रभाव

- जून माह में, MJO हिंद महासागर के ऊपर कमजोर चरण में था, जिसके कारण भारत में मेघ के निर्माण और वर्षा में कमी दर्ज की गई।

चक्रवातों के निर्माण का प्रभाव

- अरब सागर के ऊपर निर्मित **चक्रवाती तूफान "वायु"** ने भारत के कई भागों में मानसून की प्रगति को प्रभावित किया है।
- इसके द्वारा मानसूनी पवनों से सम्पूर्ण आर्द्रता को अपनी ओर आकर्षित करने से, मानसून की सामान्य प्रगति बाधित हुई है।

VISION IAS

- चक्रवात प्रणाली के उद्भव के कारण मानसून में विलंब की यह घटना **वर्ष 2015 में भी देखी गई जब चक्रवात अशोबा** के कारण मानसून में विलंब हुआ था।

महासागरीय जल के तापन का प्रभाव

- अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, अरब सागर में जल के असामान्य तापन से हिंद महासागर पर पूर्वी व्यापारिक पवनों की एक विरल पट्टी निर्मित हो गई थी, जिसके कारण केरल तट पर मानसून के पहुंचने में काफी विलंब हुआ।
- अरब सागर क्षेत्र में निर्मित क्रॉस-इक्वेटोरियल प्रवाह (जो मानसून की प्रगति में भी सहायक होता है) की प्रतिकूल उपस्थिति भी मानसून के विलंब होने के कारणों में से एक है।

मानसून के पूर्वानुमान के मॉडल (Models of Monsoons Prediction)

- **वर्ष 2010 तक,** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा मानसून के पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र तरीका **सांख्यिकीय मॉडल** था।
  - **इसमें अनिवार्य रुप से मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध जलवायु मापदंडों की पहचान की जाती थी**- उदाहरण के लिए, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य सागरीय सतह की ताप प्रवणता, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में उष्ण जल की मात्रा, यूरेशियाई हिमाच्छादन।
  - हालांकि, **यह त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुआ है और IMD प्रमुख सूखा और वर्षा की कमी का पूर्वानुमान करने में विफल रहा है** - विशेष रुप से वर्ष 2002, 2004 और 2006 में।
- **वर्ष 2015 में** IMD ने **एक गतिशील प्रणाली का** परीक्षण आरंभ किया। इस प्रणाली के तहत एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र (जैसे कि स्थल और महासागर का तापमान, आर्द्रता, विभिन्न ऊँचाइयों पर पवन गति आदि) पर मौसम का पता लगाया जाता है तथा **शक्तिशाली कंप्यूटरों द्वारा भौतिकी समीकरणों को हल करके यह परिकलन किया जाता है कि ये मौसम संबंधी चर दिनों, सप्ताहों, महीनों में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं**। यह दर्शाता है कि इनमें से प्रत्येक मौसम चर एक-दूसरे से किस प्रकार अंतर्संबंधित होते हैं।
  - आगामी 10 दिनों तक संभावित मौसम संबंधी पूर्वानुमान उपलब्ध करवाने हेतु IMD द्वारा एक नए **एन्सेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम (EPS)** का उपयोग किया जाता है।
  - लंबी अवधि के पूर्वानुमानों (जो केवल मानसून के संभावित प्रभाव का एक विस्तृत अवधि का चित्रण प्रस्तुत करते हैं) की बजाय ये **लघु अवधि के पूर्वानुमान में अधिक विश्वसनीय हैं तथा किसानों को फसल बुवाई के संबंध में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं।**

5.7. कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

(Kaleshwaram Lift Irrigation Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले में **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना** का उद्घाटन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) **विश्व की सबसे बड़ी बहु-स्तरीय एवं बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना** होगी (इससे पहले अमेरिका में कोलोराडो लिफ्ट योजना और मिस्र में ग्रेट मैनमेड रिवर पाइपलाइन योजना सबसे बड़ी परियोजनाएं थीं)।
- इस परियोजना को **गोदावरी नदी पर निर्मित** किया जा रहा है।
- इसके द्वारा जयशंकर भूपलपल्ली जिले के **मेडिगड्डा** में एक बैराज के निर्माण द्वारा गोदावरी के साथ **दो नदियों के संगम पर** जल का संग्रहण कर उसका प्रयोग किया जाएगा।
- इसके तहत जलाशयों, जलीय सुरंगों, पाइपलाइनों और नहरों की एक विशाल एवं जटिल प्रणाली में लिफ्टों तथा पंपों के माध्यम से जल का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इसमें विश्व की सबसे **लंबी सिंचाई सुरंग** भी शामिल है।
- इस परियोजना को अत्यंत बड़े आकार और पैमाने पर बनाया जाना था क्योंकि गोदावरी नदी औसत समुद्र तल (MSL) से 100 मीटर नीचे प्रवाहित होती है, जबकि तेलंगाना MSL से 300 से 650 मीटर उंचाई पर अवस्थित है।
- जल को जब तक परियोजना द्वारा निर्मित अंतिम जलाशय कोंडापोचम्मा पहुँचता है तब तक गोदवारी के जल को मेडीगड्डा से इसके स्त्रोत से 618 मीटर की उंचाई तक लिफ्ट कर दिया जाता है।
- इसे एक वर्ष में 45 लाख एकड़ भूमि पर दो फसलों की सिंचाई हेतु, तथा राज्य की 70% पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- तेलंगाना सरकार ने **महाराष्ट्र के साथ जल साझा करने के लिए एक समझौता** किया था, जिसके परिणामस्वरुप कालेश्वरम परियोजना का निर्माण संभव हो पाया है।

लिफ्ट सिंचाई

- लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई की एक विधि है जिसमें **प्राकृतिक प्रवाह** (जैसे कि गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया अर्थात् ढाल के अनुरुप नहर प्रणालियों में जल का स्वतः प्रवाह होता है) **द्वारा जल का परिवहन नहीं होता बल्कि** यहाँ जल के परिवहन हेतु **बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता** (पशु, ईंधन या विद्युत् शक्ति आधारित पम्प के माध्यम से अथवा अन्य यांत्रिक साधनों का प्रयोग) होती है।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं द्वारा दो मुख्य कार्य सम्पन्न किए जाते हैं यथा:
  - पहला, जल को पंप के माध्यम से जल स्रोत से मुख्य वितरण कक्ष (जो कमांड क्षेत्र में सबसे ऊपरी बिंदु पर स्थित है) तक ले जाया जाता है।
  - दूसरा, उन्हें इस जल को एक उपयुक्त और उचित वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी किसानों के खेत तक वितरित कर दिया जाता है।
- लिफ्ट सिंचाई के लाभों में भूमि अधिग्रहण की समस्या को न्यून करना तथा जल की अल्प क्षति शामिल हैं।

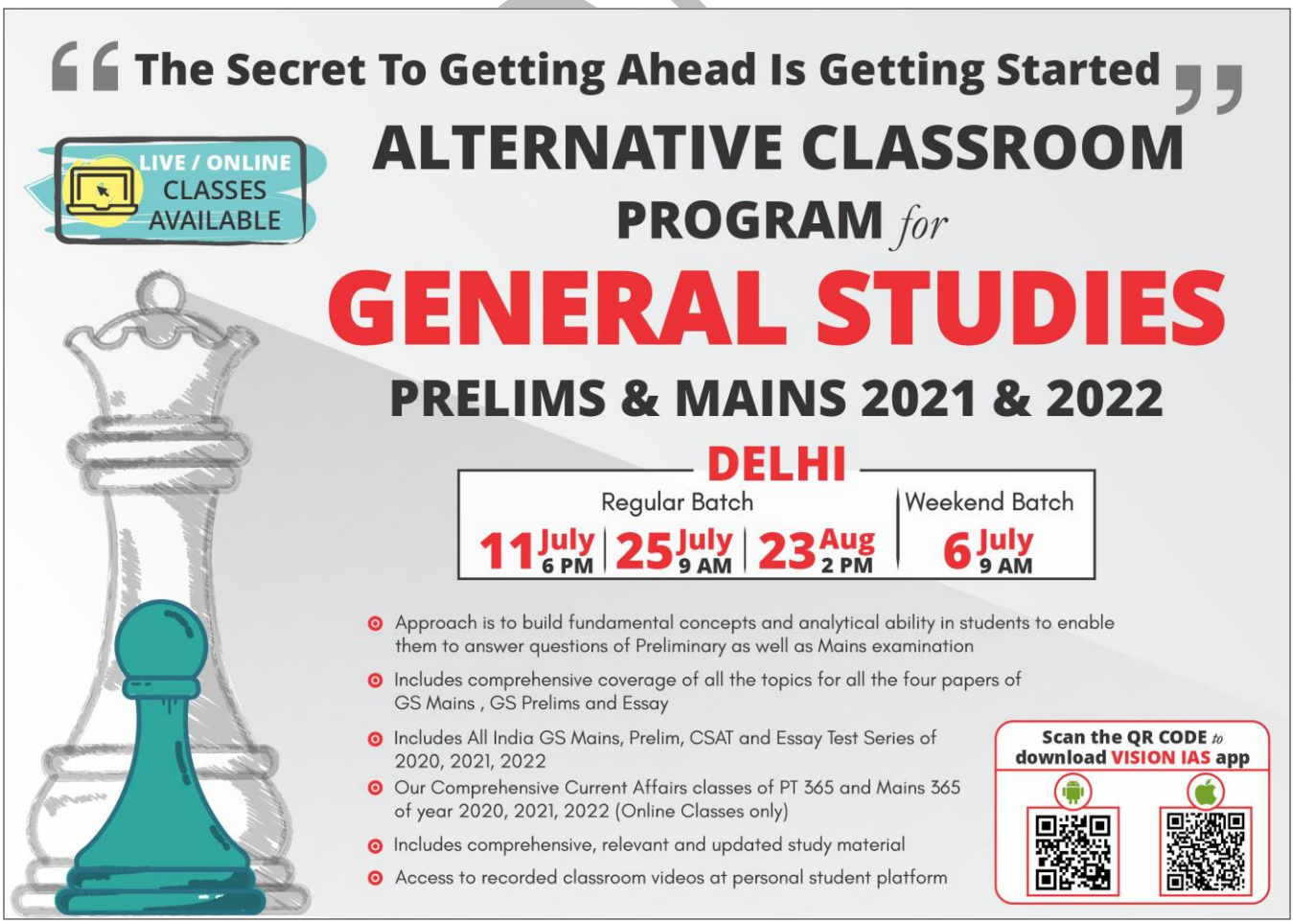

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा

(Draft National Education Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि

- भारत में, वर्ष 1968 और 1986 (1992 में संशोधित) में दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां निर्मित की गई थीं।
- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति **तीस से अधिक वर्षों** से संचालन में है। इसके बावजूद भारत की शिक्षा प्रणाली स्कूल छोड़ने की दर की अधिकता, शिक्षकों की संख्या में कमी, असक्षम/अपर्याप्त पाठ्यक्रम आदि जैसी अनेक समस्याओं और कमियों से ग्रसित हो गई है।
    - इन समस्याओं के अतिरिक्त, इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आयाम विकसित हुए हैं (जैसे- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वैश्वीकरण आदि), जो **एक नई व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता को अनिवार्य बनाते हैं।**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019** का विज़न भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर आधारित है, जो सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करके, हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में रुपांतरित करने में प्रत्यक्ष योगदान करेगा।

नई शिक्षा नीति के निर्माण के अन्य कारण

- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की परिवर्तित माँगें:** यह नवीन कौशल प्राप्त करने हेतु नियमित रुप से शिक्षार्थियों द्वारा 'सीखने' (लर्न हाउ टू लर्न) और आजीवन शिक्षार्थी बने रहने की आवश्यकता पर बल देती है।
- **नए ज्ञान की उत्पत्ति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनका अनुप्रयोग:** वर्तमान समय में नए ज्ञान की उत्पत्ति और विशेष रुप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के मध्य समय अंतराल काफी कम हो गया है। यह परिस्थिति शिक्षार्थियों को बदलती सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम के आवधिक नवीनीकरण को आवश्यक बनाती है।
- **भारत के जनसांख्यिकी लाभांश की अल्पावधि:** इस लाभांश के लगभग 20 वर्षों से केवल कुछ अधिक समय तक ही बने रहने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। यह इस व्यवस्था की मांग करता है कि शिक्षा के अतिरिक्त, बच्चे अपने स्कूलों और कॉलेजों में ही व्यवहार्य कौशल प्राप्त करें।
- **वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण:** SDG4, वर्ष 2030 तक "समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करने" का प्रयास करता है।

मसौदा नीति की मुख्य अनुशंसाएँ

क्षेत्र	अनुशंसा
विद्यालय शिक्षा	
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन: ECCE)	• **नए पाठ्यक्रम की रुपरेखा तैयार करना:** यह कार्य NCERT द्वारा किया जाना है। इस नवीन पाठ्यक्रम के दो भाग होंगे, एक 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के लिए और दूसरा 3-8 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। • **सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण:** आंगनवाड़ियों और प्री-स्कूल का विस्तार करना तथा जहाँ तक संभव हो उन्हें एक ही स्थान पर स्थापित करना। राज्य सरकारें **प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए पेशेवर रुप से अर्ह शिक्षकों के कैडर तैयार** करेंगी। • **सीखने के अनुकूल परिवेश का निर्माण करना:** प्रत्येक राज्य में संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों, कलाकारों और वास्तुकारों की एक समिति द्वारा ऐसे परिवेश का निर्माण करना। • ECCE को शामिल करने के लिए **RTE अधिनियम का विस्तार।**

आधारभूत साक्षरता एवं गणना क्षमता	• गणित अभ्यास और पढ़ने हेतु प्रतिदिन समर्पित घंटों, साप्ताहिक कार्यक्रमों और विशेष सभाओं के माध्यम से **ध्यान केंद्रण में वृद्धि करना।** • पीछे छूट गए विद्यार्थियों की औपचारिक रुप से सहायता करने के लिए स्थानीय समुदायों के प्रशिक्षकों को शामिल करना और इस हेतु **उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम शुरु करना।** • **नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम-** जहां प्रत्येक स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र सामान्यतया अपने कनिष्ठ साथियों के लिए स्कूल समय के दौरान ट्यूटर के रुप में कार्य करेंगे।
विद्यालय बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों (ड्रॉपआउट्स) का पुनःसमाकलन	• परिवहन व्यवस्था, छात्रावास व छात्रों की सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करके और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं परामर्शदाताओं के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाकर शिक्षा तक उनकी पहुंच संबंधी अंतराल को कम करना। • लंबे समय तक विद्यालय न जाने वाले किशोर-किशोरियों के लिए 'सेकंड-चांस एजुकेशन प्रोग्राम'।
पाठ्यक्रम एवं अध्यापन	• **5 + 3 + 3 + 4 प्रतिमान को अपनाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** ○ **बुनियादी चरण (Foundational Stage)** के 5 वर्ष: प्री-प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ष तथा कक्षा 1 एवं 2; ○ **तैयारी संबंधी चरण (Preparatory Stage)** के 3 वर्ष: कक्षा 3, 4 और 5; ○ **माध्यमिक चरण (Middle Stage)** के 3 वर्ष: कक्षा 6, 7 और 8; एवं ○ **उच्च चरण (High Stage)** के 4 वर्ष: कक्षा 9, 10, 11 और 12. • अधिक समग्र, अनुभवात्मक, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित अधिगम का अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक आवश्यक विषय सामग्री में **पाठ्यक्रम के भार को कम करना।** • विद्यार्थियों के लिए **विषयों के चयन में लचीलापन।**
उच्चतर शिक्षा	
संस्थागत पुनःसंरचना	• विभिन्न विषयों (disciplines) के कार्यक्रमों के साथ बहु-विषयक संस्थानों का विकास करना। • निम्नलिखित तीन प्रकार के संस्थानों के साथ एक नई संस्थागत संरचना: ○ **टाइप 1: अनुसंधान विश्वविद्यालय-** अनुसंधान और शिक्षण पर समान रुप से ध्यान केंद्रित करेंगे। ○ **टाइप 2: शिक्षण विश्वविद्यालय-** मुख्य रुप से उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा साथ ही अत्याधुनिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। ○ **टाइप 3: महाविद्यालय-** अनन्य रुप से उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
अधिक उदार शिक्षा	• सभी छात्रों के लिए एक **साझा पाठ्यक्रम और एक/दो क्षेत्र (क्षेत्रों)** की विशेषज्ञता के साथ स्नातक पाठ्यक्रम को पुनःतैयार करना। • **लिबरल आर्ट्स** में चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रमों को प्रारंभ करना, जिसमें उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ विविध एग्जिट विकल्प उपलब्ध हों। • पांच **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ लिबरल आर्ट्स** को मॉडल बहु-विषयक लिबरल आर्ट्स संस्थानों के रुप में स्थापित किया जाना चाहिए।
इष्टतम अधिगम परिवेश	• **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF)** द्वारा अधिगम परिणामों को रेखांकित किया जाएगा। **विकास** के लिए मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाना चाहिए **न कि निर्णय पर।** • विद्यार्थियों की **व्यावसायिक तत्परता** पर ध्यान देना और उन्हें **संस्थागत प्रक्रियाओं** में शामिल करना।
अनुसंधान	• **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना:** गुणवत्तायुक्त अनुसंधान के लिए निधि उपलब्ध कराना तथा परामर्श, प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना। इसमें चार प्रमुख प्रभाग शामिल होंगे, यथा: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और कला एवं मानविकी। हालाँकि, अतिरिक्त प्रभागों को शामिल करने के प्रावधान भी शामिल होंगे।

VISION IAS

शिक्षा अभिशासन एवं विनियमन	
सामान्य	• शिक्षा से संबंधित विज़न के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और पुनरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA)** और मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में **राज्य शिक्षा आयोगों** की स्थापना करना।
विद्यालय	• **पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना**- ये कॉम्प्लेक्स एक सन्निहित क्षेत्र में सभी चरणों की शिक्षा प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूलों के समूह के रुप में स्थापित किए जाएंगे। • राज्यों द्वारा शिक्षा संबंधी अन्य कार्यों, यथा- नीति निर्धारण, स्कूल संचालन आदि के **नियामक कार्यों को पृथक** किया जाएगा। • प्रत्येक राज्य के लिए एक **स्वतंत्र राज्य विद्यालय विनियामकीय प्राधिकरण** का गठन करना, जो सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान बुनियादी मानक निर्धारित करेगा। • प्रत्येक जिले में विद्यालय प्रणाली की निगरानी के लिए **जिला शिक्षा परिषद** की स्थापना की जाएगी।
उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEIs)	• सभी सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान, एक **स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** द्वारा शासित होंगे। यह बोर्ड पूर्ण स्वायत्तता युक्त एवं संस्थानों के लिए सर्वोच्च निकाय होगा। • **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद** के नेतृत्व में एक प्रत्यायन परिवेश का सृजन करना।

शिक्षक प्रबंधन

- उत्कृष्ट छात्रों को अध्यापन पेशे में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **योग्यता आधारित छात्रवृत्ति** प्रदान करना।
- शिक्षकों को जिले के आधार पर भर्ती करके (जैसा कि अब कई राज्यों में किया जाता है) प्रथमतः स्कूल कॉम्प्लेक्स में नियुक्त किया जाएगा और तत्पश्चात उन्हें विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार, अलग-अलग विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।
- देश भर में सभी **"पैरा-टीचर"** (शिक्षाकर्मी) प्रणालियों को वर्ष 2022 तक समाप्त कर दिया जाएगा।
- शिक्षकों को विद्यालय समय के दौरान उनकी शिक्षण क्षमताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी **गैर-शिक्षण गतिविधियों** (जैसे- मध्यान्ह भोजन पकाना) **में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50 घंटे के लगातार चलने वाले **प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग** को अनिवार्यतः पूरा करने का प्रावधान किया गया है।
- HEIs में भी इसके समान **प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम** प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही वर्ष 2030 तक सभी HEIs में संकाय के लिए एक **स्थायी रोजगार (कार्यकाल) निगरानी प्रणाली** शुरु की जानी चाहिए।
- सभी शिक्षकों के पास **शैक्षिक प्रशासक** बनने हेतु संभावित करियर प्रोन्नति विकल्प उपलब्ध होंगे।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी

- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन** के द्वारा आभासी प्रयोगशालाओं को स्थापित करना। इसके कारण दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विषयों के प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सकेगी। मिशन के तहत प्रौद्योगिकी के समावेशन, परिनियोजन और उपयोग पर निर्णयन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रुप में **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम** को स्थापित किया जाएगा।
- अभिकलनात्मक बोध (समस्याओं और उनके समाधानों में चिंतन प्रक्रिया को इस प्रकार शामिल करना जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रभावी तरीके से उन्हें निष्पादित किया जाता है) का उपयोग करते हुए **विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।**
- संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रुप में बनाए रखने के लिए **नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ एजुकेशनल डेटा** स्थापित की जाएगी।

VISION IAS

मसौदा नीति के गुण

- इसे 1 लाख से अधिक गांवों एवं 6,000 प्रखंडों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसे तैयार करने के दौरान सभी स्तरों के लिए 33 विषयों से संबंधित विशिष्ट प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही मसौदे के प्रावधानों पर एक आम सहमति विकसित करने के लिए मंत्रालयों व राज्यों सहित अन्य सभी हितधारकों के विचार जानने हेतु विचार-विमर्श किया गया है।
- **यह नीति शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रुप में प्रावधानित करती है** और पेशेवर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि विभिन्न घटकों सहित **शिक्षा के सभी चरणों को व्यापक रुप से वर्णित करती है।**
- **इस नीति में शिक्षा के बुनियादी चरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।** ECCE पर कार्रवाइयों के संबंध में दिया गया सुझाव भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर निवेश हो सकता है, क्योंकि इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि बच्चों के संचयी मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही होता है।
- विद्यालयों को **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क** के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। यह प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को **नवाचारी पहलों को अपनाने** के लिए प्रेरित करेगा। इसके कारण यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम प्रथाओं का एक समुच्चय तैयार करेगा।
- मसौदे के तहत **शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए एक रुपरेखा तैयार की गई है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सर्वप्रमुख आवश्यकता है।
- यह नीति राज्य अधिकारियों के अन्य कार्यों से उनके नियामकीय कार्यों को पृथक कर, **कार्यभार** और हित संघर्ष की संभावना को समाप्त करती है।
- देश भर के वंचित क्षेत्रों में **विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZs)** की स्थापना का विचार सरकार के लिए ऐसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न विचारों के साथ प्रयोग करने में सहायक हो सकते हैं।
- **इस नीति में अनुसंधान पर फोकस किया गया है,** क्योंकि यह वित्तपोषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान करती है। इसके तहत सभी संस्थानों को **व्यापक शिक्षण-अनुसंधान संस्थान** बनाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अमेरिका में प्रचलित प्रणाली की तर्ज पर एक **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन** का विचार वस्तुतः समन्वय और अनुसंधान को दिशा देने के लिए एक प्रेरक कदम सिद्ध होगा।

त्रि-भाषा सूत्र पर वाद-विवाद

- प्रारंभिक मसौदे में, त्रि-भाषा सूत्र के तहत, विद्यालयी शिक्षा के लिए गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य करने का उल्लेख किया गया था।
- इस विशिष्ट उल्लेख के प्रति दक्षिणी राज्यों, विशेष रुप से तमिलनाडु द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।
- इसके बाद, हिंदी के प्रति विशेष संदर्भ को हटाकर तथा नीति के तहत किन्हीं भी तीन भाषाओं में निपुणता की आवश्यकता को प्रस्तावित कर सरकार ने एक संशोधित मसौदा प्रस्तुत किया।

मसौदा नीति में दोष

- इस नीति का क्रियान्वयन इस धारणा पर आधारित है कि शिक्षा का बजट अगले 10 वर्षों में लगभग दोगुना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित परिवर्तनों की सूची का अत्यंत विस्तृत होना, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय संबंधी मुद्दे और शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की ओर से एक सुदृढ़ तंत्र की अनुपस्थिति इस नीति के पूर्ण क्रियान्वयन पर प्रश्नचिन्ह आरोपित करती है।
- **यह नीति विद्यालयों की जवाबदेही की कमी को संबोधित नहीं करती है,** क्योंकि महत्वपूर्ण शक्तियों से वंचित विद्यालय प्रबंधन समितियां (SMCs), विद्यालयों और शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं।
- **CBSE स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन** के प्रतिनिधियों ने वर्तमान कक्षा 1 से 8 तक के स्थान पर प्री-किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे को विस्तारित करने पर चिंता व्यक्त की है। ज्ञातव्य है कि विद्यालयों को पहले से ही शुल्क संरचना का निर्धारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- **इस नीति के तहत फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने के साधन के रुप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को स्वीकार नहीं किया गया है** (जैसे- स्कूल वाउचर का विचार)। जबकि यह विद्यालयों की जवाबदेही को बनाए रखने में अभिभावकों की सहायता कर सकता है।
- सरकारी विद्यालय प्रणाली के साथ प्री-स्कूल को एकीकृत करने से अवसंरचना और लॉजिस्टिक संबंधी चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- यह नीति भारत के धनी और निर्धन बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच के अंतर को दूर करने में भी असफल है, क्योंकि इसमें सभी विद्यालयों में साझा न्यूनतम बुनियादी अवसंरचना एवं सुविधा मानकों को पूरा करने वाली अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया गया है।
- **"विद्यालय परिसरों"** की सुदृढ़ता के लिए अलग से वित्त पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

VISION IAS

आगे की राह

यह स्पष्ट है कि किसी भी नीति का परिणाम इसके क्रियान्वयन से जुड़ा होता है। अतः इस पर लगाये गए आक्षेपों का निराकरण करते हुए इस नीति के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

6.2. स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत

(Healthy States Progressive India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** द्वारा **"स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत"** शीर्षक से व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

- इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों या पैमानों के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन में हुए वार्षिक वृद्धिशील परिवर्तन के आधार पर **राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों** की रैंकिंग की जाती है।
- विश्व बैंक की तकनीकी सहायता के साथ एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के परामर्श से इस रिपोर्ट को **नीति आयोग** द्वारा तैयार किया गया है।
- स्वास्थ्य सूचकांक निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर आधारित एक **भारित समग्र सूचकांक** है:
  - **स्वास्थ्य परिणाम** (70%);
  - **अभिशासन और सूचना** (12%); तथा
  - **महत्वपूर्ण जानकारियाँ और प्रक्रियाएं** (18%)।

नोट: प्रत्येक डोमेन के भारांक का निर्धारण इसके महत्व के आधार पर किया गया है।

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को **एक स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी (Independent Validation Agency) द्वारा सत्यापित** किया गया।
- रिपोर्ट में एक समान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य समानता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों और UTs को **बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों** की **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा राज्यवार स्वास्थ्य रैंकिंग पर पहली बार वर्ष **2018 में रिपोर्ट** जारी की गयी थी।
- इसकी **द्वितीय रिपोर्ट, 2015-16 (आधार वर्ष) से 2017-18 (संदर्भ वर्ष) की अवधि अर्थात्, दो वर्ष की अवधि के प्रदर्शन की जांच करती है**।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र स्थिति का चित्रण:** 2015-16 और 2017-18 के मध्य केवल आधे राज्यों और UTs के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। अपेक्षाकृत बड़े और छोटे राज्यों की तुलना में UTs के प्रदर्शन में अधिक सुधार दर्ज किया गया है।
- **बड़े राज्य:** समग्र प्रदर्शन के मामले में **केरल, आंध्र प्रदेश** और **महाराष्ट्र** शीर्ष पर हैं, जबकि **हरियाणा, राजस्थान** और **झारखंड** वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन (annual incremental performance) के मामले में शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य हैं।
- **छोटे राज्य: मिज़ोरम** और **मणिपुर** समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर रहे, जबकि **त्रिपुरा** और **मणिपुर** वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रैंक वाले राज्य हैं।
- **UTs: चंडीगढ़** तथा **दादर और नागर हवेली** को समग्र प्रदर्शन (चंडीगढ़ -1 तथा दादरा और नगर हवेली -2) के साथ-साथ वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन (दादरा और नगर हवेली -1 तथा चंडीगढ़ -2) के मामले में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है।
- **पांच एम्पॉवर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स का प्रदर्शन:** बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में कमी दर्ज की गई है।

एम्पॉवर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स

- सरकार ने जनसँख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में फिसड्डी आठ राज्यों (2001 की जनगणना रिपोर्ट को देखते हुए) की जनसंख्या को स्थिर करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक एम्पॉवर्ड एक्शन ग्रुप (EAG) का गठन किया था।
- इन राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल हैं।

VISION IAS

- **समग्र प्रदर्शन में व्यापक असमानता:** सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रदत्त अंक सर्वाधिक निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है, जैसे- केरल को प्राप्त 74.01 के स्कोर की तुलना उत्तर प्रदेश का स्कोर 28.61 रहा।
- प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के आधार पर किये गए मापन के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के **स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर** तथा **आर्थिक विकास के स्तर** के मध्य एक सामान्य **सकारात्मक संबंध** विद्यमान था।

6.3. खाद्य और पोषण सुरक्षा

(Food And Nutrition Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** तथा **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** द्वारा तैयार **"खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत, 2019"** रिपोर्ट को जारी किया गया।

रिपोर्ट के निष्कर्ष : देश में खाद्य और कुपोषण की प्रवृत्ति

- **कुपोषण संबंधी प्रवृत्ति:** विगत दशक के दौरान ठिगनेपन (stunting) की समस्या में ⅛ भाग की कमी के बावजूद, पांच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक तीन भारतीय बच्चों में एक अर्थात् 31.4% बच्चे वर्ष 2022 तक ठिगनेपन की समस्या से ग्रस्त होंगे।
- देश में **कुपोषण संबंधी अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय विभिन्नताएं** विद्यमान हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ठिगनेपन एवं अल्पवजन की समस्या का सर्वाधिक स्तर पाया गया है।
- **बच्चों में विभिन्न प्रकार के कुपोषण की व्यापकता:** कुपोषण के किसी दो या सभी तीन प्रकारों (ठिगनेपन, दुबलेपन (wasting) और अल्पवजन) से बच्चें ग्रसित हैं।
- **महिलायें और कुपोषण:** सामान्य या अधिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बॉडी मास इंडेक्स: BMI) वाली महिलाओं की तुलना में कम BMI एवं निम्न शिक्षा स्तर वाली महिलाओं से जन्म लेने वाले बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन एवं अल्पवजन की समस्या से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है।
- **एनीमिया की व्यापकता:** भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है, जहाँ 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं की लगभग आधी आबादी (चाहे उनकी आयु, निवास स्थल या गर्भावस्था की स्थिति कोई भी हो) रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।
- **बच्चों में कुपोषण के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक:** धन-संपदा में वृद्धि के साथ-साथ कुपोषण की व्यापकता में निरंतर कमी हुई है। सामाजिक समूहों के सन्दर्भ में, बच्चों में ठिगनेपन की समस्या सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों (43.6 प्रतिशत), अनुसूचित जातियों (42.5 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ी जातियों (38.6 प्रतिशत) में व्याप्त है।
- **कुपोषण का दोहरा बोझ:** भारत अति-पोषण और अल्प-पोषण दोनों से ग्रस्त है। यह समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है।

भारत में कुपोषण में वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारक

- **उत्पादन और पहुंच संबंधित विरोधाभास:** भारत में, विगत दो दशकों में खाद्यानों की पैदावार में लगभग 33% की वृद्धि हुई है। हालांकि, जनसंख्या वृद्धि, असमानता, भोजन के अपव्यय एवं ह्रास और निर्यात के कारण चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यानों तक उपभोक्ता की पहुंच में समान दर से वृद्धि नहीं हुई है।
- **उपभोग में बढ़ती विविधता:** ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में अनाज के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा व पोषण की मात्रा में कमी हुई है। वर्तमान में, बड़े पैमाने पर अन्य खाद्य पदार्थों, जैसे- दूध एवं डेयरी उत्पादों, तेल एवं वसा और अपेक्षाकृत अस्वास्थ्यकर भोजन (यथा- फास्ट फूड, प्रसंस्कृत भोजन और शर्करा) के उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसने **भारत में मोटापे की उभरती समस्या** में प्रमुखता से योगदान दिया है।
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की असफलता और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन में कमी:** उल्लेखनीय है कि PDS द्वारा भारत में सभी राज्यों में लोगों को महत्वपूर्ण पोषण संबंधी पूरकता प्रदान की गई है। हालांकि, इसके निम्नस्तरीय लक्ष्यीकरण के कारण, निर्धनतम 30 प्रतिशत परिवारों की **भोजन तक पहुंच संबंधी क्षमता अपेक्षाकृत** कम रही है।

- **कुपोषण के बारे में:** इसमें अल्पपोषण (दुबलापन, ठिगनापन, अल्पवजन), अपर्याप्त विटामिन या खनिज तत्व, अति वजन, मोटापा और इसके परिणामस्वरुप आहार संबंधी गैर-संचारी रोग शामिल हैं।
- **कुपोषण के प्रकार:**
  - **मध्यम तीव्र कुपोषण (Moderate Acute malnutrition: MAM):** 6 से 59 माह के आयु वर्ग के बच्चों में ऊँचाई के अनुसार

वजन (दुबलापन) हेतु मानक विचलन का मान -2 से -3 SD (स्टैण्डर्ड डेविएशन) के बीच होने की स्थिति को MAM के रुप में परिभाषित किया गया है।

- **गंभीर तीव्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition: SAM):** 6 से 59 माह के आयु वर्ग के बच्चों में ऊंचाई के अनुसार वजन (दुबलापन) का स्तर औसत 3 SD से कम होने, बांह के ऊपरी-मध्य भाग की परिधि 115 मिमी से कम होने, या दोनों पैरों में सूजन (bilateral edema) की स्थिति को गंभीर तीव्र कुपोषण के रुप में परिभाषित किया जाता है।
- **गंभीर दीर्घकालिक कुपोषण (Severe Chronic Malnutrition: SCM):** इसे Z स्कोर के माध्यम से मापा जाता है, साथ ही इसे आयु के अनुसार ऊंचाई और/या दोनों पैरों में सूजन की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संदर्भ जनसंख्या के औसत वजन से -3SD से कम होने के रुप में परिभाषित किया गया है।
- **ठिगनापन (Stunting):** इसकी गणना आयु के अनुसार लम्बाई पर आधारित होती है। यह अल्पविकसित मस्तिष्क, निम्नस्तरीय अधिगम क्षमता और बढ़ती पोषण संबंधी बीमारियों से संबंधित है।
- **दुबलापन (Wasting):** इसकी गणना लम्बाई के अनुसार वजन पर आधारित होती है। यह शरीर में वसा की मात्रा के कमी को संदर्भित करता है। इसे वेस्टिंग सिंड्रोम के रुप में भी जाना जाता है। यह मांसपेशियों और वसा ऊतकों को दुर्बल करता है।
- **अल्प वजन (Underweight):** आयु के अनुसार वजन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। यह स्वस्थ शरीर के मानक वजन से अत्यधिक कम वजन होने की स्थिति को संदर्भित करता है। यह ठिगनेपन और दुबलेपन दोनों को प्रतिबिंबित कर सकता है।

कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारण

- **निर्धनता:** यह पर्याप्त भोजन तक पहुंच को बाधित करती है।
- **जागरुकता की कमी:** शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में।
- **महिलाओं पर सामाजिक दबाव:** कम आयु में विवाह लड़कियों के अपरिपक्व अवस्था में गर्भधारण का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरुप अल्प वजन के नवजात शिशुओं के जन्म, निम्नस्तरीय स्तनपान प्रथाएं और खराब पूरक आहार व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है।
- **पुरुष वर्चस्व:** अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाएँ पुरुष सदस्यों के खाने के उपरांत भोजन करती हैं, जिसके कारण उन्हें कम पौष्टिक भोजन मिलता है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव,** स्वस्थ जीवन तक पहुंच को बाधित करता है।
- **सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में कमी** भोजन के उचित पाचन और स्वांगीकरण (Assimilation) में बाधा उत्पन्न करती है तथा जल और खाद्य जनित रोग उत्पन्न करती है।
- **निम्नस्तरीय स्वच्छता और पर्यावरणीय दशाओं** के कारण अनेक बीमारियों का प्रसार होता हैं, जिससे बच्चों के ऊर्जा स्तर में कमी आती हैं तथा उनका विकास भी बाधित होता है।
- अन्य कारण: महिलाओं में निरक्षरता और परिवारों का वृहत आकार।

देश में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)**
  - **उद्देश्य:** 2022 तक ठिगनेपन, अल्प पोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) एवं जन्म के समय अल्प वजन के स्तर को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना तथा वर्ष 2022 तक ठिगनेपन के स्तर को 38.4% (NFHS-4) से कम कर 25% (Mission 25 by 2022) तक करना।
- **राष्ट्रीय पोषण रणनीति**
  - यह एक 10-सूत्रीय पोषण कार्य योजना है। इसमें गवर्नेंस (अभिशासन) के स्तर पर किए जाने वाले सुधार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अल्प पोषण की समस्या में तीव्रता से कमी लाने हेतु यह एक ऐसी रुपरेखा की परिकल्पना करती है, जिनमें पोषण के चार प्रमुख निर्धारकों, यथा- स्वास्थ्य सेवाएँ, भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता और आय एवं आजीविका का समन्वित योगदान शामिल हो।
  - **राष्ट्रीय पोषण रणनीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:**
    - यह सर्वाधिक सुभेद्य और संवेदनशील आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक कुपोषण के सभी प्रकारों को कम करने का प्रयास करता है।

VISION IAS

- राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर अधिक लचीलापन तथा निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करते हुए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रणनीति में बच्चों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण स्तर तथा मातृ देखभाल में सुधार पर केंद्रित पहलों के प्रारंभ का प्रस्ताव किया गया है।
- रणनीति में परिकल्पित शासन संबंधी सुधारों में शामिल हैं:

- ICDS, NHM और स्वच्छ भारत के लिए राज्य एवं जिला कार्यान्वयन योजनाओं का अभिसरण;
- बाल कुपोषण के उच्चतम स्तर वाले जिलों में सबसे सुभेद्य समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना; तथा
- प्रभाव के साक्ष्य के आधार पर सेवा वितरण मॉडल।

भारत में कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें

- **कृषिगत विविधता:** किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों से परिपूर्ण खाद्यान्नों (जैसे- बाजरा) के साथ-साथ अन्य पौष्टिक सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी चाहिए।
- **खाद्य उत्पादकता की संधारणीयता:** उन्नत एवं कम लागत वाली कृषि तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सिंचाई कवरेज में वृद्धि और भूमि एवं जल के उचित उपयोग जैसे क्षेत्रों में किसानों के ज्ञान को बढ़ाना।
- **नीतिगत समर्थन:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लाभों का लघु जोतधारक किसानों (विशेषकर महिलाओं) तक विस्तार करना और मूल्य में उतार-चढ़ाव एवं हानि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना आदि ऐसे कदम हैं जो देश में मक्के अथवा अन्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन में संलग्न कृषकों की स्थिति सुधारने में सहायक हो सकते हैं।
- शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की वर्ष भर उपलब्धता बनाए रखने और कटाई के पश्चात् होने वाली हानि को रोकने के लिए इन वस्तुओं की भंडारण क्षमता में सुधार करना।
- **सेफ्टी नेट्स प्रोग्राम का सुदृढ़ीकरण:** निर्धनतम व्यक्ति का अंतर्वेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी फूड सेफ्टी नेट्स, विशेष रुप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की लक्षित दक्षता में सुधार करना। साथ ही, सूक्ष्म और वृहत पोषक तत्वों की कमी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए PDS में पोषणयुक्त भोजन का समावेशन करना।
- स्तनपान, प्रसव पूर्व देखभाल, आयरन फोलिक एसिड का सेवन और आहार नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में **जागरुकता में वृद्धि** करना।
- सभी प्रमुख कार्यक्रमों को **लैंगिक रुप से संवेदनशील बनाकर लैंगिक मुद्दों का समाधान** करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सूचना के प्रवाह को बेहतर बनाना तथा खाद्य प्रणालियों और पोषण सुरक्षा में अधिकाधिक नीतिगत सुसंगतता एवं समन्वय को प्रोत्साहित करना।

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है, जो खाद्य-सहायता उपलब्ध कराने में संलग्न है। WPF, विश्व की भुखमरी की समस्या के समाधान तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी मानवतावादी संस्था है।
- इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।
- यह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का एक अंग भी है।
- WFP के कार्यक्रमों का वित्त पोषण राष्ट्रीय सरकारों, निगमों और निजी दाताओं से प्राप्त स्वैच्छिक दान द्वारा किया जाता है।

6.4. फीमेल वर्क एंड लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया

(Female Work and Labour Force Participation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा **IKEA फाउंडेशन** के सहयोग से **"फीमेल वर्क एंड लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

पृष्ठभूमि

- यह रिपोर्ट मुख्य रुप से **रोजगार और कौशल-निर्माण संबंधी पहलों में व्यापक पैमाने पर निवेश** के बावजूद भारत में श्रमबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी की निरंतर समस्या के विवेचन पर केन्द्रित है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP)** वस्तुतः कार्यशील आयु समूह की महिलाओं की तुलना में कार्यरत अथवा कार्य करने की इच्छुक महिलाओं की हिस्सेदारी की माप है।
- विश्व बैंक के अनुसार, **वर्ष 2017-18** में भारत की **महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)** में **23.3%** की अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई।

VISION IAS

- यह पाया गया है कि श्रम बल में, शीर्ष कार्यशील आयु (25-60 वर्ष) समूह के अंतर्गत पुरुषों की भागीदारी 96% से भी अधिक है, जबकि ग्रामीण और शहरी महिलाओं की भागीदारी क्रमश: 37.48% और 25-28% है।
- रोजगार में सर्वाधिक गिरावट **प्राथमिक क्षेत्रक** में परिलक्षित हुई थी। इसके विपरीत, सेवा क्षेत्रक से संबंधित रोजगार में 6.6 मिलियन की वृद्धि हुई।
- शहरी FLFPR की तुलना में ग्रामीण FLFPR **उल्लेखनीय रुप से अधिक** है।

उच्च, महिला श्रम बल भागीदारी : अर्थव्यवस्था के लिए अधिक लाभकारी

निम्न श्रम बल भागीदारी न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण, अपितु उनके समग्र विकास में भी प्रमुख अवरोधक है।

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** के आंकलनों से ज्ञात हुआ है कि यदि महिला श्रमिकों की संख्या बढ़कर पुरुष श्रमिकों के समान हो जाती है तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
- **एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP)** के अध्ययन के अनुसार, यदि भारत की महिला श्रम बल भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका (86%) के समान हो जाती है, तो भारत के GDP में प्रतिवर्ष 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हो सकता है।

श्रम बल में महिलाओं की निम्न भागीदारी के कारण

- **व्यापक नीतिगत समर्थन एवं प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव:** जहाँ एक ओर वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, नियोजन एवं निष्पादनों को सक्षम बनाने के लिए कई नीतियां मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत कम राष्ट्रीय नीतियां सहायक सेवाओं, यथा- अस्थायी आवास, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा, प्रवास सहायता तथा शिशु देखभाल पर केंद्रित हैं, जो महिलाओं को कौशल कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करने या कार्यबल का हिस्सा बनने के लिए सक्षम बनाती हैं।
- **शिक्षा-रोजगार के मध्य अंतराल:** हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त और विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातकों के लिए जो रोजगार उपलब्ध हैं, वे महिलाओं (जो कार्य की तलाश में हैं) की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए, उच्च शिक्षित महिलाएं उन नौकरियों में कार्य करने की इच्छुक नहीं होती हैं जो उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं होते हैं। क्लैरिकल एवं सेल्स से संबद्ध नौकरियां भी मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए पर्याप्त वेतन के अवसर उपलब्ध नहीं कराती हैं।
- **घरेलू और श्रम बाजार के प्रतिस्पर्धी परिणाम**
  - श्रम बाजार छोड़ने वाली अधिकांश महिलाएँ विवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू आय पर पड़ने वाले **पति की आय (और शिक्षा)** के प्रभाव के कारण भी महिलाएं श्रम बल से बाहर हो जाती हैं।
  - **मातृत्व संबंधी कारक:** श्रम बल में शामिल होने वाली अधिकांश महिलाओं द्वारा एक संतान को जन्म देने के पश्चात् नौकरी छोड़ दी जाती है और वे पुन: अपनी नौकरी पर वापस लौटने में असमर्थ होती हैं। **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2016** (जो एक महिला को 26 सप्ताह के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है) ने कंपनियों की लागत में वृद्धि की है और इसने कंपनियों को महिलाओं को नियोजित करने से भी हतोत्साहित किया है। वर्ष 2017-18 में महिला नौकरियों की अनुमानित क्षति 1.1 से 1.8 मिलियन के मध्य थी। इसमें मातृत्व संबंधी कारक से हुई क्षति सर्वाधिक थी।
  - गुणवत्तायुक्त डे-केयर की अनुपलब्धता एक अन्य प्रमुख कारक है जो महिलाओं को उनके मातृत्व अवकाश के पश्चात् पुन: कार्यरत होने से प्रतिबंधित करती है। इसी प्रकार, यदि **महिलाओं की उत्पादकता,** श्रम बाजार के प्रतिफल की तुलना में **घरेलू कार्यों में अधिक होती** है, तो महिलाओं के श्रम बल से हटने की संभावना भी अधिक रहती है।
- **महिला प्रवासन संबंधी बाधाएं:** विगत दशक में शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली ग्रामीण महिलाओं (कार्यशील आयु वर्ग) के अनुपात में बहुत कम वृद्धि हुई है। यहां तक कि कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन भी महिलाओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कुल भारतीय प्रवासियों में महिलाओं का हिस्सा एक-चौथाई से भी कम है।
- **सामाजिक मानदंड और संस्थाएँ:** दृढ़तापूर्वक स्थापित सामाजिक मानदंड, प्रेरक संस्थाओं का अभाव, लैंगिक आधार पर व्यवसायों का विभाजन आदि के परिणामस्वरुप प्राय: महिलाओं के पास रोजगार एवं कार्य संबंधी निर्णयों हेतु अल्प विकल्प विद्यमान होते हैं।
  - **भेदभाव:** पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य रोजगार और वेतन संबंधी अंतराल की व्याख्या केवल शिक्षा, अनुभव और कौशल संबंधी अंतरों के आधार पर नहीं की जा सकती हैं, बल्कि कई **अन्य अप्रत्यक्ष पहलू भी भेदभाव के लिए उत्तरदायी हैं।**
  - सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त महिलाओं की अल्प सवैतनिक अवकाशों और नियोजन की लघु अवधि सहित अलिखित अनुबंधों के आधार पर कार्य की संभावना अधिक होती है। कुछ समुदायों में, **महिलाओं द्वारा घर से बाहर कार्य करने** (विशेष रुप से तुच्छ समझे जाने वाले कार्य) के कृत्य को एक कलंक माना जाता है। यह स्थिति महिलाओं पर नौकरी छोड़ने के लिए पारिवारिक और सामाजिक दबाव उत्पन्न करती है।

VISION IAS

- **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न:** एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 31% कंपनियों द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 का अनुपालन नहीं किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत **"आंतरिक शिकायत समिति"** के गठन को अनिवार्य बनाया गया है।

FLFP में सुधार हेतु सुझाव

- **नीति की रुपरेखा का पुनर्निर्धारण**
  - सुरक्षा व आकांक्षा संरेखण जैसे सक्षमकारी कारकों को सम्मिलित करके श्रम बाजार कार्यक्रमों के लिए **आउटकम मैट्रिक्स** को संशोधित करना।
  - प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता एवं उन्नत कौशल प्रशिक्षण तथा उच्च शिक्षा से संबंधित **कार्यक्रमों का समेकन।**
  - विद्यालयों में डिजिटल और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित) शिक्षा की शुरुआत सहित शिक्षा पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने वाली एक प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।
- **नवाचारी कार्यक्रम:** मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के संदर्भ में श्रम बाजार में महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने हेतु **कर नीतियों का प्रयोग करके नवाचारी कार्यक्रम को अपनाना चाहिए।** आंतरिक शिकायत तंत्र, महिलाओं के अनुकूल परिवहन व्यवस्था और ऐसी ही अन्य सुविधा प्रदान करने वाले उद्यमियों को कर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- **संचार और व्यवहार संबंधी परिवर्तन:** सामाजिक मानदंडों को परिवर्तित करने के लिए **वृहद् स्तर पर ऐसे सामाजिक अभियानों में निवेश किया जाना चाहिए** जो लैंगिक रुढ़िवादिता को समाप्त कर सके तथा महिलाओं को शामिल करते हुए **परिवार में पुरुषों की भूमिका को पुनर्परिभाषित कर सके।**
- **रोजगार में प्रवेश करने और उसमें बने रहने हेतु सहायक सेवाएँ**
  - प्रशिक्षण केंद्रों पर चाइल्डकेयर की व्यवस्था करना;
  - प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के दौरान की जाने वाली यात्रा, अस्थायी आवास, बोर्डिंग और अन्य व्ययों के लिए बेहतर वृत्ति (stipends) प्रदान करना;
  - उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना जो कार्य और नौकरियों की तलाश में **प्रवास** करती हैं;
  - अनौपचारिक और औपचारिक **मेंटरशिप** के लिए मंचों का विकास करना; तथा
  - महिला **रोल मॉडलों** (प्रेरणा स्रोतों) एवं विभिन्न संस्थानों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस सहयोग को प्रतीकवाद द्वारा नहीं बल्कि **आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी** को बढ़ाकर प्राप्त किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

महिलाओं की न केवल कार्यबल में, बल्कि विधायिकाओं, पुलिस, सशस्त्र बलों और न्यायपालिका में व्यापक, गहन और अधिक सार्थक भागीदारी का मुद्दा एक जटिल किन्तु एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतः, **कार्यक्रमों से संबंधित लैंगिक-संवेदनशीलता** को बढ़ाने हेतु प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है। महिलाओं की बहुपक्षीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रम के घटकों को प्रभावी रुप से क्रियान्वित कर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

6.5. SDG जेंडर इंडेक्स

(SDG Gender Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक लैंगिक समानता के मापन हेतु **SDG जेंडर इंडेक्स** (SDG लैंगिक सूचकांक) नामक एक नए सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को **129 देशों में से 95वां स्थान** प्राप्त हुआ है।

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- 129 देशों (जो विश्व की 95% बालिकाओं एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं) का वैश्विक औसत स्कोर 100 में से **65.7** है। इन्हें इस सूचकांक में **"खराब (poor)"** प्रदर्शनकर्ताओं की श्रेणी में रखा गया है।
- **किसी भी देश** द्वारा 90 या इससे अधिक के स्कोर (अर्थात् **"उत्कृष्ट (excellent)"** प्रदर्शनकर्ता) को प्राप्त नहीं किया गया है।

SDG जेंडर इंडेक्स के बारे में

- इसे **"इक्वल मेजर 2030 (Equal Measures 2030)"** और इसके भागीदार संगठनों द्वारा द्वारा तैयार किया गया है। इक्वल मेजर 2030 निम्नलिखित क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है:
  - अफ्रीकन वुमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क;
  - एशियन-पैसिफ़िक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमन;

- बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन;
- प्लान इंटरनेशनल; और
- इंटरनेशनल वुमन हेल्थ कोलिशन।

- इस सूचकांक में 14 SDGs के अंतर्गत सम्मिलित 51 लैंगिक विशिष्ट संकेतकों को शामिल किया गया है। (उल्लेखनीय है कि कुल आधिकारिक SDGs की संख्या 17 है।) इनमें निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं को कवर किया गया हैं।
- समग्र सूचकांक स्कोर 0-100 के स्केल पर आधारित हैं। 100 का स्कोर अंतर्निहित संकेतकों के संबंध में पूर्ण लैंगिक समानता की उपलब्धि को इंगित करता है।

भारत से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- भारत को रैंकिंग में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शामिल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 23 देशों में भारत को 17वां स्थान (56.2 स्कोर के साथ) प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भारत निम्न श्रेणी के देशों में सम्मिलित है।
  - इस सूचकांक में भारत को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख और पोषण तथा ऊर्जा जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत **उच्च अंक** प्राप्त हुए हैं।
  - इस सूचकांक में भारत को संसद में महिलाओं द्वारा प्राप्त सीटों का अनुपात और भागीदारी (विश्व भर के 10 निम्न श्रेणी वाले देशों में), उद्योग, अवसंरचना, नवाचार तथा जलवायु जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत **निम्न अंक** प्राप्त हुए हैं।

6.6. UN वुमन की नई रिपोर्ट

(UN Women's New Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, UN वुमन द्वारा **"प्रोग्रेस ऑफ़ द वर्ल्ड वुमन 2019-20: फेमिलीज इन अ चेंजिग वर्ल्ड"** नामक शीर्षक से एक नवीन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

UN वुमन के बारे में

- यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है, जिसे 2010 में स्थापित किया गया था।।
- यह **महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के उद्देश्यों को मूर्त रुप प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करती है** तथा निम्नलिखित चार रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं की समान भागीदारी हेतु प्रयास करती है:
  - शासन प्रणालियों में महिलाओं को नेतृत्व, भागीदारी प्राप्त होने के साथ-साथ समान रुप से लाभ प्राप्त होने चाहिए;
  - महिलाओं को आय सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए;
  - सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का जीवन हिंसा के सभी रुपों से मुक्त होना चाहिए; तथा
  - महिलायें एवं बालिकाएं स्थायी शांति और सुनम्यता (resilience) के निर्माण में अधिक योगदान देने के साथ-साथ इससे अत्यधिक प्रभावित भी होती हैं और प्राकृतिक आपदाओं तथा संघर्षों एवं मानवीय कार्रवाई की रोकथाम से समान रुप से लाभान्वित भी होती हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर परिवारों की विविधता के बारे में उल्लेख किया गया है। यह परिवार के सभी सदस्यों, विशेष रुप से महिलाओं और बालिकाओं की आवश्यकताएं पूर्ण करने वाले कानून एवं नीतियों के समर्थन में अनुशंसाएं करती है तथा इन्हें क्रियान्वित करने हेतु ठोस प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करती है।
- **परिवारों का महत्व:** परिवार वस्तुतः समानता और न्याय के लिए एक स्थान के रुप में कार्य करते हैं। ज्ञातव्य है कि समानता और न्याय न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, अपितु ये SDGs को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भी हैं।
  - परिवार लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण संचालक हो सकते हैं, बशर्ते निर्णय-निर्माणकर्ताओं द्वारा लोगों के जीवन को सकारात्मक रुप से प्रभावित करने वाली इस प्रकार की ठोस नीतियों को क्रियान्वित किया जाए। इनके केंद्र में महिलाओं के अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए।

- **घरेलू क्षेत्र में होने वाली हिंसा को उजागर करना:** रिपोर्ट के अनुसार परिवार संघर्ष, असमानता और कुछ सीमा तक हिंसा को जन्म देने वाले प्रमुख केंद्र हो सकते हैं।
    - **पाँच देशों में से एक देश में, बालिकाओं को बालकों के समान पैतृक संपति का अधिकार प्राप्त नहीं हैं।**
    - विकासशील देशों में, एक-तिहाई विवाहित महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के संबंध में बहुत कम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत में, कुल परिवारों में से 46.7% परिवारों में दंपति अपने बच्चों के साथ रहते हैं, 31% से अधिक विस्तारित परिवारों (extended families) में रहते हैं, जबकि एकल व्यक्ति परिवारों की संख्या 12.5% हैं।
- कुल भारतीय परिवारों में से 4.5% परिवार का संचालन एकल माताओं द्वारा किया जाता है।
- रिपोर्ट में यह विश्लेषण किया गया है कि विविध पारिवारिक संरचनाएं किस प्रकार महिलाओं एवं उनकी पसंद को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए- भारत में जिस घर में माता-पिता दोनों उपस्थित हैं, उन परिवारों में निर्धनता की दर 22.6% है, वहीं एकल माता वाले परिवारों में निर्धनता की दर 38% है।

रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं:

- महिलाओं को कब और किससे विवाह करना है, इसका चयन करने तथा परिवार के संसाधनों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु **परिवारिक कानूनों में संशोधन एवं सुधार किया जाने चाहिए।**
- साथ रहने एवं समलैंगिकता की स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा हेतु **साझेदारी के विविध रुपों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।**
- महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन विकल्पों का विस्तार करने हेतु सार्वजनिक सेवाओं, विशेष रुप से प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना चाहिए।
- परिवार को बनाएं रखने हेतु वैतनिक पितृत्व अवकाश (पैरंटल लीव) और राज्य द्वारा बच्चों एवं वृद्धजनों की देखभाल हेतु सहायता, जैसे- **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों** को बढ़ावा देना चाहिए।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय और सहायता प्रदान करने हेतु कानून के क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

6.7. जनसंख्या शोध केंद्र

(Population Research Centres: PRCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या शोध केंद्रों (PRCs) के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जनसंख्या शोध केंद्र (PRC) के बारे में

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 18 जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो 17 प्रमुख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अवस्थित हैं।
- **PRCs** स्वायत्त प्रकृति के होते हैं, जो अपने मेजबान विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।

PRCs का इतिहास:

- आरंभ में, जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर अनुसंधान करने हेतु जनसांख्यिकीय उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर **जनसांख्यिकी शोध केंद्रों (Demographic Research Centres: DRCs) की स्थापना की गई।**
- तत्पश्चात, फैमिली प्लानिंग कम्युनिकेशन (परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित) के क्षेत्र में शोध अध्ययन हेतु **फैमिली प्लानिंग कम्युनिकेशन एक्शन रिसर्च सेंटर्स** स्थापित किए गए थे।
- शोध के क्षेत्र में संलग्न सभी केन्द्रों की गतिविधियों की प्रकृति लगभग समान होने के कारण **1978-79 में** DRC और फैमिली प्लानिंग कमेटी एक्शन रिसर्च सेंटर्स का नाम परिवर्तित कर **जनसंख्या शोध केंद्र (PRC)** कर दिया गया।

VISION IAS

- 2013-14 में मनोज झालानी की अध्यक्षता में गठित **"PRC समिति"** ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें देश भर में PRCs से संबंधित एक व्यवस्थित कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश की गई थी।

- **PRCs के प्रकार्य:**
  - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर चल रही योजनाओं हेतु **योजना निर्माण, रणनीतिक उपाय एवं नीतिगत हस्तक्षेपों** के लिए इन शोध अध्ययनों से प्राप्त फीडबैक का लाभ उठाते हुए परिवार नियोजन, जनांकिकीय अनुसंधान तथा जनसंख्या नियंत्रण के जैविक अध्ययन एवं गुणात्मक पहलू आदि से संबंधित **शोध परियोजनाओं को आरम्भ करना।**
  - यह मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य अध्ययन कार्यों में संलग्न है, जैसे- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2008-09 के दौरान देश भर में आयोजित किए गए **NRHM का समवर्ती मूल्यांकन** करना तथा मंत्रालय के **वृहत स्तरीय नमूना सर्वेक्षण** के कार्यों को संपादित करना, यथा- जिला स्तरीय हाउसहोल्ड सर्वेक्षण **(DLHS),** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण **(NFHS)** और लोंगिट्युडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया **(LASI)**।
- इन्हें प्रति वर्ष अनुदान के रुप में **100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता** प्रदान की जाती है।

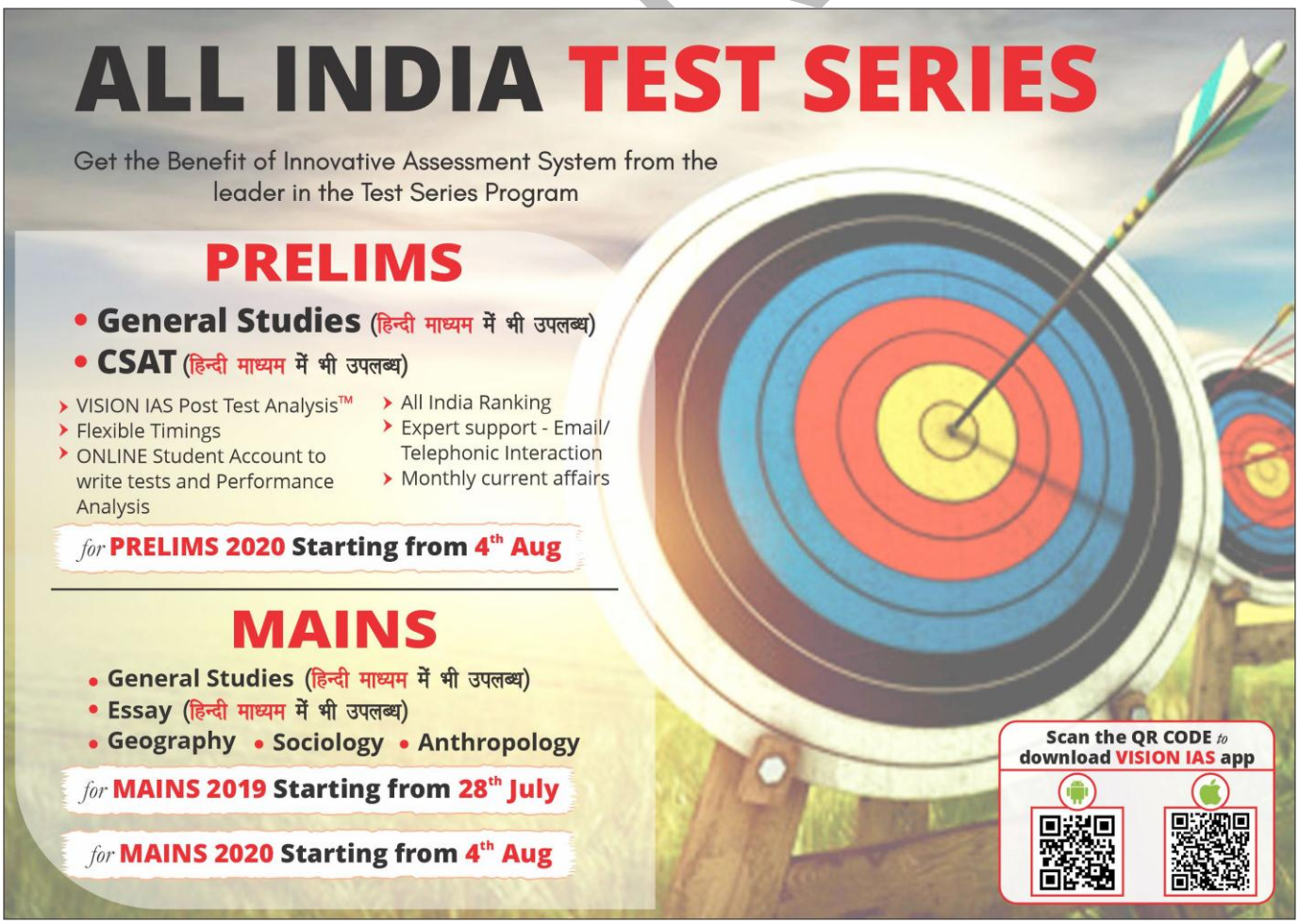

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. डेटा का स्थानीयकरण

(Data Localization)

सुर्ख़ियों में क्यों

अप्रैल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 'भुगतान प्रणाली संबंधी डेटा के संग्रहण' पर अपने निर्देशों के स्पष्टीकरण में यह घोषणा की गई कि भुगतान प्रणाली प्रदाताओं द्वारा समग्र भुगतान संबंधी डेटा को केवल भारत में स्थित सिस्टम में ही संगृहीत किया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डेटा स्थानीयकरण के संबंध में जारी निर्देश

अप्रैल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों (PSOs) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि भुगतान प्रणाली से संबंधित समग्र डेटा को 6 माह के भीतर भारत में स्थित डेटाबेस में संगृहीत किया जाए।

- ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत **भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पर लागू** होते हैं। इसमें मास्टरकार्ड (MasterCard) और वीज़ा (Visa) जैसे भुगतान गेटवे से लेकर पेटीएम (PayTM) जैसी कई ई-वॉलेट कंपनियां भी शामिल हैं।
- इसमें एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण और भुगतान अथवा निपटान लेनदेन से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।
- **विशिष्ट घरेलू प्रकार के लेनदेन के विदेश में संसाधित (प्रोसेसिंग) होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है** किंतु ऐसे मामलों में, डेटा को विदेशों में स्थित सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए तथा भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के एक व्यावसायिक दिन अथवा 24 घंटे के भीतर, जो भी पहले हो, तक भारत वापस लाया जाना चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो **भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से,** लेन-देन की प्रकृति/उसके स्रोत के आधार पर **डेटा को विदेशी विनियामक के साथ साझा किया जा सकता** है।

डेटा का स्थानीयकरण क्या है?

- डेटा स्थानीयकरण एक अवधारणा है जो यह संदर्भित करती है कि किसी **देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उसी देश में संसाधित (प्रोसेसिंग) और संगृहीत किया जाना चाहिए।** इसमें डेटा प्रवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा सकता है अथवा सशर्त डेटा साझाकरण या डेटा मिररिंग (जिसके तहत डेटा की एक प्रति देश में संगृहीत करनी होती है) की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- इस धारणा में निरंतर वृद्धि हुई है कि डेटा का स्थानीयकरण डिजिटल डोमेन में संप्रभुता बनाए रखने और नागरिकों की सूचना संबंधी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में देशों की सहायता करेगा तथा यह शासन प्रणाली को निरंतर डिजिटलीकरण के माध्यम से बेहतर बनाएगा।

डेटा के स्थानीयकरण की दिशा में किए गए अन्य उपाय

- वर्ष 2018 में, **बी. एन. श्रीकृष्ण समिति** द्वारा डेटा सुरक्षा कानून संबंधी प्रस्ताव में यह अनुशंसा की गई कि **भारतीयों के सभी व्यक्तिगत डेटा** की कम से कम एक प्रति भारत में संगृहीत की जानी चाहिए। इसने डेटा की एक श्रेणी को **महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा** के रूप में भी परिभाषित किया, जिसे केवल भारत में संगृहीत और संसाधित किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार का एक प्रावधान **सरकार की ई-कॉमर्स नीति के प्रारूप** में भी शामिल किया गया, जिसमें "ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, सर्च इंजन आदि सहित विभिन्न स्रोतों से भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादित **सामुदायिक डेटा"** के स्थानीयकरण की अनुशंसा की गई।
- **ड्राफ्ट स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल सूचना सुरक्षा अधिनियम (DISHA)** डेटा को स्थानीयकृत करने के लिए स्वास्थ्य विनियामक को सशक्त करने का प्रयास करता है।

डेटा के स्थानीयकरण की आवश्यकता

- **देश का आर्थिक विकास:** जिस प्रकार एक समय कच्चा तेल एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन था उसी प्रकार आज डेटा एक बहुमूल्य नवीन आर्थिक संसाधन का रूप ले चुका है। साथ ही, यह चतुर्थ औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - भारत में डिजिटल डेटा वर्ष 2010 में 40,000 पेटाबाइट था जो कि वर्ष 2020 तक 2.3 मिलियन पेटाबाइट के स्तर तक पहुँच जाएगा। यह वैश्विक दर की तुलना में 2 गुना तीव्रता से वृद्धि कर रहा है। यदि इस समस्त डेटा को भारत अपने पास संगृहीत रखता है, तो यह वर्ष 2050 तक **डेटा सेंटर बाजार में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक** और **5वां सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार** बन जाएगा। इससे भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के आधार पर संचालित **अर्थव्यवस्था** की महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

VISION IAS

- भारत, **फिनटेक को अपनाने की दर की दृष्टि से** विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मध्य **दूसरे स्थान पर है।** डेटा स्थानीयकरण, उच्च मूल्य वाले **डिजिटल उत्पादों के घरेलू उत्पादन** को प्रोत्साहित करेगा।
- **क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स** आदि के डोमेन भविष्य में प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता बन सकते हैं।
- सरकारी विभागों के मध्य **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरणों का उपयोग करने और नीति निर्माण में इसके भविष्यसूचक दृष्टिकोण (predictive approach) को अपनाए जाने पर बल दिया जा रहा है।** डेटा का स्थानीयकरण होने से, कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए 'सार्वजनिक डेटा' तक सरकार की पहुंच की सीमा में विस्तार होगा (उदाहरण के लिए, उबर द्वारा एकत्र किया गया ट्रैफ़िक डेटा, गूगल मैप द्वारा एकत्रित स्ट्रीट डेटा आदि)।

- **भारत के कर राजस्व में वृद्धि:** प्रौद्योगिकी कंपनियां यूजर्स डेटा का व्यापक संग्रहण एवं प्रसंस्करण करती हैं तथा इनका इस डेटा पर निर्बाध नियंत्रण भी है। जिससे ये कंपनियां देश में करों का भुगतान किये बिना ही, यूजर्स के डेटा को देश से बाहर उपयोग करके, धन अर्जित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
  - डेटा के स्थानीयकरण से स्थानीय कार्यालयों के रूप में संपूर्ण **भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति में अत्यधिक वृद्धि होगी**, साथ ही कर दायित्व में **वृद्धि** होगी तथा **रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे।**
  - डेटा स्थानीयकरण **पेटीएम (PayTM) और फोन-पे (PhonePe) जैसी घरेलू कंपनियों द्वारा समर्थित** है क्योंकि इससे निष्पक्ष तथा एकसमान प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार क्षेत्र विकसित होगा, जिसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और भारत में स्थायी संस्थापन वाली कंपनियों के मध्य **कर दायित्वों में विभेद** के कारण अत्यधिक असमानता उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए **गूगल इंडिया के विज्ञापन आय संबंधी कर विवाद** पर न्यायालय में चल रही मुकदमेबाजी।
- **डेटा संप्रभुता और नागरिकों के डेटा की गोपनीयता बनाए रखना:** दूरस्थ सर्वर में डेटा संगृहीत होने से, सेवाप्रदाताओं (जैसे Google, Facebook आदि) की जवाबदेही कम हो जाती है क्योंकि ये भारतीय नियामक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। डेटा के स्थानीयकरण से, **डेटा के अंतिम उपयोग पर नियामक निरीक्षण** में सुधार होगा और **व्यापार क्षेत्राधिकार से संबंधित दोषों** का निवारण किया जाएगा। उदाहरण के लिए फेसबुक द्वारा मतदान को प्रभावित करने के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा को **कैम्ब्रिज एनालिटिका** के साथ साझा किया गया था।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा:** डेटा स्थानीयकरण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के जांच और अभियोजन के लिए उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करेगा।
  - वर्तमान में, कंपनियां अमेरिकी कंपनियों से डेटा प्राप्त करने के लिए **पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (Mutual Legal Assistance Treaties: MLATs)** पर निर्भर हैं जिससे विदेशी क्षेत्राधिकारों में विलंब और कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
  - अमेरिका जैसे अनेक देशों में, **टेक कंपनियों** को विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष डेटा प्रकटीकरण से कानूनी रुप से प्रतिबंधित किया गया है।

डेटा स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियां

- **आर्थिक लागत:**
  - **वर्ष 2014 में** सीमा-पार डेटा प्रवाह (Cross-border data flows) ने **वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.8 ट्रिलियन डॉलर** का योगदान दिया है, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 11 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। कठोर स्थानीयकरण मानदंड, **भारत में नवाचार और भारत में व्यापार करने में सुगमता** को प्रभावित कर सकते हैं।
  - **भारत की सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (ITES)** और **बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)** उद्योग (जैसे- टीसीएस/विप्रो) **सीमा पार डेटा प्रवाह** पर निर्भर हैं तथा यदि डेटा स्थानीयकरण को कठोरतापूर्वक लागू किया जाता है तो उन्हें उल्लेखनीय रुप से अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी। इससे भारत के आईटी उद्योग पर अधिक दबाव उत्पन्न हो सकता है जो मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण पहले से ही दबाव में हैं।
- **सुरक्षा चिंताएं:**
  - वैश्विक डेटा नेटवर्क से **भुगतान प्रणाली** को पृथक करने से **परिचालन क्षमता में कमी** आएगी तथा **लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी, प्रणालीगत जोखिम अथवा एकल बिंदु विफलता (single point of failure) जैसी समस्याएं** उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, **सिमेंटेक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट, 2017** के अनुसार, अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना के कारण भारत साइबर खतरों (जैसे- मैलवेयर, स्पैम और रैनसमवेयर आदि) के जोखिम के मामले में **तीसरा सबसे सुभेद्य** देश है।
- **वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद पर बल:**
  - यह वैश्विक प्रतिस्पर्धी इंटरनेट बाजार में अवरोध उत्पन्न करता है, जहां सूचना के प्रवाह का निर्धारण राष्ट्रीय सीमाओं के स्थान पर लागत और गति द्वारा किया जाता है।
  - यह अन्य देशों द्वारा डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं के दुष्चक्र को बढ़ा सकता है।

- **पहुँच संबंधी समस्या की निरंतरता:** कानून प्रवर्तन की प्रक्रिया में जाँच के लिए केवल "डेटा तक पहुँच" की आवश्यकता होती है और सर्वर का भौतिक स्थान (जहां सर्वर स्थित है) महत्व नहीं रखता है।
    - डेटा स्थानीयकरण मानदंडों से **एन्क्रिप्टेड रुप में रखे गए डेटा** तक पहुँच स्थापित नहीं हो सकती है (उदाहरण के लिए, WhatsApp का डेटा)।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि डेटा स्थानीयकरण से बेहतर गोपनीयता या सुरक्षा सुनिश्चित होती है। **राज्य द्वारा निगरानी का खतरा** और सरकार द्वारा **व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग किए जाने संभावना** बनी रहेगी।

आगे की राह

- **डेटा स्थानीयकरण की नीति को सार्वभौमिक स्वरुप प्रदान करने से पूर्व,** सरकार द्वारा डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण में स्थानीय क्षमताओं को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
    - डेटा सेंटरों/सर्वर फार्मों को **अवसंरचना का दर्जा** प्रदान करना।
    - ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त **भौतिक अवसंरचना** (ऊर्जा, रियल एस्टेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी) की व्यवस्था करना।
- भारत को नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **साइबर सुरक्षा कानून** की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की डेटा तक पहुंच में सुगमता को बढ़ावा प्रदान करने के लिए सरकार को **द्विपक्षीय समझौते** करने का प्रयास करना चाहिए।
    - **अमेरिका का 'क्लैरिफायिंग लॉफुल ओवरसीज यूज़ ऑफ़ डेटा' (CLOUD) एक्ट** डेटा पर अमेरिकी प्राधिकरणों के नियंत्रण को समाप्त करने एवं तकनीकी कंपनियों को विदेशी सरकारों के साथ इसे साझा करने की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान करता है। भारत को **क्लैरिफायिंग लॉ फुल ओवरसीज यूज़ ऑफ़ डेटा' (CLOUD) एक्ट** के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए **अपनी डेटा संरक्षण व्यवस्था** का **उन्नयन (अपग्रेड)** करना होगा।

वैश्विक स्तर पर भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं

- **चीन/रुस:** चीन/रुस में डेटा स्थानीयकरण के कठोर मानदंड विद्यमान हैं। चीन में, किसी भी व्यक्तिगत डेटा के सीमा-पार प्रवाह से पूर्व सुरक्षा आकलन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना परिचालकों" (Critical Information Infrastructure Operators) को चीन के भीतर कुछ व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी संगृहीत करने की आवश्यकता होती है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट (ECPA), अमेरिका-स्थित सेवा प्रदाताओं को किसी भी कानून प्रवर्तन इकाई (संस्था) को इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रकटीकरण करने से प्रतिबंधित करता है जब तक कि अमेरिकी कानून के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है।
- **यूरोपीय संघ:** सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation: GDPR) डेटा के सीमा-पार प्रवाह की अनुमति प्रदान करता है, परन्तु इसके लिए गंतव्य देश में साइबर सुरक्षा नियम का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है।

7.2. क्षयरोग का उन्मूलन

(Elimination Of Tuberculosis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम** के लिए 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के संबंध में अधिक जानकारी

- इस कार्यक्रम में **नौ राज्यों को शामिल किया** जाएगा और यह **वर्ष 2025 तक भारत में क्षयरोग को समाप्त करने के लिए सरकार की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना** को सहायता प्रदान करेगा।
- यह क्षयरोग के मामलों की रिपोर्टिंग करने के लिए **निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं** को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि रोगी अपनी उपचार प्रक्रिया पूर्ण करें।
- यह उपचार के दौरान आवश्यक महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करने के लिए **रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** भी प्रदान करेगा।
- यह **औषध-प्रतिरोधी क्षयरोग (Drug-Resistant Tuberculosis) की पहचान, उपचार और निगरानी को सुदृढ़ता** प्रदान करेगा तथा अतिरिक्त औषध प्रतिरोध का पता लगाने में प्रगति को भी ट्रैक करेगा।
- इस कार्यक्रम से भारत सरकार को **निक्षय (सरकार की टीबी के मामलों की वेब आधारित निगरानी प्रणाली)** की निगरानी और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त होगी।

क्षयरोग (टीबी) को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (UIP)** के अंतर्गत 12 प्राणघातक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, यथा-

VISION IAS

तपेदिक या क्षयरोग (टी.बी), डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खाँसी), टिटनेस, पोलियो (पोलियोमाइटिस), खसरा (मीजल्स), हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, रुबेला, रोटावायरस और निमोनिया (मई 2017 में शामिल किया गया)।

- **मिशन इन्द्रधनुष** के अंतर्गत, सात टीका निवारणीय रोगों अर्थात् डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, **बाल्यकालीन तपेदिक (टीबी)**, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा के विरुद्ध प्रतिरक्षण।
- **संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)** को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने रोग के कारण का पता लगाने और उपचार की सफलता के वैश्विक बेंचमार्क को प्राप्त किया है। वर्ष 2015 में क्षयरोग को नियंत्रित करने और उपचार के माध्यम से रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार कर क्षयरोग की घटनाओं को कम करने संबंधी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

वर्ष 2025 तक भारत में क्षयरोग को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

- **संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)** ने वर्ष 2025 तक भारत में क्षयरोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए **वर्ष 2017 में** राष्ट्रीय रणनीतिक योजना की रुपरेखा जारी की।
- यह **वर्ष 2017-2025 की अवधि के दौरान क्षयरोग को समाप्त करने का लक्ष्य और रणनीति प्रदान करती है** तथा क्षयरोग को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों का ध्यान महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर निर्देशित करने का लक्ष्य रखती है।
- इसके अंतर्गत टीबी मुक्त भारत के विज़न को पूरा करने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों के **अंतर्गत क्षयरोग को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्यों** से पांच वर्ष पूर्व ही भारत से क्षयरोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- टीबी उन्मूलन को **"पता लगाना (डिटेक्ट) - उपचार (ट्रीट) - रोकथाम (प्रिवेंट) - निर्माण (बिल्ड)" (DTPB),** इन चार रणनीतिक स्तंभों में एकीकृत किया गया है, यथा-
  - **पता लगाना (Detect): निजी प्रदाताओं** से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले टीबी रोगियों तक पहुँच स्थापित करने को प्रमुखता प्रदान करने के साथ औषध संवेदनशील क्षयरोग (Drug Sensitive TB) और औषध प्रतिरोधी क्षयरोग (Drug Resistant TB) के सभी मामलों तथा **उच्च जोखिम वाली जनसंख्या में अनिदानित** क्षयरोग का **पता लगाना।**
  - **उपचार (Treat): रोगी अनुकूल प्रणाली और सामाजिक सहायता** से देखभाल प्राप्त करने वाले टीबी के सभी रोगियों के लिए उचित क्षयरोग प्रतिरोधी **उपचार** का आरंभ करना और उसे निरंतर बनाए रखना।
  - **रोकथाम (Prevent):** अतिसंवेदनशील जनसंख्या में क्षयरोग के मामलों की **रोकथाम।**
  - **निर्माण (Build):** स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित करने के साथ अतिरिक्त मानव संसाधनों का **निर्माण** करना और संस्थानों को सशक्त करना, नीतियों को सक्षम बनाना और उनका सुदृढ़ीकरण करना तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।

क्षयरोग (टीबी) से संबंधित तथ्य

- यह जीवाणु **(माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस)** के कारण होने वाला संचारी रोग (वायु के माध्यम से प्रसारित) है जो प्रायः फेफड़ों को प्रभावित करता (पल्मोनरी टीबी) है और कभी-कभी अन्य अंगों को भी प्रभावित करता (एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी) है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्षयरोग भारत के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वर्ष 2015 में भारत में क्षयरोग के अनुमानित मामलों की संख्या 2.8 मिलियन थी।
- भारत में **क्षयरोग के मामले विश्व में सर्वाधिक** है, तत्पश्चात इंडोनेशिया और चीन का स्थान है।
- विश्व जनसंख्या का 1/3 भाग **अप्रकट क्षयरोग (latent TB) से ग्रसित** पाया गया है **(नैदानिक रुप से प्रकट सक्रिय क्षयरोग के प्रमाण के बिना)**, जिसका अर्थ है कि वे सक्रिय रुप से रोगग्रस्त लोगों से टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित (जानकारी के बिना) हो गए।
- **औषध प्रतिरोधी टीबी (Drug Resistant TB):**
  - **बहुऔषध प्रतिरोधी टीबी (Multidrug Resistance TB: MDR):** ऐसा **क्षयरोग** जिसमें कम से कम आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन {2 सबसे शक्तिशाली प्रथम पंक्ति की औषधियाँ (फर्स्ट लाइन ड्रग्स)} प्रभावशाली नहीं होती हैं।
  - **व्यापक रुप से औषध प्रतिरोधी टीबी (Extensively drug-resistant tuberculosis: XDR-TB): इसमें कम से** कम चार प्रमुख **क्षयरोग निवारक** औषधियों के प्रति प्रतिरोध होता है। इसमें किसी भी एक फ्लोरोक्विनोलोन (जैसे- लिवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन) के प्रतिरोध के अतिरिक्त द्वितीय पंक्ति (सेकंड लाइन) की कम से कम तीन इंजेक्टेबल औषधियों (अमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन या कैनामाइसिन) में से कम से कम एक के प्रति बहुऔषध-प्रतिरोध (MDR-TB) शामिल है।
  - **पूर्णतः औषध प्रतिरोधी टीबी (Totally drug-resistant tuberculosis: TDR-TB)**: ऐसा क्षयरोग जो प्रथम-पंक्ति और द्वितीय-पंक्ति की सभी क्षयरोग की औषधियों के प्रति प्रतिरोधी है।

VISION IAS

टीबी को समाप्त करने हेतु वैश्विक प्रयास

- **टीबी को समाप्त करने के लिए मास्को घोषणा-पत्र:** यह वर्ष 2017 में टीबी को समाप्त करने पर आयोजित प्रथम वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का परिणाम है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन-** क्षयरोग को समाप्त करने के लिए रणनीति **(WHO- End TB Strategy)**
  - **विजन:** ऐसे विश्व का निर्माण जो टीबी के कारण होने वाली किसी मृत्यु, रोगग्रस्तता और पीड़ाओं से मुक्त हो।
  - इसके अंतर्गत वर्ष 2035 के लिए तीन उच्च स्तरीय, व्यापक संकेतक और संबंधित लक्ष्य हैं:
    - वर्ष 2015 की तुलना में टीबी से होने वाली मृत्यु की संख्या में 95% की कमी करना।
    - वर्ष 2015 की तुलना में टीबी के मामलों की दर में 90% की कमी करना।
    - टीबी से प्रभावित परिवारों के लिए आपदा जनित लागत के स्तर को शून्य करना।

भारत में टीबी की समस्या में वृद्धि के कारण

- **निम्नस्तरीय चिकित्सा संबंधी अवसंरचना: भारत में टीबी विशेषज्ञ** सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही अधिक तनावग्रस्त और अनियमित हैं, साथ ही स्थिति को परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी अभाव है।
- **औषधियों का दुरुपयोग: भारत में टीबी स्वास्थ्य सेवा** के संबंध में प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति की टीबी औषधियों का अनुचित उपयोग एक अन्य समस्या है। टीबी के नए स्ट्रेन ने मानक औषधियों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित कर लिया है।
- **रोग के विषय में अज्ञानता और विलंब से निदान:** रोग उपचार से वंचित और गलत उपचार के मामलों का उच्च अनुपात भारत की टीबी महामारी को बढ़ावा देता है। इन मामलों के विषय में सार्वजनिक प्रणाली को सूचित नहीं किया जाता है तथा अधिकांश मामले अनिदानित (undiagnosed) अथवा अपर्याप्त रुप से निदानित रह जाते हैं।
- **औषधियों तक पहुंच प्राप्त न होना: भारतीय रोगी नई टीबी रोधी औषधियों जैसे बेडाक्विलिन और डेलामैनिड** तक पहुंच प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं, जो अभी केवल कुछ ही केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।
- **कम प्रभावी उपचार:** भारत में, उपचार के लिए सूक्ष्मजीव रोधी औषधियों (antimicrobial drugs) का उपयोग अन्य देशों की तुलना में प्राय: लंबे समय तक किया जाता है, जिसके कारण रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रगति की निगरानी करना कठिन हो जाता है। इसलिए कुछ लोग सहज रुप से औषधियाँ लेना बंद कर देते हैं।
- **जागरुकता का अभाव:** टीबी के प्रसार के विरुद्ध समुदायों में जागरूकता को बढ़ाना ही इस रोग के विरुद्ध रक्षा की अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करेगा, जो कि धन के अभाव के कारण गंभीर रूप से बाधित है।
- **वायु प्रदूषण के साथ संबंध:** अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि वायु प्रदूषण और सक्रिय टीबी के जोखिम के मध्य एक संभावित सह-संबंध विद्यमान है। भारत में, टीबी संक्रमण की वृद्धि, कई भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में निराशाजनक गिरावट से संबंधित है।
- **स्वास्थ्य संबंधित अन्य कारक: टीबी के लिए अन्य प्रमुख जोखिम कारकों में** शराब, धूम्रपान, मधुमेह, एचआईवी और अल्पपोषण सम्मिलित हैं।

आगे की राह

- **स्वास्थ्य अवसंरचना और निदान के संबंध में सुधार:** सार्वजनिक क्षेत्रक के क्लीनिक एवं अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा औषधियों तक पहुंच और उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए।
- **बजटीय आवंटन में वृद्धि करना:** टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को अधिक तीव्रता और प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करना।
- **औषधियों का प्रभावी उपयोग:** सरकार को देश भर में औषधियों के डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट-शॉर्ट कोर्स (DOTS) के अंतर्गत नियमित निश्चित खुराक के संयोजन को शीघ्र आरंभ करने के साथ ही नई नैदानिक प्रौद्योगिकी तथा नई टीबी निवारक औषधियों का उपयोग आरंभ करना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक की प्रभावी भूमिका-** देश में विस्तृत निजी क्षेत्रक (जहां टीबी के कम से कम 50% मामलों का उपचार किया जाता है) को तीव्रता और प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए।
- **पता लगाने की प्रक्रिया में सुधार करना:** प्रभावी निगरानी और सभी टीबी रोगियों पर निगरानी रखकर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **बेहतर औषधियों का उपयोग:** कम प्रभावी इंजेक्टेबल ड्रग्स (इंजेक्शन के माध्यम से दी जाने वाली औषधियां) के स्थान पर ओरल ड्रग्स (मुख से ग्रहण की जाने वाली औषधियां) और नई एंटीबायोटिक औषधियों जैसे बेडाक्विलीन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

VISION IAS

- **निर्धनता को कम करना:** ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस दिशा में उठाया गया सही कदम है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर टीबी के मामलों में भी कमी आती है।
- **सामाजिक स्वीकृति:**सभी टीबी रोगियों के लिए पर्याप्त सामाजिक, भावनात्मक और पोषण संबंधी समर्थन की भी आवश्यकता है।

7.3. खाद्य सुदृढ़ीकरण

(Food Fortification)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल के सुदृढ़ीकरण (फोर्टिफिकेशन) और **सार्वजनिक वितरण प्रणालियों (PDS) के माध्यम से इसके वितरण** के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित पायलट योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर, पर्वतीय और द्वीपीय राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत तक तथा शेष राज्यों के मामले में 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (विशेषकर उन राज्यों व संघ शासित प्रदेशों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं का आटा वितरित कर रहे हैं) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड (सुदृढ़ीकृत) गेहूं का आटा वितरित करने की सलाह भी दी गई है।

खाद्य सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता

- **भारत में लगभग 70% लोग** अपने आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों के **अनुशंसित आहार भत्ते (RDA) के आधे से भी कम का उपभोग** करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को **"प्रच्छन्न भूख (hidden hunger)"** के रुप में भी जाना जाता है तथा इससे रतौंधी, गलगण्ड (घेंघा), रक्ताल्पता (एनीमिया) और विभिन्न प्रकार की जन्मजात विकृतियां उत्पन्न होती हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (**NFHS-4**) के अनुसार:
  - **58.4 प्रतिशत बच्चे** (6-59 माह की आयु के) **एनीमिया से ग्रसित** हैं।
  - प्रजननशील आयु वर्ग की **53.1 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया** से ग्रसित हैं।
  - 5 वर्ष से कम आयु के **35.7 प्रतिशत** बच्चों का **वजन निर्धारित मानकों से कम** हैं।
  - इनमें से **फॉलिक एसिड** की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली लगभग 50-70% जन्मजात विकृतियां निवारणीय हैं।

खाद्य सुदृढ़ीकरण (फोर्टिफिकेशन) क्या है?

- खाद्य सुदृढ़ीकरण खाद्य पदार्थों में **एक या एक से अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों का सुविचारित रुप से समावेश करने की प्रक्रिया** है ताकि पोषक तत्वों की कमी की समस्या का समाधान अथवा निवारण किया जा सके और स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जा सकें।
- ये पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण से पूर्व मूल रुप से विद्यमान हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी।
- खाद्य सुदृढ़ीकरण एक "पूरक रणनीति" है तथा यह कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए संतुलित और विविधतापूर्ण आहार का प्रतिस्थापन नहीं है।
- **खाद्य सुदृढ़ीकरण:**
  - इसके माध्यम से जनसंख्या के एक **वृहद भाग** के स्वास्थ्य में सभी के लिए एक साथ सुधार किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में व्यापक रुप से पोषक तत्वों का समावेश किया जाता है।
  - **यह लोगों के पोषण में सुधार करने की सुरक्षित विधि है** क्योंकि समाविष्ट मात्रा अति अल्प और **निर्धारित मानकों के** अनुसार अच्छी तरह से विनियमित होती है।
  - यह लोगों में पोषक तत्वों के वितरण का **सामाजिक-सांस्कृतिक रुप से स्वीकार्य तरीका है** क्योंकि इसके लिए लोगों की खाद्य संबंधी आदतों और प्रतिरुप में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है तथा इससे खाद्य पदार्थों की विशेषताओं जैसे कि स्वाद, उसकी अनुभूति एवं दृश्य स्वरुप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
  - **यह लागत प्रभावी है और त्वरित परिणाम प्रदान करता है। 'कोपेनहेगन कंसेंसस'** का अनुमान है कि फोर्टिफिकेशन पर व्यय किए जाने वाले प्रत्येक 1 रुपए से अर्थव्यवस्था को 9 रुपए का लाभ प्राप्त होता है।

VISION IAS

खाद्य सुदृढ़ीकरण से संबंधित चुनौतियां

- **स्वैच्छिक प्रकृति:** फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य किए जाने के स्थान पर स्वैच्छिक बनाए रखा गया है, जिसके कारण राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रक द्वारा फोर्टिफिकेशन के लिए सीमित प्रयास किए जा रहे हैं।
- **राज्यों द्वारा अकुशल कार्यान्वयन:** यद्यपि कुछ राज्यों ने समेकित बाल विकास योजना (ICDS), मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में फोर्टिफिकेशन को अपनाया है, परन्तु निश्चित नीतिगत दिशा-निर्देशों, बजटीय बाधाओं, तकनीकी ज्ञान और लॉजिस्टिक समर्थन के अभाव के कारण राज्यों ने फोर्टिफिकेशन को समग्र तरीके से अंगीकृत नहीं किया है।
- **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में विद्यमान कमजोरियाँ:** इसके पास अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संसाधनों और जनशक्ति का अभाव है।
- **जागरुकता का अभाव:** अभी तक फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उपयोग और लाभों के संबंध में अत्यधिक भ्रांतिपूर्ण सूचनाएं एवं अज्ञानता विद्यमान है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018

- इसने विभिन्न खाद्य उत्पादों के फोर्टिफिकेशन के लिए **मानक निर्धारित** किए हैं जैसे- सभी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम नहीं होनी चाहिए।
- **गुणवत्ता आश्वासन (Quality assurance):**
  - फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के प्रत्येक विनिर्माता और पैकिंगकर्ता को गुणवत्ता आश्वासन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - फोर्टिफिकेशन में प्रयुक्त पदार्थों और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का यादृच्छिक परीक्षण (random testing)।
- फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के प्रत्येक पैकेज पर फोर्टिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का नाम और लोगो इंगित किया जाएगा। हाल ही में **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने **फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों** के लिए **+F लोगो** जारी किया है।
- खाद्य प्राधिकरण उत्पादन, निर्माण, वितरण, बिक्री और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा।

आगे की राह

- **राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन:** सरकारी योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफिकेशन के अखिल भारतीय कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप वार्षिक रुप से आवंटित कुल बजट में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- **राज्यों को सहायता प्रदान करना:** भारत सरकार की ओर से आदेश और अधिसूचना जारी करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकारों को आरम्भिक समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें फोर्टिफिकेशन के लाभों के संबंध में जागरुक होना होगा तथा विभिन्न कार्यक्रमों में फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की खरीद करने में भी सक्षम होना होगा।
- **मानक सुनिश्चित करना:** सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों और गुणवत्ता के अनुपालन को कठोरतापूर्वक प्रवर्तित किया जाना चाहिए।
- **जागरुकता:** खुले बाजार में उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करने के लिए खाद्य सुदृढ़ीकरण (फोर्टिफिकेशन) के विषय में जन जागरुकता अभियान आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना:** इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाए जाने की प्रक्रिया में दीर्घावधिक लाभ प्राप्त होंगे।

7.4. प्रोटॉन थेरेपी

(Proton Therapy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने कैंसर के उपचार के लिए चेन्नई में **भारत के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर** का उद्घाटन किया।

प्रोटॉन

- परमाणु एक पदार्थ की मूल इकाइयों और तत्वों को परिभाषित करने वाली संरचना है। परमाणु तीन कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से निर्मित होते हैं।
- **प्रोटॉन** धनात्मक विद्युत आवेशित कण है, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर और विपरीत होता है।
- परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस केंद्र का नाम अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर **(APCC)** है और इसका शुभारंभ **अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप** द्वारा किया गया है। यह **दक्षिण एशिया में पहला** ऐसा केंद्र है।
- इसके साथ ही भारत यह चिकित्सा प्रदान करने वाला विश्व का **16**वां देश बन गया है।

प्रोटॉन थेरेपी के बारे में

- यह एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है। इसमें कैंसर के उपचार के लिए एक्स-रे (X-rays) की बजाय प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है।
    - इसे विश्व में **कैंसर के उपचार के लिए बाह्य किरण पुँज विकिरण चिकित्सा** (external beam radiation therapy) का एक सर्वाधिक उन्नत रुप माना जाता है। इसे **प्रोटॉन बीम थेरेपी** के रुप में भी जाना जाता है तथा यह अन्य उपचार विकल्पों की तुलना में उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करता है।
    - यह बच्चों में होने वाले कैंसर तथा मस्तिष्क, नेत्र , बृहदान्त्र (colon), स्तन, जठरांत्र क्षेत्र, श्रोणि (pelvis) और प्रोस्टेट को प्रभावित करने वाले और मेरुदंड, ब्रेन स्टेम एवं अन्य महत्वपूर्ण अंगों के निकट स्थित ट्यूमर के लिए विशेष रुप से प्रभावी है।

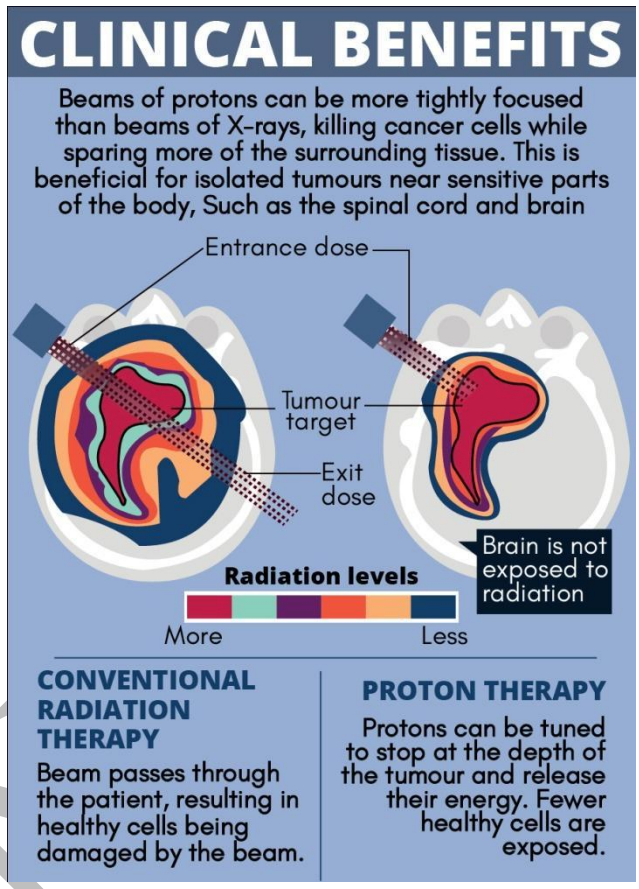

मानक विकिरण चिकित्सा (standard radiation therapy) की तुलना में लाभ

- मानक विकिरण चिकित्सा में एक्स-रे का उपयोग किया जाता है। यह शरीर में प्रवेश करते ही तुरंत अधिकांश विकिरण मात्रा को निक्षेपित करती है। हालांकि एक्स-रे बीम कई प्रकार के कैंसर को नियंत्रित करने में प्रभावी है, यह किरण पुंज के गमन पथ के साथ 'एग्ज़िट डोज़ (exit dose)' को भी वितरित करती है। इससे न केवल लक्षित ट्यूमर विकिरण के संपर्क में आता है, बल्कि निकटवर्ती स्वस्थ ऊतक भी संपर्क में आ जाते हैं।
- यह एग्ज़िट डोज़ चिंता का कारण है क्योंकि सामान्य ऊतकों अथवा अंगों को पहुंचने वाली क्षति उपचार के पश्चात् रोगी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।
- तुलनात्मक रुप से, प्रोटॉन कैंसरयुक्त ट्यूमर की ओर गमन करते समय क्रमशः अपनी ऊर्जा निक्षेपित करते हैं और तत्पश्चात **ब्रैग पीक** नामक अद्वितीय भौतिक विशेषता के कारण, अधिकांश **विकिरण की मात्रा** को ट्यूमर में प्रत्यक्ष रुप से निक्षेपित कर देते हैं।
    - **ब्रैग वक्र (Bragg Curve)** पदार्थ के माध्यम से गमन के दौरान आयनीकृत विकिरण की ऊर्जा की हानि का निरुपण करता है।
- प्रोटॉन बीम **उप-मिलीमीटर स्तर की सटीकता** के साथ ट्यूमर को लक्षित करती है, जिससे निकटवर्ती ऊतकों और अंगों को क्षति नहीं पहुंचती है। साथ ही, प्रोटॉन बीम के मामले में **कोई 'एग्ज़िट डोज़' नहीं** होती है। ट्यूमर में विकिरण की मात्रा निक्षेपित करने के पश्चात् प्रोटॉन विरामावस्था में आ जाते हैं।

प्रोटॉन थेरेपी से संबद्ध चुनौतियाँ

- प्रोटॉन थेरेपी **अत्यधिक विशिष्ट और महंगी उपचार पद्धति** है।
- यह **सभी प्रकार के कैंसर के लिए उपयोगी नहीं** है।
- इस उपचार को अधिक सस्ता और सभी प्रकार के कैंसर के लिए उपयोगी बनाने के लिए अधिक **अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों** की आवश्यकता है।

7.5. प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी

(Optoelectronics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने टंगस्टन डिसेलेनाइड के प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी गुणों को संवर्धित करने के तरीके की खोज की है।

प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में

- प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं प्रणालियों का अध्ययन एवं अनुप्रयोग है, जिसमें प्रकाश के स्रोत (source) को जानना, उसका पता लगाना (Detect) एवं उसे नियंत्रित (controlling) करना शामिल है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, विशेषकर अर्धचालकों पर प्रकाश के क्वांटम यांत्रिक प्रभावों से संबंधित है।

- इसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उपकरणों की डिजाइन, निर्माण और अध्ययन सम्मिलित है, जो चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार और सामान्य विज्ञान जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए **विद्युत संकेतों को फोटॉन सिग्नल में परिवर्तित** करते हैं।
- **टंगस्टन डिसेलेनाइड और मोलिब्डेनम डिसेलेनाइड** जैसे कुछ पदार्थों का उनके प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी गुणधर्मों के कारण गहन अध्ययन किया जा रहा है।
- इन पदार्थों का एक प्रमुख गुणधर्म **प्रकाश-संदीप्ति (photoluminescence)** है। इसके अंतर्गत पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे पदार्थ उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, और फिर कम आवृत्ति का प्रकाश पुनः उत्सर्जित होता है।

प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोग

- **सौर सेल-** इसमें फोटोवोल्टिक प्रणाली का उपयोग होता है। यह प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रत्यक्ष रुपांतरण है।
- **लेजर डायोड-** उद्दीपित उत्सर्जन (stimulated emission) के उपयोग से डायोडों का अनुप्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) प्लेयरों, लेजर प्रिंटर, रिमोट-कंट्रोल डिवाइस और इंटिग्रेटेड डिटेक्शन सिस्टम आदि में किया जाता है।
- **प्रकाश उत्सर्जक डायोड-** यह विद्युत-संदीप्ति का उपयोग करता है। इससे विद्युत प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है।
- **ऑप्टिकल फाइबर-** इसमें डेटा को प्रकाश कणों अथवा **फोटॉन** के रुप में प्रसारित किया जाता है जो फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से स्पंदन करते हैं।

7.6. लघु तरंग रेडियो प्रसारण

(Short Wave Radio Transmission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) से शॉर्ट वेव (SW) ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध रुप से बाहर करने का प्रस्ताव प्रस्तुत के लिए कहा है।

मीडियम वेव रेडियो ट्रांसमिशन

- यह 100 से 1000 मीटर की तरंग दैर्ध्य और 0.3 से 3MHz की आवृत्ति को कवर करता है।
- आयनमंडल से मध्यम तरंग रेडियो संकेतों का अत्यल्प दिवाकालीन परावर्तन होता है जिसके परिणामस्वरुप लगभग 100 किलोमीटर का कवरेज प्राप्त होता है।
- इसका उपयोग अधिकांशत: स्थानीय प्रसारण, विशेष रुप से ग्रामीण समुदायों के लिए किया जाता है।

एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो

- AM रेडियो के साथ, सिग्नल का आयाम अथवा समग्र क्षमता, ध्वनि सूचना समाविष्ट करने के लिए भिन्न होती है।
- यद्यपि FM रेडियो पर आयाम में परिवर्तन होता हैं, वहीं यह AM रेडियो में अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरुप ऑडिबल स्टैटिक (audible static) प्राप्त होता है।
- इसकी आवृत्ति 500kHz-1.7MHz और तरंग दैर्ध्य 600-170m के मध्य होती है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन

- AM रेडियो के विपरीत, आवृत्ति में परिवर्तन के माध्यम से ध्वनि का संचार होता है।
- इसकी आवृत्ति सामान्यत: 88-108 MHz और तरंग दैर्ध्य 3.4m-2.8m के मध्य होती है।
- इसका उपयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में समुदाय-आधारित रेडियो स्टेशनों में होता है, क्योंकि इसके सिग्नल लघु परास के होते हैं जो सामान्यत: ट्रांसमीटर की क्षमता के भीतर कहीं भी उत्कृष्ट गुणवत्ता की ध्वनि प्रदान कर सकते हैं।

लघु तरंग रेडियो प्रसारण:

- यह लगभग 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ परास वाली आवृत्तियों में **लगभग 10 से 100 मीटर** की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से सूचना का प्रसारण और अभिग्रहण है।
- लघु तरंग परास की रेडियो तरंगों को आयनमंडल द्वारा परावर्तित अथवा अपवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार के तरंग प्रसारण को **स्काईवेव या "स्किप" प्रसारण** कहा जाता है।
- आयनमंडल द्वारा अपवर्तन, शॉर्ट वेव को अधिक लंबी दूरी के संचार यहां तक कि कभी-कभी महाद्वीपों से भी परे संचार के लिए उपयोगी बनाता है।
- शॉर्ट वेव प्रसारण से **राजस्व की कमी** और डिजिटल माध्यमों के आगमन से कम होते श्रोतागण इत्यादि के कारण SW ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध रुप से बाहर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

- हालांकि, **AIR** यह तर्क देते हुए इस कदम का विरोध कर रहा है कि इससे उसकी वैश्विक पहुंच सीमित हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट वेव विश्व के किसी भी भाग तक पहुंच स्थापित करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है, इस संदर्भ में **FM** और अन्य मोड सदैव कार्य नहीं करते हैं।
    - इसे सरलता से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि जब राज्य सिग्नल को जाम करने वाले ट्रांसमीटरों का उपयोग करते हुए इसके सिग्नल को बाधित करने का प्रयास करते हैं। यह विशेष रुप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां सूचना सेंसर की जाती है अथवा धार्मिक प्रसारण प्रतिबंधित होता है।
- शॉर्टवेव **अभी भी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ भागों में अत्यधिक महत्व** रखता है।

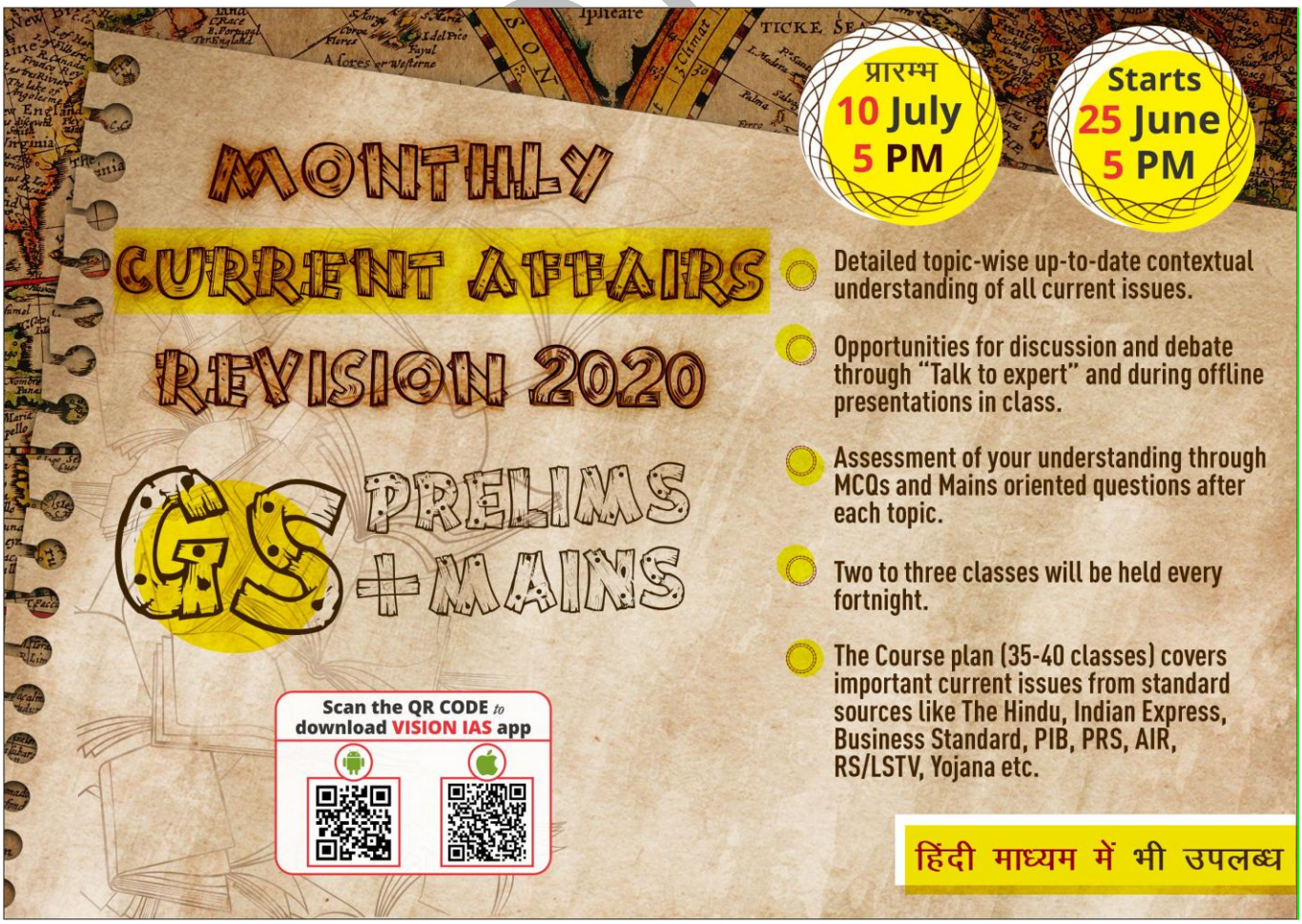

8. संस्कृति (Culture)

8.1. वर्साय की संधि

(Treaty of Versailles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में 28 जून को, जर्मनी एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य हस्ताक्षरित वर्साय की संधि (28 जून 1919) की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ज्ञातव्य है कि वर्साय की संधि के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था।

संधि के बारे में

- यह संधि वस्तुतः जनवरी 1919 में सम्पन्न **पेरिस शांति सम्मेलन** में मित्र राष्ट्रों द्वारा आरम्भ की गईं तथा तत्पश्चात छह माह तक चली वार्ताओं का परिणाम थी।
- संधि के प्रावधान मुख्यत: ब्रिटेन (प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज), फ्रांस (प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंशु) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (राष्ट्रपति वुडरो विल्सन) द्वारा निर्धारित किए गए थें। इस सम्मेलन में रुस और जर्मनी, दोनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था।

वर्साय की संधि का निर्णय

जैसा कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों से परिलक्षित होता है, स्व-शासन के सिद्धांत, नृजातीयता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, समग्र निरस्त्रीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा आदि, युद्ध लक्ष्यों के रुप में मित्र राष्ट्रों द्वारा अग्रेषित प्रमुख सिद्धांत थे। यदि इन सिद्धांतों का आकलन किया जाए तो वर्साय की संधि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। शांति स्थापना के बजाय यह एक अन्य त्रासदी का प्रमुख उपकरण बन गई क्योंकि बाद में हिटलर के फासीवादी शासन द्वारा इसका उपयोग एक अन्य युद्ध (द्वितीय विश्व युद्ध) को आरम्भ करने हेतु किया गया।

- **वर्साय की संधि एक आरोपित शान्ति थी** क्योंकि जर्मनी को वार्ताओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। जर्मनी के पास अपने मत एवं आलोचनाओं को केवल आलेखों के माध्यम से ही प्रस्तुत करने का विकल्प मौजूद था, परन्तु इनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया।
- **जर्मनी के निरस्त्रीकरण के प्रावधान ने संधि को वस्तुत: प्रभावहीन बना दिया। इसके अतिरिक्त, जर्मनी पर आरोपित युद्ध क्षतिपूर्ति का दायित्व अन्यायपूर्ण था।** विल्सन के 14 सूत्रों में 'प्रत्येक देश द्वारा शस्त्रों में कटौती' भी शामिल था परन्तु यह केवल जर्मनी ही था जिसे निरस्त्र किया गया था तथा अन्य किसी यूरोपीय देश ने निरस्त्रीकरण आरम्भ नहीं किया था। सेना और शस्त्रों पर आरोपित सीमाओं ने जर्मनी हेतु कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना अत्यंत कठिन बना दिया था।
- **राष्ट्रीयता, नृजातीयता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत:** यह यूरोप की आंतरिक सीमाओं के पुनर्गठन तथा हैब्सबर्ग साम्राज्य के बाहर नव स्वतंत्र राज्यों के सृजन को उचित ठहराने हेतु मित्र राष्ट्रों द्वारा समर्थित एक प्रमुख सिद्धांत था। परन्तु निम्नलिखित कारणों से इसका पूर्णतया पालन नहीं किया गया:
  - जर्मन जनसंख्या से युक्त जर्मन क्षेत्रों के एक पर्याप्त बड़े भू-भाग को नव सृजित राष्ट्रों को हस्तांतरित कर दिया गया था।
  - ऑस्ट्रिया में अनेक नृजातीय जर्मनों का वास होने के बावजूद ऑस्ट्रिया-हंगरी और जर्मनी के मध्य संघ का निर्माण निषिद्ध था।
  - ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ क्रमश: सेंट जर्मेन और ट्रायनॉन की संधि के पश्चात् सुडेटनलैण्ड के तीन मिलियन जर्मन, चेकोस्लोवाकिया का भाग बन गए।
  - इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् अनेक जर्मन लोग, जर्मनी के बाहर रहने लगे थे तथा आगे चलकर हिटलर ने इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मन आक्रमण और विस्तार को न्यायोचित ठहराने हेतु किया।
- **'आर्थिक व्यवहार्यता' का सिद्धांत:** यह अत्यंत व्यंग्यपूर्ण था कि मित्र राष्ट्रों ने नव सृजित राज्यों को जर्मन जनसंख्या से युक्त क्षेत्रों की आवश्यकता को उचित ठहराने हेतु 'आर्थिक व्यवहार्यता' के सिद्धांत का प्रयोग किया था, परन्तु ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य संघ के निर्माण की उपेक्षा कर दी गई थी जबकि यह आर्थिक व्यवहार्यता के पूर्णतया अनुकूल था।
- **उपनिवेशों की हानि:** अफ्रीकी उपनिवेशों का वितरण निष्पक्ष नहीं था तथा यह केवल मित्र राष्ट्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए किया गया था। लीग ऑफ़ नेशंस ने इन उपनिवेशों को एक मैंडेट प्रणाली के तहत केवल मित्र राष्ट्रों के अधीन किया था। मैंडेट प्रणाली मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन उपनिवेशों के परोक्ष अधिग्रहण की एक प्रणाली थी।
- **युद्ध अपराध संबंधी प्रावधान:** यह पूर्णतया सुस्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध हेतु सभी साम्राज्यवादी शक्तियां उत्तरदायी थीं। इस प्रकार युद्ध अपराध संबंधी प्रावधान, जिसने प्रथम विश्व युद्ध का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केवल जर्मनी और उसके सहयोगियों पर आरोपित कर दिया था, न्यायपूर्ण नहीं था। यह जर्मन लोगों के लिए अपमानजनक था।
- **युद्ध क्षतिपूर्ति:** व्यापक युद्ध क्षतिपूर्ति जर्मन लोगों के अपमान का कारण बनी थी। 6,600 मिलियन पौंड की धनराशि बहुत अधिक थी तथा निकट भविष्य में जर्मनी को आर्थिक रुप से कमजोर बनाने पर लक्षित थी।

VISION IAS

- **क्षेत्र में कमी:** क्षेत्र और जनसंख्या के संदर्भ में ऑस्ट्रिया व हंगरी का आकार अत्यंत छोटा कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया की अधिकांश औद्योगिक संपदा चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को हस्तांतरित हो गई थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी शीघ्र ही आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गए थे तथा वे लीग ऑफ़ नेशंस से ऋण प्राप्त करने का प्रयास करने लगे थे।
- **मुक्त व्यापार संबंधी प्रावधान की उपेक्षा:** राष्ट्रों के मध्य मुक्त व्यापार विल्सन के 14 सूत्रों का भाग था। परन्तु अधिकांश नव सृजित राष्ट्र राज्यों द्वारा व्यापार बाधाएं आरोपित कर दी गई थीं। इसके कारण ऑस्ट्रियाई अर्थव्यवस्था को पुनः यथोचित स्थिति में लाना कठिन हो गया था।
- शांति समाधानों से **रुस को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ था,** क्योंकि इस साम्यवादी शासन व्यवस्था को वार्ताओं में आमंत्रित नहीं किया गया था।

भविष्य हेतु निहितार्थ

- अंततः वर्साय की संधि यूरोपीय महाद्वीप में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने में विफल सिद्ध हुई। वर्साय की संधि ने जर्मनी को केवल अस्थायी तौर पर ही दुर्बल किया था तथा जर्मनी ने शीघ्र ही रुस की सहायता से स्वयं का शस्त्रीकरण करना आरम्भ कर दिया तथा युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान भी अस्वीकृत कर दिया।
- जर्मनी में वर्साय की संधि के द्वारा जर्मन लोगों के अपमान हेतु वाईमर गणतंत्र को दोषी ठहराया गया था। इसने दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों की लोकप्रियता हेतु मार्ग प्रशस्त किया, जो अंततः वर्ष 1933 में नाज़ी तानाशाही में परिणत हुआ।
- वर्साय की संधि ने केवल आक्रोश एवं चरम राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता का ही बीजारोपण किया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रुप में प्रकट हुआ।

8.2. चौखंडी स्तूप

(Chaukhandi Stupa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा चौखंडी स्तूप को "राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र" (प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ़ नेशनल इंपॉर्टेंस) घोषित किया गया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु उत्तरदायी एक प्रमुख संगठन है।
- इसके अतिरिक्त, **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR), 1958** के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- ASI की स्थापना वर्ष 1861 में एलेग्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी जो इसके प्रथम महानिदेशक भी थे।

राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के बारे में

- **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR), 1958** के खंड 4 के तहत वे प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक हित के हैं तथा जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हैं, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रुप में घोषित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय महत्व के रुप में घोषित स्मारकों के **संरक्षण और अनुरक्षण का दायित्व** ASI का है तथा इस कार्य को वह संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण और स्मारक के चतुर्दिक पर्यावरणीय विकास के माध्यम से सम्पादित करता है। यह एक नियमित एवं निरंतर संचालित होने वाली प्रक्रिया है।

चौखंडी स्तूप के बारे में

- यह **सारनाथ (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)** में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, जो ईंटों से निर्मित एक उत्कृष्ट संरचना है तथा इसके शीर्ष पर एक अष्टभुजाकार मीनार अवस्थित है।
- जनश्रुतियों के अनुसार इस स्तूप का निर्माण मूलतः सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था।
- शीर्ष पर अवस्थित **अष्टभुजाकार मीनार एक मुगल स्मारक है,** जिसका निर्माण **इस स्थल पर हुमायूँ की यात्रा के उपलक्ष्य में** 1588 ईस्वी में कराया गया था।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

सादिकपुर सिनौली को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है।

- यह माना गया है कि सिनौली उत्तर हड़प्पाई युग का **सबसे बड़ा क़ब्रिस्तान** हो सकता है। यह **यमुना नदी के बाएं किनारे** पर अवस्थित है।
- **ASI उत्खनन:** यहाँ से **रथ,** तलवारें और अन्य पुरा-वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो **ताम्र-कांस्य युग (3300 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व)** के दौरान इस क्षेत्र में **लोगों के एक योद्धा वर्ग** के उपस्थित होने की ओर संकेत करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, ASI ने यहाँ से **भूमिगत पवित्र कक्ष, पादयुक्त अलंकृत ताबूत,** बर्तनों में चावल और दाल के अंश तथा **मनुष्यों के साथ दफनाई गई पशु अस्थियाँ** प्राप्त की हैं।

सारनाथ के बारे में

- सारनाथ को 'मृगदाव' (मृग उद्यान) के रुप में भी संदर्भित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्थल को 'इशिपतन' (ऋषिपतन) के रुप में भी संबोधित किया गया है, जो संभवतः ऐसे स्थल को संदर्भित करता है जहाँ "दिव्य पुरुष धरती पर अवतरित हुए"।
- **प्रसिद्ध बौद्ध स्थल:** ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे **धर्म-चक्र प्रवर्तन** कहा गया है।
  - **धमेख स्तूप (धर्म-चक्र स्तूप):** इस स्थल पर भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रथम उपदेश दिया था। यह माना जाता है कि इसका निर्माण 500 ईस्वी में किया गया था, हालाँकि सम्राट अशोक द्वारा इसके निर्माण का आदेश तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिया गया था।
  - **मूलगंध कुटी विहार:** यह वह स्थल है जहां महात्मा बुद्ध ने सारनाथ भ्रमण के दौरान निवास किया था।
  - **बोधि वृक्ष:** यह मूलगंध कुटी विहार के निकट अवस्थित है तथा इसका रोपण श्रीलंका के अनुराधापुर के श्री महाबोधि वृक्ष से लाई गई शाखा के माध्यम से किया गया है।
- **अशोक स्तम्भ:** देश का प्रतीक चिन्ह
  - अशोक स्तम्भ सम्राट अशोक की सारनाथ यात्रा को प्रदर्शित करता है। 50 मीटर ऊँचे इस स्तम्भ के शीर्ष पर **चार सिंह (जिनके पृष्ठ भाग परस्पर संलग्न हैं) विराजमान हैं** तथा **सिंहों के नीचे चार पशुओं,** यथा- वृषभ, सिंह, हाथी और अश्व को चित्रित किया गया है। ये चारों पशु भगवान बुद्ध के जीवन के चार चरणों को निरुपित करते हैं।
- **जैन स्थल:** यह जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर **श्रेयांसनाथ** की जन्मस्थली है।

8.3. अमरावती कला शैली

(Amaravati School of Art)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आंध्रप्रदेश में **गुंडलाकम्मा नदी** के तट पर भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों (indologists) के एक दल द्वारा अमरावती कला शैली की विशेषताओं से युक्त एक बौद्ध स्मारक की खोज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- खोजा गया बौद्ध स्मारक एक **स्थानीय चूना-प्रस्तर से बना स्तम्भ है,** जिसके मध्य और शीर्ष के सभी चार किनारों पर अर्द्ध कमल पदक उकेरे गए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं इक्ष्वाकु वंश की अमरावती कला शैली से समानता प्रकट करती हैं।
- **अमरावती कला शैली** आन्ध्र प्रदेश में **कृष्णा और गोदावरी नदियों की** निचली घाटियों में विकसित हुई थी।
- इस कला शैली के मुख्य संरक्षक **सातवाहन** थे परन्तु कालान्तर में सातवाहनों के उत्तराधिकारी **इक्ष्वाकु शासकों** के अधीन भी इसका संरक्षण जारी रहा। यह कला शैली **150 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी** के मध्य विकसित हुई।
- अमरावती कला शैली की महत्वपूर्ण विशेषता **"कथात्मक कला"** है। इसमें पदकों (medallions) को इस रीति से उकेरा जाता था कि मानो वे किसी घटना को स्वाभाविक तरीके से चित्रित करते हों। उदाहरणार्थ- एक पदक **"भगवान बुद्ध द्वारा एक हाथी को शांत करने"** की सम्पूर्ण कथा को चित्रित करता है।
- यहाँ प्रकृति से लिए गए चित्रों के बजाय **मानवीय चित्रों** की प्रधानता है।

गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली के मध्य मुख्य विभेद:

कला शैली	गांधार	मथुरा	अमरावती
प्रभाव	हेलेनिस्टिक और यूनानी कला की विशेषताओं का प्रभाव	यह चरित्र में स्वदेशी है	यह चरित्र में स्वदेशी है
प्रयुक्त सामग्री	धूसर बलुआ पत्थर	लाल बलुआ पत्थर	श्वेत संगमरमर
संबंधित धर्म	मुख्यतः बौद्ध	बौद्ध, हिन्दू और जैन	मुख्यतः बौद्ध

संरक्षक	कुषाण	कुषाण	सातवाहन
प्रतिमाओं का विवरण	घुंघराले केश, दाढ़ी और मूंछों के साथ बुद्ध की आध्यात्मिक प्रतिमाएं	दाढ़ी एवं मूछों के बिना बुद्ध की प्रसन्नचित्त प्रतिमाएं	जातक कथाओं का चित्रण

8.4. महाराजा रणजीत सिंह

(Maharaja Ranjit Singh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **महाराजा रणजीत सिंह (1780-1839 ईस्वी)** की 180वीं पुण्यतिथि पर पाकिस्तान स्थित लाहौर के किले में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया।

महाराजा रणजीत सिंह के बारे में

- वे एक सिख शासक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी ईस्वी में पंजाब में शासन किया था।
- 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाब शक्तिशाली सरदारों के आधिपत्य में था, जिन्होंने सम्पूर्ण क्षेत्र को मिसलों में विभाजित किया था।
  - रणजीत सिंह ने इन परस्पर युद्धरत मिसलों का अंत किया तथा 1799 ईस्वी में लाहौर पर विजय के उपरांत एक संयुक्त सिख साम्राज्य की स्थापना की।
  - रणजीत सिंह **सुकेरचकिया मिसल** से संबंधित थे।
- उन्होंने आधुनिक चीन और अफगानिस्तान की सीमा तक विस्तारित क्षेत्र पर शासन किया था। उनका शासन **'सरकार-ए-खालसा'** कहलाता था।
  - उन्हें **'शेर-ए-पंजाब' (Lion of Punjab)** की उपाधि प्रदान की गई थी क्योंकि उन्होंने लाहौर में अफगान आक्रमण को विफल कर दिया था।
- **राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र:** उनके शासनकाल के तहत सिख साम्राज्य अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष था। प्रशासन में विभिन्न धर्मों के लोगों को शामिल होने और प्रभावशाली पदों तक पहुँचने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- **सेना का आधुनिकीकरण:** पैदल सेना और तोपखाने के प्रशिक्षण हेतु उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग करते हुए अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया।
  - उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने हेतु फ्रांसीसी जनरल जीन फ्रैंको अलार्ड (Jean Franquis Allard) को नियुक्त किया था।
  - अपने जीवनकाल में पंजाब को अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बनाए जाने से रोकने हेतु उन्होंने **सिख खालसा सेना** का निर्माण किया था।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान:** अमृतसर के **प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण और संगमरमर से अलंकरण किए जाने का कार्य** उनके संरक्षण के अंतर्गत ही पूर्ण हुआ था।
  - उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह के अंतिम विश्राम स्थल पर स्थित **हजूर सिंह गुरुद्वारे** को धन दान करने का श्रेय भी दिया जाता है।
  - उन्होंने नए सिक्के जारी किए जिन पर सिख गुरुओं के नाम अंकित थे तथा सिख राष्ट्रमंडल के नाम पर राज्य का प्रशासन किया।
  - **कोहिनूर हीरा** जो वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के अधिकार में है, कभी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का भाग था।

अमृतसर की संधि, 1809 ईस्वी

- यह संधि 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और **ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी** (लॉर्ड मिंटो) के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि ब्रिटिश सरकार और लाहौर राज्य (सिख साम्राज्य की राजधानी) के मध्य **शाश्वत मित्रता** को बनाए रखने पर केन्द्रित थी।
  - इस संधि के द्वारा **सतलज नदी** को रणजीत सिंह के साम्राज्य की पूर्वी सीमा के रुप में **निर्धारित** किया गया था।
  - यह कहा जाता है कि इस संधि ने रणजीत सिंह के जमुना (यमुना) और सतलज नदियों के मध्य के क्षेत्रों पर सिख वर्चस्व स्थापित करने के स्वप्न को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि संधि के द्वारा सतलज नदी के पूर्व की ओर उनकी शक्ति के विस्तार को रोक दिया गया था।

8.5. सुर्ख़ियों में रहे सांस्कृतिक उत्सव

(Cultural Festival in News)

उत्सव	राज्य	विवरण
अम्बुबाची मेला	**असम**	• यह **गुवाहाटी** (असम) में **ब्रह्मपुत्र नदी के तट** पर **नीलाचल पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव** है।

VISION IAS

		• **कामाख्या मंदिर** 51 **शक्तिपीठों** में से एक है, जो शिव की पत्नी सती के विभिन्न शारीरिक अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे **तांत्रिक सम्प्रदाय की प्रमुख पीठों** में से एक माना जाता है। • ऐसी मान्यता है कि इस स्थल पर हिन्दू देवी सती की जलकर मृत्यु होने के दौरान उनके गर्भाशय और योनि गिरे थे। मंदिर के गर्भ-गृह में एक योनि (स्त्री जननांग) स्थापित है जिसे एक चट्टान द्वारा निरुपित किया गया है। • ऐसा माना जाता है कि चार दिवसीय समारोह के दौरान मंदिर की **अधिष्ठात्री** देवी कामाख्या (जननक्षमता की देवी) **रजोधर्म के अपने वार्षिक चक्र में चली जाती हैं**।
खीरभवानी मेला	**जम्मू और कश्मीर**	• ज्येष्ठ अष्टमी को आरम्भ होने वाला खीरभवानी मेला **कश्मीरी पंडितों (एक विस्थापित समुदाय) का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है**। ज्ञातव्य है कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित अपने जीवन के रक्षार्थ जम्मू और कश्मीर से पलायन कर गए थे। • इस उत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के प्रसिद्ध राग्न्या देवी मंदिर में किया जाता है। • इस उत्सव के दौरान कश्मीरी पंडित, पांच अन्य मंदिरों अर्थात् गांदरबल जिले के तुलमुल्ला, कुपवाड़ा के टिक्कर, अनंतनाग के लक्तीपोरा ऐशमुकम और कुलगाम जिले में माता त्रिपुरसुंदरी देवसर तथा माता खीरभवानी मंज़गाम की भी यात्रा करते हैं।
लद्दाख सिंघे खबाब्स सिन्धु दर्शन उत्सव	**जम्मू और कश्मीर**	• यह पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाला एक उत्सव है जिसका आयोजन **लेह में सिन्धु नदी के तट** पर किया जाता है।
चमलियाल मेला	**जम्मू और कश्मीर**	• इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न चमलियाल सीमा देवस्थल पर आयोजित किया जाता है। • यह मेला सांबा जिले में बाबा चमलियाल के नाम से प्रसिद्ध एक संत **बाबा दलीप सिंह मन्हास** की दरगाह पर लगता है।

CAPSULE MODULE on
ETHICS GS PAPER IV

For scoring high in Ethics paper, one needs to have conceptual clarity, ability to interlink theoretical concepts with daily life and proper approach to tackle case studies in a short span of time.

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

6 July | 1 PM

KEY HIGHLIGHTS/ FEATURES:-

- Module is meticulously designed based on last few years UPSC papers.
- Integrated approach, interlinking different topics of ethics as well as relevant themes of other GS papers
- Batch duration: 12 classes.
- Previous years' questions discussion
- Daily assignment and discussion.
- Printed Study material on whole syllabus in additional to special value addition booklet.

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करना

(Addressing Prejudices In The Society)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के समय में, व्यक्तिगत पहचान के मुद्दे (जातिगत, लैंगिक अथवा धर्म या नृजाति आधारित पहचान) ने सोशल मीडिया, राजनीतिक वाद-विवादों और अधिकार संबंधी आंदोलनों में पर्याप्त ध्यान आकृष्ट किया है।

पूर्वाग्रह, रुढ़िबद्ध धारणा (स्टीरिओटाइप्स) और भेदभाव

- **पूर्वाग्रह**
  - पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के प्रति रखी जाने **वाली पूर्वकल्पित विचार या अभिवृत्ति** को संदर्भित करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है- **'पूर्व-निर्णय' (पूर्व-धारणा),** अर्थात् उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व ही किसी विषय के साथ किसी भी प्रकार के सम्बद्धता के सन्दर्भ में एक अग्रिम राय निर्मित कर लेना।
  - **पूर्वाग्रह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है।** हालाँकि, इस शब्द का प्रयोग सामान्यत: नकारात्मक पूर्व-धारणा (अंतर्निहित पक्षपात) के लिए ही किया जाता है, किंतु यह अनुकूल पूर्व-धारणा पर भी लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी जाति या समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है और बिना किसी साक्ष्य के उन्हें अन्य जातियों या समूहों के सदस्यों से श्रेष्ठतर मान सकता है।
  - पूर्वाग्रह के 2 घटक होते हैं **(i) संज्ञानात्मक (Cognitive) -** अपने स्वयं के सामाजिक समूह की विशेषताओं को मानना और दूसरे समूहों से अलग तथा असंबद्ध होने की भावना। **(ii) भावात्मक (Affective) -** अन्य समूहों के प्रति घृणा या अरुचि और उनके जीवन जीने के तरीके के प्रति सामान्य अवमानना। जैसे- ज़ेनोफ़ोबिया (विदेशी लोगों को नापसंद करना) और नृजातिकेंद्रीयता (एथ्नोसेंट्रिसिज्म) की भावना।
- **रुढ़िबद्ध धारणा:** पूर्वाग्रहों का आधार रुढ़िबद्ध धारणाओं में निहित होता है। **रुढ़िबद्ध धारणाएं संपूर्ण समूह को एकल व समरुप श्रेणी के रुप में निर्धारित कर देती हैं।** यह स्थिति व्यक्तियों या संदर्भों या समय के परिप्रेक्ष्य में विभिन्नताओं की पहचान करने से प्रतिषेध करती है। रुढ़िबद्ध धारणाएं पूरे समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे कि वह समुदाय एक सर्वव्यापी लक्षण या विशेषता वाला एकल व्यक्ति हो। यह किसी व्यक्ति के किसी विशेष समूह का सदस्य होने के परिणामस्वरुप उसके प्रति **भेदभाव** को बढ़ावा दे सकती है।
- **भेदभाव:** जहां पूर्वाग्रह अभिवृत्ति और विचार को दर्शाता है, वहीं भेदभाव किसी अन्य समूह या व्यक्ति के प्रति उनके **वास्तविक व्यवहार को संदर्भित करता है।** भेदभाव को उन व्यवहारों में देखा जा सकता है जिनमें किसी समूह के सदस्यों को उन अवसरों का लाभ उठाने हेतु अयोग्य माना जाता है जो अन्य समूहों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे- किसी व्यक्ति को उसके लैंगिक या धार्मिक पहचान के कारण नौकरी पर रखने से इंकार करना।
  - प्रायः भेदभाव को सिद्ध करना अत्यंत कठिन हो सकता है, क्योंकि संभव है कि यह खुले तौर पर न दिखे या स्पष्ट रुप से अभिकथित न हो। भेदभावपूर्ण व्यवहार या प्रथाओं को पूर्वाग्रह के बजाय अन्य अधिक न्यायसंगत कारणों के आधार पर सही सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को उसकी जाति के कारण रोजगार न दिया गया हो उसे इसके आधार के रुप में यह बताया जा सकता है कि वह दूसरों की तुलना में कम योग्य था और चयन विशुद्ध रुप से योग्यता के आधार पर किया गया है।

पूर्वाग्रहों के प्रकार

- **नस्लवाद (Racism):** किसी विशिष्ट नस्लीय समूह से संबद्ध होने के आधार पर पूर्वाग्रह; उदहारण के लिए- अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1948 से 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद (नस्लीय पृथक्करण की व्यवस्था) की नीति अपनाई गई, जिसने अश्वेत लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया तथा उन्हें गरीबी में जीवन-यापन और बहिष्करण के लिए विवश किया।
- **नृजातिकेंद्रीयता (Ethnocentricism):** यह "श्रेष्ठता" के इस विचार पर आधारित है कि उक्त समूह की संस्कृति या उसका समूह दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ है। उपनिवेशवाद पश्चिम के लोगों की ओरिएंटल्स (एशिया के लोगों) पर जातीय श्रेष्ठता के विचार पर आधारित था।
- **ज़ेनोफ़ोबिया:** "यह वैसी किसी भी चीज़ के प्रति भय या घृणा को संदर्भित करता है जो विदेशी है या किसी के अपने समूह, राष्ट्र या संस्कृति से बाहर की है।" यहूदी-विरोधीवाद (जैसे- जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार) और हालिया इस्लामोफोबिया (मुसलमानों के प्रति घृणा) को इससे संबद्ध किया जा सकता है।
- **लैंगिकवाद (Sexism):** यह यौन पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह को संदर्भित करता है। लैंगिक भूमिका संबंधी अपेक्षाएँ, जैसे कि महिलाओं से घर की देखभाल करने की अपेक्षा करना इसका उदाहरण हैं।
- **होमोफोबिया:** यह वह पूर्वाग्रह और भेदभाव है जो व्यक्तियों के यौन अभिविन्यास पर आधारित होता है। यह प्रायः सामाजिक समूहों से लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर (LGBTQ) लोगों के अपवर्जन (बहिष्करण) और LGBT पड़ोसियों व सहकर्मियों से दूर रहने के रुप में व्यक्त होता है।

VISION IAS

पूर्वाग्रहों के मुख्य कारण

- **'हम' बनाम 'वे' का निर्माण:** पूर्वाग्रह के निर्माण में पहला कदम समूहों (अपना समूह और पराया समूह) का निर्माण और समूह के सदस्यों के मध्य विभेदों को कम बताना तथा भिन्न समूह के सदस्यों के मध्य विभेदों को अतिरंजित करना है।
- **समाज में सीमित संसाधन की उपलब्धता:** ये समूहों के मध्य संघर्ष का कारण बनते हैं। परिणामस्वरुप पूर्वाग्रह और भेदभाव में वृद्धि होती है।
- **सामाजिक अधिगम और सामाजिक मानदंडों के प्रति अनुरुपता:** ये समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और भेदभाव के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बच्चे अपने परिवेश अर्थात् अपने माता-पिता, शिक्षकों, मित्रों, मीडिया/सोशल मीडिया आदि से पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार एवं विश्वास सीखते हैं। यदि किसी समाज में कुछ प्रकार के पूर्वाग्रह और भेदभाव स्वीकार्य होंगे, तो उन पूर्वाग्रहित मान्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों के प्रति अनुरुपता दर्शाने तथा अनुकरण करने का दबाव विद्यमान हो सकता है।
- **आत्म-संतोषप्रद रुढिबद्ध धारणा:** जब हम किसी स्टीरिओटाइप्स समूह के सदस्यों के साथ अपनी पूर्वाग्रहित अपेक्षाओं/अनुमानों के अनुरुप व्यवहार करते हैं, तो यह उन व्यक्तियों को हमारी रुढ़िवादी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। इस प्रकार यह हमारी रुढ़िवादी मान्यताओं की पुष्टि कर देता है, जैसे कि जाति संबंधी दर्जे को योग्यता का पर्याय मानना।
- **सुदृढ़ सामाजिक पहचान / स्व-समूह पूर्वाग्रह: स्व-समूह (in-group)** वह समूह होता है जिसे हम स्वयं से सम्बद्ध समूह के रुप में पहचानते हैं या देखते हैं और **पर-समूह (out-group)** वह समूह होता है जिसे हम मूल रुप से स्वयं से अलग मानते हैं। मजबूत संबद्धता और भावनात्मक जुड़ाव हमें अन्य समूहों की तुलना में स्व-समूह को पसंद करने के लिए प्रेरित करता है और अंततः इसकी परिणति पूर्वाग्रह और भेदभाव के रुप में हो सकती है।
- **अपनी समस्याओं के लिए किसी और को दोष देना (scapegoating):** पूर्वाग्रह का एक कार्य स्वयं के संबंध में अच्छा महसूस करने और सकारात्मक आत्म-अवधारणा बनाए रखने में सहायता करना है।

पूर्वाग्रहों के परिणाम

- **सामाजिक पूंजी का क्षरण**: जब भी सामाजिक समूहों के मध्य अनुकूलता की कमी की भावना व्याप्त होती है, सामाजिक परिवेश को साझा करना कठिन हो जाता है। साथ ही, जन हित के मामलों में आम सहमति पर पहुंचना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। जैसे- संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरुप एक समान नागरिक संहिता के निर्माण पर सर्वसम्मति का अभाव।
- **संघर्ष का स्रोत:** समूहों के मध्य आपसी विश्वास न होने की स्थिति में, किसी एक समूह/समुदाय के लाभ को दूसरे समुदाय द्वारा अपनी हानि के रुप में देखा जाता है। इस प्रकार, सामाजिक अस्तित्व ज़ीरो-सम गेम (ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक भागीदार का लाभ या हानि किसी अन्य भागीदार की लाभ या हानि द्वारा संतुलित हो जाता है) बन जाता है और यह समय के साथ संघर्ष को उत्पन्न करता है।
- **मानव पूंजी का अल्प-उपयोग:** महिलाओं को पुरुष-प्रधान व्यवसायों, जैसे- इंजीनियरिंग, सैन्य, निर्माण आदि में योग्यता के आधार पर प्रवेश करने के बावजूद भी काम पर रखे जाने या पदोन्नत किए जाने की संभावना कम होती है। इसी प्रकार की तुलनात्मक हानि की स्थिति अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों आदि के लिए देखी जा सकती है, जिसके कारण मानवीय संसाधनों के अक्षम उपयोग की समस्या उत्पन्न होती है।
- **अफवाहें और भ्रामक खबरों का प्रसार करना:** पूर्वाग्रह वर्ग आधारित मानसिक चित्र बनाते हैं, जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है। लोग ऐसी किसी भी सूचना को सच मानते हैं जो उनके पूर्वाग्रहों के अनुरुप होती है। यह स्थिति अफवाहों को बढ़ावा देती है। जैसे- सोशल मीडिया पर बच्चों को उठाने की अफवाह के कारण भीड़ ने वर्ष 2018 में (झारखंड, कर्नाटक आदि में) 60 से अधिक लोगों की जान ले ली।

समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करने के उपाय

- **शिक्षा की भूमिका:** शिक्षा का उद्देश्य संकीर्ण रुप से केवल अधिगम स्तरों (लर्निंग लेवल) पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निष्पक्ष, न्यायसंगत और समातमूलक समाज का निर्माण करना होना चाहिए। इसका व्यावहारिक रुप से अनुप्रयोग एक ऐसी कक्षा में हो सकता है, जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ घुलने-मिलने में सहज हों। इससे पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है और बच्चों में आत्म-सम्मान की भावना को बढ़ाया जा सकता है।
- **शिक्षकों और स्कूली शिक्षा की भूमिका:** शिक्षक स्वयं को समाज से सतत संबद्ध कर समुदाय के विश्वास, व्यवहार और अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं; जैसे- शिक्षक नियमित रुप से गणित में प्रदर्शन के लिए छात्राओं की प्रशंसा करें।
- **अंतर-समूह संपर्क:** विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों के मध्य परस्पर वार्ताएं अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को कम करते हैं। यह संपूर्ण समूह के लिए पारस्परिक निर्भरता और सामान्य लक्ष्य का निर्माण करता है, जैसे- सामुदायिक त्योहारों, मेलों, अंतर-जातीय भोजों, लंगरों आदि का आयोजन करना। इसी प्रकार, मध्याह्न भोजन के दौरान होने वाली पारस्परिक अंतर्क्रिया अल्पायु में ही जातिगत पहचान को कमजोर बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- **रुढ़िबद्ध धारणा को समाप्त करना :** लोगों को ऐसे चित्र, वृत्तचित्र, फ़िल्में आदि दिखाना जिनमें निम्नस्तरीय समझे जाने वाले समूहों के सदस्य अपने कार्यों से रुढ़िबद्ध-अवधारणाओं को तोड़ रहे हों। उदहारण के लिए- कल्पना चावला जैसी सफल महिला वैज्ञानिकों से संबंधित वृत्तचित्र, दंगल जैसी फ़िल्में; जो लैंगिक भेदभाव को चुनौती देती हैं।

आगे की राह

समाज में पूर्वाग्रहों की मौजूदगी एक सामाजिक परिघटना है और यह समाज के प्रत्येक घटक को प्रभावित करती है। इन मुद्दों से संबंधित संवाद को दैनिक जीवन के साथ एकीकृत किया जाना ही इनसे निपटने का कारगर साधन हो सकता है।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Short)

10.1. विपक्ष की भूमिका

(Role of Opposition)

- हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में, कोई भी राजनीतिक दल सदन में नेता प्रतिपक्ष (LoP) पद की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त नहीं कर सका।
- **नेता प्रतिपक्ष (LoP) के बारे में**
  - **LoP एक सांविधिक पद है**, जो **संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (SALOP) अधिनियम, 1977** से शक्ति प्राप्त करता है।
  - यह अधिनियम (सरकार के) **विपक्ष** में सबसे अधिक संख्या वाले **दल के नेता को उस सदन में** LoP के रुप में परिभाषित करता है। राज्यसभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा LoP को मान्यता प्रदान की जाती है।
  - हालांकि, अध्यक्ष द्वारा LoP को मान्यता प्रदान करते समय **लोकसभा अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1956 में जारी किए गए निर्देशों** का पालन किया जाना चाहिए।
  - निर्देशों के अनुसार यदि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के पास सदन की बैठक आयोजित होने के लिए आवश्यक गणपूर्ति के 1/10वें भाग के बराबर सीटें नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष, उक्त दल के सदस्य को LoP के रुप में मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
  - LoP को **कैबिनेट मंत्री** का दर्जा प्राप्त होता है तथा वह उस **पैनल का भी सदस्य** होता है जो प्रमुख संवैधानिक और सांविधिक पदों जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक, लोकपाल आदि के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है।
  - **महत्व:** LoP बाइपार्टिज़नशिप (दो राजनीतिक दलों के बीच समझौता या सहयोग जो आमतौर पर एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं) और निष्पक्षता (Neutrality) की स्थिति उत्पन्न करता है। साथ ही, LoP नीतिगत व विधायी कार्यों में विपक्ष की कार्यप्रणाली में **सामंजस्य और प्रभावशीलता** लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन भी करता है।
  - ज्ञातव्य है कि 16वीं लोकसभा में मान्यता प्राप्त LoP की अनुपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण नियुक्तियों में विलम्ब हुआ था।

10.2. जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन

(President's Rule in J&K)

- हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को छह माह के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है तथा तत्पश्चात इस संबंध में लोकसभा में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।
- **जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार भिन्न है?**
  - अन्य राज्यों में, केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है; जबकि **J&K में, जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है।**
  - J&K के संविधान के तहत, **राष्ट्रपति शासन लगाने से पूर्व, राज्य में छह माह की अवधि हेतु राज्यपाल शासन लागू किया जाता है।**
  - इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर विधानसभा निलंबित अवस्था में बनी रहती है। हालांकि, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।
  - राज्यपाल शासन के छह माह की समाप्ति पर यदि विधानसभा के निलंबन को वापस नहीं लिया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन प्रभावी हो जाता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अधिदिष्ट किया गया है।
  - हालाँकि, राज्यपाल दोनों ही मामलों में केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासन का संचालन करता है।
  - राज्यपाल शासन के दौरान अथवा जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन हो तब यदि राज्यपाल विधानसभा को भंग करने का निर्णय करता है, **तो चुनाव छह माह की अवधि के भीतर कराएं जाएंगे।**
  - यदि निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर में विधानसभा भंग करने की तिथि से छह माह के भीतर चुनाव नहीं कराया जाता है, तो ऐसा न करने के कारणों का स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है।
- जम्मू और कश्मीर में 20 जून 2018 से राष्ट्रपति शासन जारी है। जम्मू-कश्मीर में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1996 में लागू किया गया, जब व्यापक आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य में अशांति का वातावरण व्याप्त था।

VISION IAS

10.3. राष्ट्रीय दल का दर्जा

(National Party Status)

- हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) को एक राष्ट्रीय दल के रुप में घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाला यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक दल है।
- NPP को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में राज्य स्तरीय दल के रुप में मान्यता प्राप्त है।
- यह देश का **8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल** बन गया है। अन्य सात राष्ट्रीय राजनीतिक दल निम्नलिखित हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
- भारत में बहु-दलीय प्रणाली विद्यमान है, जहाँ **निर्वाचन आयोग** राजनीतिक दलों को चुनाव के उद्देश्य से पंजीकृत करता है तथा उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दलों के रुप में मान्यता प्रदान करता है।
- **निर्वाचन आयोग** द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल के रुप में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि वह निम्नलिखित **अर्हताओं** में से कम से कम एक को पूरा करता है:
  - यदि उसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में **चार या अधिक राज्यों** में डाले गए कुल वैध मतों का **छह प्रतिशत** प्राप्त हुआ हो तथा इसके अतिरिक्त, उस दल ने किसी भी राज्य या राज्यों से **लोकसभा की कम से कम चार सीटें** प्राप्त की हों; अथवा
  - यदि उसने आम चुनाव में **लोकसभा की दो प्रतिशत** सीटों पर विजय प्राप्त की हो; और ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से निर्वाचित हुए हों; अथवा
  - यदि किसी दल को कम से कम **चार राज्यों में राज्यस्तरीय दल** के रुप में मान्यता प्राप्त हो।

10.4. एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (CICA) पर शिखर सम्मेलन

(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) Summit)

- **एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (CICA) पर 5वें शिखर सम्मेलन** का आयोजन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया।
  - CICA शिखर सम्मेलन **प्रत्येक चार वर्ष** में आयोजित किया जाता है।
- एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता हेतु **सहयोग को बढ़ावा देने** के लिए CICA एक **बहु-राष्ट्रीय मंच** है।
- CICA का गठन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव के प्रस्ताव पर किया गया था।
- यह **संप्रभु समानता, सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के सिद्धांतों** के आधार पर निर्धारित नीति का अनुसरण करता है।
- CICA का सदस्य बनने के लिए, किसी राष्ट्र के क्षेत्र का कम से कम एक भाग **एशिया में स्थित** होना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र को CICA में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।** साथ ही, CICA को **वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपने **62वें सत्र में** UNO के पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था।
- भारत, CICA का **एक संस्थापक सदस्य** है।

10.5. काउंसिल ऑफ़ यूरोप

(Council of Europe)

- हाल ही में, **काउंसिल ऑफ़ यूरोप** की पार्लियामेंट्री असेंबली ने रुस के मतदान अधिकारों को पुनर्बहाल करने के पक्ष में मतदान किया है। उल्लेखनीय है कि यह रुस द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप के अवैध अधिग्रहण के कारण, इसके मतदान अधिकारों को वापस लिए जाने के पांच वर्ष पश्चात् किया गया।
- **काउंसिल ऑफ़ यूरोप,** यूरोपीय महाद्वीप में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ मानवाधिकारों का संरक्षण तथा विधि के शासन को बनाएं रखने हेतु स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1949 में **ट्रीटी ऑफ़ लंदन** के द्वारा की गई और वर्तमान में इसके 47 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के 28 सदस्य राष्ट्र भी सम्मिलित हैं।
- **यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स** इस काउंसिल का एक भाग है तथा इसे वर्ष 1953 में यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स (जिसे बनाए रखने हेतु सभी सदस्य प्रतिबद्ध हैं) को प्रवर्तित करने हेतु प्रभारित किया गया। परिषद में सभी **सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री तथा सदस्य विधि-निर्माताओं की एक संसदीय सभा** सम्मिलित हैं।

10.6. सऊदी अरब ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की सदस्यता प्राप्त की

(Saudi Arabia get FATF membership)

- हाल ही में, सऊदी अरब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला प्रथम अरब राष्ट्र बन गया है।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) के बारे में:**
  - यह वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) एवं आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए कार्रवाई करना है।
  - FATF का सचिवालय **पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय** में स्थित है।
  - **सदस्यता:** FATF में भारत तथा दो क्षेत्रीय संगठन, यथा- यूरोपीय आयोग और फारस की खाड़ी सहयोग परिषद सहित 39 सदस्य शामिल हैं।
- **अन्य संबंधित तथ्य:** FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में विफल रहने पर, उसे **आतंकी वित्तपोषण की निगरानी सूची** अथवा **ग्रे सूची** में सूचीबद्ध किया है।

10.7. कर सूचना विनिमय समझौता

(Tax Information Exchange Agreement: TIEA)

- भारत ने मार्शल द्वीपसमूह के साथ एक कर सूचना विनिमय समझौते (TIEA) को अधिसूचित किया है।
- **यह समझौता कर उद्देश्यों हेतु दो देशों के मध्य बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी के साथ-साथ सूचना के आदान-प्रदान** को भी सक्षम बनाता है।
- इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप द्वारा सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए विकसित किया गया है।
- इस समझौते में एक देश के प्रतिनिधियों द्वारा **दूसरे देश में कर संबंधी जांच करने का प्रावधान भी शामिल है। इससे कर अपवंचन और कर परिहार पर अंकुश लगाने** में सहायता प्राप्त होती है।
- TIEAs **बाध्यकारी समझौते नहीं** हैं तथा समझौतों में किए गए अनुबंध के अनुसार इन्हें समाप्त किया जा सकता है।

10.8. शिकायत प्रबंधन प्रणाली

(Complaint Management System)

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक **'शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS)'** का शुभारंभ किया।
- यह **किसी भी विनियमित इकाई,** जैसे- वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के विरुद्ध **शिकायत दर्ज** करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक **एकल खिड़की प्रणाली** की सुविधा प्रदान करेगी।

10.9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा कमोडिटी सूचकांकों पर वायदा अनुबंध की अनुमति

(SEBI Permits Futures on Commodity Indices)

- हाल ही में, SEBI ने स्टॉक एक्सचेंजों को कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के साथ सूचकांकों (इंडेक्स) पर **वायदा अनुबंध (futures)** करने की अनुमति प्रदान की है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व, SEBI ने **कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों** में **कमोडिटी ऑप्शंस की अनुमति** प्रदान की थी।
- **डेरिवेटिव** दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य एक अनुबंध होता है जिसका मूल्य एक अनुबंधित अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे- एक प्रतिभूति) अथवा परिसंपत्तियों (जैसे- एक सूचकांक) पर आधारित होता है।
  - **इससे संबंधित सामान्य उपकरणों** में बॉण्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं, बाजार सूचकांक, स्टॉक इत्यादि शामिल हैं।
  - **डेरिवेटिव** में फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप आदि शामिल हैं।
- डेरिवेटिव स्वामित्व का तात्पर्य संपत्ति के स्वामित्व से नहीं है।
- **वायदा अनुबंध (फ्यूचर्स):** यह एक भावी तिथि पर अंतर्निहित प्रतिभूति के क्रय अथवा विक्रय का एक कानूनी रुप से बाध्यकारी समझौता है। जब इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति एक कमोडिटी होती है तो इसे कमोडिटी फ्यूचर्स कहा जाता है। विशिष्ट अंतर्निहित परिसंपत्तियों में कच्चा तेल, गेहूं, मक्का, सोना, चांदी और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं।

- **ऑप्शंस:** यह एक प्रकार का डेरिवेटिव अनुबंध होता है, जो खरीददार/अनुबंध के धारक को एक निर्दिष्ट अवधि के अंत में अथवा इसके दौरान पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति के क्रय/विक्रय का अधिकार (परन्तु बाध्यता कोई नहीं होती) प्रदान करता है। ऑप्शन का क्रेता/ धारक एक मूल्य चुकाकर विक्रेता/अनुबंधकर्ता से अधिकार क्रय करता है जिसे प्रीमियम कहते है।
- **भारत में प्रमुख कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंजों में शामिल हैं:** मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX), नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (NMCE) आदि।

10.10. वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों के लिए दिशा-निर्देश

(Guidelines for Financial Benchmark Administrators)

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों (Financial Benchmark Administrators: FBAs) के लिए मानदंड जारी किए।
- FBA एक संगठन अथवा विधिक व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण बेंचमार्क प्रक्रिया के निर्माण और संचालन को नियंत्रित करता है, चाहे वह बेंचमार्क से संबंधित बौद्धिक संपदा का स्वामी हो अथवा न हो।
- बेंचमार्क में वित्तीय साधनों से संबंधित **कीमत, दर, सूचकांक, मूल्य अथवा संयोजन** शामिल होते हैं जिनकी समय-समय पर गणना की जाती है तथा जिनका उपयोग वित्तीय साधनों या किसी अन्य वित्तीय अनुबंध के मूल्य निर्धारण अथवा मूल्यांकन के लिए एक संदर्भ के रुप में किया जाता है।
- वित्तीय साधनों के कुशल मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के लिए वित्तीय बेंचमार्क की सुदृढ़ता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है।
- भारत में मान्यता प्राप्त प्रमुख FBAs हैं:
    - भारतीय रुपये की ब्याज दर के बेंचमार्क के लिए **फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA)**,
    - विदेशी मुद्रा बेंचमार्क के लिए **फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI)**
    - **फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)** को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक के रुप में मान्यता प्रदान की गई है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार FBA भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसके लिए प्रत्येक समय एक करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल संपत्ति बनाए रखना आवश्यक है।

10.11. अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस

(International Seed Testing Association Congress)

- हाल ही में, भारत सरकार के सहयोग से तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में **32वें अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (International Seed Testing Association: ISTA) कांग्रेस, 2019** का आयोजन किया।
- ISTA एक स्वतंत्र संगठन है जो अनुभवी बीज वैज्ञानिकों और विश्लेषकों के गैर-लाभकारी सहयोग से समर्थित है। इसकी स्थापना **वर्ष 1924** में हुई थी तथा इसके सदस्य **'विश्व स्तर पर बीज गुणवत्ता मूल्यांकन में एकरुपता'** के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एकसाथ कार्य करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह बीज नमूनाकरण और परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **सहमति प्राप्त नियमों** को विकसित करता है, प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करता है, अनुसंधान को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय बीज विश्लेषण प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करता है।

10.12. मधुमक्खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट

(Beekeeping Development Committee Report)

- हाल ही में, **बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता** में गठित **मधुमक्खी पालन विकास समिति** ने मधुमक्खियों को कृषि उत्पाद के रुप में पहचान प्रदान किए जाने तथा **भूमिहीन मधुमक्खी पालकों को किसान** का दर्जा प्रदान करने की **अनुशंसा** की है।
- भारत में **मधुमक्खियों की चार प्रमुख प्रजातियां** पायी जाती हैं; दो घरेलू प्रजातियां भारतीय या एशियाई मधुमक्खी और यूरोपीय मधुमक्खी (20वीं शताब्दी में भारत में लाई गई) तथा दो जंगली प्रजातियां- रॉक हनी बी एवं ड्वार्फ हनी बी।
- मधुमक्खी पालन के प्राथमिक उत्पाद शहद और मोम हैं, परन्तु **परागकण, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी का विष (bee venom)** भी मधुमक्खी से संबंधित विपणन योग्य प्राथमिक उत्पाद हैं।

- वर्ष 2017-18 में, शहद उत्पादन के मामले में भारत (64.9 हज़ार टन शहद उत्पादन के साथ) विश्व में आठवें स्थान पर रहा, जबकि चीन (551 हज़ार टन शहद उत्पादन के साथ) प्रथम स्थान पर रहा।
- वर्ष 2005 में, मधुमक्खी पालन को **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)** के अंतर्गत एक पूरक गतिविधि के रुप में सम्मिलित किया गया।
- मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने हेतु **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (कृषि मंत्रालय के अंतर्गत)** आदि जैसी विभिन्न एजेंसियां कार्यरत हैं।

10.13. वरुणास्त्र

(Varunastra)

- हाल ही में, **स्वदेशी रुप से निर्मित** *हेवीवेट ऐंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टारपीडो* **वरुणास्त्र** को नौसेना में सफलतापूर्वक शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत उन **आठ देशों में शामिल हो** गया है, जिनके पास इस प्रकार की प्रणाली को डिजाइन एवं निर्माण करने की क्षमता है।
- वरुणास्त्र को राजपूत वर्ग और दिल्ली वर्ग के विध्वंसक पोतों तथा इसके अतिरिक्त इसे भविष्य में विकसित होने वाले उन सभी पनडुब्बी-रोधी युद्धक पोतों (Anti-Submarine Warfare: ASW) से दागा जा सकेगा, जो अधिक वजन वाले टॉरपीडो को दागने में सक्षम होंगे।
- वरुणास्त्र का विकास DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (Naval Science & Technological Laboratory: NSTL) द्वारा किया गया है तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा इस हथियार प्रणाली का निर्माण किया गया है।
- भारत का प्रयोजन हैवीवेट टारपीडो को अपने मित्र देशों को विक्रय करने का है।

10.14. स्ट्रम अटाका एंटी-टैंक मिसाइल

(Strum Ataka Anti-Tank Missile)

- हाल ही में भारत ने **Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स (रुस से निर्यातित)** के अपने बेड़े के लिए **रुस से एंटी-टैंक मिसाइल 'स्ट्रम अटाका'** प्राप्त करने हेतु 200 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते को **आपातकालीन खण्डों (emergency clauses)** के तहत हस्ताक्षरित किया गया, जिसके माध्यम से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 3 माह के भीतर मिसाइलों की आपूर्ति की जाएगी।
    - पुलवामा हमले के पश्चात्, सरकार ने प्रति माह 300 करोड़ रुपये की लागत से तीन माह के भीतर अपनी आवश्यकता के उपकरणों की खरीद करने के लिए तीनों सेवाओं को आपातकालीन अधिकार प्रदान किए हैं।
- ज्ञातव्य है कि वायुसेना द्वारा आकस्मिक युद्ध हेतु स्वयं को सुसज्जित करने के लिए आपातकालीन प्रावधानों के तहत इज़राइल से **स्पाइस-2000** स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम की खरीद की गई।
- सेना, **फ्रांस से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रुस से इगला-एस (Igla-S) एयर डिफेंस मिसाइल** प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

10.15. ऑपरेशन संकल्प

(Operation Sankalp)

- भारतीय नौसेना ने **फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी** में **ऑपरेशन संकल्प** का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में हालिया सामुद्रिक घटनाओं के पश्चात् **होर्मुज जलसंधि, फारस / अरब की खाड़ी क्षेत्र** के मध्य रणनीतिक नौवहन मार्ग के माध्यम से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
- इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियानों को संचालित करने के लिए **INS चेन्नई और INS सुनयना** को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना के विमानों द्वारा इस क्षेत्र में हवाई निगरानी भी की जा रही है।

VISION IAS

10.16. अभ्यास गरुड़

(Exercise Garuda)

- हाल ही में भारतीय वायु सेना ने **भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य** आयोजित 'गरुड़-VI' नामक एक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लिया।
- यह **गरुड़ अभ्यास का छठा संस्करण** है और इसे फ्रांस के वायुसेना बेस, मोंट-डी-मार्सन पर आयोजित किया जा रहा है।

10.17. महासागरीय प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु G20 का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

(G20 Implementation Framework For Actions On Marine Plastics Litter)

- हाल ही में **महासागरीय प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु G20 के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क** को अपनाया गया।
- इसका उद्देश्य **स्वैच्छिक आधार पर** महासागरीय अपशिष्ट से निपटने के लिए एक ठोस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है।
- इससे पूर्व G20 हैम्बर्ग शिखर सम्मेलन, 2017 में **"महासागरीय अपशिष्ट पर G20 कार्य योजना"** (G20 action plan on marine litter) को अपनाया गया।
- **फ्रेमवर्क के अंतर्गत:**
  - G20 सदस्य महासागरों में प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्सरण को रोकने और उसे कम करने के लिए **"व्यापक जीवन-चक्र दृष्टिकोण"(comprehensive life-cycle approach)** को बढ़ावा प्रदान करेंगे।
  - उन्हें **समस्या से निपटने में अपनी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी** और साथ ही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना होगा।
  - **गैर-G20 देशों, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्थानीय सरकारों आदि के साथ सहायता और सहयोग स्थापित करना।**

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में प्रोजेक्ट ओशन क्लीनअप के अंतर्गत ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच में निक्षेपित कचरे के एक विशाल द्वीप को साफ़ करने हेतु **प्लास्टिक कचरे को महासागर से निकालने के लिए निर्मित एक फ्लोटिंग डिवाइस** को द्वितीय प्रयास में पुन: परिनियोजित किया गया है।
  - **ओशन क्लीनअप** एक गैर-लाभकारी संगठन है जो विश्व के महासागरों को प्लास्टिक अपशिष्ट से मुक्त कराने हेतु उन्नत तकनीकों का विकास कर रहा है। यह द ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच (GPGP) की सफाई संबंधी कार्यों को संचालित करता है। GPGP हवाई और कैलिफोर्निया के मध्य का एक क्षेत्र है।
- दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) ने समुद्री अपशिष्ट से निपटने हेतु **"बैंकाक घोषणा-पत्र"** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपनी तरह का पहला घोषणा-पत्र है, जो "समुद्री मलबे के विस्तार को प्रतिबंधित करने और विशेष रुप से कम करने" का प्रावधान करता है।
  - न तो घोषणा-पत्र और न ही इससे संलग्न कार्रवाई फ्रेमवर्क में विशेष रुप से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अथवा विदेशी अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है।
  - इस समझौते में सर्वाधिक उल्लंघन करने वाली कंपनियों अथवा देशों के लिए दंड का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए मई, 2019 विजन IAS करंट अफेयर्स देखिए।

10.18. प्रथम 'रिज़िलिएंट केरल' कार्यक्रम

(First Resilient Kerala Program)

- हाल ही में भारत सरकार, केरल सरकार और विश्व बैंक ने प्रथम 'रिज़िलिएंट केरल' कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में राज्य की सुदृढ़ क्षमता में वृद्धि करना है।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के 'केरल का पुनर्निर्माण विकास कार्यक्रम' को प्रदत्त आवश्यक सहायता का एक भाग है।
- **भारत में विश्व बैंक** की **प्रथम 'राज्य साझेदारी'** को दर्शाने वाला यह कार्यक्रम दो विकास नीतिगत परिचालनों में से प्रथम है। इसका उद्देश्य आपदा एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु आवश्यक क्षमता को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं की मुख्यधारा में समावेशित करना है।

10.19. माउंट एटना और माउंट सिनाबंग

(Mount Etna & Mount Sinabung)

- हाल ही में दक्षिणी इटली के माउंट एटना और पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।
- **माउंट एटना:** यह इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक **सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी** है।
  - यह अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसारी प्लेट सीमा पर अवस्थित है।
  - यह काकेशस पर्वत श्रृंखला के बाहर यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है।

- **माउंट सिनाबंग:** यह उत्तरी सुमात्रा (इंडोनेशिया) के कारो रीजेंसी के कारो पठार पर अवस्थित एक **मिश्रित ज्वालामुखी** है।
- इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक हैं।

कुछ हालिया प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट

ज्वालामुखी विस्फोट	क्षेत्र
मयोटे द्वीप	फ्रांस, पश्चिमी हिंद महासागर
माउंट अगुंग	इंडोनेशिया
माउंट सोपुतन	इंडोनेशिया
अनाक क्राकाटाओ द्वीप	इंडोनेशिया

10.20. सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली

(Continuous Ambient Air Quality Monitoring System)

- हाल ही में भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम मिलिट्री स्टेशन में **"सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली" (CAAQMS)"** को अपने देशव्यापी **'गो ग्रीन' पहल** के एक भाग के रुप में अधिकृत किया है।
- CAAQMS पूर्वी कमान मुख्यालय में **वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार** पर **परिवेशी वायु गुणवत्ता का मापन करेगी**।
- **गो ग्रीन पहल** भारतीय सेना द्वारा आरम्भ की गई एक पर्यावरण संरक्षण पहल है, जिसमें जागरुकता सृजन से संबंधित अभियान और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे- हाल ही में 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।

फोर्ट विलियम

- सुतानती (कलकत्ता) में फोर्ट विलियम का निर्माण कार्य 1698 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1706 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया।
- 1756 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके इस किले को अपने अधिकार में ले लिया था।

10.21. कण प्रदूषण हेतु उत्सर्जन व्यापार प्रणाली

(Emission Trading Scheme For Particulate Pollution)

- हाल ही में, गुजरात के सूरत शहर में कण प्रदूषण हेतु **विश्व की प्रथम उत्सर्जन व्यापार प्रणाली** आरम्भ की गई।
- इस कार्यक्रम के तहत, सरकार उत्सर्जन की एक उच्चतम सीमा निर्धारित करेगी और उद्योगों को इस सीमा के अंतर्गत बने रहने के लिए प्राप्त परमिट के क्रय-विक्रय की अनुमति भी प्रदान करेगी।

10.22. एंड ऑफ़ चाइल्डहुड इंडेक्स

(End Of Childhood Index)

- **एंड ऑफ़ चाइल्डहुड इंडेक्स** में भारत को **176 देशों में से 113वां स्थान** प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि यह सूचकांक बाल कल्याण के स्तर के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है।
- **एंड ऑफ़ चाइल्डहुड इंडेक्स** वस्तुतः बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर-लाभकारी संस्था **सेव द चिल्ड्रन** द्वारा प्रकाशित **चेंजिंग लाइव्ज इन आवर लाइफटाइम- ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, 2019** का एक भाग है।
- यह इंडेक्स **बच्चों और किशोरों (0-19 वर्ष) के कल्याण का निर्धारण करने हेतु आठ संकेतकों** पर देशों का मूल्यांकन करता है, यथा- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, बच्चों में वृद्धि को रोकने वाला कुपोषण, शिक्षा की कमी, बाल श्रम, कम आयु में विवाह, किशोरावस्था में मातृत्व, संघर्ष द्वारा विस्थापन और बाल हत्या।
- **इस सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है** और सभी संकेतकों पर निकृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी देश सूची में सबसे नीचे हैं।

10.23. गो ट्राइबल कैंपेन

(Go Tribal Campaign)

- हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जागरुकता सृजन और जनजातीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने तथा साथ ही देश भर में 700 से अधिक भारतीय जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सहायता प्रदान करने हेतु **"गो ट्राइबल कैंपेन"** प्रारंभ किया है।

- इस अभियान का आयोजन **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED)** द्वारा किया गया है।
- यह जनजातियों द्वारा हस्तनिर्मित वस्त्रों, आभूषणों, और प्राकृतिक उत्पादों जैसे तेलंगाना कॉफी, कर्नाटक मसाले आदि को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड: ट्राइफेड

(Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India: TRIFED)

- यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** के अधीन वर्ष 1987 में स्थापित एक संस्था है।
- यह "ट्राइब्स इंडिया" ब्रांड नाम से जनजातीय कला और शिल्प सहित **जनजातीय उत्पादों के विपणन को बढ़ाने** में संलग्न है।
- यह निर्यात और आयात के प्रबंधन तथा जनजातीय उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु एक अभिकरण के रुप में कार्य करता है।
- यह आपूर्ति / बाजार संबंधी अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा प्रदान करता है जैसे जनजातीय उत्पादों से संबंधित गोदाम, विपणन स्थल आदि।
- यह **वन धन विकास केंद्र योजना** को भी लागू करता है।

10.24. अवेयर

(Aware)

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक वैश्विक अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत देशों से अपने **नए ऑनलाइन उपकरण AWaRe** को अपनाने का आग्रह किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नीति-निर्माताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का **एंटीबायोटिक दवाओं का सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग** करने के लिए मार्गदर्शन करना है।
- **'AWaRe'** नामक उपकरण, एंटीबायोटिक्स को तीन समूहों में वर्गीकृत करता है यथा:
  - **पहुंच (Access) -** सर्वसामान्य और गंभीर संक्रमण के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स।
  - **निगरानी (Watch) -** स्वास्थ्य सेवा तंत्र में प्रत्येक समय उपलब्ध एंटीबायोटिक्स।
  - **संरक्षण (Reserve) -** संयमपूर्वक उपयोग किए जाने वाली या संरक्षित दवाएं अर्थात केवल अंतिम उपाय के रुप में उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स।
- इस नए अभियान का उद्देश्य एक्सेस समूह के अंतर्गत एंटीबायोटिक दवाओं की वैश्विक उपयोग के अनुपात में कम से कम 60% तक वृद्धि करना और एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को कम करना है।
- **एक्सेस एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से प्रतिरोध का जोखिम कम होता है** क्योंकि ये 'संकीर्ण-स्पेक्ट्रम' (narrow-spectrum) एंटीबायोटिक्स होते हैं (जो अनेक के बजाय एक विशिष्ट सूक्ष्मजीव को लक्षित करते हैं)। ये सस्ती भी होती हैं क्योंकि ये जेनेरिक फार्मूलेशन में उपलब्ध होती हैं।
- **इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस** की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनेक देशों में 50 प्रतिशत से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए वायरस के उपचार के लिए जब बैक्टीरिया के संक्रमण हेतु प्रयुक्त अथवा गलत (विस्तृत स्पेक्ट्रम/broader spectrum) एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है।

10.25. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020

(Swachh Survekshan League 2020)

- हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 को आरंभ किया।
- इसके तहत भारत में शहरों और कस्बों का त्रैमासिक आधार पर स्वच्छता मूल्यांकन किया जाएगा तथा इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** स्वच्छता संबंधी कार्यों में सेवा स्तर के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के साथ शहरों के वास्तविक प्रदर्शन को बनाए रखना।
- **रैंकिंग:** यह दो श्रेणियों में, अर्थात् एक लाख व उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को प्रदान की जाएगी।
- **महत्व:** जनवरी 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले तिमाही आकलन के 25% भारांक के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में शहरों का प्रदर्शन **स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में** उनकी रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण पर अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2019 विज़न IAS करेंट अफेयर्स देखिए।

10.26. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

(Prime Minister's Scholarship Scheme)

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि (NDF) के अंतर्गत प्रदत्त प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) में परिवर्तन को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
- PMSS का उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के मृतक/पूर्व-सेवा कर्मियों की विधवाओं और बच्चों के लिए **तकनीकी व स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देना है।**
- यह सशस्त्र बलों के संबंध में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के संबंध में इस योजना को क्रमशः गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **परिवर्तन:** परिवर्तन के पश्चात् इस योजना में आतंकवादी/नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए **राज्य पुलिस अधिकारियों** के आश्रितों को भी शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय रक्षा निधि (NDF) के बारे में**
  - इसे राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकद और अन्य प्रकार के स्वैच्छिक दान का प्रभार लेने तथा उनके उपयोग पर निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई।
  - इसका उपयोग सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बल सहित) के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है।
  - यह एक **कार्यकारी समिति** द्वारा प्रशासित है, इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रुप में तथा रक्षा, वित्त व गृह मंत्री इसके सदस्य के रुप में शामिल होते हैं।
  - यह पूर्णतया जनता के स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है और **इसे कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।**

10.27. मंगल ग्रह की सतह पर मीथेन

(Methane On Mars Surface)

- हाल ही में **नासा के क्यूरियोसिटी रोवर** ने मंगल की सतह पर वायुमंडल में विद्यमान **मीथेन** गैस के उच्चतम स्तर का मापन किया है।
- **गेल क्रेटर** क्षेत्र में 21 पार्ट्स पर बिलियन यूनिट्स बाय वॉल्यूम (ppbv) मापन किया गया जो विगत मापन से **तीन गुना** अधिक है।
- ज्ञातव्य है कि मंगल पर मीथेन की उपस्थिति की खोज अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी उपस्थिति **जीवन का संकेत** हो सकती है।
- पृथ्वी पर, मीथेन की अधिकांश मात्रा जीव-जंतुओं द्वारा उत्सर्जित होती है, हालांकि यह गैस भूगर्भिक स्रोतों से भी उत्सर्जित होती है, जैसे कि चट्टानों से संबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं से।

10.28. विशेष नैतिक अधिकार

(Special Moral Rights)

- हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संगीतकार इलैयाराजा उनके द्वारा रचित 4,500 गीतों पर **"विशेष नैतिक अधिकार"** के हकदार थे।
- प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 57 **"रचियता के विशेष अधिकारों"** का प्रावधान करती है, जिसे **"नैतिक अधिकारों"** के रुप में भी जाना जाता है।
- हालांकि प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल साहित्यिक कृतियों का संरक्षण करना था, जिसे नैतिक अधिकारों की अवधारणा के पश्चात् कलात्मक, संगीतमय, नाटकीय और सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के लिए भी विस्तारित किया गया।
- इसे **बर्न कन्वेंशन की धारा 6bis** के आधार पर स्थापित किया गया, जिसके अनुसार नैतिक अधिकारों के दो प्रमुख आधार हैं:
  - **कृति के लेखकत्व का दावा करने का अधिकार / स्वामित्व का अधिकार:** यह एक रचियता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसके अंतर्गत वह अपनी कृति को पूर्णतया या आंशिक रुप से दूसरों को सुपुर्द करने के पश्चात् भी अपनी कृति के लेखकत्व पर अधिकारों का दावा कर सकता है।
  - **किसी की कृति के विरुपण, संशोधन या विकृति के विरुद्ध अधिकार / प्रमाणिकता का अधिकार:** यह लेखक को अपनी कृति से संबंधित किसी भी विकृति, संशोधन आदि के संबंध में हानि या क्षति का दावा करने का भी अधिकार प्रदान करता है यदि इस तरह के कार्य उसके सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए किसी पूर्वाग्रह से युक्त हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए एक निर्णय में कहा गया कि "नैतिक अधिकार" संविधान के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के समान हैं। इस प्रकार इनका अधित्यजन नहीं किया जा सकता है।
  - यह भी निर्धारित किया गया है कि धारा 57 एक सामान्य प्रतिलिप्याधिकार (copyright) के स्वामी की तुलना में साहित्यिक कृति पर अतिरिक्त अधिकार प्रदान करता है। यह प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशन के अनुबंध की शर्तों पर स्पष्टतया अधिभावी है।

10.29. लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय

(National Maritime Heritage Museum In Lothal)

- **भारत** और **पुर्तगाल** द्वारा गुजरात के **लोथल** में एक **राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय** की स्थापना में सहयोग करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।
- **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर किए जाने की संभावना है। साथ ही इसमें एक विशाल संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा जो भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की विरासत और जलमार्गों के माध्यम से व्यापार को प्रदर्शित करेगा।
- इस परियोजना को **पोत परिवहन मंत्रालय** द्वारा अपने **सागरमाला कार्यक्रम** के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **लोथल के बारे में:**
  - लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के मध्य स्थित है।
  - यह 3700 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता की समुद्री गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। **यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन मानव निर्मित पोताश्रय के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।**

10.30. ज्ञानपीठ पुरस्कार

(Jnanpith Award)

- हाल ही में, लेखक **अमिताव घोष** को **"अंग्रेजी में भारतीय साहित्य** के संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान" के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उन्हें शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड और इबिस ट्रिलॉजी - सी ऑफ़ पॉपीज़, रिवर ऑफ़ स्मोक तथा फ्लड ऑफ़ फायर जैसी विभिन्न रचनाओं के लिए जाना जाता है।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय ज्ञानपीठ (एक साहित्यिक और शोध संगठन) द्वारा "साहित्य में उत्कृष्ट योगदान" करने के लिए किसी लेखक को प्रदान किया जाता है।
- इसे वर्ष 1961 में स्थापित किया गया और इसे **भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची** में शामिल भारतीय भाषाओं **व अंग्रेजी भाषा** (49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के पश्चात् शामिल की गई) में लिखने वाले भारतीय नागरिकों **(मरणोपरांत नहीं)** को प्रदान किया जाता है।
- जिस भाषा के साहित्यकार को एक बार पुरस्कार मिल जाता है उस पर अगले तीन वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है।
- यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मलयालम लेखक जी. शंकर कुरुप थे।

10.31. कोल्हापुरी चप्पल को भौगोलिक संकेतक टैग

(Kolhapuri Chappal GI Tag)

- हाल ही में, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा **महाराष्ट्र** के कोल्हापुर, सांगली, सतारा एवं सोलापुर जिलों से तथा **कर्नाटक** के धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट एवं बीजापुर जिलों से **कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग** प्रदान कर दिया गया है।
- कोल्हापुरी चप्पल पर्यावरण-अनुकूल हस्त निर्मित फुटवियर है। यह अपने स्थायित्व और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है।
- यह महाराष्ट्र के गांवों में प्रसंस्कृत किए गए चमड़े से बनाई जाती है।
- कोल्हापुरी चप्पलों के कुछ पारंपरिक डिजाइनों में कछकडी, बक्कलनाली और पुकारी शामिल हैं।
- **20वीं शताब्दी में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज (1874-1922)** ने इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया। कोल्हापुर में उनके शासन के दौरान 29 चर्मशोधन केंद्र खोले गए तथा कोल्हापुर में फुटवियर का व्यापार प्रारंभ किया गया।

10.32. प्यूर्टो विलियम्स, चिली

(Puerto Williams, Chile)

- चिली के अधिकारियों द्वारा प्यूर्टो विलियम्स को "शहर" का दर्जा प्रदान किया गया है, **जिससे यह विश्व का दक्षिणतम शहर बन गया है।**
- इससे पहले उशुआइया (अर्जेंटीना में स्थित) दक्षिणतम शहर था।

10.33. इंफाल शांति संग्रहालय

(Imphal Peace Museum)

- हाल ही में इंफाल युद्ध (द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान) की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में इम्फाल (मणिपुर) के बाहर **लाल पहाड़ी** पर इंफाल शांति संग्रहालय की स्थापना की गई।
- इम्फाल युद्ध जापान और मित्र देशों (ब्रिटिश) की सेनाओं के मध्य हुआ। इस युद्ध के माध्यम से जापान के एशिया अभियान को रोक दिया गया।

VISION IAS

10.34. आरोग्यपाचा पौधा

(Arogyapacha Plant)

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने **आरोग्यपाचा** (TRICHOPUS ZEYLANICUS) की आनुवंशिक संरचना को डिकोड किया है।
- आरोग्यपाचा अगस्त्य पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक स्थानीय औषधीय पादप है। कानी जनजातीय समुदाय द्वारा थकान दूर करने के लिए इसके पारंपरिक उपयोग के कारण इसे 'चमत्कारी पौधे' के रुप में भी जाना जाता है।
- **जेवन्नी** नामक एक औषधि को आरोग्यपाचा पौधे से विकसित किया गया और केरल में स्थापित एक अनुसंधान संस्थान- जवाहरलाल नेहरु ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (JNTBGRI) द्वारा **पेटेंट कराया गया है।**

10.35. शीथ ब्लाइट रोग

(Sheath Blight Disease)

- हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने **चावल में शीथ ब्लाइट रोग** के लिए उत्तरदायी रोगजनक कवक, **राइज़ोक्टोनिया सोलानी की दो स्ट्रेन्स** की आक्रामकता से संबद्ध **आनुवंशिक विविधता की व्याख्या की है।**
- **शीथ ब्लाइट:** यह एक **कवक जनित रोग** है, जिसके कारण **चावल के उत्पादन में 60 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है।** इसके कारण संक्रमित पत्तियों में जीर्णता आती है या वे सूख जाती हैं या तेजी से मृतप्राय: हो जाती हैं। परिणामस्वरुप यह कैनोपी (वितान) के पत्तियों वाले भाग को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करता है जो उपज में अत्यधिक कमी का कारण बन सकता है"। **वर्षा के मौसम में** पौधे शीथ ब्लाइट के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं।

10.36. अनिषेकजनन

(Parthenogenesis)

- हाल ही में, एक मादा एनाकोंडा ने अनिषेकजनन की प्रक्रिया के माध्यम से संतति को जन्म दिया है।
- अनिषेकजनन **एक प्रजनन प्रक्रिया है** जिसमें बिना निषेचित अंडे की कोशिका से भ्रूण का विकास अथवा **निषेचन के बिना मादा** (कदाचित ही कभी नर) **युग्मक** (लैंगिक कोशिका) **का विकास** शामिल है।
- यह एक **अनुकूलनीय रणनीति** है जिसका विकास ऐसी अवस्थाओं में होता है जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण लैंगिक प्रजनन संभव नही है।
- सामान्यतया यह निम्न पादपों, कृषि और बागवानी से संबद्ध कीटों, अकशेरुकी जीवों (विशेष रुप से रोटिफ़र्स, एफिड्स, चींटियों, ततैया और मधुमक्खियों) में होता है और कदाचित ही कभी उच्च कशेरुकियों में पाया जाता है।
- अनिषेकजनन से उत्पन्न संतति **माता-पिता के क्लोन होते हैं**, क्योंकि इसमें किसी अन्य जीव के साथ आनुवंशिक जानकारी का विनिमय और पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता है।

10.37. ड्रैगन फ्लाई मिशन

(Dragon Fly Mission)

- नासा ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन की योजना बनाई है।
- **मिशन के बारे में:** इसे वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा और यह वर्ष 2034 में टाइटन तक पहुंचेगा। इस मिशन का उद्देश्य प्रीबायोटिक केमेस्ट्री में प्रगति की संभावनाओं का अध्ययन करना तथा टाइटन के वातावरण एवं सतह की विशेषताओं और उसके उपसतही महासागर एवं तरल जलाशयों की जांच करना है।
  - यह प्रथम अवसर है जब **नासा** किसी अन्य ग्रह पर विज्ञान के लिए परमाणु शक्ति द्वारा संचालित एक **बहु-रोटर वाहन का प्रक्षेपण करेगा।**
- **टाइटन के बारे में:** यह **सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा** है (बुध ग्रह से भी बड़ा)।
  - इसका वातावरण अधिकांशत: नाइट्रोजन से निर्मित (पृथ्वी के समान) है।
  - इसका अधिकतर भू परिदृश्य हाइड्रोकार्बन (तरल मीथेन और ईथेन) से निर्मित **रेत के टीलों** और **जलमार्गों** द्वारा आच्छादित है। **इसकी सतह जलहिम से निर्मित है**, जो चट्टान की तरह कठोर है।
- ड्रैगनफ्लाई का नासा के **न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम** के भाग के रुप में चयन किया गया है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि केमेस्ट्री ने किस प्रकार बायोलॉजी का मार्ग प्रशस्त किया।
  - इस कार्यक्रम में **प्लूटो और क्विपर बेल्ट** के लिए **न्यू होराइजंस मिशन**, बृहस्पति हेतु जूनो मिशन और क्षुद्रग्रह बेन्नु के लिए **OSIRIS-रेक्स मिशन** भी शामिल है।
- **शनि ग्रह के लिए पूर्ववर्ती मिशन:** कैसिनी मिशन को नासा, यूरोपीयन स्पेस एजेंसी (ESA) और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के परस्पर सहयोग के माध्यम से शनि और इसके वलयों तथा चंद्रमाओं की प्रणाली का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह शनि की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था।

VISION IAS

10.38. रावण-1

(RAAVANA-1)

- श्रीलंका द्वारा स्वदेशी रुप से डिजाइन और विकसित प्रथम उपग्रह 'रावण -1' को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
- यह एक **क्यू उपग्रह (नैनो उपग्रह का एक प्रकार)** है, जिसे जापानी एयरोस्पेस और एक्सप्लोरेशन के स्वामित्व वाले **किबो एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल** के उपयोग से कक्षा में स्थापित किया गया है।

10.39. C-ATFM प्रणाली

(C-ATFM System)

- हाल ही में सरकार ने **नई दिल्ली में** अत्याधुनिक **वायु यातायात आवाजाही प्रबंधन - केंद्रीय कमान केंद्र (Air Traffic Flow Management - Central Command Centre: C-ATFM)** का उद्घाटन किया है।
- C-ATFM प्रणाली प्राथमिक रुप से क्षमता की कमी वाले प्रत्येक भारतीय विमान पत्तन पर हवाई क्षेत्र और विमान जैसे प्रमुख संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए विकसित की गई है।
- यह विभिन्न उप-प्रणालियों से उड़ान डेटा को एकीकृत करती है तथा यह विमान पत्तनों, हवाई क्षेत्रों व हवाई मार्गों के बारे में स्थैतिक जानकारी के साथ मौसम संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराती है।
- भारत अब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान और ब्राजील के बाद एक केंद्रीकृत वायु यातायात आवाजाही प्रबंधन प्रणाली वाला सातवां देश बन गया है।

10.40. लिब्रा-क्रिप्टोकरेंसी

(Libra- Cryptocurrency)

- फेसबुक ने अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे वीज़ा (Visa), स्पॉटिफाई (Spotify), ईबे (eBay), पेपल (PayPal) और उबर (Uber) आदि के साथ **नई क्रिप्टोकरेंसी 'लिब्रा' (Libra)** और एक डिजिटल वॉलेट **कैलिब्रा (Calibra)** का प्रोटटाइप जारी किया है।
- इसे कई राष्ट्रीय मुद्राओं से संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक मनी के रुप में डिजाइन किया जा रहा है।

10.41. सूचकांक और रिपोर्ट

(Indices And Reports)

10.41.1. राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक

(Fiscal Performance Index)

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु एक राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (FPI) प्रस्तुत किया है।
- इस सूचकांक को UNDP के मानव विकास सूचकांक पद्धति का उपयोग करके तैयार किया गया है।
- इसमें सरकारी बजटों की गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन हेतु छह घटक शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं:
  - **राजस्व व्यय की गुणवत्ता:** GDP में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और रक्षा के अतिरिक्त अन्य राजस्व व्यय की हिस्सेदारी द्वारा मापन किया जाता है।
  - **पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता:** GDP में पूंजीगत व्यय (रक्षा व्यय के अतिरिक्त) की हिस्सेदारी के आधार पर मापन किया जाता है।
  - **राजस्व की गुणवत्ता:** GDP में निवल कर राजस्व का अनुपात (राज्यों के मामले में कर राजस्व प्राप्ति)।
  - **राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) का स्तर I:** GDP-राजकोषीय घाटा अनुपात।
  - **राजकोषीय विवेक का स्तर II:** GDP-राजस्व घाटा अनुपात।
  - **ऋण इंडेक्स (कर्ज सूचकांक):** GDP के अनुपात में ऋण और प्रत्याभूतियों में परिवर्तन के आधार पर मापन।

सूचकांक के मुख्य बिंदु

- कम आय वाले राज्यों का वित्तीय प्रदर्शन उच्च आय वाले राज्यों की तुलना में बेहतर है।
- उच्च आय वाले राज्यों का कम आय वाले राज्यों की तुलना में, मुख्य रुप से व्यय की गुणवत्ता और कर प्राप्तियों के सूचकांक के संबंध में प्रदर्शन खराब है।

10.41.2. वैश्विक शांति सूचकांक- 2019

(Global Peace Index 2019)

- हाल ही में, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक) द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI)-2019 का 13वां संस्करण जारी किया गया।
- यह **देशों को तीन विषयगत क्षेत्रों, यथा- सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण का स्तर, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की व्यापकता और सैन्यीकरण के स्तर** में उनके शांति स्तर के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
- विगत पांच वर्षों में पहली बार वैश्विक शांति के औसत स्तर में सुधार हुआ है।
- आइसलैंड ने पुनः विश्व के सबसे शंतिपूर्ण देशों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि वर्ष 2008 से प्रथम स्थान पर कायम है।
- अफगानिस्तान द्वारा सीरिया (अब द्वितीय सबसे कम शांतिपूर्ण देश) को प्रतिस्थापित करते हुए विश्व के सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा प्राप्त किया गया।
- GPI- 2019 में भारत 141वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में इसकी रैंकिंग 136वीं थी।

10.41.3. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट

(Global Economic Prospects Report)

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा अपनी **द्विवार्षिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस (GEP)** रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसका शीर्षक: **"हाइटेंड टेंशन, सबड्यूड इन्वेस्टमेंट"** था।
- GEP द्वारा वर्ष 2019 के लिए वैश्विक वास्तविक GDP विकास दर को घटाकर 2.6% कर दिया गया है, जो विगत पूर्वानुमान से 0.3% अंक कम है।
- इसके अनुसार, भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था होने की स्थिति को बनाए रखेगा। वर्ष 2021 तक, इसकी विकास दर चीन के 6 प्रतिशत दर से 1.5 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

10.41.4. विश्व निवेश रिपोर्ट- 2019

(World Investment Report 2019)

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने विश्व निवेश रिपोर्ट (FDI) 2019 जारी की।
- FDI के स्रोत देश के रुप में भारत की रैंकिंग - 10वीं रही।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आने वाली कुल FDI का 77% से अधिक भाग भारत को प्राप्त हुआ।
- बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में आने वाली कुल FDI का द्वितीय सर्वाधिक बड़ा भाग प्राप्त किया।

10.41.5. वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस- 2019

(World Population Prospects 2019)

- हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा अपनी **द्विवार्षिक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट- 2019** जारी की गई। इसके अंतर्गत वैश्विक जनसांख्यिकीय प्रतिमानों और संभावनाओं के प्रारुप एवं विहंगावलोकन का विवरण दिया गया है।
- **रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं**
  - आगामी 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 2 बिलियन लोगों की वृद्धि होने की संभावना है, जो 7.7 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या से बढ़कर **वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन** और वर्ष 2100 तक 11 बिलियन हो जाएगी।
  - विश्व स्तर पर, 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग सर्वाधिक तीव्रता से वृद्धि करने वाला आयु वर्ग है, जबकि कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात कम हो रहा है। ये परिस्थितियाँ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल रुप से दबाव उत्पन्न कर रही हैं।
- **भारत के जनसांख्यिकीय प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं**
  - वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या में 273 मिलियन लोगों की वृद्धि होने की संभावना है, जो उस समय विश्व में सर्वाधिक राष्ट्रीय वृद्धि होगी। यह वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
  - **वर्ष 2047 तक भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश अधिकतम होगा।**

10.41.6. सामाजिक विकास रिपोर्ट-2018

(Social Development Report-2018)

- हाल ही में, सामाजिक विकास परिषद (एक शोध संगठन) ने सामाजिक विकास रिपोर्ट 2018 जारी की, जो एक वर्ष में दो बार जारी की जाती है।

- **सामाजिक विकास परिषद**
  - इसकी स्थापना वर्ष 1962 में एक स्वतंत्र अकादमिक शोध संगठन के रुप में की गई।
  - यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
  - इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष सी.डी.देशमुख थे।

- **रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य**
  - भारत की कुल संपत्ति का 80.7% केवल 10% सबसे संपन्न व्यक्तियों के पास है।
  - वर्ष 2000 से 2017 के मध्य, धनी एवं निर्धन के मध्य के अन्तराल में छह गुना वृद्धि हो गई है।

10.41.7. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट

(World Drug Report)

- हाल ही में, **यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)** द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2019 जारी की गई।
- रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला मादक पदार्थ गांजा (cannabis) है। विगत वर्ष में अनुमानित 188 मिलियन लोगों द्वारा इस मादक पदार्थ का उपयोग किया गया था।
- विश्व स्तर पर, लगभग 35 मिलियन लोग मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले विकारों से पीड़ित हैं और इन्हें उपचार सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता है।

UNODC के बारे में:

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के विलय के माध्यम से की गई।
- UNODC अपने बजट के 90% भाग हेतु मुख्यतः राष्ट्रीय सरकारों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है।
- यह अनेक क्षेत्रों जैसे संगठित अपराध और तस्करी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम आदि में सहायता करता है।

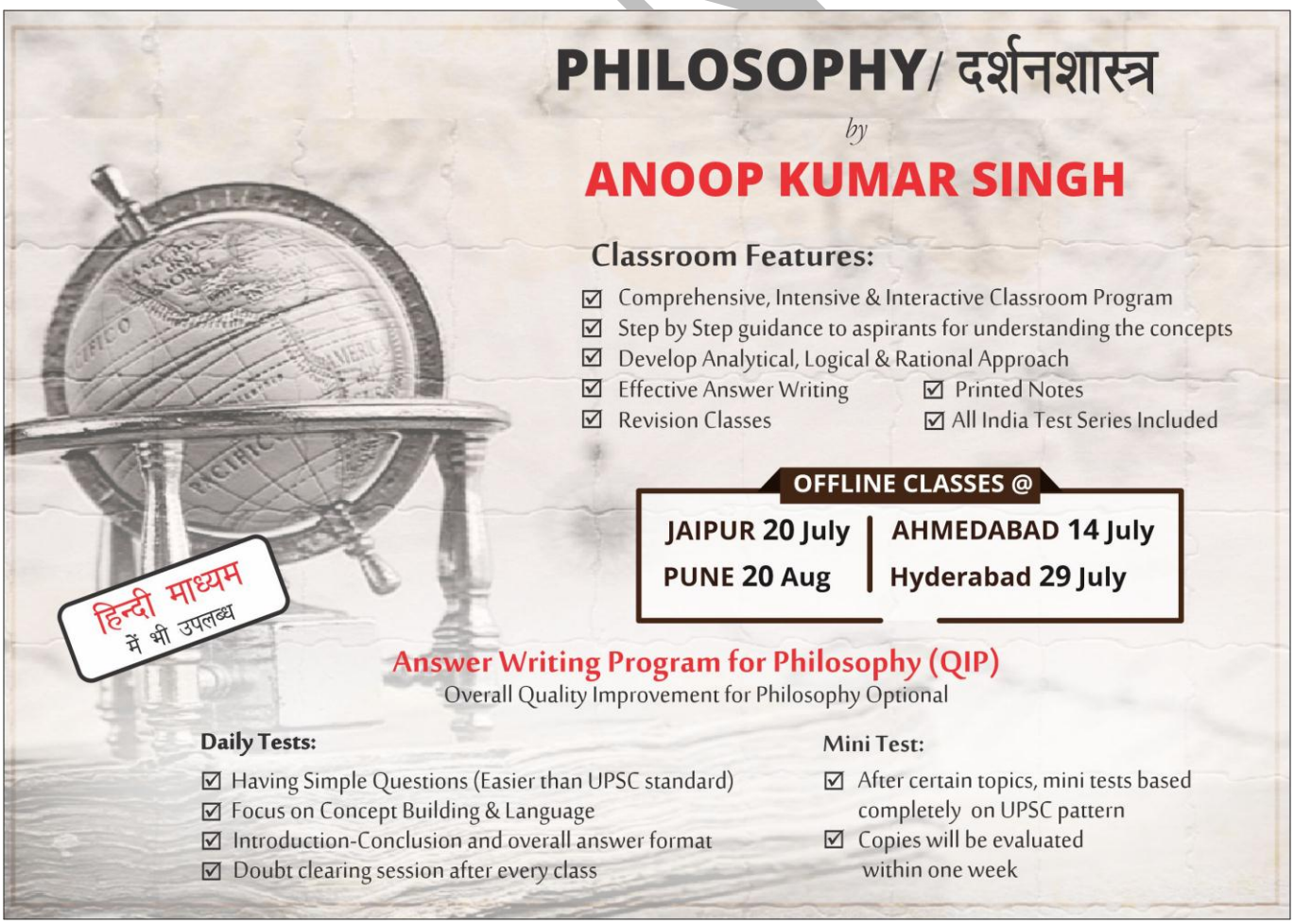

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं (Government Schemes In News)

11.1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - शहरी

(Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban)

हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत वितरित किए जाने वाले एक करोड़ घरों के लक्ष्य को तय समय सीमा से लगभग दो वर्ष पूर्व, वर्ष 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा (पहले की निर्धारित समय सीमा 2022 थी)।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों (Programe verticals) के माध्यम से मलिन बस्ती के निवासियों सहित सभी शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। • वर्ष 2022 तक पात्र परिवारों /लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना। • पेयजल कनेक्शन, शौचालय और बिजली की सुविधा सहित पक्के मकान उपलब्ध कराना। • शहरी क्षेत्र को मलिन बस्ती मुक्त करना तथा सभी नागरिकों की बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। • भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि के विरुद्ध संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रख कर डिज़ाइन तैयार करना एवं निर्मित घर उपलब्ध कराना, जिन्हें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और अन्य प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संहिताओं के अनुरुप निर्मित किया गया हो।	• इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: **आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS), निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs) तथा मध्यम आय समूह (Middle Income Groups: MIGs)** • **EWS** के लिए वार्षिक आय सीमा **3 लाख रुपये, LIGs के लिए 3-6 लाख रुपए तथा MIGs के लिए 6-18 लाख रुपए निर्धारित** की गई हैं। • देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या **लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान** नहीं होना चाहिए। ○ इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जिनका पक्का मकान 21 वर्ग मी.(बिल्ट अप एरिया) से कम क्षेत्र में निर्मित है उन्हें अपनी आवासीय इकाइयों को 30 वर्ग मीटर तक संवर्द्धित करने हेतु इसमें शामिल किया जा सकता है। ○ हालांकि, यदि भूमि / स्थान की उपलब्धता की कमी या किसी अन्य कारण से आवास में वृद्धि कठिन है तब वह व्यक्ति PMAY(U) के तहत अन्यत्र कहीं आवास प्राप्त कर सकता है।	• इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के माध्यम से **कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों (Programe verticals)** हेतु शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी: ○ निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रुप में भूमि का प्रयोग कर मूल स्थान पर ही मौजूदा मलिन बस्ती निवासियों का पुनर्वास; ○ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS); ○ सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक की साझेदारी में वहनीय आवास; ○ लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर के निर्माण/संवर्धन हेतु सब्सिडी। • जहाँ **CLSS** घटक को एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रुप में कार्यान्वित किया जाएगा, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन **केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)** के रुप में किया जाएगा। • जहाँ **EWS श्रेणी** के लाभार्थी इस मिशन के उपर्युक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के पात्र होंगे, वहीं **LIG तथा MIG** श्रेणी के लाभार्थी **केवल मिशन के CLSS घटक** के लिए ही पात्र होंगे। • इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित/प्राप्त मकान वस्तुतः **परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के नाम** पर **संयुक्त** रुप से होना चाहिए। परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही घर का स्वामित्व पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। • अपने **राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों** का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है।

VISION IAS

	• वर्ष 2011 की जनगणना के तहत शामिल **सभी वैधानिक नगर और तत्पश्चात अधिसूचित कस्बे** इस मिशन के तहत पात्र होंगे।	• मलिन बस्ती पुनर्वासन कार्यक्रम के तहत प्रति मकान औसतन एक लाख रुपए केंद्रीय अनुदान के रुप में उपलब्ध कराए जाएंगे। • CLSS के क्रियान्वयन के लिए **राष्ट्रीय आवास बैंक** तथा **आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO)** को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CAN) के रुप में नामित किया गया है। • इस योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु **जिओ-टैगिंग** का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** को अपनाया गया है तथा निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने के लिए **टेक्नोलॉजी सब-मिशन** प्रारंभ किया गया है। • सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को "अवसंरचना का दर्जा" (infrastructure status) प्रदान किया है। इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा।

11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना

(Employees' State Insurance Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम के तहत नियोक्ता के अंशदान को 4.75 प्रतिशत से घटा कर 3.25 प्रतिशत और देय वेतन में कर्मचारी के अंशदान को 1.75 प्रतिशत से घटा कर 0.75 प्रतिशत कर दिया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के तहत परिभाषित है:- बीमारी, दिव्यांगता, नियोजन क्षति, प्रसूति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय संरक्षण तथा बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराना।	• यह एक स्व-वित्तपोषित योजना है जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करती है। • इस योजना को **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा वित्त पोषित** किया जाता है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा कोष में विप्रेषित किया जाएगा। • इस कोष को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 द्वारा विनियमित तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रशासित किया जाता है। ESIC श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सांविधिक रुप से गठित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। • ESI अधिनियम, 1948, **10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों** पर लागू होता है। इसके तहत **21,000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी** शामिल हैं। • यह योजना मौसमी कारखानों, चाय या कॉफ़ी के मिश्रण, पैकिंग या रिपैकिंग के उद्यम अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रक्रियाओं में संलग्न कारखानों पर लागू नहीं होती है। • इस अधिनियम में योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले छह सामाजिक सुरक्षा हितलाभों की परिकल्पना की गई है, यथा: ○ **चिकित्सा हितलाभ:** चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। बीमा योग्य नियोजन में आते ही बीमांकित व्यक्ति और उसके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ सुविधा प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। प्राथमिक, बहिरंग, अंतरंग

VISION IAS

और विशेषज्ञ सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों /औषधालयों एवं पैनल क्लीनिक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं ; जबकि अति विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएं रेफरल के आधार पर देश के प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सालयों व औषधालयों में यह सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाती हैं। बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य के उपचार संबंधी होने वाले व्यय पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

- **रुग्णता हितलाभ:** रुग्णता हितलाभ नकद रुप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बीमित कर्मचारी को प्रमाणित रुग्णता की स्थिति में एक वर्ष में अधिकतम 91 दिन के लिए वेतन का 70 प्रतिशत नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है, हालाँकि इस हितलाभ पात्रता हेतु बीमित कर्मचारी द्वारा 6 महीने की अवधि में 78 दिनों का न्यूनतम योगदान देना आवश्यक है।
- **मातृत्व हितलाभ:** इसके तहत तीन माह का भुगतान शामिल है, जिसे चिकित्सकीय सलाह पर आगे एक माह और बढाया जा सकता है।
- **नि:शक्तता हितलाभ:** रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना या रोजगार संबंधी खतरों के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में मृतक बीमित व्यक्ति के आश्रित को मासिक भुगतान के रुप में किए जाने वाले वेतन का 90% भुगतान किया जाता है।
- **अन्य हितलाभ जैसे अंत्येष्टि व्यय एवं प्रसूति हितलाभ।**

- इसके अतिरिक्त, यह योजना बीमित श्रमिकों को कुछ अन्य आवश्यकता आधारित हितलाभ भी प्रदान करती है।
  - दिए जा रहे प्रशिक्षण के दौरान स्थायी रुप से नि:शक्त हो चुके बीमित व्यक्ति को **व्यावसायिक पुनर्वास** (वोकेशनल रिहैबिलिटेशन) प्रदान करना।
  - रोजगार के दौरान चोटिल होने के कारण हुई शारीरिक नि:शक्तता के मामलों में **शारीरिक पुनर्वास** (फिज़िकल रिहैबिलिटेशन) प्रदान करना।
  - **वृद्धावस्था चिकित्सकीय देखभाल:** 120 रुपए प्रति वर्ष भुगतान किए जाने पर सेवानिवृत्ति या VRS/ERS की स्थिति में बीमित कर्मी को तथा स्थायी नि:शक्तता के कारण कार्य छोड़ने को विवश बीमित व्यक्ति एवं उसके जीवनसाथी को यह सुविधा प्रदान की गई है।
- **हाल में किये गए अन्य परिवर्तन:**
  - इस योजना के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्ति के आश्रित माता-पिता हेतु चिकित्सा लाभ प्राप्ति के लिए आय सीमा को 5,000 रुपये प्रति माह (सभी स्त्रोतों से) से बढाकर प्रति माह 9,000 रु कर दिया गया है।
  - 2019-20 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति बीमित व्यक्ति (IP) व्यय की निर्धारित उच्चतम सीमा के तहत योजना की सम्पूर्ण लागत को ESIC द्वारा वहन किया जाएगा। हालाँकि अब तक ESIC द्वारा ESI योजना के तहत व्यय का 7/8 वाँ हिस्सा ही वहन किया जाता था तथा 1/8 वें हिस्से का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS